प्रस्तावना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(4) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त से यह अपेक्षित है कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सम्पादित कार्यों के सम्बन्ध म. वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाये। इसकी अनुपालना म. दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि म. किये गये कार्यों का यह 31वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मेरे कार्यकाल का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन है।

लोकायुक्त संस्था का दायित्त्व लोकसेवका. द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन म. पद के दुरूपयोग, भ्रष्ट आचरण एवं अकर्मण्यता सम्बन्धी शिकायता. म. अन्वेषणोपरान्त सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्ष सहित समुचित कार्यवाही के लिए अभिशंसा करना है। इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्याया. की विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण दिये जाने से पूर्व मैं सुसंगत वस्तुस्थिति का उल्लेख किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

सुशासन विश्व के प्रत्येक देश की प्रथम प्राथमिकता है। सुशासन से हमारा अभिप्राय सरकार द्वारा ऐसा प्रशासन प्रदान करने से है जिसम. विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, जनता की सहभागिता एवं दक्षता हो तथा जो भ्रष्टाचार रूपी रोग से सर्वथा मुक्त हो परन्तु कहना न होगा कि हमारे राज्य के कोने-कोने म. छद्म व प्रच्छन्न रूप से फैल चुके भ्रष्टाचार के कारण हम पिछले दशका. म. काफी प्रयास करने के बावजूद सुशासन की स्थापना करने म. अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाये हैं।

विभिन्न राष्ट्रा. म. भ्रष्टाचार की स्थिति का वैश्विक स्तर पर आकलन करने वाली जर्मनी म. कार्यरत स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल (Transparency International) की नवीनतम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशान्त के 49 देशा. म. से भारत उन देशा. म. है जहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी प्रचलित है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सेवाआ. के माध्यम से लाभान्वित होने वाले हर दस व्यक्तिया. म. से सात व्यक्तिया. को अधिकारी अथवा कर्मचारी को रिश्वत देनी पड़ती है।

हाल ही म. हाँगकाँग की संस्था Political and Economic Risk Consultancy Ltd. की तरफ से किये गये सर्वे म. इस बात का खुलासा हुआ है कि एशिया महाद्वीप म. भारतीय नौकरशाही खस्ताहाल है। इस सर्वे म. एशियाई देशा. की नौकरशाही को एक से दस तक की रैंकिंग दी गई है जिसम. दसव. रैंक को सबसे खराब नौकरशाही माना गया है। इस सूची म. भारतीय नौकरशाही को 9.21 रैंकिंग हासिल हुई है जबकि सिंगापुर की नौकरशाही को सबसे अच्छा बताया गया है। स्पष्ट है कि भारत को इस संदर्भ म. बहुत निचले पायदान पर रखा गया है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध म. माननीय उच्चतम न्यायालय का Dr.Subramanian Swamy v. Dr.Manmohan Singh and Anr. (2012) 3 SSC 64 म. किया सम्प्रेक्षण महत्वपूर्ण है:

> *"Today, corruption in our country not only poses a grave danger to the concept of constitutional governance, it also threatens the very foundation of Indian democracy and the Rule of Law. The magnitude of corruption in our public life is incompatible with the concept of a socialist, secular democratic republic."*

आज समाज म. व्याप्त भ्रष्टाचार के विषाणु से जन सामान्य क्षुब्ध एवं त्रस्त है। भ्रष्टाचारजन्य पदीय दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता शासन तंत्र को अनुत्तरदायी एवं संवेदनहीन बना रही है। वस्तुतः यह हमारे देश के

सम्यक् विकास म. बहुत बड़ी बाधा है और इसने हमारी उपलब्धियों को सीमित कर दिया है। इस सम्बन्ध म. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्णय Yakub Abdul Razak Memon v. State of Maharashtra. (2013) 13 SCC 1 म. की गई निम्न टिप्पणी सुसंगत है :

> *"Corruption among public servants indicates a failure of our system where pursuit of personal gratification subdues public interest."*

शोध के परिणाम बताते हैं कि समय के साथ लोकसेवका. के प्रति लोगा. का विश्वास शनैः शनैः कम हो रहा है। जनसाधारण की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अभीष्ट है कि लोकसेवका. तथा जनता के मध्य जीवन्त संवाद बना रहे। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के परिप्रेक्ष्य म. तो यह विशेषतः अपेक्षित है। लोगा. की उम्मीदा. पर खरा उतरने के लिये लोकसेवका. के पास सबसे बड़ी और प्रभावी रणनीति यही है कि वे सभी सम्बन्धित लोगों का पक्ष सुन, वस्तुस्थिति की अनदेखी न कर, सही-गलत का पूर्ण आकलन कर. एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय लेते हुए जनोपयोगी कार्यक्रमा. का ठोस क्रियान्वयन कर।

जहाँ तक आम-जनता का प्रश्न है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जितना शासन व नौकरशाही का दायित्त्व बनता है, उतनी ही सक्रियता जनता से भी अपेक्षित है। आज भ्रष्टाचार की शोचनीय स्थिति परम्परा का रूप धारण कर चुकी है। बहिष्कार करने के बजाय इसे शिष्टाचार माना जा रहा है। लोगा. म. इसके विरूद्ध आवाज उठाने की भावना दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है जबकि हर नागरिक का यह नैतिक दायित्त्व है कि वह राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर भ्रष्टाचार के मामला. म. मौन रहने की बजाय उसे पुरजोर तरीका. से उजागर करे। इस विषय पर दार्शनिक G.Edward Griffin का निम्न कथन उद्धरण योग्य है:

"To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism."

भ्रष्टाचार निवारण की दिशा म. हम. सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोना. पक्षा. पर विचार करके उपयुक्त कदम उठाने हाग़े। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक प्रशासन म. हम. एक नई संस्कृति का निर्माण करना होगा। विश्वसनीय निष्पक्षता को हम. प्रशिक्षण द्वारा जनता एवं लोकसेवका. तक पहुँचाना होगा। विगत वर्षों म. हमारा यह प्रयास रहा है कि हम लोकसेवका. एवं जनता के मध्य भ्रष्टाचार की बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा म. आमजन को जागरूक कर, उनम. चेतना भर. तथा लोकसेवका. म. भी कर्त्तव्यबोध को जागृत करे। इस प्रयास म. हमने राज्य के अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्यालया, समस्त अटल सेवा केन्द्रा. एवं हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सूचना-पट्टिकाएँ लगवाई हैं, जिनके जरिये जनता को यह संदेश दिया गया है कि यदि कोई लोकसेवक तय समय म. काम नहीं करता है या किसी काम को करने की एवज म. किसी तरह की अवैध अपेक्षा करता है या अकर्मण्यता व्यवहार म. लाता है तो ऐसी स्थिति म. लोकायुक्त सचिवालय म. परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यह संस्था ऐसी शिकायता. पर तत्परता से कार्यवाही करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। साथ ही लोकसेवका. को प्रेरित किया गया कि वे संवेदनशील होकर लोगा. की परेशानिया. को ध्यान से सुन, समझ. और तदुपरान्त एक प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित कर सद्भावनापूर्वक इनके यथाशीघ्र समाधान का प्रयास कर।

अनुभव यह बताता है कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शिकायता. के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला स्तरीय अधिकारिया. द्वारा बहुधा तत्परता नहीं बरती जाती है। इससे शिकायता. के निस्तारण म. अनावश्यक विलम्ब होता है। बार-बार लिखने के बावजूद भी तथ्यात्मक रिपोर्ट या चाही गई सूचना न भिजवाने पर सम्बन्धित अधिकारी को

मजबूरन व्यक्तिशः तलब करना पड़ता है, जो अन्तिम विकल्प होता है। यदि चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्परता से भिजवा दी जाए तो परिणाम यह होगा कि प्रथम तो प्राप्त शिकायत असत्य होने पर शीघ्र दाखिल दफ्तर हो सकेगी। दूसरा हम. शिकायता. का शीघ्र निस्तारण करने म. मदद मिलेगी और तीसरा जहाँ वाँछित हो, वहाँ शिकायतकर्ता को भी शीघ्र राहत मिल सकेगी। अतः राज्य के विभिन्न भागा. म. आयोजित कैम्पा. के माध्यम से अधिकारीगण से यह अपेक्षा की गई कि जब भी किसी शिकायत के बारे म. उनसे लोकायुक्त सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक जानकारी माँगी जाती है तो वे तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित कर। यह वाँछित है कि सरकार की ओर से भी अधिकारिया. को एतद्सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाएँ।

भ्रष्टाचार निवारण की दिशा म. मैंने अपने पिछले प्रतिवेदनों म. लोकायुक्त संस्था की उपादेयता को भलीभाँति रेखांकित किये जाने का प्रयास किया है। विषय के महत्त्व को देखते हुए मेरे मत म. इस संस्था की स्थापना के पीछे रही विधायिका की मंशा को भी प्रकट किया जाना उचित होगा।

लोकायुक्त संस्था का गठन केवल ऐसे मामला. म. जाँच एवं अन्वेषण हेतु नहीं है जो कार्य राज्य म. स्थापित अन्य एजेन्सिया. द्वारा किया जाना सम्भव है अपितु लोकायुक्त संस्था से आशा यह की जाती है कि जिन मामला. म. राज्य की नियमित संस्थाआ. द्वारा जन समस्याआ. का वाँछित निराकरण नहीं किया जा रहा है अथवा जहाँ राज्य की जाँच एजेन्सी की स्वतंत्रता संदेह के घेरे म. हो, ऐसे मामला. म. लोकायुक्त संस्था प्रभावी जाँच/अन्वेषण करे।

लोकायुक्त संस्था की उपयोगिता, महत्व, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से किये गये विभिन्न प्रयासा. के परिणामस्वरूप **प्रतिवेदनाधीन अवधि म. 5384 शिकायत. प्राप्त हुईं।** यहां यह उल्लेखनीय है कि **इसी अवधि म. पूर्व से विचाराधीन शिकायतों को सम्मिलित करते हुए 5973 शिकायता. का निस्तारण किया गया, जो लोकायुक्त संस्था के इतिहास म. अब तक का सर्वाधिक निस्तारण है।** इसके पूर्व मेरे ही कार्यकाल म. वर्ष 2013-14 म. 3928, वर्ष 2014-15 म. 3756 व वर्ष 2015-16 म. 4990 शिकायता. का निस्तारण किया गया था।

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. सर्वाधिक शिकायत. क्रमशः राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारिया. और कर्मचारिया. के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	परिवाद
1.	राजस्व	972
2.	पुलिस	920
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	838
4.	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	835

इन विभागा. के विरूद्ध प्रति वर्ष अधिक शिकायता. के प्राप्त होने का मुख्य कारण इनका public dealing विभाग होना और इन विभागा. म. व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग के कारणा. को समाप्त करने के लिए इनकी कार्य-प्रणाली म. समुचित सुधार करने की यथा आवश्यक पहल नहीं करना भी प्रतीत होता है।

इस संस्था द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर ही प्राप्त शिकायता. पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने का भरसक प्रयास किया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि म. संस्था द्वारा की गई जाँच व अन्वेषण कार्यवाहिया. के उपरान्त **13 प्रकरणा.** मे. विभिन्न विभागा. के **दोषी पाये गये लोकसेवका. के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारिया. को** राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अधीन **अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।**

इस संस्था द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप **286 लोकसेवकगण के विरूद्ध** सक्षम प्राधिकारियों द्वारा **अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ/निर्णीत की गईं।** इसके अतिरिक्त **परिवादीगण की समस्याआ. का समुचित निदान करवाकर** उन्ह. **कुल 727 प्रकरणों म. वाँछित अनुतोष प्रदान करवाये गये हैं। इनम. माथुर आयोग से अन्तरित पत्रावलियो. के 67 प्रकरण भी शामिल हैं। परिवादिया. को वाँछित अनुतोष प्रदान करवाये जाने वाले प्रकरणा. की यह संख्या संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक है।**

माथुर आयोग से स्थानान्तरित अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। खान आवंटन मामले म. जाँच एवं अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है।

उक्त विवरण दर्शाता है कि लोकायुक्त सचिवालय जन साधारण से प्राप्त परिवादा. के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण म. एक नई इबारत लिख रहा है। संस्था के आधारभूत बुनियादी ढाँचे एवं उपलब्ध संसाधना. की न्यूनता के बावजूद लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शिकायता. के निस्तारण की संख्या दिना-दिन बढ़ती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप इस सचिवालय म. जनसाधारण से प्राप्त होने वाली शिकायता. म. भी प्रतिदिन अभिवृद्धि हो रही है। इन शिकायता. पर कार्यवाही करते हुए जन आकांक्षाआ. को

पूर्ण करने हेतु यह सचिवालय पूरी तरह जागरूक एवं तत्पर है तथा प्राप्त शिकायता. पर आमजन को राहत प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस सचिवालय म. प्राप्त परिवादा. के त्वरित गति से किये गये निस्तारण के फलस्वरूप आमजन को अनुतोष प्राप्त होने से इस संस्था म. उनका विश्वास सुदृढ़ हुआ है। मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे प्रयासा. से आम आदमी को राहत मिल रही है। इस दिशा म. हम मनसा-वाचा-कर्मणा प्रतिबद्ध हैं। हम इस संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार निवारण की दिशा म. यह संस्था अपना अप्रतिम योगदान दे सके।

यह प्रतिवेदन इस संस्था द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किये गये कार्यों का प्रामाणिक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दस्तावेज है। हमने विगत वर्षों म. जो अनुशंसाएँ और परामर्श सरकार को दिये हैं, उनके सम्बन्ध म. मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार के स्तर पर इस दिशा म. वाँछित प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। आमजन अपनी समस्याआ. का प्रशासन से एक सुलझा हुआ समाधान चाहता है। प्राप्त परिवादों की सुनवाई हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. प्रस्तावानुसार वाँछित संशोधन कर दिया जाये तो यह संस्था भ्रष्टाचार निवारण की दिशा म. अधिक प्रभावी योगदान दे सकेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Institution of Andhra Pradesh Lokayukta / Upa-Lokayukta, A.P. Vs. T. Rama Subba Reddy & Anr [1996] INSC 1612 (13 December 1996) के प्रकरण म. निम्न सम्प्रेक्षण किया :

> *"....the legislative intent behind the enactment (Lokayukta and Upa Lokayukta) is to see that the public servants covered by the sweep of the Act should be answerable for their actions ..., so that such authorities should be armed with appropriate powers and sanction so that their orders and opinions do not become mere paper directions. The decision of the Lokayukta and Upa Lokayukta, therefore, must be capable of being fully implemented. These authorities should not be reduced to mere paper tigers but must be armed with proper teeth and claws so that the efforts put in by*

them are not wasted and their reports are not shelved by the concerned disciplinary authorities.."

उक्त स्थिति के मद्देनजर लोकायुक्त संस्था का शक्तिशाली एवं समर्थ होना समय की महती माँग है। इस क्रम म. मैंने अपने पिछले प्रतिवेदना. म. विस्तृत विवरण के साथ विशेष रूप से यह रेखांकित करते हुए कि केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. द्वारा राजस्थान म. भी लोकायुक्त संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने की माँग पर इस सचिवालय द्वारा उक्त केन्द्रीय अधिनियम एवं कुछ ऐसे राज्या. के लोकायुक्त अधिनियमा, जहाँ पर लोकायुक्त संस्था सुदृढ़ एवं प्रभावी है, के प्रावधाना. के अनुरूप प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रारूप इस सचिवालय द्वारा पत्र क्रमांकःएफ.1(14)लोआस/84/13552 दिनांक 17.1.2014 से प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाया गया था तथा उक्त प्रारूप की एक प्रति इस सचिवालय के समसंख्यक पत्र क्रमांकः 13564 दिनांक 17.1.2014 से माननीया मुख्यमंत्री महोदया को उनके शासन सचिव के माध्यम से भिजवाई गई थी। इस संदर्भ म. कार्मिक विभाग से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर समसंख्यक पत्र दिनांक 20.1.2015, 23.6.2015, 5.10.2015, 6.4.2016, 23.6.2016, 15.7.2016, 14.12.2016 एवं 9.3.2017 द्वारा स्मरण भी करवाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध म. हुई यथेष्ट कार्यवाही/प्रगति इस सचिवालय को अप्राप्त है। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि उक्त प्रस्तावित संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रावधाना. पर आज की आवश्यकताआ. के परिप्रेक्ष्य म. गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाकर, इसे पारित करवाया जाए।

अन्त म. मैं यह कहना चाहूँगा कि इस संस्था द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधना. तथा स्रोता. का भरपूर उपयोग करते हुए यथासम्भव अपने

कर्त्तव्या. का प्रभावी रूप से निष्पादन किया जा रहा है और भविष्य म. भी ऐसा किया जाता रहेगा। यह विश्वास है कि शासन इस प्रतिवेदन म. रेखांकित कठिनाइया. और समस्याआ. की तरफ उचित ध्यान देगा और इनके निदान के लिए उचित कदम उठाएगा। यदि संस्था को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाना है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन की इच्छाशक्ति एवं सहयोग अपरिहार्य है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान राज्य में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किया जायेगा। इसी अपेक्षा के साथ यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

जयपुर,
14 सितम्बर, 2017

(एस.एस.कोठारी)
लोकायुक्त, राजस्थान

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		**I-X**
अध्याय–1	**लोकायुक्त संस्था का परिचय**		**9-20**
	1.1	इतिहास एवं पृष्ठभूमि	9-12
	1.2	अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ	12-14
	1.3	जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया	14-17
	1.4	प्रशासनिक स्थिति एवं बजट	17-20
अध्याय–2	**सम्पादित कार्य**		**21-38**
	2.1	समग्र कार्य	21-23
	2.2	प्रारम्भिक जाँच के प्रकरण	23-24
	2.3	अन्वेषण के प्रकरण	24
	2.4	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण	25
	2.5	लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात विभागों द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरण	25
	2.6	लोकायुक्त सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण	25
	परिशिष्ट–2.1 से 2.7		26-38

अध्याय–3	**माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – जस्टिस माथुर जांच आयोग से अंतरित प्रकरणों का प्रगति विवरण**		**39-100**
	3.1	जस्टिस माथुर आयोग का गठन	39-41
	3.2	लोकायुक्त सचिवालय को जाँच कार्य का अन्तरण	41-44
	3.3	अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण	44-50
	3.4	अनुतोष के प्रकरण	50-100
अध्याय–4	**माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – खान आवंटन घोटाले की जाँच का प्रगति विवरण**		**101-162**
	4.1	पृष्ठभूमि	101-102
	4.2	उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त	102-108
	4.3	केन्द्र सरकार के दिशानिर्देश, एम.एम.डी.आर. एक्ट में संशोधन हेतु ड्राफ्ट एवं अध्यादेश	108
	4.4	खान विभाग के लोकसेवकों के आक्षेपित कृत्य	109-111
	4.5	राज्य सरकार की कार्यवाही	111-114
	4.6	समनुदेशित कार्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता	114-116
	4.7	जाँच कार्य की प्रगति	117-123
	परिशिष्ट 4.1 से. 4.20		124-162

अध्याय–5	**अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण**		**163-206**
अध्याय–6	**अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण**		**207-380**
अध्याय–7	**अनुतोष के प्रकरण**		**381-744**
अध्याय–8	**लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास**		**745-762**
	परिशिष्ट 8.1 से. 8.10		753-762
अध्याय–9	**विविध**		**763-779**
	•	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि	763-764
	•	30वें वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का चित्र	765
	•	आयोजित शिविरों और बैठको के कतिपय चित्र	766-768
	•	समाचार पत्रों में प्रकाशित कतिपय खबरें	769-779

परिशिष्ट अनुक्रमणिका

परिशिष्ट	परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
2.1	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	26-28
2.2	दिनांक 01.04.1979 से 31.03.17 की कालावधि म प्राप्त, निस्तारित व लम्बित परिवादों का विवरण	29-31
2.3	दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 की कालावधि म स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणा का विवरण	32-34
2.4	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा का विवरण	35
2.5	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म अन्वेषण प्रकरणा का विवरण	36
2.6	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप विभागा द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरण	37

2.7	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि के अनुतोष प्रकरण	38
4.1	राज्य सरकार द्वारा खान आवंटन की समीक्षा/पुनरावलोकन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनांक 16.10.2015	124-126
4.2	माननीय राज्यपाल, राजस्थान द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 तक के खान आवंटन की जाँच लोकायुक्त द्वारा किये जाने का आदेश दिनांक 17.10.2015	129
4.3	खान आवंटन से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां आदि भिजवाने हेतु खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 28.10.2015	130
4.4 से 4.7	खान आवंटन जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त भवन/परिसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र	131-135
4.8 एवं 4.9	खान आवंटन जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त भवन/परिसर उपलब्ध करवाने के लिए शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र	136-139
4.10 से 4.13	खान आवंटन जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित पत्र	140-147

4.14	खान आवंटन जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में इस सचिवालय में खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ हुई बैठक की कार्यवाही का विवरण	148-149
4.15 एवं 4.16	खान आवंटन जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित पत्र	150-153
4.17	खान आवंटन जाँच के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार का आदेश दिनांक 27.01.2016	154-155
4.18 एवं 4.19	खान आवंटन जाँच के लिए सृजित अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित पत्र	156-161
4.20	खान आवंटन जाँच के लिए सृजित अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का आदेश दिनांक 26.02.2016	162
8.1 से 8.6	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित स्मरण पत्र दिनांक 06.04.2016, 23.06.2016 एवं	753-758

	14.12.2016	
8.7	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया की प्रगति की प्रास्थिति बाबत कार्मिक विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 11.01.2017	759
8.8 एवं 8.9	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 09.03.2017	760-761
8.10	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया की प्रगति की प्रास्थिति बाबत कार्मिक विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15.03.2017	762

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का परिचय

1.1 इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशा. म. जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत म. लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 म. दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगा.) और पाला (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने म. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन म. की गई जहां वर्ष 1713 म. किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारिया. को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन म. जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्या. का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति म. सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 म. स्वीडन के संविधान म. 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप म. सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवका. द्वारा विधि, नियमा. तथा विनियमा. के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणा. की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे-धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशा. और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशा. म. भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की

लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड म. वर्ष 1919, डेनमार्क म. 1954, नार्वे म. 1961 व ब्रिटेन म. 1967 म. भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगा. का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारा. की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका-विश्वकोश म. नागरिका. द्वारा नौकरशाही की शक्तिया. के दुरूपयोग के सम्बन्ध म. की गयी शिकायता. की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न-भिन्न नामा. से जाना जाता है। उदाहरणार्थ - ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड म. यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस म. इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे म. देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तका. ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' म. यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान म. संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश म. व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास

किये गये हैं। राजस्थान म. वर्ष 1963 म. प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहिया. पर नजर रखना तथा ऐसे मामला, जिनम. सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमा. या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन म. हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायता. जिनम. भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध म. समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश म. 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता म. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन म. व्यवस्था म. व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनआकांक्षाआ. के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायता. की जाँच के लिए केन्द्र म. लोकपाल तथा राज्या. म. लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुतः इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश म. लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा म. वर्ष 1971 म. लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 म. पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधाना. को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 म. महाराष्ट्र और वर्ष 1973 म. राजस्थान म. लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्या. म. लोकायुक्त संस्था की स्थापना

हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान म. जन अभियोगा. की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र म. किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायता. की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता म. विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायता. को देखने एवं उनम. अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 म. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव म. लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप म. प्रदेश म. प्रभावी है।

1.2 अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य-सरकार के मंत्रिया, सचिवा, अधिकारिया. तथा अन्य लोकसेवका. के विरूद्ध निम्न अभिकथना. के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :-

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप म. अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;

2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत म. कर्त्तव्या. का निर्वहन करने म. व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुआ. से प्रेरित था;

3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत म. भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 म. ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य-मंत्री या उप-मंत्री;

"सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसम. विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित है।

"अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापा. के सम्बन्ध म. किसी लोक सेवा म. या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न म. से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:-

(1) प्रत्येक मंत्री;

(2) प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;

(3) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप-प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;

(4) नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप-महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।

(5) निम्नलिखित की सेवा म. या वेतनभोगी के रूप म. कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :-

(i) राजस्थान राज्य म. कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र म. अधिसूचित किया गया है;

(ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसम. समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;

(iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज-पत्र म. सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

1.3 जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय म. विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक दस्तावेजात सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हैं तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ म. प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज

आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य म. परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवका. को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद म. लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हैं या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्टया यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस बाबत प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच म. परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तिया. को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामला. के सम्बन्ध म. सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त हैं, जैसे :-

(1) किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(2) किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

(3) शपथ-पत्रा. पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(4) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक-अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(5) साक्षिया. या दस्तावेजा. की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(6) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जाय।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप बाबत पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही म. उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवका. एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारा. का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवका. को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही म. ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव म. स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव म. प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षिया. से जिरह करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोना. पक्षा. को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध म. अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो

धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजा, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से सन्तोष हो जाता है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण म. माननीय राज्यपाल महोदय को ''विशेष प्रतिवेदन'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध म. माननीय राज्यपाल महोदय को ''वार्षिक प्रतिवेदन'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप-धारा (3) के अधीन ''विशेष प्रतिवेदन'' एवं उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त ''वार्षिक प्रतिवेदन'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

1.4 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय म. प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदा. की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	प्रमुख सचिव	01	01	0
2	सचिव	01	01	0
3	प्रमुख निजी सचिव	01	01	0
4	संयुक्त सचिव	06	06	0
5	विशेषाधिकारी-जे	01	01	0
6	विशेषाधिकारी-आर	01	01	0
7	संयुक्त विधि परामर्शी	01	01	0
8	उप सचिव	05	05	0
9	सहायक सचिव	06	06	0
10	निजी सचिव	02	02	0
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	0
12	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03	0
13	अनुभाग अधिकारी	05	05	0
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	01	01	0

15	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	0
16	सहायक नगर नियोजक	01	01	0
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	01	01	0
18	सहायक अनुभाग अधिकारी	04	02	02
19	निजी सहायक	05	04	01
20	कनिष्ठ लेखाकार	01	0	01
21	आशुलिपिक	09	06	03
22	सहायक प्रोग्रामर	02	01	01
23	सूचना सहायक	14	12	02
24	ड्राफट्समैन	01	01	0
25	लिपिक ग्रेड-I	08	08	0
26	लिपिक ग्रेड-II	19	14	05
27	वाहन चालक	06	06	0
28	जमादार	02	01	01
29	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	17	01
30	प्रोसेस सर्वर	04	04	0
31	अति. पुलिस अधीक्षक	01	0	01
32	उपपुलिस अधीक्षक	02	0	02

33	पुलिस निरीक्षक	01	0	01
34	पुलिस उप निरीक्षक	01	0	01
35	हैड कांस्टेबल	03	0	03
36	कांस्टेबल	07	0	07
कुल		146	114	32

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/ संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01-संवेतन	510.00	609.00	608.09
2	03-यात्रा भत्ता	1.50	1.29	1.26
3	04-चिकित्सा भत्ता	4.00	2.87	2.87
4	05-कार्यालय व्यय	20.04	38.00	37.21
5	06-वाहना. का क्रय	0.01	0.01	0.00
6	07-कार्यालय वाहना. का संचालन एवं संधारण	3.60	6.10	6.06
7	08-वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	1.00	0.62	0.62
8	11-विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	10.00	1.90	1.72

9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	0.10	0.10	0.09
10	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	0.90	1.50	1.50
11	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.01	5.79	4.75
12	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाआ. पर व्यय	1.00	0.70	0.70
13	36–वाहना. का किराया	16.80	17.60	16.78
14	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	0.48	0.49	0.49
15	41–संविदा व्यय	8.03	18.50	17.98
16	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	0.01	9.77	9.28
	कुल राशि	577.48	714.24	709.40

अध्याय–2

सम्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

(1) **दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि के कुल परिवादा. का विवरणः–**

परिशिष्ट–2.1 के अनुसार दिनांक 31.03.16 को 4901 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की अवधि मे. 5384 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 10285 परिवादों म. से 5973 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.03.17 को 4312 परिवाद लम्बित रहे।

लोकायुक्त संस्था की उपयोगिता, महत्व, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से किये गये विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि में 5384 परिवाद प्राप्त हुए। **यह उल्लेखनीय है कि इसी अवधि म. 5973 परिवादों का निस्तारण किया गया, जो लोकायुक्त संस्था के इतिहास म. अब तक का सर्वाधिक निस्तारण है। इसके पूर्व मेरे ही कार्यकाल म. वर्ष 2013–14 में 3928, वर्ष 2014–15 म. 3756 व वर्ष 2015–16 में 4990 परिवादों का निस्तारण किया गया था।** यह तथ्य **परिशिष्ट–2.2** से प्रकट है।

(2) **परिशिष्ट–2.1** के अनुसार माथुर आयोग से अन्तरित होकर प्राप्त हुए प्रकरणा. म. से दिनांक 31.03.16 को 621 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि म. 372 प्रकरणा. का निस्तारण करने

पर दिनांक 31.03.17 को 249 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित रहे।

(3) दिनांक 01.4.16 से 31.3.17 तक की कालावधि म. सर्वाधिक परिवादों वाले विभागः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	परिवाद
1.	राजस्व	972
2.	पुलिस	920
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	838
4.	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	835

(4) दिनांक 01.04.12 से 31.03.17 तक पाँच वर्ष की कालावधि म. सर्वाधिक परिवादों वाले विभागः-

क्र. सं.	विभाग का नाम	01.04.12 से 31.03.13	01.04.13 से 31.03.14	01.04.14 से 31.03.15	01.04.15 से 31.03.16	01.04.16 से 31.03.17
1.	राजस्व	249	392	654	1025	972
2.	पुलिस	254	438	719	929	920
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	169	233	545	695	838
4.	नगरीय विकास एवं आवासन/	192	489	881	1057	835

	स्वायत्त शासन					

(5) दिनांक 01.4.16 से 31.3.17 की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान द्वारा संस्थित प्रकरणः-

दिनांक 01.4.16 से 31.3.17 तक की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर 13 प्रकरणा. म. कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2.3 म. दिया गया है।

2.2 प्रारम्भिक जाँच के प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि के प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरणः-

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.4 म. दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.16 को कुल 77 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. 21 और प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि म. प्रारम्भिक जाँच के कुल 98 प्रकरणा. म. से 10 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 9 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित न होने के कारण एवं 09 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये गये व 30 प्रकरण अन्वेषण

प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणा. के शीर्ष म. अन्तरित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि म. कुल 70 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.03.17 को 28 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

(2) दिनांक 01.4.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. माथुर आयोग से अन्तरित प्रकरणा. से सम्बन्धित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरणः-

परिशिष्ट-2.4 के अनुसार दिनांक 31.03.16 को माथुर आयोग से अन्तरित होकर प्राप्त पत्रावलिया. म. से 14 प्रकरणों म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म. किसी भी प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच संस्थित नहीं की गई। इस प्रकार से कुल 14 प्रारम्भिक जाँच प्रकरण विभिन्न कारणा. से नस्तीबद्ध किये गये। अन्त म. दिनांक 31.03.17 को किसी भी प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच शेष नहीं रही है।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणः-

इस कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.5 म. दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.03.16 को कुल 35 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. 43 और प्रकरणा. म. अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार कुल 78 अन्वेषण प्रकरणा. म. से उक्त कालावधि म. 13 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण नस्तीबद्ध किये गये, 04 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये व अन्य 13 प्रकरणा. में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारिया. को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कुल 30 अन्वेषण प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.17 को 48 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित रहा।

2.4 अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारिया. को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. प्रेषित प्रतिवेदनः-

परिशिष्ट-2.5 के अनुसार इस कालावधि म. कुल 13 प्रकरणा. म. अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारिया. को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इन प्रकरणा. का संक्षिप्त विवरण अध्याय-5 ''अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण'' म. दिया गया है।

2.5 लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरण

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. 186 प्रकरणा. म. 286 विभिन्न लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ/निर्णीत की गईं, जिनका विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2.6 म. एवं संक्षिप्त विवरण अध्याय-6 ''अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण'' म. दिया गया है।

2.6 लोकायुक्त सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. 727 प्रकरणा. म. परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनम. माथुर आयोग से अन्तरित पत्रावलिया. के 67 प्रकरण भी शामिल हैं। **अनुतोष प्रकरणा. की यह संख्या संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक है।** अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणा. का विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2.7 म. और संक्षिप्त विवरण अध्याय-7 ''अनुतोष के प्रकरण'' म. दिया गया है।

परिशिष्ट–2.1

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म. लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31.03.16 को लम्बित परिवाद	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक प्राप्त परिवाद	योग कॉलम 1 व 2	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक निस्तारित परिवाद	दिनांक 31.03.17 को लम्बित रही परिवाद (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	14	30	44	33	11
3	पुलिस	394	920	1314	908	406
4	सहकारिता	23	55	78	69	9
5	शिक्षा	135	186	321	259	62
6	कॉलेज शिक्षा	18	36	54	46	08
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	27	109	136	101	35
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	125	104	229	186	43
9	सार्वजनिक निर्माण	37	67	104	71	33

10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	78	171	149	194	55
11	राजस्व	625	972	1597	1066	531
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	309	838	1147	754	393
13	अकाल एवं राहत	–	–	–	–	–
14	यातायात	9	24	33	29	4
15	वन	28	46	74	44	30
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	1054	835	1889	849	1040
18	आबकारी	11	33	44	39	05
19	उद्योग	12	15	27	25	02
20	मुद्रण एवं लेखन	1	0	1	1	–
21	पशुपालन	3	3	6	5	1
22	माथुर आयोग से अंतरित	621	0	621	372	249
23	जल संसाधन	38	57	95	57	38
24	इं.गा.नहर परियोजना	1	0	1	0	1
25	खान आवंटन	852	2	854	2	852

	जाँच					
26	उपनिवेशन	1	10	11	9	2
28	न्याय	1	9	10	10	0
29	जेल	1	8	9	5	4
30	श्रम	8	19	27	19	08
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	72	75	147	97	50
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	32	71	103	79	24
33	भू-प्रबन्ध	2	10	12	11	1
34	सचिवालय	23	24	47	28	19
35	विविध	229	476	705	418	287
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	10	5	15	10	5
41	आयुर्वेद	5	9	14	10	4
42	देवस्थान	15	21	36	25	11
43	रा.रा.प.प.निगम	-	17	17	16	1
44	वाणिज्यिक कर	5	7	12	8	4
45	खान एवं भूविज्ञान	67	65	132	71	61
46	संस्कृत शिक्षा	1	2	3	2	1

47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	7	49	56	34	22
48	तकनीकी शिक्षा	7	4	11	11	0
योगः–		4901	5384	10285	5973	4312

परिशिष्ट–2.2

दिनांक 01.04.1979 से 31.03.17 की कालावधि म. प्राप्त, निस्तारित व लम्बित परिवादों का विवरण

अवधि	वर्ष प्रारम्भ म. लम्बित परिवाद	वर्ष म. प्राप्त परिवाद	कुल परिवाद	वर्ष के दौरान निस्तारित परिवाद	वर्षान्त म. लम्बित रहे परिवाद
01.04.1979 से 31.03.1980	521	231	752	313	438
01.04.1980 से 31.03.1981	438	318	756	360	396
01.04.1981 से 31.03.1982	396	240	636	328	308
01.04.1982 से 31.03.1983	308	263	571	163	412
01.04.1983 से 31.03.1984	412	229	641	–	641
01.04.1984 से 31.03.1985	641	371	1012	834	178
01.04.1985 से 31.03.1986	178	340	518	270	248
01.04.1986 से 31.03.1987	248	106	354	161	193

01.04.1987 से 31.12.1987	193	81	274	190	84
01.01.1988 से 30.06.1989	84	698	782	614	168
01.07.1989 से 31.12.1989	168	236	404	206	198
01.01.1990 से 31.08.1993	198	1795	1993	1675	318
01.09.1993 से 31.03.1996	318	1411	1729	1446	283
01.04.1996 से 31.03.1997	283	623	906	728	178
01.04.1997 से 31.03.1998	178	577	755	629	126
01.04.1998 से 31.03.1999	126	430	556	455	101
01.04.1999 से 31.03.2000	101	402	503	249	254
01.04.2000 से 31.03.2001	254	1101	1355	535	820
01.04.2001 से 31.03.2002	820	1648	2468	977	1491
01.04.2002 से 31.03.2003	1491	1934	3425	2341	1084
01.04.2003 से	1084	1369	2453	1627	826

31.03.2004					
01.04.2004 से 26.11.2004	826	1246	2072	1188	884

27.11.2004 से 31.03.2005	884	456	1340	–	1340
01.04.2005 से 31.03.2006	1340	1037	2377	–	2377
01.04.2006 से 30.04.2007	2377	517	2894	–	2894
01.05.2007 से 31.03.2008	2894	1267	4161	3040	1121
01.04.2008 से 31.03.2009	1121	1246	2367	1357	1010
01.04.2009 से 31.03.2010	1010	1147	2157	1307	850
01.04.2010 से 31.03.2011	850	1408	2258	1401	857
01.04.2011 से 31.03.2012	857	3495	4352	1846	2506
01.4.2012 से 31.03.2013	2506	1393	3899	96	3803
01.04.2013 से 31.03.2014	3803	2854	6657	3928	2729
01.04.2014 से 31.03.2015	2729	4433	7162	3756	3406
01.04.2015 से 31.03.2016	3406	6485	9891	4990	4901
01.04.2016 से 31.03.2017	4901	5384	10285	5973	4312

परिशिष्ट–2.3

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणा. का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग
1	3(193)2016	समाचार–पत्र मे प्रकाशित खबर–दो आई.पी.एस. ने दो दिन में एक ए.एस.आई. को दिये 42 रिवार्ड बाबत।	पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
2	3(665)2016	दिनांक 21.12.2016 के जयपुर संस्करण के दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर–''ड्यूटी ऑफिसर ने पार्टी को राहत देने हेतु रची झूठी कहानी।''	पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
3	12(440)2016	दैनिक भास्कर में दिनांक 04.10.2016 को प्रकाशित खबर – सीकर जिले की धोद पंचायत समिति के सरपंचों द्वारा चन्दा उगाकर एपीओ बीडीओ को सात लाख की कार गिफ्ट में देने बाबत।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धोद, जिला सीकर
4	12(524)2016	दिनांक 21.11.2016 के समाचार–पत्र ''संध्या दैनिक'' की कवर स्टोरी में ''हलक की प्यास बुझाने के बहाने बुझाई जेबों की प्यास'' नामक शीर्षक से प्रकाशित खबर।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

5	15(30)2016	दैनिक भास्कर में दिनांक 20.10.2016 को प्रकाशित खबर-''डीएफओ की गलत रिपोर्ट से हुए कनवर्जन की बात पीएम व सीएम तक पहुंची, अब मंजूरी खारिज होगी'' एवं ''कलक्टर बोले गलत एनओसी से सरकारी छवि धूमिल एवं वन मंत्री ने कहा लापरवाही मिली तो होगी कार्यवाही।''	रणथम्भोर वन अभयारण्य के अधिकारीगण, सवाईमाधोपुर।
6	16(136)2016	दैनिक भास्कर में दिनांक 22.05.2016 को नगर निगमों में असिस्टेन्ट फायर ऑफिसर्स के पदों की भर्ती बाबत प्रकाशित खबर-''कटऑफ ही जारी नहीं, इन्टरव्यू में बिना डिप्लोमा वालों को बुलाया।''	नगर निगमों के अधिकारीगण, राजस्थान।
7	16(271)2016	दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर-''हिंगोनिया गौशाला मामले में यूडीएच, सचिव व जेडीए अफसर तलब।''	हिंगोनिया गौशाला के अधिकारीगण, जयपुर।
8	16(373)2016	दैनिक नवज्योति के दिनांक 06.09.2016 के अंक में प्रकाशित खबर-जयपुर शहर में आवारा, अनियंत्रित एवं स्वच्छन्द पशुओं के विचरण के कारण यातायात प्रबन्धन में हो रही अव्यवस्थाओं बाबत।	नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण।
9	40(8)2016	दैनिक भास्कर के जयपुर अंक में प्रकाशित खबर-''28 साल का वेतन 44 लाख, सम्पत्ति 14.50 करोड़'' शीर्षक।	अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

10	45(39)2016	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर-''परसराम मोरदिया के बेटे की करोड़ों की पेनल्टी माफ।''	खान व भू-विज्ञान विभाग, जयपुर।
11	2(25)2017	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर-''बूंद-बूंद सिंचाई में हो गया बड़ा लीकेज, बह गये करोड़ों''।	कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारीगण।
12	8(93)2017	दिनांक 30.01.2017 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर-''ऐसी फर्म को भुगतान जिसने कभी आवेदन ही नहीं किया।''	एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर के अधिकारीगण।
13	35(433)2017	दिनांक 09.01.2017 के दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित खबर-''डेढ अरब का पलीता, आज भी शुद्ध नहीं।''	जिला प्रशासन, अजमेर, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, अजमेर के अधिकारीगण।

परिशिष्ट–2.4

दिनांक 01.4.16 से 31.3.17 की कालावधि म. प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिवाद पर संस्थित	माथुर आयोग से अंतरित	कुल संख्या
1.	दिनांक 31.3.16 को लम्बित	63	14	77
2.	दिनांक 01.4.16 से 31.3.17 तक की अवधि म. संस्थित	21	0	21
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	84	14	98
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	10	–	10
5.	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई	1	4	5
6.	अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये जाने के आधार पर नस्तीबद्ध	9	–	9
7.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध	6	3	9
8.	अन्वेषण म. अंतरित	30	–	30
9.	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध की	–	7	7
10.	**कुल निस्तारित प्रारम्भिक जाँच (योग पंक्ति सं 4–9)**	56	14	70

11.	दिनांक 31.3.17 को लम्बित प्रारम्भिक जाँच	28	0	28

परिशिष्ट–2.5

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि म. अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण

क. सं.	विवरण	संख्या
1.	दिनांक 31.03.16 को लम्बित	35
2.	दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 तक की कालावधि म. संस्थित (30 प्रकरण प्रारम्भिक जाँच से अंतरित एवं 13 प्रकरणा. म. सीधे अन्वेषण प्रारम्भ)	43
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	**78**
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	13
5.	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये गये प्रतिवेदन	13
6.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध	4
7.	**कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग पंक्ति संख्या 4–6)**	30
8.	**दिनांक 31.03.17 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण**	**48**

परिशिष्ट–2.6

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की अवधि म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक	शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक
2	कृषि	1	14	परिवहन	1
3	पुलिस	7	16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	63
4	सहकारिता	1	18	आबकारी	2
5	शिक्षा	10	22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	13
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	3
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15	32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4
9	सार्वजनिक निर्माण	1	35	विविध	23
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	14	41	आयुर्वेद	4
11	राजस्व	36	42	देवस्थान	1
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	86			
कुल योगः–					**286**

परिशिष्ट–2.7

दिनांक 01.04.16 से 31.03.17 की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	2
3	पुलिस	47
4	सहकारिता	3
5	शिक्षा	31
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	11
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20
9	सार्वजनिक निर्माण	11
10	उर्जा (विद्युत् कम्पनियां)	22
11	राजस्व	163
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	94
14	यातायात	01
15	वन	04
16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	126
17	जन सम्पर्क	01
18	आबकारी	03
19	उद्योग	02
22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	67
23	जल संसाधन	08
30	श्रम	05
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	21
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	16
34	सचिवालय	02
35	विविध	47
41	आयुर्वेद	01
42	देवस्थान	02
45	खान एवं भू–विज्ञान	02
46	संस्कृत शिक्षा	01
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	14

	योग :	727

अध्याय–3

माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य– जस्टिस माथुर जाँच आयोग से अंतरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण

3.1 जस्टिस माथुर आयोग का गठन

माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से जारी आज्ञा क्रमांक–प.6(2) कार्मिक/क–3/शि/2009 जयपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2009 म. उल्लेख किया गया कि वर्ष 2004 से 2008 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागा/संस्थाआ. म. हुये अनियमित कार्यों एवं राज्यसेवका/अन्य व्यक्तिया. के दुराचरण सम्बन्धी अनेक मामले प्रकाश म. आए हैं। उक्त अवधि म. विभिन्न विभागा/संस्थाआ. की कार्यप्रणाली म. भ्रष्टाचार (Corruption), दुराचरण (Misconduct), लापरवाही (Negligence), फर्जकारी (Fraud), पक्षपात (Favouritism), भाई–भतीजावाद (Nepotism), अवैधताएँ (Illegalities), निधिया. के दुर्विनियोजन (Misappropriation), अनियमित एवं अनुचित कार्य (Irregularities and Improprieties), शासन के विभिन्न स्तरा. पर सत्ता के दुरूपयोग (Abuse of the power at different level of Governance) एवं राजकोष को हानि (Loss to State exchequer) पहुँचाने आदि के आरोप लगाए गए हैं। इन विषया. के सार्वजनिक महत्व, आमजन की माँग एवं इस सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अवधि म. विभिन्न विभागा/संस्थाआ. द्वारा किये गये कथित अनियमित कार्य एवं राज्य सेवका/अन्य व्यक्तिया. के दुराचरण सम्बन्धी प्रकरणा. की जाँच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधिपति की अध्यक्षता म. गठित आयोग द्वारा करवाई जाकर आमजन

के सामने सच्चाई को उजागर किया जावे एवं दोषी पाये जाने वाला. के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्यसेवका/अन्य व्यक्तिया. के कथित भ्रष्टाचार, दुराचरण एवं अन्य अनियमितताआ. सम्बन्धी प्रकरणा. की जाँच के लिये निम्नलिखित सदस्या. का आयोग गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की:-

1. जस्टिस एन.एन.माथुर — अध्यक्ष
   अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
2. श्री इन्द्रजीत खन्ना, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. — सदस्य
3. श्री एच.एन.मीणा, सेवानिवृत्त आई.पी.एस. — सदस्य

उक्त आदेश के अनुसार आयोग को वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि के दौरान निम्नांकित बिन्दुआ. से सम्बन्धित मामला. की जाँच कर राज्य सरकार को कार्यवाही करने के सम्बन्ध म. परामर्श देना था:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्व विभाग से सम्बन्धित नगर सुधार न्यासा, नगर निगमा, नगर परिषदा, नगरपालिकाआ. एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाआ. द्वारा किये गये भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत निस्तारित प्रकरण इत्यादि।
2. विभिन्न संस्थाआ/व्यक्तिया/कम्पनिया/ट्रस्ट आदि को नियमा. के विरूद्ध किये गये भू-आवंटन एवं वित्तीय लाभ।
3. राज्य के विभिन्न शहरा/गाँवा. म. विभिन्न परियोजनाआ. के नाम पर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित करना एवं अनुचित लाभ के लिए कुछ

समय पश्चात् उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की कार्यवाही करना।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र म. विभिन्न परियोजनाआ. म. अनियमितताएँ, अवांछित लाभ के लिए मास्टर प्लान म. संशोधन करना तथा बिना ठोस योजना के आई.टी. एवं नालेज कॉरीडोर (IT & Knowledge corridor) प्रस्तावित कर रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को फायदा व किसाना. को नुकसान पहुँचाने के आरोप।

5. अन्य कोई प्रकरण जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को सौप. जाने थे।

उपर्युक्त श्रेणी के प्रकरण, जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जावग़े, की जाँच कर आयोग द्वारा राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु परामर्श दिया जाना था।

जस्टिस एन.एन. माथुर जाँच आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया था। कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर, दिनांकः 21.07.2009 के द्वारा आयोग के कार्यकाल की अवधि को 6 माह तक और बढ़ाया गया।

3.2 लोकायुक्त सचिवालय को जाँच कार्य का अन्तरण

जस्टिस माथुर जाँच आयोग के गठन के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय म. दायर जनहित याचिका संख्या 2567/2009 म. पारित निर्णय दिनांक 04.01.2010 म. राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित एवं आयोग के समक्ष जाँच हेतु लम्बित तथा अन्य समान प्रकरण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोग को सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, उन्ह.

लोकायुक्त सचिवालय को नये सिरे से जाँच हेतु भेजे जाने के सम्बन्ध म. निम्नांकित आदेश प्रदान किये गये:

> *We, under these circumstances, are of the view that the Lokayukta being a statutory, independent and impartial body, can effectively investigate the charges of corruption and abuse of power and position etc. against the Ministers, Secretaries and other public servants to promote a sense of confidence and satisfaction in the public mind and to prove a clean, honest and competent administration, should be assigned the task of investigating all the cases. Such a situation as indicated above will not only achieve the purpose of investigation of the charge/misuse of power by the guilty but also legitimate the intention of the respondent to get desirable results.*
>
> *For the aforesaid reasons, we dispose of the Writ Petition (PIL) directing that all the cases referred by the Government and pending investigation before the Commission and also other such cases likely to be referred by the Government, shall be referred to the Lokayukta for its investigation afresh and the Lokayukta shall draw his findings, recommendations and follow up action based on his own investigation.*

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय म. विशेष अनुमति याचिका संख्या 5947/2010 दायर की गई। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 11.04.2011 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अनुरक्षित (maintain) रखते हुए निर्णय दिनांक 04.01.2010 म. किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया।

अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2010 की पालना म. माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी आदेश क्रमांक: प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर दिनांक: 23.05.2011 के द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित किये गये समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो आयोग के समक्ष जाँच हेतु लम्बित थे, तथा अन्य समान प्रकरण जिन्ह.

राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, को लोकायुक्त राजस्थान को नये सिरे से जाँच हेतु प्रेषित किये गये।

माननीय राज्यपाल महोदय के उक्त आदेशानुसार जस्टिस एन.एन. माथुर जाँच आयोग के समक्ष विचाराधीन कुल 1828 पत्रावलियाँ दिनांक 24.10.11 से 02.12.11 की अवधि म. इस सचिवालय को जाँच हेतु प्राप्त हुई। इनम. 1563 विभिन्न विभागों से एवं 265 व्यक्तिया. से प्राप्त शिकायता. से सम्बन्धित पत्रावलियाँ थी। उक्त पत्रावलियों में से 18 पत्रावलियों का वर्ष 2011-12 में निस्तारण किया गया और तत्पश्चात कुल 1810 पत्रवलियां जाँच हेतु लम्बित रहीं। इस अतिरिक्त न्यस्त जाँच कार्य के सम्पादन हेतु लोकायुक्त सचिवालय द्वारा स्टॉफ, फर्नीचर, व अतिरिक्त कार्यालय परिसर इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया।

राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग से अन्तरित उक्त पत्रावलिया. म. जाँच कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक स्टॉफ, फर्नीचर व अन्य संसाधन कालान्तर म. उपलब्ध करवाये गये। दिनांक 01.05.2012 से दिनांक 24.03.2013 तक की कालावधि (10 माह 24 दिन) म. लोकायुक्त का पद रिक्त रहा। मेरे द्वारा दिनांक 25.03.2013 को लोकायुक्त राजस्थान का पदभार ग्रहण किया गया। माथुर आयोग से अंतरित उक्त पत्रावलिया. की जाँच हेतु विशेषज्ञ अधिकारिया. का पदस्थापन/नियुक्ति की जाकर पत्रावलिया. म. अक्टूबर, 2013 से जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जस्टिस एन.एन. माथुर आयोग से अन्तरित उक्त पत्रावलिया. मं. से 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि में 721, 01 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि म. 289 व 01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में 179 व 01 अप्रेल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि में 372 प्रकरणा. का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार उपर्युक्त अवधि म. कुल 1579 प्रकरणा. म. जाँच पूर्ण की जा चुकी है।

दिनांक 31.03.2017 तक माथुर आयोग से अन्तरित पत्रावलिया. म. **इस सचिवालय द्वारा की गई जाँच के परिणामस्वरूप 30 लोकसेवका. के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त इस सचिवालय के निर्देशा. से 12,46,26,114 रू. (बारह करोड़ छियालीस लाख छब्बीस हजार एक सौ चौदह रूपए) की वसूली बकाया लीज, सम्परिवर्तन शुल्क, भूमि की कीमत व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क इत्यादि के पेटे संभव हुई व 32 प्रकरणा. म. पट्टा/आवंटन/सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये गये और 12 प्रकरणों में नियमितिकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही की गई एवं 36 प्रकरणा. म. मामले सक्षम न्यायालय म. दर्ज करवाये गये तथा कुल 115 प्रकरणा. म. अनुतोष प्रदान किया गया।** दिनांक 31.03.14 तक के उक्तानुसार निस्तारित प्रकरणा. का विवरण इस सचिवालय के 28 व. वार्षिक प्रतिवेदन में, दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक के निस्तारित प्रकरणा. का विवरण 29 व. वार्षिक प्रतिवेदन में व दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक निस्तारित प्रकरणों का विवरण 30 वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है तथा दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक निस्तारित प्रकरणों का विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा रहा है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.16 से 31.03.17) म. माथुर जाँच आयोग से अन्तरित जिन पत्रावलिया. म. लोक सेवका. के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं जिन प्रकरणा. म. अनुतोष प्रदान किया गया, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

3.3 अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

एफ.22(433)लोआस/2011

नगरपालिका, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम खेतड़ी के खसरा नम्बर 2993 की 530.95 वर्ग गज भूमि को धारा 90-बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पुनर्ग्रहीत कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के समीप स्थित आबादी भूमि को अनियमित रूप से छोटी पट्टी के रूप में आवंटित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में जारी पट्टा-विलेख संख्या 683-686 दिनांक 17.01.2013 को खारिज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में दिनांक 09.05.2016 व दिनांक 10.05.2016 को वाद दायर किये जा चुके हैं। प्रकरण में उत्तरदायी लोकसेवक श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने तथा प्रश्नगत पट्टा-विलेख के निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(537)लोआस/2011
एफ.22(1594)लोआस/2011

परिवादी श्री रामदयाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति विश्नोई, निवासी जानकीदासवाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 13.10.09 को प्रस्तुत परिवाद में कथित भू-माफिया राजाराम मील, गंगाजल मील व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, महेन्द्र पुत्र श्री गंगाजल आदि की नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ़ में राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 326 रोही कस्बा सूरतगढ़ की 5 बीघा भूमि को राजस्व विभाग के तत्कालीन लोकसेवकों से अवैध रूप से तरमीम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 पर दिखा कर सरकारी भूमि हड़पने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दिनांक 02.09.2015 से अवगत करवाया कि प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा की गई जाँच में विभिन्न लोकसेवकों के दोषी पाये जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 23.01.2017 के अनुसार श्री फकीर चन्द शर्मा, तहसीलदार, सूरतगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर उसे 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया।

शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग ने पत्र दिनांक 01.02.17 से अवगत करवाया कि तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ हाल आर.ए.एस. श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर दिये गये।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ने पत्र दिनांक 31.01.17 से अवगत करवाया कि तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ हाल आर.ए.एस., श्री जगदीश प्रसाद गौड़ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

उप निबन्धक (जाँच), राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने पत्र दिनांक 16.11.2016 से अवगत करवाया है कि तत्कालीन तहसीलदारान, सूरतगढ़ सर्व श्री राकेश कुमार न्योल, मुश्ताक अली व अमर सिंह, पटवारी, श्री महावीर निर्वाण तथा कनिष्ठ लिपिक श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के तहत संयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि जारी कर जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(592)लोआस/2011

नगरपालिका, नोखा, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अखाराम ढाका की ग्राम चरकड़का, तहसील नोखा के खसरा नम्बर 515 की भूमि में से 0.30 हैक्टेयर भूमि को वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण में इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ के मापदण्डों के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की मौका रिपोर्ट में विरोधाभास है। उपखण्ड अधिकारी, नोखा से वस्तुस्थिति की जाँच करवाये जाने पर

स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा वस्तुस्थिति के विपरीत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस सचिवालय के निर्देशों पर प्रकरण में दोषी श्री करण सिंह गोदारा, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उन्ह. 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दण्डित कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(737)लोआस/2011

जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम भोजपुरा, तहसील सिकराय स्थित खसरा नं. 137/1 की 5000 वर्ग मीटर भूमि का श्रीमती ममता भूपेश एंव श्रीमती सरोज देवी के पक्ष में वाणिज्यिक (पेट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ भू-सम्परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण में सम्परिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करके जमाबन्दी में अंकन नहीं किया गया है। सम्परिवर्तन का जमाबन्दी में अंकन न होने की वजह से प्रश्नगत भूमि का विक्रय-विलेख कृषि-भूमि के रूप में पंजीयन करवा देने से मुद्रांक-शुल्क की हानि की गयी है। इस सचिवालय द्वारा इस सम्बन्ध में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने व कमी मुद्रांक राशि वसूल करने बाबत निर्देश जिला कलक्टर, दौसा को दिये गये।

जिला कलक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 21.09.2015 से अवगत करवाया कि प्रकरण में बकाया मुद्रांक-शुल्क की 15,19,600 (पन्द्रह लाख, उन्नीस

हजार, छः सौ रूपये) रूपये की राशि वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है तथा पत्र दिनांक 31.03.2016 से अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक तत्कालीन पटवारी श्री रामावतार मीणा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे 2 वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर दण्डित किये जाने एवं कमी मुद्रांक राशि 15,19,600/- रूपये की वसूली हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1196)लोआस/2011

नगरपालिका, कुशलगढ़, जिला बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली रोमन कैथोलिक डिवसेसन सोसायटी ऑफ अजमेर एण्ड जयपुर के प्रतिनिधि आर.टी.आर.डी. ईगनेसियस से. सेत्र. बिशप, अजमेर जयपुर मार्फत बसील मकवाना की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भण्डारिया, तहसील बाँसवाड़ा के खसरा नम्बर 23 की 1452 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर नगरपालिका, कुशलगढ़ द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में भूमि का भू-उपयोग कस्बा कुशलगढ़ के मास्टर प्लान में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक के रूप में था, जबकि नगरपालिका द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करवाये बिना व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किया गया। जारी लीज-डीड विद्यालय प्रयोजनार्थ होने के बावजूद इसे व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दर्शित कर दिया गया।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त संस्था के पक्ष में अनियमित रूप से पट्टा-विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने उत्तरदायी अधिकारी श्री संजय फिलिप के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि जारी कर की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उसे दोषी पाये जाने पर लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे दण्डित कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1601)लोआस/2011

परिवादी श्री रामचन्द्र निवासी झालामण्ड चौराहा, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पूर्व सचिव व अध्यक्ष को न्यास के लोकसेवकों द्वारा न्यायालय निर्णय छिपाते हुए विजयराजे नगर, पाली रोड़, जोधपुर योजना में 2500 वर्ग गज भूमि का गलत रूप से आवंटन/विनिमय कर राजकोष को हानि पहुँचाने की शिकायत करते हुए प्रश्नगत लीज-डीड को निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रकरण में सम्बन्धित आवेदकों के नाम पर पट्टा-विलेख जारी करने के बजाय उनके मुख्त्यारआम के नाम अनियमित रूप से पट्टा-विलेख जारी कर दिये गये हैं। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रश्नगत पट्टा-विलेखों के निरस्तीकरण एवं उत्तरदायी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 द्वारा अवगत करवाया कि विजयराजे नगर योजना के भूखण्ड संख्या 276, 277, 278, 280 व 281 के सम्बन्ध में जारी लीज-डीड को निरस्त करने हेतु न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के यहाँ निगरानी संख्या 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 व 5/2016 दर्ज करवा दी गई। उत्तरदायी लोकसेवक श्री रघुवीर माथुर, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने तथा प्रश्नगत पट्टा-विलेखों के निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी दर्ज हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

3.4 अनुतोष के प्रकरण

एफ.22(38)लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम रानीपुरा, तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 204, 238, 239, 241, 242, 244-496, 256, 258, 259, 269 व 192 की 10.61 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री हजारीलाल पुत्र श्री गोपाल लाल द्वारा जरिए मुख्त्यारआम श्री अशोक अग्रवाल भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन एवं योजना मानचित्र अनुमोदन करवाये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में अचल सम्पत्ति/खातेदारी भूमि को विक्रय करने का अधिकार देने वाले निष्पादित मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत

निर्धारित मुद्रांक-शुल्क अदा नहीं किया गया। इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त प्रकरण के मुख्त्यारनामाआम पर देय मुद्रांक-शुल्क वसूल करने के लिए न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत तृतीय में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 410/14 दर्ज करवाया जाकर न्यायालय निर्णय दिनांक 16.02.2016 की पालना में रूपये 74,740/- प्रार्थी से मुद्रांक-शुल्क के रूप में वसूल किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में मुख्त्यारनामाआम पर देय मुद्रांक-शुल्क राशि वसूल कर लेने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(288)लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली निजी खातेदारों श्री रामजीवन, श्रीमती सिद्धा देवी, श्रीमती भँवरी देवी, श्री आशुराम, श्री लिछमण, श्री केवलराम, श्रीमती चिड़ी देवी, श्री मल्लाराम, श्रीमती विनोदा कुमारी व श्रीमती सोरम देवी जरिए मुख्त्यारआम श्री दिलीप सिंघवी पुत्र श्री बच्छराज सिंघवी की राजस्व ग्राम तनावड़ा, तहसील व जिला जोधपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 140/6, 140/7, 143, 144, 140/5/2, 140/5/3 व 140/2 की 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन करने व भूमि को न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि भूमि के खातेदारों द्वारा श्री दिलीप सिंघवी पुत्र श्री बच्छराज सिंघवी के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति/ खातेदारी भूमि के विक्रय का अधिकार

देने वाले मुख्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत देय मुद्रांक-शुल्क की राशि अदा नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूमि के खातेदारों द्वारा निष्पादित मुख्यारनामाआम पर मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल करने हेतु सक्षम न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर, वृत जोधपुर के यहाँ रेफरेन्स दर्ज होने से न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 185/15 श्रीमती शोरम देवी/श्री दिलीप सिंघवी में 5,68,600/- रुपये, प्रकरण संख्या 186/15 श्री रामजियावन/श्री दिलीप सिंघवी में 4,90,360/- रुपये, प्रकरण संख्या 187/15 श्रीमती विनोदा कुमारी/ श्री दिलीप सिंघवी में 1,39,480/- रुपये, प्रकरण संख्या 188/15 श्री मल्लाराम/ श्री दिलीप सिंघवी में 1,39,480/- रुपये, प्रकरण संख्या 189/15 श्रीमती भँवरी देवी/ श्री दिलीप सिंघवी में 1,77,620/- रुपये, प्रकरण संख्या 190/15 श्रीमती सिद्धा देवी/ श्री दिलीप सिंघवी में 2,91,920/- रुपये, प्रकरण संख्या 191/15 श्रीमती सिद्धा देवी/ श्री दिलीप सिंघवी में 1,15,710/- रुपये, प्रकरण संख्या 192/15 श्री लिछमण/ श्री दिलीप सिंघवी में 79,540/- रुपये व प्रकरण संख्या 193/15 श्री केवलराम वगैरह/ श्री दिलीप सिंघवी में 79,060/- रुपये कुल **20,81,770/- रुपये (बीस लाख इक्यासी हजार सात सौ सत्तर रुपये)** मुद्रांक कर मय शास्ति व ब्याज वसूल करने के आदेश दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय मुद्रांक-शुल्क की राशि वसूली के आदेश हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(293)लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम पाल, तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 319/1 व 319/2 की 13 बीघा कृषि भूमि का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने एवं तत्कालीन न्यास द्वारा भूमि का नियमन करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार श्री संतोकराम व श्री मोहनराम के द्वारा श्री शाहनवाज के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति/ खातेदारी भूमि के विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत देय मुद्रांक शुल्क की राशि अदा नहीं की गई।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रकरण के मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक-शुल्क वसूल करने के लिए न्यायालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत जोधपुर में रेफरेन्स संख्या 165/14 दर्ज करवाया गया, जिसके निर्णय दिनांक 29.04.16 में न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर देय कमी मुद्रांक-राशि रूपये 44,43,120/-, सरचार्ज राशि रूपये 4,44,312/-, शास्ति राशि रूपये 65,49,160/- व ब्याज राशि रूपये 65,49,160/- कुल राशि 1,79,85,752/- रूपये वसूल करने के आदेश दिये।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कमी मुद्रांक-शुल्क की राशि वसूल करने का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(310)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली मंगलम एजुकेशन सोसायटी को राज्य सरकार की स्वीकृति से न्यास द्वारा राजस्व ग्राम भुवाणा, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3729 एवं 3735 में से 7 एकड़ अर्थात् 3,04,920 वर्ग फीट भूमि विद्यालय भवन, कार्यालय भवन, कक्षा कक्ष, छात्रावास, खेल मैदान एवं प्रयोगशाला हेतु शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के अधीन रियायती दर पर आवंटन से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संस्था द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त 17,293.53 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर को प्रकरण में अतिरिक्त भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 27.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि मंगलम एजुकेशन सोसायटी द्वारा अतिरिक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार, नगर सुधार न्यास, उदयपुर के यहाँ नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 92 ए के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 221/2014 दर्ज कर लिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अतिक्रमण को हटाने के लिए सक्षम न्यायालय मे प्रकरण दर्ज हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(314)लोआस/2011

सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली मेघवाल जाति विकास मण्डल समिति, बम्बोरा को राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 25.04.2006 के पश्चात् राजस्व ग्राम भुवाणा (रूपनगर) में 25,000 वर्ग

फीट भूमि छात्रावास भवन निर्माण हेतु आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटन कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संस्था द्वारा लीज-डीड की शर्त संख्या-3 के अनुसार भूमि का कब्जा-पत्र जारी होने की दिनांक 10.07.2006/न्यायालय निर्णय दिनांक 26.07.2013 से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं कर निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विलम्ब से किये गये निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 28.10.2016 को संस्था से शास्ति राशि 30,000/- रूपये (तीस हजार रूपये) वसूल कर न्यास कोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क वसूल कर लिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(357)लोआस/2011

सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्थान आदिवासी महासभा, उदयपुर को न्यास की हिरणमगरी सेक्टर नम्बर 14, योजना ब्लॉक-जी में 10,000 वर्ग फीट भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त संस्थानिक आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटन कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संस्था द्वारा प्रकरण में जारी लीज-डीड की शर्त संख्या-3 के अनुसार भूमि का कब्जा-पत्र जारी होने की दिनांक 09.04.2007 से 2 वर्ष की

अवधि में निर्माण कार्य पूरा करने बाबत अधिरोपित शर्त की पालना न कर निर्धारित अवधि से 5 वर्ष विलम्ब से निर्माण कार्य पूरा किया गया।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर ने प्रकरण में निर्धारित अवधि के स्थान पर विलम्ब से निर्माण किये जाने बाबत संस्था से विलम्ब शुल्क के रूप में 22,500/- रूपये (बाईस हजार पाँच सौ रूपये) चैक संख्या 000006 दिनांक 01.08.2016 चालान संख्या 887 दिनांक 03.08.2016 ट्रान्जेक्शन क्रमांक 153582/05.08.2016 द्वारा न्यास कोष में जमा कर प्रकरण का नियमितिकरण कर दिया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क राशि वसूल कर प्रकरण का नियमितीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(546)लोआस/2011

नगर परिषद, चूरू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चूरू, तहसील व जिला चूरू की निजी खातेदार श्री विवेक सरावगी, निदेशक मैसर्स ओरिक्योर हेल्थ केयर प्रा. लि., वार्ड नम्बर 18, लाल घंटाघर के पास, चूरू की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1605/946, 1606/946 व 1607/946 की 50 बीघा 13 बिस्वा भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, चूरू द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, चूरू ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) दिनांक 24.02.2015 को जरिए रसीद संख्या 1743 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(573)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, अलवर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स क्रॉस ब्रिज डवलपर्स प्रा.लि. व मैसर्स कीर्ति रियल्टर्स के खातेदारी की ग्राम तूलेड़ा के खसरा नम्बर 1456-1463, 1477, 1482-1489, 1465-1471, 1475, 1476, 1453, 1426, 1429-1432, 1552, 1552/3190, 1462/3253, 1471/3265, 1475/3264 व 1476/3263 की 17.38 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पर्यावरण वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने एवं भू-उपयोग परिवर्तन निर्णय में अंकित शर्तो की पालना बाबत रिपोर्ट सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर से चाहे जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार प्रस्तावित 40 फीट रोड़ में 21 फीट से 25 फीट चौड़ी इन्टरनल रोड़ निर्मित है। इसके बाद आवेदक द्वारा 9 इंच की बाउण्ड्रीवॉल बनायी हुई है। इस 9 इंच की बाउण्ड्रीवॉल के बाहर 12 फीट से 15 फीट चौड़ी रोड़ बनी हुई है।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन निर्णय की शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 20.06.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया कि योजना की उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित सड़क के मार्गाधिकार के बीच की बाउन्ड्रीवॉल को मौके से हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में भू-उपयोग परितर्वन की शर्तों की पालना में मार्गाधिकार की भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(602)लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम पाल, तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 252 व 252/1 की 28 बीघा भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत की जाकर इसका आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में नियमन राशि नियमानुसार 75/- रूपये प्रति वर्ग गज के स्थान पर 45/- रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से ही वसूल की गई है। इस प्रकार कुल नियमन राशि में से 6,99,114/- रूपये कम वसूल की गई है। इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने प्रकरण के आवेदक श्री सुरेश चौहान से नियमन शुल्क की अन्तर राशि 6,99,114/- रूपये दिनांक 03.05.2016 व 17.05.2016 को वसूल कर प्राधिकरण कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नियमन की अन्तर राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(618)लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 56/1, 56/1/2, 56/3, 56/3/1, 245/46, 245/46/1, 244/46, 244/46/1, 246/46, 46, 228/44, 26/4/3, 26/4/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8 व 56/4 की 126.44 बीघा कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन कर भूमि को न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने व न्यास द्वारा भूमि का नियमन कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में भूमि के खातेदारों द्वारा मुख्त्यारआम के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति/खातेदारी भूमि के विक्रय का अधिकार देने वाले 18 मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत देय मुद्रांक-शुल्क की राशि तत्समय वसूल नहीं की गई।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने प्रश्नगत मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक शुल्क की वसूली करने हेतु कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर वृत के न्यायालय में 18 रेफरेन्स प्रकरण दर्ज करवाये। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर, वृत जोधपुर ने प्रकरण के 15 रेफरेन्स प्रकरणों में पूर्व में नियमानुसार मुद्रांक शुल्क अदा हो जाना पाया। शेष 3 प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 293/16 निर्णय दिनांक 10.08.2016 में 10,600/- रूपये, प्रकरण संख्या 295/16 निर्णय दिनांक 24.01.2017 में 1,37,700/- रूपये तथा प्रकरण संख्या 287/16 निर्णय दिनांक 24.01.2017 में 29,920/- रूपये कुल 1,78,220/- रूपये (एक लाख अठहत्तर हजार दो सौ बीस रूपये) मुद्रांक-शुल्क के रूप में वसूल करने के आदेश सक्षम न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर, वृत

जोधपुर द्वारा पारित किये गये। इनमें से प्रकरण संख्या 293/16 में 5,110/- रूपये, प्रकरण संख्या 295/16 में 64,800/- रूपये तथा प्रकरण संख्या 287/16 में 8900/- रूपये की वसूली जरिए रसीद संख्या क्रमशः 201702054000634 दिनांक 27.02.2017, क्रमांक 201702063000378 दिनांक 27.02.2017 व क्रमांक 201702051000883 दिनांक 30.01.2017 द्वारा कुल 78,810/- रूपये (अठहत्तर हजार आठ सौ दस रूपये) वसूल किये जा चुके हैं। शेष राशि की वसूली नियमानुसार की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कमी मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल करने का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने व आंशिक राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(623)लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स स्वप्न साकार बिल्डकोन, रामचन्द्र पुत्र श्री जवारा राम व सनसिटी बिल्ड होम प्रा.लि. की राजस्व ग्राम तनवाड़ा, तहसील लूणी स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 179/2 से 179/13 की 89 बीघा 19 बिस्वा भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में उक्त कम्पनियों की खातेदारी की भूमि की धारा 90 बी एल. आर. एक्ट के तहत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी ने कम्पनियों के वैधानिक दस्तावेजात प्राप्त नहीं किये। वैधानिक दस्तावेज प्राप्त कर उनका परीक्षण किये बिना भूमि पुनर्ग्रहण की कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने व

वैधानिक दस्तावेज प्राप्त करने के निर्देश सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को दिये गये।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 30.03.2015 से अवगत करवाया कि प्रकरण में तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी का स्वर्गवास होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी है। सम्बन्धित कम्पनी (सनसिटी बिल्ड होम प्रा.लि., मैसर्स स्वप्नसाकार बिल्डकॉम व निहो कन्स्ट्रक्शन लि.) के वैधानिक दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त कर ली गईं।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण से सम्बन्धित से कम्पनियों के वैधानिक दस्तावेजात प्राप्त हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(782)लोआस/2011
एफ.22(892)लोआस/2011

जयपुर नगर निगम, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली भूखण्ड संख्या ए-15, नाहरी का नाका (पूर्व), शास्त्री नगर की 1851.09 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यावसायिक (दुकानें, शोरूम तथा कार्यालय) प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने व निगम द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में आदिनांक देय लीज राशि की वसूली नहीं की गई।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त जयपुर नगर निगम, जयपुर ने उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की बकाया लीज राशि रूपये 32,50,874/- एवं एक मुश्त लीज राशि के पेटे रूपये 68,97,726/- कुल राशि रूपये 1,01,48,600/- दिनांक 18.03.2016 एवं 21.03.2016 को वसूल कर निगम कोष में जमा करवा दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आदिनांक देय लीज राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(821)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार रमेश चन्द पुत्र श्री ताराचन्द डांगी, निवासी 14, फतेहपुरा, उदयपुर की राजस्व ग्राम देवाली, तहसील गिरवा, उदयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा 2873/2511, 2874/2512, 2875/2509 व 2877/2519 की 0.3540 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन कर भूमि को न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने व न्यास द्वारा भूमि का नियमन कर व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख व निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में आवेदक ने व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड में भवन निर्माण स्वीकृति की निर्धारित अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया तथा निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बाद भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के विपरीत आंशिक निर्माण कार्य कर लिया।

इस सचिवालय द्वारा निर्माण स्वीकृति के नवीनीकरण अथवा अन्य विधि अनुकुल कार्यवाही बाबत दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर ने व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्माण स्वीकृति के नवीनीकरण बाबत प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक से विलम्ब शुल्क के रूप में राशि रूपये 4,19,300/- रूपये (चार लाख उन्नीस हजार तीन सौ रूपये) दिनांक 28.02.2017 को वसूल कर न्यास कोष में जमा करवाते हुए निर्माण स्वीकृति का नवीनीकरण कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्माण स्वीकृति के नवीनीकरण बाबत आवेदक से विलम्ब शुल्क लेकर प्रकरण का नियमन कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(824)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार लाभ कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सिख, निवासी 27, सिख कॉलोनी, उदयपुर की राजस्व ग्राम हवालाखुर्द, तहसील गिरवा, उदयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 96-101 की 1.45 हैक्टेयर भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन कर भूमि को न्यास पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने व न्यास द्वारा भूमि का नियमन कर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख व निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में आवेदक ने रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड में भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत 100 फीट चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार में अवैध निर्माण कर लिया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर ने रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड की 100 फीट चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार में आने वाले अवैध निर्माण/अतिक्रमण को दिनांक 13.01.2017 हटवा दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अतिक्रमण को हटा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(839)/लोआस/2011

एफ.22(890)/लोआस/2011

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. को बी.डी. की 24वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या बी/सी-9, योजना सेन्ट्रल स्पाइन बी-ब्लॉक की 28051 वर्ग मीटर भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर आंवटित कर भूमि का पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि संस्था को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में लीज राशि की वसूली जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नहीं की गई।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. से लीज राशि के रूप में जरिए चालान संख्या 304529 दिनांक 29.03.2014 से 24,52,175/- रूपये (चौबीस लाख बावन हजार एक सौ पिचहत्तर रूपये), चालान संख्या 388927 दिनांक 30.03.2015 से 24,52,173/- रूपये (चौबीस लाख बावन हजार एक सौ तिहत्तर रूपये) तथा चालान संख्या 477670 दिनांक 28.03.2016 से 22,06,955/- रूपये (बाईस लाख छः

हजार नौ सौ पचपन रूपये) कुल राशि 71,11,303/- रूपये (इकहत्तर लाख ग्यारह हजार तीन सौ तीन रूपये) वसूल कर जविप्रा कोष में जमा करवाये गये।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय लीज राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(876)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम नत्थूसर, तहसील बीकानेर की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर-3 की 2869.07 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक (पैट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर सुधार न्यास द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित आवेदन शुल्क की वसूली न्यास द्वारा तत्समय नहीं की गई। इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 22,915/- दिनांक 22.05.16 को वसूल कर न्यास कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(910)लोआस/2011

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदार कम्पनी स्टार कोटस्पिन लि., 103, बालाजी मार्केट, भीलवाड़ा की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3755, 3692 व 3754 की 85,400 वर्ग मीटर भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि संपरिवर्तन आदेशों की शर्त संख्या 12 के अनुसार मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का राज पक्ष में निःशुल्क समर्पण कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अंकन नहीं किया गया। इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने संपरिवर्तित भूमि के सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का निःशुल्क समर्पण करवाते हुए भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार के रूप में अंकित करवा दिया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन की शर्तों की पूर्ण पालना हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(940)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की निजी खातेदार उज्ज्वल एजुकेशन एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, कोटा की भूमि खसरा नम्बर 41/1, 42/1 व 47/1 की 0.80 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् संस्थानिक प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख व निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जारी निर्माण स्वीकृति की शर्तों की अपालना अनुसार आवेदक ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण न कर निर्माण स्वीकृति की शर्तों की पालना नहीं की है। निर्माण स्वीकृति की शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा ने आवेदक की 1 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जब्त कर राशि का भुगतान न्यास कोष में जमा कराने के निर्देश दिये।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर लिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(956)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली निजी खातेदारों श्री बलराज सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह पिसरान श्री रतन सिंह, श्री मनोहर लाल पुत्र श्री रामलुभाया, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री बलदेवराम, श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री कश्मीरीलाल व श्री रामलाल पुत्र श्री पाबूराम जरिए मुख्त्यारआम श्री मोहम्मद मंजूर कोहरी पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन कोहरी, निवासी गंगा शहर रोड़, बीकानेर की राजस्व ग्राम उदासर, तहसील बीकानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 145 व 150 की 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन करने व भूमि को न्यास पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि भूमि के खातेदार श्री रामलाल द्वारा श्री मोहम्मद मंजूर कोहरी के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति/ खातेदारी भूमि के विक्रय का अधिकार देने

वाले मुख्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत देय मुद्रांक शुल्क की राशि अदा नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने अवगत करवाया कि भूमि के खातेदारों द्वारा निष्पादित मुख्यारनामाआम पर मुद्रांक शुल्क की राशि 51,500/- रूपये (इक्यावन हजार पांच सौ रूपये) जरिए चालान संख्या 0010204191, रसीद संख्या 2016003864 दिनांक 18.03.2016 को राजकोष में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय मुद्रांक-शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(967)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री कुम्भाराम नायक, निवासी रामपुरा बस्ती, बीकानेर की ग्राम चक-16 बी.एस.एम., तहसील बीकानेर स्थित कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 179/40 किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 13, 18, 20 व 24, मुरब्बा नम्बर 179/39 किला नम्बर 19 ता 24, मुरब्बा नम्बर 179/31 किला नम्बर 16 व मुरब्बा नम्बर 179/32 किला नम्बर 16 ता 24 की 30 बीघा कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत खातेदारी अधिकारों के पर्यवसन व भूमि को न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण की भूमि पर सृजित योजना में विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये हैं तथा बाह्य विकास शुल्क की राशि भी सम्पूर्ण जमा नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा योजना में विकास कार्य पूर्ण करवाने तथा बकाया बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा होने तक प्रकरण में शेष रहे भूखण्डों के पट्टा-विलेख जारी करने पर रोक लगा दी।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में पट्टा-विलेख जारी करने पर रोक लगा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(974)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स आकाशदीप एग्रो प्रा.लि., बीकानेर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि अरविन्द गोटेवाला पुत्र श्रीराम गोटेवाला की ग्राम चक-16 बी.एस.एम., तहसील बीकानेर स्थित कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 179/47 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 179/48 किला नम्बर 1, 6 से 15, 18 से 22 व मुरब्बा नम्बर 179/40 किला नम्बर 5 से 7, 14 से 17 व 25 की 25 बीघा भूमि के सम्बन्ध में धारा 90 बी एल.आर. एक्ट के तहत खातेदारी अधिकारों के पर्यवसन व भूमि को न्यास पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण के विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत योजना में विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये हैं तथा बाह्य विकास शुल्क की राशि भी सम्पूर्ण जमा नहीं है।

प्रकरण से सम्बन्धित योजना में विकास कार्य पूर्ण करवाये जाने एवं बकाया विकास शुल्क जमा करवाये जाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा योजना में विकास कार्य पूर्ण करवाने तथा

बकाया बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा होने तक प्रकरण में शेष रहे भूखण्डों के पट्टा-विलेख जारी करने पर रोक लगा दी।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में पट्टा विलेख जारी करने पर रोक लगा दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(990)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली निजी खातेदारों मरीयम बेवा निजाम खाँ, मोहम्मद हनीफ पुत्र निजाम खाँ, मोहम्मद रफीक पुत्र निजाम खाँ, अब्दुल मजीद पुत्र निजाम खाँ व अब्दुल रसीद पुत्र निजाम खाँ की राजस्व ग्राम शिवबाड़ी, तहसील बीकानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 609/178 उपनिवेशन खसरा नम्बर 302 व 303 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं न्यास द्वारा भूमि पर योजना अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण की योजना में विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये हैं तथा भूमि के खातेदारों द्वारा अचल सम्पत्ति का विक्रय करने का अधिकार देने के लिए श्री बरकत अली पुत्र श्री मोहम्मद सदीक के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के अनुसार देय मुद्रांक-शुल्क अदा नहीं किया गया है। इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2016 के अनुसार प्रकरण में देय मुद्रांक शुल्क 1,32,000/-रूपये (एक लाख बत्तीस हजार रूपये) जरिए चालान नम्बर 0010652962 दिनांक 21.04.2016 द्वारा राजकोष में जमा कराये जा चुके हैं एवं रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 के अनुसार आंतरिक विकास कार्य पूर्ण

नहीं करवाये जाने के कारण न्यास के पक्ष में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की लीज-डीड जारी करने पर रोक लगा दी गई।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्यास पक्ष में रहन रखे गये भूखण्डों की लीज-डीड पर रोक लगा देने एवं देय मुद्रांक शुल्क वसूल कर लेने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(993)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार श्री प्रदीप कुमार, श्री सत्येन्द्र कुमार, श्री राजेश कुमार, महादेव इन्फ्राबिल्ड प्रा.लि., श्री सुनील, श्री संजय, श्री रामलाल व श्री राजेन्द्र जरिए मुख्त्यारआम श्री जितेन्द्र मोर, एम.डी., महादेव इन्फ्राबिल्ड प्रा.लि. की राजस्व ग्राम किसमीदेसर, तहसील व जिला बीकानेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 230, 232-234, 206, 241/1, 242, 275, 276, 1101/263, 272, 1144/272, 289, 253/1, 274, 1081/236, 1082/238 व 241 की 22. 27 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत कर खातेदारी अधिकारों के पर्यवसन व भूमि को न्यास पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार श्री राजेश कुमार, श्री सत्येन्द्र कुमार व श्री प्रदीप कुमार द्वारा श्री जितेन्द्र मोर के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति/ खातेदारी भूमि के विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक अधिनियम के तहत देय मुद्रांक-शुल्क की राशि अदा नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने श्री प्रदीप कुमार द्वारा निष्पादित मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक शुल्क की राशि 60,540/- रूपये जरिए रसीद संख्या 2016016005925 दिनांक 23.05.2016 व खातेदार श्री राजेश कुमार द्वारा निष्पादित मुख्त्यारआम पर मुद्रांक शुल्क की राशि 69,700/- रूपये जरिए रसीद संख्या 2016008017 दिनांक 06.07.2016 व श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा निष्पादित मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक-शुल्क की राशि 1,07,730/- रूपये जरिए रसीद संख्या 2016005924 दिनांक 23.05.2016 कुल 2,37,970/- रूपये (दो लाख सैंतीस हजार नौ सौ सत्तर रूपये) वसूल कर राजकोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1023)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम खातोली, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 420 की श्री कल्लू, श्री प्रहलाद व श्री बद्री पुत्रान श्री रूपा बैरवा, निवासी खातोली, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खातेदारी की 497 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (आवासीय व व्यावसायिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तो के अपालन

बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1027)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 909/2 की श्री किशोरी लाल पुत्र श्री रामचन्द्र बैरवा निवासी, बोरखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदारी की 1250 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1029)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 1055/2821 की श्रीमती संतोष पत्नी श्री रमेशचन्द धाकड़, निवासी सरोवर नगर, इटावा, जिला कोटा के खातेदारी की 749 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1030)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 1187 की श्री रामकल्याण पुत्र श्री रामनाथ मीणा, निवासी डडवाड़ा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खातेदारी की 580 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन)

नियम, 2007 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1032)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 1187 की श्री रामकल्याण पुत्र श्री रामनाथ मीणा, निवासी डडवाड़ा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खातेदारी की 112 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन

शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1033)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, इटावा, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 2564 की श्री किशनगोपाल पुत्र श्री माँगीलाल जीनगर, निवासी इटावा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के खातेदारी की 1245 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, इटावा, जिला कोटा ने आदेश दिनांक 27.12.2016 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1107)लोआस/2011

नगरपालिका, बहरोड़ से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स कैलाश अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर लि. की ग्राम बहरोड़ तर्फ नयनसुख के खसरा नम्बर 775, 788-791, 793 व 794 की 12971.77 वर्ग गज भूमि का अस्पताल प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख व निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि रूपान्तरित भूमि पर अस्पताल हेतु किये गये निर्माण में उप नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अलवर द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में अंकित शर्तो की पालना नहीं की गई है तथा आवेदक द्वारा मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2000 के प्रावधानों के विपरीत निर्माण किया गया।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बहरोड़ द्वारा कैलाश अस्पताल द्वारा किये गये अनियमित निर्माण का दिनांक 16.04.16 को निर्धारित शुल्क 6,20,981/- रूपये वसूल कर नियमितीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनियमित निर्माण का नियमितीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1128)/लोआस/2011

एफ.22(1129)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं की निजी खातेदार अध्यक्ष, जिला सैन समाज विकास समिति, झुन्झुनूं जरिए डॉ. बी.एल. वर्मा की भूमि खसरा नम्बर 417/16 की 633.33 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा अवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 633/- (छः सौ तैंतीस) जरिए रसीद संख्या 350/62 दिनांक 17.02.2017 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1130)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7/1/2/1 की 3055 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से सार्वजनिक एवं

अर्द्ध-सार्वजनिक (शैक्षणिक नर्सरी स्कूल) प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में आवेदक ने निर्माण स्वीकृति व भवन विनियम के निर्धारित मापदण्डों की पालना तो कर ली किन्तु किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित आवेदन शुल्क की वसूली नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा तत्समय नहीं की गई। इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 2833/- (दो हजार आठ सौ तैंतीस रूपये) दिनांक 26.12.16 को वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1135)लोआस/2011

एफ.22(1136)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं की निजी खातेदार श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री अरविंद कटेवा व श्रीमती प्रणिता देवी पत्नी श्री प्रवीण कटेवा निवासी 46 कटेवा चेंबर, शास्त्री नगर जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 754/2/5 की 1066.66 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्यस्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल-पंप) भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति के पश्चात् नगर

परिषद, झुन्झुनूं द्वारा वाणिज्यिक (पेट्रोल-पंप) प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली हेतु दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 711/- (सात सौ ग्यारह रूपये) दिनांक 28.02.2017 को जरिए रसीद संख्या 351/06 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1145)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जरिहा नम्बर-1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्री शिवसिंह पुत्र श्री हरेलाल ठाकुर, निवासी अम्बरपुर, राजाखेड़ा की खसरा नम्बर 731 व 732 की 3955.42 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में

जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 22.03.2015 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये) जरिए रसीद संख्या 508 दिनांक 27.03.2015 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1146)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम डिराकी, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्री मण्डलेश्वर पुत्र श्री महाराज सिंह गुर्जर, निवासी सैंया, आगरा की खसरा नम्बर 679/2 व 680 की 7335.6 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 18.01.2015 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 22,925/- रूपये जरिए रसीद संख्या 1189 दिनांक 21.09.2015 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नवीनीकरण राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1147)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम महदवार नम्बर-1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्रीमती विरमा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र, शालिनी पत्नी श्री रवि अग्रवाल व बैशाली पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी आगरा की खसरा नम्बर 1284 व 1290 की 6050.38 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का

औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 04.11.2014 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 30,255-रूपये (तीस हजार दो सौ पचपन रूपये) जरिए रसीद संख्या 1388 दिनांक 19.02.2016 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1150)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम छीतापुरा, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री पदमचन्द जैन, श्री राकेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार, सुनीता कुमारी व सुषमा कुमारी जैन निवासी राजाखेड़ा की खसरा नम्बर 1546 की 4840 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी

द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 12.12.2014 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 7563/- रूपये (सात हजार पाँच सौ तरेसठ रूपये) जरिए रसीद संख्या 4818 दिनांक 04.12.2014 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1152)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम राजाखेड़ा जरिहा नम्बर-1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री किशन सिंह, श्री विजेन्द्र,

श्री अशोक सिंह पुत्रान श्री किशनसिंह व श्री चरनसिंह पुत्र श्री मेनिका, निवासी राजाखेड़ा की खसरा नम्बर 753-755 की 10436.25 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 12.12.2014 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 52,185/- रूपये जरिए रसीद संख्या 4795 दिनांक 28.11.2014 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1153)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम महदवार नम्बर-1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर

के खातेदार श्री गजाधर पुत्र श्री परसराम, श्री रामसेवक, श्री अजमेर सिंह, श्री दामोदर पुत्रान श्री रामजीलाल ब्राह्मण, निवासी राजाखेड़ा की खसरा नम्बर 324 व 325 की 3484 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 01.04.2015 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 1742/- रूपये (एक हजार सात सौ बयालीस रूपये) जरिए रसीद संख्या 1212 दिनांक 07.10.2015 वसूल कर 1 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1155)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम डिरावली, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्री रामकुमार एवं मुन्नीलाल पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी राजाखेड़ा की खसरा नम्बर 708 व 717 की 3331.25 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 19.12.2014 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं अवधि समाप्ति के पश्चात् भी भूमि पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में न तो पट्टाविलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पश्चात् संचालित ईंट-भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई।

पट्टा विलेख के नवीनीकरण/अवधि पार संचालित ईंट-भट्टे बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगर-पालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख का नवीनीकरण राशि 10,399/- रूपये जरिए रसीद संख्या 1188 दिनांक 21.09.2015 वसूल कर 10 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए नवीनीकरण कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1159)/लोआस/2011
एफ.22(1172)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के निजी खातेदार डॉ. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी झुन्झुनूं की भूमि खसरा नम्बर 713/4 व 714/3 में से 1465 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से वाणिज्यिक (पैट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 1465/- (एक हजार चार सौ पैंसठ रूपये) दिनांक 08.08.2016 को जरिए रसीद संख्या 340/86 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1160)लोआस/2011

एफ.22(1161)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम खीदरसर, तहसील व जिला झुन्झुनूं के निजी खातेदार श्री महेन्द्र सिंह धनकड़ पुत्र श्री हरिलाल सिंह, निवासी झुन्झुनूं की भूमि खसरा नम्बर 687 की 1.66 हैक्टेयर भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 11,911/- (ग्यारह हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) दिनांक 16.02.2017 को जरिए रसीद संख्या 350/57 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1167)लोआस/2011

एफ.22(1168)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद्, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के निजी खातेदार श्री भगवाना राम नायक पुत्र श्री मालीराम, निवासी हाउसिंग बोर्ड के पास वार्ड नं. 1, झुन्झुनूं की भूमि खसरा नम्बर 213 मीन की 22536 वर्ग गज भूमि का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर भूउपयोग परिवर्तन स्वीकृति के पश्चात् नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा औद्योगिक (स्टोन-क्रेशर) प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 22,536/- (बाईस हजार पाँच सौ छत्तीस रूपये) दिनांक 23.02.2017 को जरिए रसीद संख्या 350/85 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1176)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर की मैसर्स बिनानी सीमेन्ट प्रा.लि. की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 685, 684, 1645 व 1644 की 17.55 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का

अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राज्य सरकार की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि संपरिवर्तित भूमि में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में संपरिवर्तन आदेश जारी होने से पूर्व ही निर्माण किया हुआ था, जिस बाबत तत्समय नियमानुसार देय शास्ति राशि की वसूली नहीं की गई। शास्ति राशि की वसूली बाबत इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त जिला कलक्टर, सीकर ने मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लि. से संपरिवर्तित भूमि पर किये हुए पूर्व निर्माण पर नियमानुसार शास्ति राशि 7500/- रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करवा दी।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप शास्ति राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1250)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम चेचट, तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 1310 की 10,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड

अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा ने आदेश दिनांक 11.01.2017 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1256)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम नीमाना, तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 600 की 3120 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा ने आदेश दिनांक 11.01.2017 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1269)लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम रामपुरिया, तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 14 की 6558 वर्ग मीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तों का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तों के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा ने आदेश दिनांक 16.01.2017 से प्रकरण के संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1271)लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, जोधपुर को विद्यालय प्रयोजनार्थ ग्राम बड़ली के खसरा नम्बर 88 में से 5 बीघा भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 13.10.08 के उपरान्त रियायती दर पर आवंटित करने से सम्बन्धित है।

तत्कालीन विगत सरकार द्वारा अन्तिम 6 माह में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा समीक्षा किये जाने के प्रकरणों में इस आवंटन के शुमार होने से मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्रश्नगत आवंटन की समीक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर पर किये जाने बाबत अभिमत व्यक्त किया।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा निर्देश दिये जाने के 7 वर्ष उपरान्त भी नगरीय विकास विभाग/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा संस्था को भूमि आवंटन के प्रकरण में समीक्षा कर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2016 में सरदार पटेल शिक्षण संस्थान को किये गये भूमि आंवटन को बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत भूमि आवंटन की समीक्षा की जाकर इसे बहाल रखे जाने बाबत निर्णय ले लिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1462)लोआस/2011

एफ.22(1463)लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम रामगढ़, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 509 से 512 की भूमि श्री बाल मन्दिर रामगढ़ एजुकेशन ट्रस्ट, कल्पना गौड़ की खातेदारी की 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के पश्चात् नगरपालिका द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में 1500 वर्ग गज से अधिक 2583.66 वर्ग गज भूमि का

पट्टा-विलेख बिना राज्य सरकार की अपेक्षित स्वीकृति लिए नगरपालिका, रामगढ़ शेखावटी द्वारा जारी कर दिया गया है।

इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2015 जारी कर नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2000 के उल्लंघन में निर्धारित क्षेत्रफल सीमा से अधिक क्षेत्रफल के बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लिये जारी किये गये पट्टा-विलेखों के प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1498)लोआस/2011

नगरपालिका, बयाना, जिला भरतपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बयाना, जिला भरतपुर स्थित श्री हरिमोहन पुत्र श्री मुरारीलाल, निवासी वैर रोड़, बयाना की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 व 242 की 618.31 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, बयाना द्वारा भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में नगरपालिका, बयाना द्वारा उसके स्वामित्व की रास्ते की 158.89 वर्ग गज भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख में शामिल

करते हुए पुनः आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि का नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने से पूर्व नगर नियोजन विभाग की अपेक्षित तकनीकी राय भी नहीं ली गई है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हेतु आवश्यक 60 फीट चौड़े पहुँच मार्ग के बजाय 20 फीट चौड़े रास्ते पर ही नियमन कर दिया गया। अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टा-विलेख की कार्यवाही का पुनरावलोकन कर आवश्यक संशोधनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

लोकायुक्त सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बयाना ने पत्र दिनांक 07.12.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण में अनियमित रूप से औद्योगिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नगरपालिका, बयाना द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनियमित रूप से जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1499)लोआस/2011

नगरपालिका, बयाना, जिला भरतपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बिडयारी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर स्थित श्रीमती नीरजा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2368-2370 व 2372-2374 की 1024.98 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, बयाना द्वारा भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में नगरपालिका, बयाना द्वारा उसके स्वामित्व की रास्ते की 315.83 वर्ग गज भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख में शामिल करते हुए पुनः आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि का नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने से पूर्व नगर नियोजन विभाग की अपेक्षित तकनीकी राय भी नहीं ली गई है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हेतु आवश्यक 60 फीट चौड़े पहुँच मार्ग के बजाय 15 फीट चौड़े रास्ते पर ही नियमन कर दिया गया। अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टा-विलेख की कार्यवाही का पुनरावलोकन कर आवश्यक संशोधनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

लोकायुक्त सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बयाना ने पत्र दिनांक 07.12.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण में अनियमित रूप से औद्योगिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नगरपालिका, बयाना द्वारा अनियमित रूप से जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1507)लोआस/2011

नगरपालिका, बयाना, जिला भरतपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बयाना, जिला भरतपुर स्थित श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री गणेशी लाल, निवासी भर्तृहरिबाड़ी, कस्बा बयाना की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2494-2496 की 1446.68 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, बयाना द्वारा भूमि का

वाणिज्यिक नियमन कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में भूमि का नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने से पूर्व नगर नियोजन विभाग की अपेक्षित तकनीकी राय नहीं ली गई है तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हेतु आवश्यक 40 फीट चौड़े पहुँच मार्ग के बजाय 13 से 30 फीट चौड़े रास्ते पर ही नियमन कर दिया गया। अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टा-विलेख की कार्यवाही का पुनरावलोकन कर आवश्यक संशोधनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिये गये।

लोकायुक्त सचिवालय के निर्देशोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बयाना ने पत्र दिनांक 07.12.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण में अनियमित रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नगरपालिका, बयाना द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अनियमित रूप से जारी पट्टा-विलेख को निरस्त कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1583)लोआस/2011

परिवादी श्री जी.एस. धाबाई सदस्य, भ्रष्टाचार निरोधक संस्था, जयपुर द्वारा तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल (पी.पी.पी. मोड) के तहत इन्जीनियरिंग कॉलेज व महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज

खोलने में लैगिंग एरिया पॉलिसी तथा संशोधित लैगिंग एरिया पॉलिसी के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट माँगे जाने पर उन्होंने अपनी अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 17.08.2016 से अवगत करवाया कि लैगिंग एरिया पॉलिसी के तहत श्री उम्मेद सिंह भाटी, शिक्षण समिति, जोधपुर द्वारा जालौर में अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, महादेव एजुकेशन ट्रस्ट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली द्वारा जैसलमेर में अभियान्त्रिकी महाविद्यालय व बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नीकल एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा धौलपुर में अभियान्त्रिकी महाविद्यालय स्थापित नहीं कर उन्हें किये गये निःशुल्क भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशोपरान्त जिला कलक्टर, धौलपुर ने अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नीकल सोसायटी, नई दिल्ली को ग्राम खानपुर गुर्जर, तहसील बाड़ी के आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 21.05 बीघा में से 10 एकड़ (16 बीघा) भूमि के आवंटन को दिनांक 25.02.2015 को एवं जिला कलक्टर, जालौर ने श्री उम्मेद सिंह भाटी शिक्षण समिति, जोधपुर को इन्जीनियरिंग कॉलेज हेतु ग्राम मादड़ी, तहसील आहोर के खसरा नम्बर 417 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 4 हैक्टेयर भूमि के निःशुल्क आवंटन को दिनांक 06.07.2016 को तथा जिला कलक्टर, जैसलमेर ने महादेव एजुकेशन ट्रस्ट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली को अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु ग्राम व तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 38 में से 25 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लैगिंग एरिया पॉलिसी के तहत किये गये भूमि आंवटनों को आवंटन शर्तों के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1584)लोआस/2011

परिवादी श्री पी.एन. मैन्दोला सचिव, लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा भूमि आवंटन शर्तों की पालना न किये जाने सहित अन्य शिकायतें की गई।

इस सचिवालय द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के समस्त प्रकरणों में आवंटन शर्तों की जाँच करवाकर आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा इन्द्रा देवी बागडोरिया सेवा कोष, राजस्थान स्टेट हज कमेटी, शिक्षा सागर पब्लिक स्कूल, नोबेल नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एस.सी.पी. मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली, आनन्द बाल गृह सोसायटी, झोटवाड़ा, इन्टरनेशनल ऑकोलोजी आई.एन.सी.यू.एस.ए., जन मंगल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इण्डो-फ्रेंच कल्चरल सोसायटी, उत्तरप्रदेश बिहार संयुक्त समाज, दी आई. आई. एस. विश्वविद्यालय, जयपुर, यादव मेमोरियल सोसायटी, जयपुर, राजस्थान समग्र सेवा संघ, जयपुर, व मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (मुम्बई) लि., नई दिल्ली को किये गये भूमि आंवटन सम्बन्धित संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना न किये जाने से निरस्त कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप रियायती भूमि आवंटन के प्रकरणों में संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तों की पालना न

करने से उनके आवंटन निरस्त कर दिये जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1604)लोआस/2011

परिवादी श्री रियाज खान सम्पादक, साप्ताहिक सेनानी पोस्ट, इन्द्रा कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पास, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में नगरपालिका, निम्बाहेड़ा, बेगूं, रावतभाटा व चित्तौड़गढ़ के लोकसेवकों द्वारा बिना बाह्य विकास शुल्क जमा करवाये ही कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों का नियमन कर दिये जाने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को नगरपालिका, निम्बाहेड़ा, बेगूं, रावतभाटा व चित्तौड़गढ़ की बकाया बाह्य विकास शुल्क की वसूली की जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये गये।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अपनी रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, बेगूं में बकाया बाह्य विकास शुल्क के पेटे सम्पूर्ण 81,972/- रूपये की राशि, नगरपालिका, रावतभाटा में बकाया बाह्य विकास शुल्क के पेटे सम्पूर्ण 3000/- रूपये की राशि, नगरपालिका, निम्बाहेड़ा में बकाया बाह्य विकास शुल्क के पेटे सम्पूर्ण 3,84,944/- रूपये की राशि एवं नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ में बकाया बाह्य विकास शुल्क के पेटे आंशिक 24,48,875/- रूपये की राशि (कुल राशि 29,18,791/-रूपये) वसूल करवाई जाकर सम्बन्धित नगरपालिका कोष में जमा हो चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित नगरपालिकाओं के बकाया बाह्य विकास शुल्क की वसूली हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1617)लोआस/2011

परिवादी श्री छगन सिंह धाकड़ (रिटायर्ड नाकेदार), निवासी झारेड़ा रोड़, लकड़ी की टाल, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में नगरपालिका, हिण्डौन सिटी के लोकसेवकों की मिलीभगत से नगरपालिका कोष को नजराना राशि, लीज-डीड राशि, बाह्य विकास शुल्क एवं पंजीयन राशि की हानि पहुँचाते हुए आवासीय मकानों को तुड़वाकर अवैध रूप से होटल, कॉम्पलेक्स, कटले एवं दुकान आदि व्यावसायिक निर्माण होने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी को अवैध व्यावसायिक निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में अवैध व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री टीकमचन्द पंसारी, श्री हेमन्त पुत्र श्री पुरूषोत्तम खत्री, श्री महेश पुत्र श्री रामगोपाल, श्री तारासिंह पुत्र श्री खिल्लीराम गुर्जर, श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री गरीबाराम, श्री काशीलाल पुत्र श्री रेवतीलाल, श्रीमती संतोष पत्नी श्री घासीलाल, श्रीमती भागरानी पत्नी श्री किशनलाल, श्री रमेश चन्द पुत्र श्री खुशहाल चन्द, श्री रमेश चन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश, श्री पुष्कर पुत्र श्री घनश्याम दास, श्रीमती शीला पत्नी श्री चेतन कोठारी, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राधेश्याम, श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री पुरूषोत्तम महाजन, श्री सुखदेव महाजन, श्रीमती सीता पत्नी श्री रमेश अग्रवाल, श्रीमती मधू अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश अग्रवाल, श्रीमती बबिता पत्नी श्री सतीश गुप्ता, श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री अमरसिंह धाकड़, श्री अरूण सिंह पुत्र श्री अमर सिंह धाकड़, श्री उत्तमचन्द जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन, श्री भीमा पुत्र श्री कन्हैया, श्री गयाप्रसाद पुत्र श्री सिनुआराम, श्री गोवर्धन पुत्र श्री

मिश्रीलाल, श्री बिठ्ठू पुत्र श्री लालपाल पंजाबी, श्री प्रहलाद पुत्र श्री बाबूलाल व अन्य लोगों के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 व 245 के तहत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी के न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित अवैध व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(433)/लोआस/2011

एफ.22(737)/लोआस/2011

एफ.22(1601)/लोआस/2011

उपर्युक्त वे प्रकरण हैं, जिनमें परिवादी पक्ष को वांछित अनुतोष के साथ-साथ दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही भी की गई है। इन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इसी अध्याय के ''अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण'' शीर्षक में दिया गया है।

अध्याय–4

माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – खान आवंटन घोटाले की जाँच का प्रगति विवरण

4.1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय परिदृश्य में विगत वर्षों में '2–जी' स्पेक्ट्रम व कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले समाचार पत्रों की सुर्खियां बने थे। इन मामलों की गूंज संसद के भीतर व बाहर काफी जोर–शोर से रही थी। ये मामले सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँचे। इन मामलों में यह सामने आया कि खान, खनिज भण्डार व अन्य सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन, वितरण एवं अन्तरण के लिए दायित्वाधीन कार्यपालिका (राजनैतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक अधिकारीगण) द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन आदि की प्रक्रिया में विवेकीय अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रहित व देश की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से पक्षपातरहित, पारदर्शी, उचित एवं तार्किक रीति से करने के बजाय निजी हितों को साधने व व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। विवेकीय शक्तियों के ऐसे दुरूपयोग से राजकोष को करोड़ों का नुकसान हुआ जबकि सभी प्राकृतिक संसाधन निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय सम्पदा हैं। कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रहित में इनके उपयोग की भेदभावरहित ऐसी पारदर्शी व्यवस्था व्यवहार में लाये कि जिससे राजकोष को लेशमात्र भी हानि न हो तथा उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना हो।

इन घोटालों की कड़ी में वर्ष 2015 के मार्च माह में तथाकथित रूप से राजस्थान राज्य का नाम भी जुड़ गया जब राज्य के खान विभाग द्वारा

माह नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक की अवधि में खानों के आवंटन में की गई गम्भीर अनियमितताओं एवं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा ''महाघूसकाण्ड'' के नाम से कई दिनों तक समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। इन समाचारों में यह भी अनुमान लगाया गया कि इस घोटाले से राजकोष को लगभग 14,000 करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ है। इस मामले में खान विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव, कुछ उच्च अधिकारियों तथा कतिपय अन्य को दिनांक 16.09.2015 को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार के इस मामले को अंजाम देने के लिए संदिग्ध कार्यप्रणाली अपनाते हुए जानबूझकर की गई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की जानकारी होने पर शासन के स्तर पर कार्यवाही करते हुए माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 17.10.2015 को लोकायुक्त, राजस्थान को प्रकरण की जाँच सुपुर्द की गई जिसके बारे में आगे विस्तार से उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति व उनके आवंटन/वितरण/अन्तरण के सम्बन्ध में विभिन्न निर्णयों में जो व्यवस्था दी गई है, उसका उल्लेख किया जाना सुसंगत है।

4.2 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 423/2010 सेन्टर फॉर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2011 सुब्रहमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2012) 3 SCC पृष्ठ 01 के निर्णय (जो आमतौर पर ''2 जी निर्णय'' के नाम से जाना जाता है) में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण सार्वजनिक हित व समानता के सिद्धांतों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए निम्नानुसार अभिमत प्रकट किया गया है :

"Natural resources belong to the people but the State legally owns them on behalf of its people and from that point of view natural resources are considered as national assets, more so because the State benefits immensely from their value." (para 74)

" The State is empowered to distribute natural resources. However, as they constitute public property/national asset, while distributing natural resources, the State is bound to act in consonance with the principles of equality and public trust and ensure that no action is taken which may be detrimental to the public interest. Like any other State action, constitutionalism must be reflected at every stage of the distribution of natural resources." (para 75)

उपर्युक्त निर्णय में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण के समय पारदर्शी एवं भेदभावरहित प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु अपने पूर्व निर्णयों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों को दोहराते हुए न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश भी दिये :

"This Court has repeatedly held that wherever a contract is to be awarded or a licence is to be given, the public authority must adopt a transparent and fair method for making selections so that all eligible persons get a fair opportunity of competition. To put it differently the State and its agencies/instrumentalities must always adopt a rational method for disposal of public property and no attempt should be made to scuttle the claim of worthy applicants. When it comes to alienation of scarce natural resources like Spectrum, etc. it is the burden of the State to ensure

that a non-discriminatory method is adopted for distribution and alienation, which would necessarily result in protection of national/public interest." (para 95)

इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में 'पहले आओ, पहले पाओ' की व्यवस्था में दुरूपयोग की संभावना के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् रूप से विज्ञापित ''खुली नीलामी'' की प्रक्रिया को सर्वोत्तम बताते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"In our view, a duly publicised auction conducted fairly and impartially is perhaps the best method for discharging this burden and the methods like first-come-first-served when used for alienation of natural resources/public property are likely to be misused by unscrupulous people who are only interested in garnering maximum financial benefit and have no respect for the constitutional ethos and values. In other words, while transferring or alienating the natural resources, the State is duty-bound to adopt the method of auction by giving wide publicity so that all eligible persons can participate in the process." (para 96)

उपर्युक्त निर्णय में दिये गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.04.2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजे गए रेफरेन्स में अन्य बिन्दुओं के अलावा निम्नांकित प्रश्नों पर विचार कर राय देने का अनुरोध किया गया:

1. Whether the only permissible method for disposal of all natural resources across all sectors and in all circumstances is by the conduct of auction;

2. Whether a broad proposition of law that only the route of auctions can be resorted to for disposal of natural resources does not run contrary to several judgments of the Supreme Court including those of Larger Benches;
3. Whether the enunciation of a broad principle, even though expressed as a matter of constitutional law, does not really amount to formulation of a policy and has the effect of unsettling policy decisions formulated and approaches taken by various successive governments over the years for valid considerations, including lack of public resources and the need to resort to innovative and different approaches for the development of various sectors of the economy.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा दी गई राय दिनांक 27.09.2012 में कार्यपालिका की कार्यवाही को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखने के लिए निम्नानुसार व्याख्या की :

> "The action has to be fair, reasonable, non-discriminatory, transparent, noncapricious, unbiased, without favouritism or nepotism, in pursuit of promotion of healthy competition and equitable treatment. It should conform to the norms which are rational, informed with reasons and guided by public interest, etc. All these principles are inherent in the fundamental conception of Article 14. This is the mandate of Article 14 of the Constitution of India". (para 105)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी उपर्युक्त राय में पूर्व निर्णय सच्चिदानन्द पाण्डेय व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (1987) 2 SCC पृ. 295 के इस निष्कर्ष को कि लोक सम्पत्ति के समुचित उपयोग के लिये जनहित का सर्वोच्च महत्व है और इस दायित्व के निर्वहन में कार्यपालिका को इस सम्बन्ध में असीमित विवेकीय शक्ति नहीं है तथा उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कि पक्षपात, भ्रष्टाचार या भाई–भतीजावाद होना प्रकट होता हो, निम्नानुसार उद्धृत किया :

> "State-owned or public-owned property is not to be dealt with at the absolute discretion of the executive. Certain precepts and principles have to be observed. Public Interest is the paramount consideration. One of the methods of securing the public interest, when it is considered necessary to dispose of a property, is to sell the property by public auction or by inviting tenders. Though that is the ordinary rule, it is not an invariable rule. There may be situations where there are compelling reasons necessitating departure from the rule but then the reasons for the departure must be rational and should not be suggestive of discrimination. Appearance of public justice is as important as doing justice. Nothing should be done which gives an appearance of bias, jobbery or nepotism." (para 123)

उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त राय में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण/अन्तरण के सम्बन्ध में ''न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति'' के प्रयोग में कार्यपालिका की प्रक्रिया को स्वेच्छाचारी, अनुचित, अतार्किक व मनमाना माने जाने को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :

> "Regard being had to the aforesaid precepts, we have opined that auction as a mode cannot be conferred the status of a constitutional principle. Alienation of natural resources is a policy decision, and the means adopted for the same are thus, executive prerogatives. However, when such a policy decision is not backed by a social or welfare purpose, and precious and scarce natural resources are alienated for commercial pursuits of profit maximizing private entrepreneurs, adoption of means other than those that are competitive and maximize revenue may be arbitrary and face the wrath of Article 14 of the Constitution. Hence, rather than prescribing or proscribing a method, we believe, a judicial scrutiny of methods of disposal of natural resources should depend on the facts and circumstances of each case, in consonance with the principles which we have culled out above. Failing which, the Court, in exercise of power of judicial review, shall term the executive action as arbitrary, unfair, unreasonable and capricious due to its antimony with Article 14 of the Constitution." (para 149)

सिविल अपील संख्या 7944/2010 सांदुर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय दिनांक 13.09.2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य को खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 व इसके तहत बने हुए नियमों के उल्लंघन में कोई नीति बनाने का अधिकार नहीं होना निम्नलिखित शब्दों में अभिनिर्धारित किया :

> "In view of the specific parliamentary declaration as discussed and explained by this Court in various decisions, there is no

question of the State having any power to frame a policy de hors the MMDR Act and the Rules."

अन्ततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 120/2012 मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव व अन्य (कोल ब्लॉक्स आवंटन निर्णय) के निर्णय दिनांक 25.08.2014 में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की कसौटी को निम्नानुसार स्पष्ट किया :

"...Obviously, therefore, such allocation has to meet the twin constitutional tests, one, the distribution of natural resources that vest in the State is to subserve the common good and, two, the allocation is not violative of Article 14."

4.3 केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश, एम.एम.डी.आर. एक्ट में संशोधन हेतु ड्राफ्ट एवं अध्यादेशः

कार्यपालिका (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण/अन्तरण आदि की प्रक्रिया में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निष्पक्ष, उचित, पारदर्शी, गैरविभेदकारी, गैरमनमानी एवं भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद रहित व्यवस्था हेतु भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज भण्डारों के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में उपर्युक्त सिद्धांतों का समावेश करते हुए दिनांक 30.10.2014 को व्यापक दिशा-निर्देश एवं दिनांक 16.11.2014 को खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया जिसमें यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि अब भविष्य में खान एवं खनिज भण्डारों के आवंटन/वितरण/अन्तरण आदि में ''पहले आओ, पहले पाओ'' की नीति के स्थान पर पूर्व

विज्ञापित एवं पूर्ण रूप से खुली नीलामी की ही प्रक्रिया अपनानी होगी। संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट व उपर्युक्त दिशा-निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए। इन दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया कि वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा भी की गई कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही विचाराधीन आवेदन-पत्रों एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर। भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में किये गये संशोधन का अध्यादेश दिनांक 11 व 12 जनवरी, 2015 की मध्यरात्रि से लागू कर दिया गया।

4.4 खान विभाग के लोकसेवकों के आक्षेपित कृत्य

राजस्थान से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र - राजस्थान पत्रिका के दिनांक 13.03.2015 के अंक में - ''लगा 600 करोड़ का चूना'', दिनांक 14.03.2015 के अंक में - ''चारों कम्पनियों को एक ही दिन में आवंटन'', दिनांक 16.03.2015 के अंक में - ''500 छोटी खानों का आवंटन एवं दिनांक 17.03.2015 के अंक में - ''केन्द्र अध्यादेश जारी कर रहा था, तब राजस्थान में हो रहा था खान आवंटन'' आदि शीर्षकों से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुए। इन समाचारों में यह मुद्दे उठाये गए थे कि नई खान आवंटन नीति, जो जनवरी, 2015 में लागू हुई, उसके 12 दिन पहले राज्य सरकार ने चार बड़ी सीमेंट कम्पनियों को सीमेंट ब्लॉक का आवंटन किया जबकि नई खनिज नीति के तहत यह आवंटन नहीं किए जा सकते थे। इन आवंटनों के कारण राज्य सरकार को 6 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इन सीमेंट ब्लॉक्स के आवंटन का मामला पिछले पाँच वर्षों से लटकाया हुआ था तथा राज्य के खान विभाग के अधिकारी जानते थे कि नवम्बर के पश्चात् कभी भी

नई खनन नीति आने की सम्भावना है, इसलिए आनन-फानन में ये आवंटन किए गये।

इन समाचारों में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 12 जनवरी, 2015 को नया अध्यादेश जारी होने व केन्द्र सरकार की मंशा जाहिर होने की अवधि (नवम्बर, 2014 से 12.01.2015) में राज्य सरकार द्वारा 500 खानों का आवंटन किया गया। इस अवधि में 121 मंशा-पत्र तो दिनांक 12.01.2015 को ही जारी किये गये।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुए उपर्युक्त समाचारों में राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा खानों के आवंटन व सीमेंट ब्लॉकों के आवंटन में प्रथमदृष्ट्या गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत लोकायुक्त द्वारा दिनांक 12.03.2015 को ही इनके सम्बन्ध में ''स्वप्रेरणा'' से प्रसंज्ञान लिया जाकर जाँच प्रारम्भ की गई।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया था कि एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(1) के अन्तर्गत आने वाले खनिजों के आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है, तथा इस बारे में दिशा-निर्देश निर्देशात्मक रूप से लागू होंगे। इन दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई कि जिन प्रमुख खनिजों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा ही आवंटन किया जाना है, उनमें भी राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करें।

खान निदेशालय के तीनों अधिकारीगण श्री देवीशंकर मारू, निदेशक, श्री पंकज गहलोत, अतिरिक्त निदेशक एवं श्री एन.एस. शक्तावत, अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुख्यालय) ने एक राय होकर राज्य सरकार को दिनांक 05.11.2014 के पत्र द्वारा यह सलाह दी कि यदि केन्द्र सरकार के उक्त

निर्देशों को माना जाता है तो राज्य में खनन आवंटन बन्द हो जायेगा तथा 18 हजार से अधिक लम्बित आवेदनों को खारिज करना पड़ेगा।

राज्य सरकार के खान विभाग के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. अशोक सिंघवी, प्रमुख शासन सचिव, श्री विजयपाल सिंह, संयुक्त शासन सचिव तथा श्री बी.एस. सोढ़ा, विशेषाधिकारी ने खान निदेशालय द्वारा दी गई उपर्युक्त तकनीकी राय को पढ़कर आपस में भी अधिकारिक तौर पर विचार-विमर्श नहीं किया तथा रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रावधानों के तहत तत्कालीन खान मंत्री अथवा माननीया मुख्यमंत्री से भी निर्देश नहीं लिये तथा मौन बैठे रहे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 17.11.2014 तक राज्य सरकार द्वारा एक भी पत्रावली में खान आवंटन नहीं किया गया। दिनांक 17.11.2014 को खान आवंटनों का कार्य तब प्रारम्भ किया गया, जब केन्द्र सरकार ने अधिनियम म. संशोधन का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर राज्य सरकारों से सुझाव व एतराज माँगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में किये गये खान-आवंटना. को देखकर खान निदेशालय के अधिकारियों ने भी दिनांक 24.11.2014 से आवंटन करना प्रारम्भ कर दिया।

भारत सरकार के खान विभाग की ओर से दिनांक 16.11.2014 को जारी किए गये संशोधन अधिनियम के प्रारूप के सम्बन्ध में शासन के खान अधिकारियों ने तत्काल ही अपने सुझाव भारत सरकार को भेज दिए। तत्समय उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि उक्त प्रारूप के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी भी दिन अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसलिए उक्त प्रारूप जारी होने के अगले दिन अर्थात् दिनांक 17.11.2014 से ही राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने राज्य सरकार अथवा खान मंत्री को दिनांक 30.10.2014 के दिशा-निर्देशों के प्रभाव से अवगत करवाये बिना खान आवंटन के मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियां जारी करना प्रारम्भ कर दिया। खान निदेशालय, उदयपुर के अधिकारियों ने भी शासन

को प्रेषित राय दिनांक 05.11.2014 के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार के स्तर पर दिनांक 17.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियां जारी किया जाना देखकर निदेशालय स्तर पर भी दिनांक 24.11.2014 से मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियाँ जारी करना प्रारम्भ कर दिया जबकि दिनांक 01.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में खान निदेशालय द्वारा एक भी आवंटन नहीं किया गया था।

प्रारम्भिक जाँच में यह भी प्रकट हुआ कि अध्यादेश दिनांक 11.01.15 की रात्रि से ही प्रभावी हो गया था किन्तु इसके बावजूद दिनांक 12.01.2015 को एक ही दिन में 121 मंशा-पत्र एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी कर दिये गये।

4.5 राज्य सरकार की कार्यवाही

प्रारम्भिक जाँच के दौरान ही राज्य सरकार के खान विभाग में खानों के आवंटन में गम्भीर अनियमितता एवं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव, कुछ उच्च अधिकारियों एवं कतिपय अन्य को दिनांक 16.09.2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके समाचार भी समाचार-पत्रों में ''महा घूसकाण्ड'' के नाम से काफी दिनों तक सुर्खियों में प्रकाशित हुए जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि में किये गये खान आवंटना. की जाँच हेतु श्री भानुप्रकाश येतुरू, प्रबंध निदेशक, आर.एस.एम. एम.एल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसने अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन (Annexure 1) दिनांक 16.10.2015 को राज्य सरकार को सौंप दिया। इस प्रतिवेदन में संक्षेप में यह निष्कर्ष दिया गया कि उपर्युक्त अवधि में खानों के आवंटन में सामान्यतः ''पहले आओ, पहले पाओ'' की नीति के मूलभूत सिद्धांतों का गम्भीरतापूर्वक पालन नहीं

किया गया है। कतिपय पत्रावलियों को अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बिना उचित कारण के अन्य पत्रावलियों से पहले प्रक्रियाधीन किया गया एवं उन्हें वरीयता प्रदान कर त्वरित गति से निस्तारित कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जो इस तथ्य से भी सुस्थापित है कि लम्बित लगभग 19,000 आवेदन-पत्रों में से मात्र 738 पत्रावलियों को ही उक्त अवधि में निस्तारित किया गया है। शासन के स्तर पर जारी किये गये सीमेन्ट ब्लॉक के चार मंशा-पत्रों के सम्बन्ध में यह पाया कि भारत सरकार के खान मन्त्रालय द्वारा दिनांक 16.11.2014 को एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था जिसके अनुसार प्रधान-खनिजों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था जबकि शासन के स्तर पर उपरोक्त चारों एल.ओ.आई. (मंशा-पत्र) तत्समय प्रभावी नियमों के तहत ही जारी कर दिये गये जिसमें भी प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी रूप से की गई प्रतीत नहीं होती है। कुछ कम्पनियों के पास पूर्व में ही धारित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक होने के कारण एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के तहत भारत सरकार द्वारा अभी तक अनुमति भी प्रदान नहीं की गई है।

उच्चस्तरीय समिति से उपर्युक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि में किये गये सभी खान आवंटन मामलों की जाँच लोकायुक्त से करवाने का निर्णय लिया गया तथा इसी अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17.10.2015 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(3) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान को प्रश्नगत अवधि के दौरान खान विभाग, राजस्थान सरकार के सभी लोकसेवकगण द्वारा खान आवंटन के सम्बन्ध में जारी किये गये मंशा-पत्रों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया की जाँच करने हेतु निम्न आदेश (Annexure 2) जारी किया गया :

"In exercise of powers conferred under section 18(3) of Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973, I, Kalyan Singh, the Governor of Rajasthan hereby order the Lokayukta, Rajasthan, to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects :

1.To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry."

माननीय राज्यपाल द्वारा उपर्युक्त आदेश से समस्त खान आवंटन प्रक्रिया एवं खान विभाग व उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा 01.11.2014 से 12.01.2015 के मध्य मंशा-पत्रों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में उनके लोप व कृत्य की जाँच सहित उनका उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा जाँच के दौरान उक्त प्रक्रिया व स्वीकृतियों में पाई जाने वाली कमियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में भविष्य में अमल में लाई जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देने की भी अपेक्षा की गई।

4.6 समनुदेशित कार्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता

उपर्युक्त आदेश की विज्ञप्ति जारी होते ही खान आवंटन मामलों की जाँच के क्रम में इस सचिवालय को आवश्यक अतिरिक्त अधिकारीगण /कर्मचारीगण के पदों की स्वीकृति, अतिरिक्त भवन आवंटन, आवश्यक फर्नीचर व कम्प्यूटर इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाने तथा प्रश्नगत अवधि

में किये गये खानों के आवंटन से सम्बन्धित सभी पत्रावलियां सुपुर्द करने व इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी विज्ञप्ति/परिपत्र भी भिजवाने हेतु राज्य सरकार को पत्र दिनांक 28.10.2015 (Annexure - 3) लिखा गया।

इसके पश्चात् उपर्युक्त आवश्यकताओं के संदर्भ में निम्नानुसार अन्य पत्र भी प्रेषित किये गये:-

1. अतिरिक्त भवन व्यवस्था हेतु

i) मुख्य सचिव महोदय को पत्र दिनांक 30.10.2015, 19.11.2015, 15.12.2015 एवं 01.01.2016 (Annexure - 4 से 7)

ii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री को पत्र दिनांक 27.11.2015 (Annexure - 8) भेजा गया जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (सामान्य प्रशासन ग्रुप-2 विभाग), प्रमुख शासन सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग) एवं शासन सचिव (कार्मिक क-3 विभाग) को भी भेजी गई।

iii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री को पत्र दिनांक 13.01.2015 (Annexure - 9) भेजकर विकास खण्ड परिसर के प्रथम तल के पूर्वी भाग का कब्जा दिलवाने हेतु निवेदन किया गया जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (सामान्य प्रशासन ग्रुप-2 विभाग), प्रमुख शासन सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग) एवं शासन सचिव (कार्मिक क-3 विभाग) को भी भेजी गई।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2016 को इसी सम्बन्ध में आगे भी लगातार पत्राचार किये जाने पर विकास खण्ड परिसर के प्रथम तल के पूर्वी भाग का आवंटन किया गया तथा मार्च, 2016 में रिक्त होने के पश्चात् ही आंशिक भाग का कब्जा इस सचिवालय को उपलब्ध हो पाया।

2. अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति हेतु

i) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 27.11.2015 (Annexure - 10 व 11) भेजे गये।

ii) अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पाये जाने पर शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 03.12.2015 (Annexure - 12 व 13) भेजे गये।

उपर्युक्त पत्रों के सम्बन्ध में वित्त विभाग की ओर से यह सुझाव भेजा गया कि स्टाफ के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता के सम्बन्ध में खान विभाग से मीटिंग कर प्रस्ताव प्रेषित किये जावें। तदनुसार दिनांक 04.01.2016 को तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खनि विभाग श्री दीपक उप्रेती के साथ इस सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारीगण ने मीटिंग की जिसमें जाँच कार्य हेतु निम्न पदों की आवश्यकता पर सहमति बनी (Annexure - 14)।

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	दो
2.	उप सचिव	दो
3.	सहायक सचिव	दो
4.	ड्राफ्ट्समैन	एक
5.	अनुभाग अधिकारी	एक
6.	सहायक प्रोग्रामर	एक
7.	सूचना सहायक	आठ
8.	क्लर्क ग्रेड-II (क.लि.)	तीन

9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पाँच

उपर्युक्त मीटिंग में लिये गये निर्णयानुसार पुनः निम्नानुसार पत्र लिखे गयेः-

iii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 05.01.2016 (Annexure - 15 व 16) भेजकर उपर्युक्त अनुसार पदों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।

iv) शासन सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2016 (Annexure - 17) से उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी लिये जाने की स्वीकृति दी गई लेकिन प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 28.01.2016 (Annexure - 18 व 19) लिखे जाकर अनुरोध किया गया कि उक्त पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के अन्तर्गत भरे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

उपरोक्तानुसार पत्राचार के पश्चात् उपर्युक्त स्वीकृत पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के अनुसार भरे जाने की स्वीकृति (Annexure-20) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2016 को जारी की गई जिनमें से कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति मार्च, 2016 में सम्भव हो सकी।

4.7 जाँच कार्य की प्रगति

उक्त जाँच से सम्बन्धित पत्रावलियाँ नवम्बर, 2015 से प्राप्त होना आरम्भ होकर अधिकांश दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त हो गईं। खान व भू-विज्ञान

के तकनीकी रूप से विशेषज्ञ कार्मिकों, पर्याप्त स्थान व संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद पत्रावलियाँ प्राप्त होते ही इस सचिवालय द्वारा जाँच कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

31 मार्च, 2017 तक सम्पादित जाँच कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

मुख्य जांच पत्रावली 45(40)लोआस/2014

इस प्रमुख जांच पत्रावली में 11 गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये व दस्तावेजात प्रदर्श-1 से प्रदर्श-28 तक प्रदर्शित कराये गये। इस जांच से प्रथमदृष्टया यह मामला सामने आया है कि-

1. **दिनांक 30.10.2014 को केन्द्र सरकार ने** दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों की प्रति सभी राज्य सरकारों को प्रेषित कर यह निर्देश दिया गया कि अब तक जारी किये गये समस्त दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 जारी किये जाते हैं तथा साथ में यह भी बताया गया कि यह दिशा-निर्देश एम.एम.डी.आर.अधिनियम, 1957 के तहत आवंटन के लिये बाध्यकारी हैं तथा उक्त निर्णय सामंथा, संदुर, 2-जी व कोयला ब्लॉक आवंटन के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के दृष्टिगत एवं राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों के आलोक में एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यहां तक कि इन निर्णयों के सार की प्रति भी दिशा-निर्देश के साथ राज्य सरकारों को प्रेषित की गई थी।

2. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर श्री देवीशंकर मारू, अतिरिक्त निदेशक खान श्री पंकज गहलोत मुख्यालय, उदयपुर एवं

श्री एन.एस.शक्तावत, अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय, उदयपुर तीनों ने इन दिशा-निर्देशों के प्राप्त होने पर इन दिशा-निर्देशों के प्रभाव के बारे में मंत्रणा की तथा दिनांक 05.11.2014 को एक संयुक्त नोट तैयार कर उसी दिन अपनी राय से शासन को अवगत कराने के लिये एक पत्र प्रेषित किया। इस पत्र में तीनों ने यह स्वीकार किया कि खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खान आवंटन से पहले विचाराधीन क्षेत्र में खनिज उपलब्धता प्रमाणित होना आवश्यक होगा तथा इसके लिये यू.एन. एफ.सी. 1997 के मानक अपनाये जाएंगे, जबकि इन मानकों के अनुसार खनिज की उपलब्धता प्रथम अनुसूची के खनिजों एवं सीमेंट ग्रेड, लाईम स्टोन के मामले में आवश्यक रखते हुये अन्य मामलों में इनसे छूट प्रदान किये जाने का निवेदन करना उचित होगा, क्योंकि विभाग के सीमित मानवीय एवं अन्य संसाधनों के दृष्टिगत अन्य खनिजों के मामले में यू.एन.एफ.सी. मानकों के तहत खनिज उपलब्धता प्रमाणित करना विभाग के लिये व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में विभाग के समक्ष लम्बित 15 हजार आवेदन खारिज करने पड़ेंगे।

3. इसी दौरान दिनांक 16.11.2014 को केन्द्र सरकार ने अपनी वेबसाइट पर खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया था तथा उक्त प्रारूप राज्य सरकारों को प्रेषित करते हुये उनके सुझाव आमंत्रित किये। इस प्रस्तावित संशोधन बिल में सबसे प्रमुख बात यह थी कि अब से समस्त खनन पट्टों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों का आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से ही किया जायेगा।

4. खान निदेशालय के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों की राय दिनांक 05.11.2014 खान मंत्रालय में फेक्स/ई-मेल के जरिये उसी दिन पहुंच गई तथा मुख्य प्रति भी आगामी दो-चार दिनों में पहुंच गई,

जिस पर खान विभाग के तीनों प्रमुख अधिकारियों, प्रमुख शासन सचिव डॉ0 अशोक सिंघवी, संयुक्त खान सचिव श्री विजयपाल सिंह एवं विशेषाधिकारी (तकनीकी) श्री बी.एस.सोढ़ा के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

5. इन तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने दिनांक 05.11.2014 से 12 जनवरी, 2015 तक निदेशालय की इस राय को जान-बूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। न तो उनके द्वारा इसकी कोई विवेचना की गई, न ही कोई मीटिंग बुलायी गई और न ही निदेशालय को एतद्सम्बन्धी कोई निर्देश दिये।

6. दिनांक 16.11.2014 को प्रस्तावित खान बिल के संबंध में शासन सचिवालय के अधिकारियों ने तत्काल अपनी ओर से सुझाव देने के लिये तैयारी शुरू कर दी तथा अपने सुझाव माह नवम्बर में ही भारत सरकार को प्रेषित कर दिये, जबकि इसी पत्रावली में निदेशालय की केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 पर दी गई राय व निर्देश विद्यमान थे, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

7. प्रस्तावित नई खनन नीति दिनांक 16.11.2014 पर अपने सुझाव भेजने के साथ-साथ इन अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया था कि नया खान अध्यादेश किसी भी दिन जारी हो सकता है, उन्होंने दिनांक 01.11.2014 से 17.11.2014 तक एक भी खान आवंटन नहीं किया था, परन्तु दिनांक 17.11.2014 से राज्य सरकार ने मंशा पत्र एवं स्वीकृतियां जारी करना प्रारम्भ कर दिया।

इसी प्रकार निदेशालय के अधिकारियों ने भी राज्य सरकार के आवंटनों को देखकर दिनांक 24.11.2014 से मंशापत्र एवं स्वीकृतियां जारी करना प्रारम्भ कर दिया।

8. राज्य सरकार के तीनों अधिकारियों प्रमुख शासन सचिव डॉ0 अशोक सिंघवी, संयुक्त खान सचिव श्री विजयपाल सिंह तथा विशेषाधिकारी (तकनीकी) श्री बी.एस.सोढ़ा एवं निदेशालय के तीनों अधिकारियों निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर श्री देवीशंकर मारू, अतिरिक्त निदेशक खान श्री पंकज गहलोत मुख्यालय, उदयपुर एवं श्री एन.एस.शक्तावत, अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय, उदयपुर की इस षडयन्त्र में भागीदारी इस बात से साबित है कि निदेशालय ने 01 नवम्बर, 2014 से 23 नवम्बर, 2014 तक एक भी आवंटन नहीं किया व दिनांक **24.11.2014 से आवंटन करना प्रारम्भ कर दिया।** राज्य सरकार के अधिकारियों की इस षडयन्त्र में भागीदारी स्पष्ट इसलिये है क्योंकि उन्होंने निदेशालय के अधिकारियों की राय को दर-किनार करते हुये कोई निर्देश देने के बजाय उन्हें दूरभाष पर निर्देश देकर अधिक से अधिक आवंटन करने के लिये दुष्प्रेरित किया।

9. **दिनांक 12.01.2015 को 125 मंशा पत्रों का आवंटन हुआ, यह वह दिन था, जिस दिन केन्द्र सरकार का अध्यादेश जारी हुआ। यह सम्भव ही नहीं था कि एक दिन में 125 मंशा पत्र निदेशालय द्वारा जारी किये जा सक।** इससे यह प्रकट है कि ये सभी आवेदन पत्र एकत्र कर अध्यादेश आने के बाद दिनांक 12.01.2015 की तारीख में स्वीकृत किये गये, क्योंकि अध्यादेश दिनांक 12.01.2015 को आया था। अतः उक्त अधिकारियों का अनुमान था कि उक्त अध्यादेश दिनांक 12.01.2015 की रात से प्रभावी होगा, जबकि अध्यादेश वस्तुतः दिनांक 11.01.2015 की रात्रि से प्रभावी हो गया

था, इसलिये इन आवंटनों को मजबूरीवश निदेशालय को निरस्त करना पड़ा।

जांच पत्रावली 45(102)लोआस/2015

इस पत्रावली में 8 गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये व दस्तावेजात प्रदर्श-1 से प्रदर्श-16 तक प्रदर्शित कराये गये। इस पत्रावली में चार सीमेंट कम्पनियों को सीमेंट ब्लॉक के आवंटन करने की जांच की गई। इस जांच से प्रथमदृष्टया यह प्रकट हुआ कि सीमेंट ब्लॉक के आवेदकों के खान अधिनियम के तहत निदेशालय की एक कमेटी ने दिनांक 20.03.13 को साक्षात्कार लिये। इस कमेटी को प्रत्येक ब्लॉक के लिये आवेदकों की प्राथमिकता तय करनी थी। दिनांक 20.03.2013 को लिये इन साक्षात्कार के पश्चात् कमेटी के सदस्यों ने साक्षात्कार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया। किसी भी ब्लॉक के लिये तुलनात्मक चार्ट तैयार नहीं किया तथा आवेदकों की प्राथमिकताएं भी तय नहीं की। दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के पश्चात् जब केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश व दिनांक 16.11.2014 का ड्राफ्ट बिल राज्य सरकार के अधिकारियों व निदेशालय के अधिकारियों की जानकारी में आ गये तो यह स्पष्ट हो चुका था कि नया खान अधिनियम कभी भी प्रभाव में आ सकता है। इस पर निदेशालय के तत्समय पदस्थापित तीनों वरिष्ठ अधिकारियों श्री देवीशंकर मारू, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (खान) एवं श्री एन.एस.शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु0-द्वितीय) ने मिलकर मनमर्जी से प्राथमिकताएं इस आधार पर तय कीं कि हमें चार ब्लॉक आवंटित करने हैं तथा राज्य सरकार को यह लिख दिया जावे कि प्रश्नगत ब्लॉक के लिये इस एक आवेदक के अलावा कोई भी आवेदक उक्त ब्लॉक को लेने का इच्छुक नहीं है। इन तीनों अधिकारियों द्वारा ही तुलनात्मक चार्ट

तैयार कर अपनी अभिशंषा पत्र सहित राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई। इस प्रकार प्राथमिकता का निर्धारण दिनांक 20.03.2013 को इस हेतु गठित कमेटी द्वारा न किया जाकर मनमर्जी से इन तीनों अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के डेढ़ वर्ष पश्चात् गलत दस्तावेजों के आधार पर किया जाकर अनुशंषा प्रेषित की गई। राज्य सरकार के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों प्रमुख शासन सचिव डॉ0 अशोक सिंघवी, संयुक्त सचिव श्री वी.पी.सिंह एवं विशेषाधिकारी (तकनीकी) श्री बी.एस. सोढ़ा ने इस संबंध में निदेशालय से कोई प्रश्न पूछे बिना इन पर मंशा पत्र जारी कर दिये।

इन दोनों प्रकरणों में इन सभी 6 अधिकारियों को प्रथमदृष्टया गलत दस्तावेजों व विधिनुकूल प्राथमिकताएं तय न किये जाने के कारण राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के तहत अन्वेषण नोटिस जारी किये गये हैं।

अन्य प्रारम्भिक जाँच

1. कार्यालय खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर के मामलों में प्रारम्भिक जाँच पूर्ण कर तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार श्री मूलचन्द बंशीवाल, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (खान) श्री मदन मोहन शर्मा एवं श्री टी.एस.राणावत के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।
2. इसी प्रकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के मामलों में प्रारम्भिक जाँच पूर्ण कर तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक श्री सतीश कुमार चौहान, तत्कालीन कार्यदेशक श्री दीपक बिजौनिया एवं तत्कालीन रियायती लिपिक श्री राजेन्द्र राव के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा

उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

3. कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर के मामलों में प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर तत्कालीन खनि अभियन्ता श्री जे.के. गुरूबक्शानी तथा तत्कालीन लिपिक ग्रेड-प्रथम श्री नरेन्द्र सिंह भाटी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

4. कार्यालय खनि अभियन्ता, ब्यावर के मामलों में प्रारम्भिक जाँच पूर्ण कर तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता श्री दीपक तंवर, तत्कालीन खनि अभियन्ता श्री गोरधन राम एवं श्री पूरण मल सिंघाड़िया तथा तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार श्री विजय प्रकाश त्रिपाठी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

5. कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली के मामलों में प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता श्री मनोज कुमार तंवर, श्री कृष्ण शर्मा व श्री ललित बाछड़ा एवं तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार श्री रमेश चन्द के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

राजस्थान सरकार **परिशिष्ट-4.1**

खान आवंटन प्रकरणों की समीक्षा/पुनरावलोकन हेतु उच्च स्तरीय समिति

प्रारंभिक प्रतिवेदन दिनांक 16.10.2015

शासन आदेश क्रमांक प.14(20) खान/ग्रुप-2/15 दिनांक 5.10.2015 की पालना में गठित उच्च स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक आर.एस.एम.एम.एल के पंजीकृत कार्यालय, लालकोठी, जयपुर में दिनांक 16.10.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में विभाग में दिनांक 1 नवम्बर 2014 से 12 जनवरी 2015 के मध्य खनन पट्टा आवंटन हेतु जारी मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) एवं अन्य प्रकार के अनुज्ञा पत्रों की समीक्षा/पुनरावलोकन के संबंध में विस्तृत प्रारंभिक विचार विमर्श किया गया। प्रारंभिक विचार-विमर्श के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु/तथ्य सामनें आये:-

1. खनिज विभाग में प्रधान खनिजों के रिकोनेसेन्स परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं खनन पट्टा आवंटन हेतु करीब 19000 आवेदन पत्र दिनांक 1.11.2014 को लंबित थे। उक्त लंबित आवेदन पत्रों में से दिनांक 1.11.2014 से 12.01.2015 तक विभाग द्वारा 69 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत एवं 669 खनन पट्टा आवंटन हेतु मंशा पत्र जारी किये गये।
2. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों/मंशा पत्रों में से दिनांक 12.01.2015 को विभाग द्वारा 121 मंशापत्र एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे जिन्हें भारत सरकार के निर्देश दिनांक 27.3.2015 के क्रम में बाद में मार्च/अप्रेल 2015 में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
3. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अयोग्य घोषित आवेदन पत्रों के पश्चात् वर्तमान में 53 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र तथा 548 खनन पट्टा आवंटन हेतु जारी मंशा पत्र लंबित हैं।
4. विभाग द्वारा खनन पट्टा हेतु मंशा पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति एम.एम.डी. आर. एक्ट, 1957 की धारा 11 के अन्तर्गत तत्समय प्रभावी प्रावधान 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर जारी किये गये थे।

5. भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.1.2015 से एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 में संशोधन करते हुए एम.एम.डी.आर. (संशोधन) – एक्ट 2015 का अध्यादेश जारी किया गया। जिसमें प्रधान खनिज के खनन पट्टों/कम्पोजिट लाइसेन्स (पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र सह खनन पट्टा) का आवंटन 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति को परिवर्तित करते हुए नीलामी के माध्यम से ही दिये जाने का प्रावधान किया गया।

6. भारत सरकार द्वारा पुनः दिनांक 10.2.2015 से अधिसूचना जारी कर 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया। अप्रधान खनिजों में नीति/नियम बनानें की शक्तियां एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त की हुई है एवं राज्य सरकार द्वारा अप्रधान खनिजों के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 लागू की हुई है जिसमें अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों का आवंटन नीलामी/लोटरी से किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही प्रभावी है।

7. राजस्थान प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 एवं राज्य की नई खनिज नीति 2015 में भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार अप्रधान घोषित 31 खनिजों के बारे में बिना नीलामी के 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति पर खनन पत्रों/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र दिये जानें का कोई विशिष्ठ प्रावधान नही है एवं इन्हें किसी भी प्रकार की वरीयता/संरक्षण नियमों में प्रदत्त नहीं है।

8. उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि उक्त अप्रधान घोषित 31 खनिजों के प्रकरणों में पूर्व में जारी मंशा पत्रों/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों को अब वर्तमान में अस्तित्व में बनाये रखना सर्वथा नियमों/नीति के विपरीत होगा

9. समिति का यह भी अभिमत है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पूर्ण पारदर्शिता, लोकहित एवं राज्य के विकास हेतु राजस्व अर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति में उपरोक्त लक्ष्यों एवं सिद्वान्तों को प्राप्त किया जाना नितान्त असम्भव है।

10. समिति द्वारा प्रथम बैठक के दौरान यह महसूस किया गया था कि खनन पट्टा आवंटन प्रकरण वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, द्वारा भी जांच विचाराधीन है एवं इस संबंध में उनके पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं/शिकायतें उपलब्ध हो सकती हैं। अतः राज्य सरकार के माध्यम से इन सूचनाओं एवं शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख शासन सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) को दिनांक 15.10.2015 पत्र द्वारा निवेदन किया गया है।

11. समिति द्वारा कतिपय नमूना स्वरूप पत्रावलियों का अवलोकन/अध्ययन किया गया जिनका विवरण परिशिष्ठि-1 पर उपलब्ध है। सामान्यतः यह पाया गया है कि 'पहले आओ पहले पाओ' नीति के मूलभूल सिद्धान्तों का गंभीरता पूर्वक पालन नहीं किया गया है। कतिपय पत्रावलियों को अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा बिना उचित कारण के अन्य पत्रावलियों से पहले प्रकियाधीन किया गया एवं उन्हें कार्यालयों में वरियता प्रदान कर त्वरित गति से निस्तारित कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया। यह इस तथ्य से भी सुस्थापित है कि लगभग 19000 आवेदनों में से मात्र 738 पत्रावलियों को ही संदर्भित अवधि में निस्तारित किया गया है जो कि कुल पत्रावलियों की संख्या के 4 प्रतिशत से भी कम है।

12. शासन स्तर पर सीमेन्ट ब्लाक जारी चार मन्शा पत्रों के संबंध में कमेटी द्वारा यह पाया गया कि प्रधान खनिजों के आवंटन हेतु भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2014 को एम.एम.डी.आर.

एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी कर सभी राज्य सरकारों को भिजवाये गये थे। उक्त प्रस्तावित संशोधन के द्वारा प्रधान खनिजों का आवंटन केवल निलामी द्वारा किये जाने के प्रावधान प्रस्तावित किये गये थे जबकि उक्त चार एल.ओ.आई. तत्समय प्रभावी नियमों के तहत जारी की गई जिसमें प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी रूप से की गई प्रतीत नही होती, कुछ कम्पनियों के पास पूर्व में ही धारित क्षेत्र 10 वर्ग कि.मी. से अधिक होने के कारण भारत सरकार द्वारा धारा 6(1)(बी) के तहत अनुमति भी अभी तक प्रदान नही की गई है।

प्रारंभिक प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

भानू प्रकाश एटरू प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल	डी.एस. मारू निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान	डा. पी.आर. अग्रवाल वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू-विज्ञान	आर.के. हीरात अति0 निदेशक, खान, जयपुर

परिशिष्ठ–1

वर्ष 2015 में आवेदित क्षेत्र जिन्हें वर्ष 2015 में ही मंशा पत्र जारी हुए

आवेदक का नाम	आवेदन पत्र सं.	आवेदन तिथि	खनिज	जिला	मंशा पत्र की तिथि	कुल कार्य दिवस
सर्वश्री पारस माइन्स एण्ड मिनरल्स	14/15	6.1.15	क्वार्टज फैल्सपार	अजमेर	12.01.15	6
श्री अमित शर्मा	5/15	8.1.15	व्हाईट क्ले	करौली	12.01.15	2
श्रीमति राजेश्वरी देवी	1/15	5.1.15	व्हाईट क्ले	करौली	12.01.15	5
श्रीमति राजेश्वरी देवी	2/15	5.1.15	सिलिका सेन्ड	करौली	12.1.15	5
श्री भगवती सिंह	3/15	6.1.15	व्हाईट क्ले	करौली	9.1.15	4
श्री अंकित शर्मा	4/15	6.1.15	व्हाईट क्ले	करौली	9.1.15	4

इसी प्रकार नागौर जिले में पी.एल. 14/14 19/14, 17/14 में प्रस्ताव दिनांक 07.01.2015 को खनि अभियन्ता द्वारा प्रेषित किये गये एवं दिनांक 12.01.15 को पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृति के आदेश जारी हुए।

उपरोक्त प्रकरणों में एवं सी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 12.01.2015 को जारी मंशा पत्र/स्वीकृति आदेश निरस्त कर आवेदन पत्र आयोग्य घोषित किये जा चुके हैं।

भानू प्रकाश एटरू प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल	डी.एस. मारू निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान	डा. टी.आर. अग्रवाल वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू-विज्ञान	आर.के. हीरात अति0 निदेशक, खान, जयपुर

परिशिष्ट–4.2

सत्यमेव जयते

राज्यपाल, राजस्थान
GOVERNOR OF RAJASTHAN

No. 7233 Dated:17.10.2015

ORDER

In exercise of powers conferred under section 18(3) of Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973, I, Kalyan Singh, the Governor of Rajasthan hereby order the Lokayukta, Rajasthan, to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects :

1. To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry.

Kalyan Singh

(Kalyan Singh)

Dated: 17.10.2015

No. 7234
Copy to:-
1. Chief Secretary, Govt. of Rajasthan.
2. Principal Secretary, Mines, Govt. of Rajasthan.
3. Secretary, Lokayukta, Rajasthan.
4. Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
5. S.A. to State Minister, Mines, Govt. of Rajasthan.

Principal Secretary to Governor

परिशिष्ट–4.3

सत्यमेव जयते

SECRET/MOST URGENT

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

The Principal Secretary to Govt.
Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

F.25(1)/LAS/2015/24967 28/10/15

Sub: Regarding original record relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015

Sir,

I am directed to state that in exercise of powers conferred under section 18(3) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 Hon'ble Governor of Rajasthan has directed vide order No.7233 dated 17.10.15 (copy enclosed) the Lokayukta to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects:-

1. To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry.

You are, therefore, requested to send the entire original record/files relating to the entire allotment process in question and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 immediately.

Yours faithfully

Sd/-01.01.16
(Dr.P.K.Jain)

Principal Secretary

Encl: As above.

परिशिष्ट–4.4

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.49(9)लोआस/2013/25339 दिनांक–30.10.15

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– सचिवालय परिसर स्थित विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तरी–पूर्वी भाग का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि के सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया से संबंधित मामलों, मंशा–पत्र (**Lols**) तथा स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्र (**PLs**), में किये गये कृत्य एवं विलोप या अनुचित व्यवहार की जांच करने तथा इस हेतु संबंधित का दायित्व निर्धारण करने तथा जांच में पायी गयी कमियों की पुनरावृति नहीं हो इसके लिए भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सुझाव देने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में खनिज विभाग से काफी संख्या में संबंधित पत्रावलियां इस सचिवालय को जांच हेतु प्राप्त होगी तथा उक्त जांच कार्य के सम्पादन हेतु खनिज आवंटन से संबंधित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं भी लेना आवश्यक होगा।

वर्तमान में लोकायुक्त सचिवालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीगण के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर-पूर्वी भाग का कब्जा लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये जाने तथा पंचायत राज विभाग के प्रथम तल के कार्यालयों को द्वितीय मंजिल पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए द्वितीय तल पर निर्माण कराये जाने हेतु रू. 150.47 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख सैतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य में समय लगने की संभावना है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2015 (प्रति संलग्न) को वन भवन, वानिकी पथ, जयपुर का आवंटन पंचायती राज विभाग को किया गया है। विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित पंचायती राज विभाग के निर्माण खण्ड को रिक्त पड़े उक्त वन भवन में तुरंत स्थानान्तरित किया जा सकता है। अतः खनिज विभाग से संबंधित जांच की प्रकृति की देखते हुए एवं जांच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा तुरंत लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

भवदीय,
Sd/-30.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.5

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/27531
जयपुर, दिनांक–19.11.15

प्रिय श्री राजन साहब,

मैं आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.2015 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग की दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि के खानों के सम्पूर्ण आवंटन की जांच करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में काफी संख्या में पत्रावलियां प्राप्त हुई है तथा उक्त जांच कार्य के निष्पादन हेतु संबंधित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर–पूर्वी भाग का कब्जा लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये जाने तथा पंचायत राज विभाग के प्रथम तल के कार्यालयों को द्वितीय मंजिल पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उक्त जांच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जांच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित।

भवदीय,
Sd/-19.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.6

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/31175
जयपुर, दिनांक–15.12.15

प्रिय श्री राजन साहब,

मैं आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.15 एवं अ.शा. स्मरण–पत्र दिनांक 19.11.15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग की दिनांक 01.11.14 से 12.01.15 की अवधि के खानों के सम्पूर्ण आवंटन की जांच करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में काफी संख्या में पत्रावलियां प्राप्त हुई है तथा उक्त जांच कार्य के निष्पादन हेतु संबंधित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.15 को वन भवन वानिकी पथ, जयपुर का आवंटन पंचायती राज विभाग को किया गया है, जिसके क्रियान्वयन में विलम्ब होने की संभावना को देखते हुए विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित पंचायती राज विभाग के निर्माण खण्ड को रिक्त पड़े वन भवन में तुरन्त स्थानान्तरित किया जा सकता है।

उक्त जांच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जांच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित।

भवदीय,
Sd/-15.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.7

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/33050
जयपुर, दिनांक–01.01.2016

प्रिय श्री राजन साहब,

मैं आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.15 एवं अ.शा. स्मरण–पत्र दिनांक 19.11.2015 एवं 15.12.2015 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

खनिज विभाग की जाँच से सम्बन्धित काफी संख्या में पत्रावलियां इस सचिवालय को प्राप्त हुई हैं तथा उक्त जाँच कार्य के निष्पादन हेतु संबंधित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

उक्त जांच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है जिसे माननीय लोकायुक्त महोदय ने गम्भीरता से लिया है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जांच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु प्रस्तावित स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित

शुभेच्छु
Sd/-01.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.8

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28674, 28676, 28678–679–680 दिनांक–27.11.15

विषयः– पंचायती राज विभाग के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड का रिक्त कब्जा दिलवाए जाने के क्रम में।

सन्दर्भः– 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दि. 17.10.2015
2. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.7.13 का कार्यवाही विवरण।
3. राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग का आदेश क्रमांक प. 26(1)साप्र/2/2014 जयपुर दि. 16.9.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र (LOIs) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों (PLs) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया हैः–

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रकिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जांच के साथ–साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जांच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार इस कार्यालय में आने वाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। उक्त सन्दर्भित जांच से सम्बन्धित लगभग 800 पत्रावलियां इस सचिवालय को प्राप्त हो चुकी है तथा शेष पत्रावलियों का आना जारी है। उक्त सभी पत्रावलियों में महत्वपूर्ण

दस्तावेजात भी सम्मिलित है। इन पत्रावलियों को इस सचिवालय में सुरक्षित रखने एवं इनके संधारण के साथ-साथ इन पत्रावलियों में जांच एवं वांछित कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिकारीगण व कर्मचारीगण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय में पूर्व से चली आ रही स्थान की कमी के कारण सन्दर्भ सं.2 के तहत वर्णित कार्यवाही विवरण के अनुसार पंचायती राज विभाग के प्रथम तल पर स्थित पूर्वी खण्ड पर स्थित भवन भी इस सचिवालय के लिए आवंटित किया गया था। साथ ही सन्दर्भ सं.3 में वर्णित राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 16.9.15 के तहत पंचायतीराज विभाग को वानिकी पथ स्थित वन भवन आवंटित कर दिया गया है जिसका कब्जा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस सचिवालय की आवश्यकता की पूर्ति पंचायती राज विभाग के पास जो स्थान है, उसमें से केवल प्रथम तल के पूर्वी ओर स्थित खण्ड को दिए जाने मात्र से हो सकेगी।

अतः सन्दर्भ सं.1 से 3 की फोटोप्रतियाँ संलग्न कर निवेदन है कि इस सचिवालय को, जो पूर्व से ही स्थानाभाव से ग्रस्त है, उक्त खान विभाग के मामलात से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त भवन की तुरन्त आवश्यकता के मद्देनजर पंचायतीराज विभाग से इस भवन-विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों को शीघ्रातिशीघ्र खाली कराया जाकर इनका कब्जा इस सचिवालय को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Sd/-27.11.15
सचिव

परिशिष्ट–4.9

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/34664–34668 दिनांक–13.01.16

विषयः– पंचायती राज विभाग के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड का रिक्त कब्जा दिलवाए जाने के क्रम में।

प्रसंगः– 1– इस सचिवालय का पूर्व पत्र कमांकः 25(1)लोआस/2015/28674 दिनांक 27.11.15

प्रसंगः– 2 इस सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव महोदय को लिखे गये पत्र कमांक एफ. 49(9)लोआस/2015, दिनांक 30.10.15 व अ.शा. पत्र दिनांक 19.11.15, 15. 12.15 एवं दिनांक 1.1.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 17.10.2015 द्वारा 1 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र (LOIs) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों (PLs) आदि की जांच माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा सम्पादित किये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

उक्त जांच कार्य तथा इससे जुड़ी वांछित कार्यवाही सम्पादित करने के लिए अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होने के तथ्यों के उल्लेख के साथ इस सचिवालय में पूर्व से ही चली आ रही स्थानाभाव की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.7.13 में लिए गए निर्णयानुसार लोकायुक्त सचिवालय के वर्तमान भवन से जुड़े हुए पंचायती राज भवन के विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों का शीघ्रातिशीघ्र कब्जा इस सचिवालय को संभलाने के लिए निर्देशित किए जाने हेतु सुसंगत प्रपत्रों के साथ इस सचिवालय के संदर्भित पत्र–1 के द्वारा निवेदन किया गया था। इसी विषय में संदर्भित पत्र संख्या 2 के तहत

वर्णित पत्रों द्वारा मुख्य सचिव महोदय को भी निवेदन किया गया है किन्तु इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अभी तक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि उक्त जांच से संबंधित करीब 1500 पत्रावलियां इस सचिवालय में प्राप्त हो चुकी हैं तथा संबंधित अभिलेख आना जारी हैं। जांच कार्य हेतु वांछित स्टाफ का मामला भी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय की अपेक्षा है। प्राप्त 1500 पत्रावलियां में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न हैं जिनके सुरक्षित रख-रखाव एवं जांच कार्य सम्पादित किए जाने हेतु स्वीकृत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना अति-आवश्यक हो गया है जिससे उक्त जांच कार्य को प्रारम्भ कर इसे प्रभावी रूप से सम्पादित किया जा सके।

इस संदर्भ में यह भी निवेदन है कि विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरें इस सचिवालय के वर्तमान भवन से जुड़े हुए हैं। अतः प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यवस्था हेतु सुविधा की दृष्टि से उक्त वांछित स्थान इस जांच कार्य हेतु अन्य सभी स्थानों की तुलना में सर्वाधिक उपयोगी एवं सुविधानजक होने के कारण इसी स्थान विशेष को उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

अतः संदर्भित पत्र 1 व 2 की प्रतियां प्रेषित कर पत्र में वर्णित पंचायती राज से विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों को शीघ्रातिशीघ्र खाली कराया जाकर, इनका कब्जा इस सचिवालय को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया जाना निवेदित है ताकि महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेशों की पालना में जांच कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

कुपया इसे प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-13.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पूर्व पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Sd/-13.01.16

सचिव

परिशिष्ट–4.10

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28662 दिनांक–27.11.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र (LOIs) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों (PLs) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया हैः–

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रक्रिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जांच के साथ–साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जांच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

महामहिम राज्यपाल के उक्त आदेशानुसार इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का है तथा इस सचिवालय के नियमित कार्य से हटकर पूर्णतः एक अतिरिक्त कार्य है। प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार कार्यालय में आनेवाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य तकनीकी प्रकृति का है जिसके लिए वर्तमान में इस सचिवालय में वांछित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिकारीगण/कर्मचारीगण नियुक्त किए जाने हेतु निम्न पदों की आवश्यकता

है ताकि इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध समतुल्य वेतन श्रृंखला के तकनीकी विशेषज्ञ/अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की सेवाएं नियमानुसार ली जा सकें:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	01	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	01	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
5.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	02	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त बृहद एवं महत्वपूर्ण जांच कार्य के शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र कराया जाना निवेदित है।

कुपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.11

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
कार्मिक (क–3) विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28663 दिनांक–27.11.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र (LOIs) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों (PLs) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया हैः–

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रक्रिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जांच के साथ–साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जांच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

महामहिम राज्यपाल के उक्त आदेशानुसार इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का है तथा इस सचिवालय के नियमित कार्य से हटकर पूर्णतः एक अतिरिक्त कार्य है। प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार कार्यालय में आनेवाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य तकनीकी प्रकृति का है जिसके लिए वर्तमान में इस सचिवालय में वांछित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिकारीगण/कर्मचारीगण नियुक्त किए जाने हेतु निम्न पदों की

आवश्यकता है ताकि इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध समतुल्य वेतन श्रृंखला के तकनीकी विशेषज्ञ/अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की सेवाएं नियमानुसार ली जा सकें:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	01	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	01	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
5.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	02	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त बृहद एवं महत्वपूर्ण जांच कार्य के शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र कराया जाना निवेदित है।

कुपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.12

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/29547 दिनांक–03.12.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 28662 दिनांक 27.11.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के अन्तर्गत वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य वृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के तहत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पत्र में संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के एक–एक नवीन पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन प्राप्त होने वाली पत्रावलियों की संख्या एवं इनकी समीक्षा करने पर यह स्थिति प्रकट हुई है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के दो–दो पदों की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी।

इस स्थिति के मद्देनजर निम्नलिखित नवीन पदों का सृजन किया जाना वांछित हैः–

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला

1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त वृहद एवं महत्वपूर्ण जांच कार्य के शीघ्र एवं सुचारू रूप से निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र कराया जाना निवेदित है।

कुपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-03.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.13

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग (क–3),
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/29549 दिनांक–03.12.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 28663 दिनांक 27.11.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के अन्तर्गत वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य वृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के तहत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पत्र में संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के एक–एक नवीन पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन प्राप्त होने वाली पत्रावलियों की संख्या एवं इनकी समीक्षा करने पर यह स्थिति प्रकट हुई है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के दो–दो पदों की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी।

इस स्थिति के मद्देनजर निम्नलिखित नवीन पदों का सृजन किया जाना वांछित हैः–

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400–67000(8700)
2.	उप सचिव	02	15600–39100(7600)

3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त वृहद एवं महत्वपूर्ण जांच कार्य के शीघ्र एवं सुचारू रूप से निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र कराया जाना निवेदित है।

कुपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-03.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.14

सत्यमेव जयते

Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

Minutes of the Meeting

A meeting was held in the chamber of Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj. Jaipur on 04.01.2016 at 4.30 PM to discuss the requirement of Staff vis-a-vis quantum of work in the Context of order of DOP dated 28.12.2015 relating to mines enduiry enclosing the notes of Finance Department regarding requirement of staff relating to enquiry of allotment of mines entrusted to Hon'ble Lokayukta by H.E. the Governor of Rajasthan by order dated 17.10.2015. The following officers attended the meeting:

1. Dr. Padam Kumar Jain, Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
2. Shri Deepak Upreti, Principal Secretary, Mines Department, Raj.
3. Shri.P.C. Jain, Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
4. Shri R. K. Bansal, Joint Secretary-l, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
5. Shri B.L. Gupta, OSD(J), Lokayukta Sachivalaya, Raj.
6. Shri Uma Shankar Sharma, Deputy Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.

After considering the various aspects and detailed discussions regarding the volume of work relating to the enduiry entrusted by H.E. the Governor of Rajasthan vide order dated 17.10.2015 to Hon'ble Lokayukta, it was observed that the present Staff of Lokayukta Sachivalaya cannot be spared to deal with the task of said enquiry looking to the Volume of work already existing with the Lokayukta Sachivalaya.

The Committee is of considered opinion that the said enquiry will go through a long process of examination of relevant record, Acts, rules, regulations, circulars of Central and State Government in force at the relevant time. Apart from that, the record will be Scanned and witnesses will have to be examined for each step involved in the process of allotment of mines. The other related works like Survey of allotted mines, public grievances in this behalf will further add to the volume of work.

Shri Deepak Upreti. Principal Secretary, Mines Department agreed that for the purpose of conducting the said enquiry, the requirement of following Staff in the various Cadres will be just, proper and minimal to the cause:

1.	Joint Secretary	:	Two
2.	Deputy Secretary	:	Two
3.	Assistant Secretary	:	Two
4.	Draftsman	:	One
5.	Section Officer	:	One
6.	Assistant Programmer (Computer)	:	One

7.	Informatics Assistant (I.A.)	:	Eight
8.	Clerk Grade-II	:	Three
9.	Class-IV employee	:	Five

The committee recommends that the letter of DOP dated 28.12.2015 enclosing note 148-149/N be replied accordingly.

The meeting ended with the vote of thanks.

(Deepak Upreti)
Principal Secretary, Mines

(Dr. Padam Kumar Jain)
Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya

परिशिष्ट-4.15

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/33502 दिनांक-05.01.16

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः- 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 295547 दिनांक 03.12.2015
3. कार्मिक विभाग का पत्र क्रः प.(6)(9)का/क-3/शिका/13 दि. 28.12.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के द्वारा अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पर आपके कार्मिक विभाग के संदर्भित पत्र संख्या 3 के द्वारा वित्त विभाग की इस संदर्भ में की गई टिप्पणी की प्रति संलग्न करते हुए इस सचिवालय की टिप्पणी चाही गई है।

वित्त विभाग की उक्त संलग्न टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति से पूर्व माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा खान विभाग के अधिकारीगण के साथ विचार-विमर्श कर प्रश्नगत जांच कार्य के परिमाण(Quantam) के संबंध में आंकलन कर लिया जावे एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने की स्थिति में तद्नुसार इस संदर्भ में प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

इस संदर्भ में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 4.1.2016 को खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ मीटिंग की गई जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश (संदर्भ संख्या 1) में वर्णित जांच कार्य के

परिमाण(Quantam) एवं तद्नुसार वांछित अतिरिक्त पदों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई (मीटिंग की कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है)।

समिति के सदस्यगण के साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के द्वारा प्रश्नगत जांच कार्य के संदर्भ में यह व्यक्त किया गया कि इस सचिवालय में उक्त जांच कार्य से संबंधित प्राप्त हुई करीब 1500 पत्रावलियों में जांच कार्य के दौरान खान आवंटन संबंधी रिकार्ड तथा तत्समय प्रभावी अधिनियम, नियम, विनियम एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का गहनता से परीक्षण करना होगा। इसके अलावा खान आवंटन से संबंधित प्रत्येक स्तर की कार्यवाही के संदर्भ में संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य रिकार्ड करने के साथ-साथ आवंटित खानों का सर्वेक्षण एवं इस संदर्भ में आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं की जांच आदि विविध कार्य तथा इन सब का डाटा भी संकलित करना होगा।

इस प्रकार प्रश्नगत जांच कार्य सम्पादित किये जाने हेतु इस सचिवालय के अधिकारीगण के साथ-साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा न्यूनतम निम्नलिखित पदों की स्वीकृति उचित एवं आवश्यक बताई गई है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(9500)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01	9300-34800(3600)
7.	सूचना सहायक	08	5200-20200(2800)
8.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः संदर्भित पत्र संख्या 1 से 3 एवं मीटिंग दिनांक 04.01.2016 की कार्यवाही विवरण संलग्न करते हुए संदर्भित पत्र संख्या 3 के साथ संलग्न वित्त विभाग की टिप्पणी में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में वाछित कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत जांच कार्य के परिमाण(Quantam) का खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के आंकलन के साथ वांछित पदों की आवश्यकता के मद्देनजर उक्त वर्णित पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर से अतिशीघ्र प्रदान कराया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

Sd/-05.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.16

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग (क-3),
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/33503 दिनांक-05.01.16

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः- 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 295549 दिनांक 03.12.2015
3. कार्मिक विभाग का पत्र क्रः प.(6)(9)का/क-3/शिका/13 दि. 28.12.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जांच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के द्वारा अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पर आपके संदर्भित पत्र संख्या 3 के द्वारा वित्त विभाग की इस संदर्भ में की गई टिप्पणी की प्रति संलग्न करते हुए इस सचिवालय की टिप्पणी चाही गई है।

वित्त विभाग की उक्त संलग्न टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति से पूर्व माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा खान विभाग के अधिकारीगण के साथ विचार-विमर्श कर प्रश्नगत जांच कार्य के परिमाण(Quantam) के संबंध में आंकलन कर लिया जावे एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने की स्थिति में तद्नुसार इस संदर्भ में प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

इस संदर्भ में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 4.1.2016 को खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ मीटिंग की गई जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश (संदर्भ संख्या 1) में वर्णित जांच कार्य के परिमाण(Quantam) एवं तद्नुसार वांछित अतिरिक्त पदों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई (मीटिंग की कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है)।

समिति के सदस्यगण के साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के द्वारा प्रश्नगत जांच कार्य के संदर्भ में यह व्यक्त किया गया कि इस सचिवालय में उक्त जांच कार्य से संबंधित प्राप्त हुई करीब 1500 पत्रावलियों में जांच कार्य के दौरान खान आवंटन संबंधी रिकार्ड तथा तत्समय प्रभावी अधिनियम, नियम, विनियम एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का गहनता से परीक्षण करना होगा। इसके अलावा खान आवंटन से संबंधित प्रत्येक स्तर की कार्यवाही के संदर्भ में संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य रिकार्ड करने के साथ-साथ आवंटित खानों का सर्वेक्षण एवं इस संदर्भ में आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं की जांच आदि विविध कार्य तथा इन सब का डाटा भी संकलित करना होगा।

इस प्रकार प्रश्नगत जांच कार्य सम्पादित किये जाने हेतु इस सचिवालय के अधिकारीगण के साथ-साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा न्यूनतम निम्नलिखित पदों की स्वीकृति उचित एवं आवश्यक बताई गई है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(9500)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01	9300-34800(3600)
7.	सूचना सहायक	08	5200-20200(2800)
8.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः संदर्भित पत्र संख्या 1 से 3 एवं मीटिंग दिनांक 04.01.2016 की कार्यवाही विवरण संलग्न करते हुए संदर्भित पत्र संख्या 3 के साथ संलग्न वित्त विभाग की टिप्पणी में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में वाछित कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत जांच कार्य के परिमाण(Quantam) का खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के आंकलन के साथ वांछित पदों की आवश्यकता के मद्देनजर उक्त वर्णित पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर से अतिशीघ्र प्रदान कराया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

Sd/-05.01.16

(डॉ. पदम कुमार जैन)

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.17

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका) विभाग

क्रमांकः प. 6(9)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांकः 27.01.2016

आदेश

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र तथा स्वीकृत किये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों की जांच का कार्य सम्पादित करने हेतु दिनांक 28.02.2017 अथवा उक्त जांच कार्य पूर्ण होने, जो भी पूर्व में हो, तक लोकायुक्त सचिवालय के बजट मद 2062–00–103–(01)–[00]–(NP) में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के 20 नवीन पदों का सृजन अस्थायी रूप से किये जाने तथा प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने एवं 05 **Home Guard/Rexco/Retired class-iv employees** की सेवाएं अनुबन्ध पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	पदनाम/सेवा	प्रस्तावित नवीन पदों की संख्या	पे बेण्ड	ग्रेड पे	विशेष विवरण
1.	संयुक्त सचिव	02	37400–67000	रू. 9500	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	उप सचिव	02	15600–39100	रू. 7600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
3.	सहायक सचिव	02	15600–39100	रू. 6600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300–34800	रू. 5400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300–34800	रू. 4800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्युटर)	01	9300–34800	रू. 3600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
7.	सूचना सहायक	08	5200–20200	रू. 2800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
8.	लिपिक ग्रेड–II	03	5200–20200	रू. 2400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	–	–	Services of Home Guard/Rexco/Retired class-iv employees may be obtained
	योग	20 नवीन पद + 5 अन्य			

उपरोक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 101600091 दिनांक 21.01.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर दी जाती है।

राज्यपाल महोदय के आदेश से
Sd/-
(विवेक कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
2. सचिव, (I/II), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. वित्त बजट विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(भवानी शंकर)
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट–4.18

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.25(1)लोआस/2015/36709 दिनांक–28.01.16

प्रेषितः–

सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जांच कार्य हेतु स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर लोकायुक्त सचिवालय के सेवानियमों के तहत भरे जाने बाबत।

सन्दर्भः– कार्मिक (क–3/शिका) विभाग का आदेश संख्या– प.6(9)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक 27.01.16

महोदय,

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रकिया, जारी किए गए मंशा पत्र तथा स्वीकृत किए पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों की जांच का कार्य सम्पादित करने हेतु प्रासंगिक आदेश में निम्न प्रकार कुल 25 पद स्वीकृत किए गए हैंः–

क्रम सं.	पदनाम/सेवा	स्वीकृत नवीन पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	02
2.	उप सचिव	02
3.	सहायक सचिव	02
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01
5.	अनुभागाधिकारी	01
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01
7.	सूचना सहायक	08
8.	लिपिक ग्रेड–II	03
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05

उक्त पदों में क्रम संख्या–9 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पांच पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के विरूद्ध विशेष विवरण के तहत ''प्रतिनियुक्ति पर'' का अंकन किया गया है।

इस संबंध में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय को उक्त खान आवंटन संबंधी जांच कार्य हेतु विशेष तकनीकी योग्यताधारी एवं अनुभवी अधिकारीगण/कर्मचारीगण को लेना होगा, जो शीघ्र एवं सुगमता से राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर मिलना काफी कठिन है।

उक्त स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों के संदर्भ में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानियम प्रभावी हैं:–

1. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
2. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
3. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्ते) नियम, 2013

उक्त सेवानियमों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सेवारत अधिकारीगण राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं तथा साथ ही उचित योग्यताधारी एवं अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को नियुक्त किए जाने के प्रावधान भी विद्यमान हैं। इस प्रकार क्रम संख्या–4, 6 एवं 7 को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों को लोकायुक्त सचिवालय के उपरोक्त संबंधित सेवानियमों के प्रावधानों के तहत वांछित अनुभव एवं योग्यताधारी अधिकारीगण/कर्मचारीगण से बिना विलम्ब के भरा जा सकता है, जिससे सुपुर्द किए गए उक्त खान आवंटन संबंधी जांच कार्य के प्रभावी रूप से निस्तारण को गति मिल सकेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के संबंध में निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पांच पद होमगार्ड/रेक्सको/सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भरे जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के स्वीकृत पदों के संबंध में रेक्सको द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र दिया गया है तथा निदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा होमगार्ड से कुल आठ घंटे की ड्यूटी लिए जाने एवं प्रत्येक माह इनकी ड्यूटी बदले जाने के साथ–साथ अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार एक ओर उपलब्ध होने वाले होमगार्ड का पारिश्रमिक इस सचिवालय में वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिए जा रहे वेतन से काफी अधिक होने, इनका ड्यूटी समय इस सचिवालय के कार्यालय समय से कम होने तथा दूसरी ओर होमगार्ड की ड्यूटी हर माह बदले जाने से इनकी सेवाएं इस सचिवालय के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। इसी संदर्भ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूर्व में स्वीकृत पांच पदों को एजेंसी के माध्यम

से संविदा पर लिए जाने हेतु प्रस्ताव आपको प्रेषित किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में इन पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना भी निवेदित है।

अतः प्रासंगिक आदेश की फोटोप्रति संलग्न करते हुए क्रम संख्या 1,2,3,5,8 पर वर्णित पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के तहत भरे जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में अंकित ''प्रतिनियुक्ति'' को हटाते हुए इन पदों को इस सचिवालय के उक्त संबंधित सेवानियमों के तहत भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु संशोधित स्वीकृति शीघ्र जारी किया जाना निवेदित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
Sd/-28.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.19

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.25(1)लोआस/2015/36710 दिनांक-28.01.16

प्रेषितिः-

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3/शिका) विभाग
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धि प्रकरणों की जांच कार्य हेतु स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर लोकायुक्त सचिवालय के सेवानियमों के तहत भरे जाने बाबत।

सन्दर्भः- कार्मिक (क-3/शिका) विभाग का आदेश संख्या- प.6(9)का/क-3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक 27.01.16

महोदय,

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रकिया, जारी किए गए मंशा पत्र तथा स्वीकृत किए पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों की जांच का कार्य सम्पादित करने हेतु प्रासंगिक आदेश में निम्न प्रकार कुल 25 पद स्वीकृत किए गए हैः-

क्रम सं.	पदनाम/सेवा	स्वीकृत नवीन पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	02
2.	उप सचिव	02
3.	सहायक सचिव	02
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01
5.	अनुभागाधिकारी	01
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्युटर)	01
7.	सूचना सहायक	08
8.	लिपिक ग्रेड-II	03
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05

उक्त पदों में क्रम संख्या-9 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पांच पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के विरूद्ध विशेष विवरण के तहत ''प्रतिनियुक्ति पर'' का अंकन किया गया है।

इस संबंध में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय को उक्त खान आवंटन संबंधी जांच कार्य हेतु विशेष तकनीकी योग्यताधारी एवं अनुभवी अधिकारीगण/कर्मचारीगण को लेना होगा, जो शीघ्र एवं सुगमता से राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर मिलना काफी कठिन है।

उक्त स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों के संदर्भ में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानियम प्रभावी हैं:-

1. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
2. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
3. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्ते) नियम, 2013

उक्त सेवानियमों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सेवारत अधिकारीगण राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं तथा साथ ही उचित योग्यताधारी एवं अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को नियुक्त किए जाने के प्रावधान भी विद्यमान हैं। इस प्रकार क्रम संख्या-4, 6 एवं 7 को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों को लोकायुक्त सचिवालय के उपरोक्त संबंधित सेवानियमों के प्रावधानों के तहत वांछित अनुभव एवं योग्यताधारी अधिकारीगण/कर्मचारीगण से बिना विलम्ब के भरा जा सकता है, जिससे सुपुर्द किए गए उक्त खान आवंटन संबंधी जांच कार्य के प्रभावी रूप से निस्तारण को गति मिल सकेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के संबंध में निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणीं कर्मचारी के पांच पद होमगार्ड/रेक्सको/सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भरे जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के स्वीकृत पदों के संबंध में रेक्सको द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है तथा निदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा होमगार्ड से कुल आठ घंटे की ड्यूटी लिए जाने एवं प्रत्येक माह इनकी ड्यूटी बदले जाने के साथ-साथ अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार एक ओर उपलब्ध होने वाले होमगार्ड का पारिश्रमिक इस सचिवालय में वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिए जा रहे वेतन से काफी अधिक होने, इनका ड्यूटी समय इस सचिवालय के कार्यालय समय से कम होने तथा दूसरी ओर होमगार्ड की ड्यूटी हर माह बदले जाने से इनकी सेवाएं इस सचिवालय के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। इसी संदर्भ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूर्व में स्वीकृत पांच पदों को एजेंसी के माध्यम

से संविदा पर लिए जाने हेतु प्रस्ताव आपको प्रेषित किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में इन पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना भी निवेदित है।

अतः प्रासंगिक आदेश की फोटोप्रति संलग्न करते हुए क्रम संख्या 1,2,3,5,8 पर वर्णित पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के तहत भरे जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में अंकित ''प्रतिनियुक्ति'' को हटाते हुए इन पदों को इस सचिवालय के उक्त संबंधित सेवानियमों के तहत भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु संशोधित स्वीकृति शीघ्र जारी किया जाना निवेदित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
Sd/-28.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.20

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क–3/शिका) विभाग

क्रमांकः प. 6(9)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांकः 26.02.2016

आदेश

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र तथा स्वीकृत किये पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्रों की जांच का कार्य सम्पादित करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा नवीन पदों का सृजन अस्थाई रूप से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के क्रम संख्या 1 से 3, 5, 8 व 9 पर अंकित पदों के लिए निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

पदनाम	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत	संशोधित स्वीकृति
संयुक्त सचिव	2	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ लोकायुक्त सचिवालय के नियमों के तहत सेवानिवृत कार्मिकों के माध्यम से)
उप सचिव	2	
सहायक सचिव	2	
अनुभागाधिकारी	1	
लिपिक ग्रेड–II	3	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	**Service of Home Guard/REXCO/Retired class IV employees** के साथ साथ **Deputation/Reverse Deputation** पर

आदेश दिनांक 27.01.2016 में अंकित शेष पद व शर्तें यथावत रहेंगी। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 181600122 दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर दी जाती है।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

Sd/-

(विवेक कुमार)

शासन उप सचिव

अध्याय–5

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

यदि किसी कृत्य, जिसके सम्बन्ध म. कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली कोई शिकायत की गई है, या की जा सकती है अथवा की जा सकती थी, के सम्बन्ध म. अन्वेषण के पश्चात् लोकायुक्त का समाधान हो जाये, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति म. लोकायुक्त द्वारा लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सुसंगत दस्तावेज, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत अपना निष्कर्ष व सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को संसूचित (Communicate) किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवेदनाधीन अवधि म. प्रेषित अनुशंसा के प्रतिवेदना. का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. एफ.32(55)/लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, श्री सुदर्शन सेठी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं श्रीमती हंसा सिंह देव, तत्कालीन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के विभिन्न विधिक प्रावधाना. का उल्लंघन करते हुए श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा एवं उसके संचालका. को अनुचित अपहानि एवं कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी मान्यता वापस लेने की अनुशंसा करके, उस अनुशंसा के

अनुमोदन हेतु आगे प्रस्ताव प्रस्तुत करके एवं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आदेश पारित करके अपने कर्त्तव्या. के निर्वहन म. लोप व अपनी पदीय शक्तिया. का दुरूपयोग करने बाबत।

श्री चन्द्र मोहन सक्सेना, अध्यक्ष, श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा (जिसे आगे ''**करणी समिति**'' कहा जायेगा) ने दिनांक 25.03.2015 को निर्धारित प्रपत्र में एक शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी संस्था पिछले 50 वर्षों से कई सामाजिक कार्यों का निर्वहन कर रही है जिसम. एक संस्था 'बाल गृह' 6 वर्ष तक के शिशुआ. की तथा दूसरी संस्था 6-17 वर्ष के किशोरा. की देख-रेख व संरक्षण के कार्य को सम्पादित कर रही है। दिनांक 21.6.2013 को उनकी संस्था को निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने एक यूनिट (10 शिशु) 6 वर्ष तक के बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रयोजनार्थ स्थापन एजेन्सी की 5 वर्ष की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की थी तथा अब तक करणी समिति ने 850 शिशुआ. का दत्तक ग्रहण कार्य करा दिया है। इस अनुक्रम में उनकी संस्था करणी समिति ने एक बालक जगवेन्द्र का किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) के वर्ष 2004 के दिशा-निर्देशा. की पूर्ण रूप से पालना करते हुए दिनांक 5.8.2005 को बाल कल्याण समिति, कोटा की अनुमति लेकर तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा से आदेश दिनांक 24.02.2006 प्राप्त कर उसके दत्तक ग्रहण का पंजीयन कराया था। न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है।

परिवाद म. आरोप लगाया गया कि करणी समिति का दृष्टिकोण/पक्ष सुने बिना एवं जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देकर उसके सम्बन्ध में संस्था को नियमानुसार अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बिना करणी समिति की विशेष दत्तक ग्रहण एजन्सी की मान्यता निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग एवं सचिव, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन

एजेन्सी (सारा), मानसरोवर, जयपुर के आदेश दिनांक 22.3.2015 द्वारा अवैधानिक तौर पर समाप्त कर दी गई।

इस संदर्भ म. करणी समिति का कहना है कि निराश्रित बालक जगवेन्द्र, उसकी बहन पायल (7 वर्ष) एवं भाई सुखवेन्द्र (10 वर्ष 6 माह) दिनांक 22.07.2004 को बस स्टैण्ड, बूंदी पर लावारिस घूमते हुए पाये गये थे। इन तीना. बच्चा. को श्री ज्ञानचन्द जैन ने जिला परिवीक्षा अधिकारी, बूंदी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिन्हाने पूछताछ कर बच्चा. को अनाथ मानते हुए निराश्रित सम्बोधित किया व 'सुहित समिति' म. लालन-पालन हेतु अपने आदेश दिनांक 22.7.2004 द्वारा श्री ज्ञानचन्द जैन के साथ प्रेषित किया था। जिला परिवीक्षा अधिकारी, बूंदी ने अपने आदेश दिनांक 22.7. 2004 के साथ ऐसा कोई दस्तावेज 'सुहित समिति' के पास नहीं भेजा था, जिससे यह पता चले कि बच्चों की माता जीवित है। सुहित समिति के बंद हो जाने के बाद इन बच्चों को बाल कल्याण समिति, कोटा के आदेश दिनांक 30.6.2005 द्वारा करणी समिति, कोटा में भर्ती करवाया गया था। इस आदेश के साथ भी बालकों की माता के जीवित होने के सम्बन्ध में कोई कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था। इन परिस्थितियों में बालक जगवेन्द्र के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए उसे गोद दिये जाने में संस्था द्वारा नियमों का पालन किया गया था। इसके बावजूद भी उसकी मान्यता अवैधानिक तौर पर वापस लेकर संस्था को अनुचित रूप से हानि पहुँचाई गई है, अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे एवं करणी समिति की मान्यता को पुनः बहाल किया जावे।

इस परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय स्तर पर प्रथम प्रारम्भिक जांच एवं तदुपरान्त अन्वेषण सम्पादित किया गया। लोक सेवकगण श्री अरूण चतुर्वेदी, मन्त्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री सुदर्शन सेठी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकारिता

विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं श्रीमती हंसासिंह देव, तत्कालीन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को अन्वेषण के पूर्व एवं अन्वेषण के दौरान अपना प्रतिवाद एवं पक्ष करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

प्रारम्भिक जाँच एवं अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण व विवेचन के आधार पर तीनों लोक सेवकगण के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये:-

1. श्रीमती हंसा सिंह देव, तत्कालीन निदेशक तथा संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग एवं सचिव, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (सारा), मानसरोवर जयपुर ने करणी समिति की विभागीय पत्रावली में समिति की मान्यता वापस लिये जाने की कार्यवाही से पूर्व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 70(5) के उल्लंघन में सलाहकार मण्डल से अन्वेषण (thorough investigation) करवाने के बजाय अपने विभाग के अधिकारी से ही जांच करवाकर जाँच रिपोर्ट दिनांक 26.8.14 का विधिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण किये बिना नियम 70(4) एवं 70(6) में विहित आज्ञापक अवधि 30 दिन से अल्प अवधि 7 दिन का नोटिस देकर नियम विरूद्ध तरीके से तैयार की गई त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर करणी समिति की मान्यता वापस लेने की अनुशंसा कर अपने पदीय दायित्व व शक्तियों का दुरूपयोग कर करणी समिति को अनुचित अपहानि एवं संस्था के संचालकों को अवांछित कष्ट पहुँचाया। करणी समिति को जाँच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नहीं की गई जिससे उसे एतद्सम्बन्धी पूर्ण तथ्यों की जानकारी ही नहीं हो पाई कि उसके विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में क्या तथ्य हैं तथा उसके क्या आधार हैं? अतः करणी समिति को यह

पता ही नहीं था कि उनके विरूद्ध जाँच कमेटी द्वारा क्या साक्ष्य एकत्रित की गई है जिसके आधार पर उन्हें नोटिस दिया गया है।

2. श्री सुदर्शन सेठी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा करणी समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के प्रावधानों के उल्लंघन में गठित विभागीय अधिकारियों की कमेटी द्वारा प्रेषित त्रुटिपूर्ण जाँच रिपोर्ट दिनांक 26.08.2014 के आधार पर संस्था को विधि विरूद्ध नोटिस जारी कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के परिप्रेक्ष्य में विधिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण किये बिना, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 70(4), 70(5) एवं 70(6) की अनदेखी/उल्लंघन कर श्रीमती हंसा सिंह देव द्वारा करणी समिति की मान्यता वापिस लेने हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन कर पत्रावली श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लोप एवं पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर करणी समिति को अनुचित हानि एवं संस्था के संचालकों को अवांछित कष्ट पहुँचाया।

3. श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा करणी समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की विभागीय पत्रावली पर करणी समिति की मान्यता वापिस लेने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के प्रावधानों की अनदेखी कर गठित जाँच कमेटी और सुसंगत नियमों के उल्लंघन में विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट के

आधार पर दिये गए त्रुटिपूर्ण नोटिस के सम्बन्ध में विधि, नियम व तथ्यों का युक्तियुक्त विश्लेषण किये बिना किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 70(4), 70(5) एवं 70(6) के प्रावधानों का उल्लंघन/अनदेखी करते हुए विभाग द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करके करणी समिति की मान्यता वापिस लेने का आदेश पारित कर अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया जिसके कारण करणी समिति को अनुचित हानि एवं संस्था के संचालकों को अवांछित कष्ट पहुँचाया।

उल्लेखनीय है कि सलाहकार मण्डल का गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 62 के तहत किया जाना वांछित है। इस अधिनियम में प्रावधित ऐसे सलाहकार बोर्ड के गठन की प्रक्रिया कब प्रारम्भ की गई व यह प्रक्रिया अब किस प्रक्रम पर है, इससे भी इस सचिवालय को सम्बन्धित मूल पत्रावली अथवा उसकी प्रतिकृति आदि प्रस्तुत कर अवगत नहीं कराया गया है। अतः इस सचिवालय को विभाग ने अपने इस दावे के बारे में सन्तुष्ट नहीं किया है कि ऐसे सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया वास्तव में विचाराधीन थी।

अन्वेषणोपरान्त राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवकगण की सक्षम प्राधिकारी-माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 21.12.2016 के साथ अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2016 की प्रति प्रेषित कर निम्नानुसार अनुशंसा की गईः-

1. लोक सेवक श्रीमती हंसा सिंह देव, तत्कालीन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं श्री सुदर्शन सेठी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव,

सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध प्रकरण में अन्वेषणोपरान्त निकाले गये उक्त निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरूद्ध उन पर लागू नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

2. श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विरूद्ध प्रकरण में अन्वेषणोपरान्त निकाले गये निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित विधिक कार्यवाही व्यवहार में लायी जाये।

3. तत्कालीन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग एवं सचिव, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी, जयपुर द्वारा नियम विरूद्ध पारित आदेश क्रमांकः एफ.33(01)(57)बा.अ.वि./गै.स.स./बालगृह /05/50590 जयपुर दिनांक 22.3.2015 (प्रदर्श-52), जिसके द्वारा श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा की बालगृह (0-6 वर्ष की उम्र के शिशु की देखरेख हेतु) तथा स्वदेशी दत्तक ग्रहण करने हेतु प्रदत्त विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (एस.ए.ए.) की मान्यता वापस लेने का आदेश दिया गया है एवं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार को श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा की बच्चों के अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण की मान्यता वापस लेने की जो अभिशंसा की गई है, वह विधि व सम्बन्धित नियमों के विरूद्ध तथा अधिकारातीत होने के कारण अविलम्ब प्रत्याहृत (withdraw) की जाकर श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा की बालगृह (0-6 वर्ष की उम्र के शिशु की देखरेख हेतु) तथा स्वदेशी दत्तक ग्रहण करने हेतु प्रदत्त विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (एस.ए.ए.) की मान्यता तत्काल वापस बहाल की जाये। साथ ही केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार को

श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा की ''बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त, 2011'' के तहत बच्चों के अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण की मान्यता भी तत्काल बहाल करने हेतु अभिशंसा की जाये।

सक्षम प्राधिकारी को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(2) के प्रावधान के अन्तर्गत अन्वेषण प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही से प्रतिवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर अवगत करवाने हेतु भी लिखा गया।

सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित उपर्युक्त पत्र दिनांकित 21.12.2016 से छः माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अनुशंसा की पालना में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत नहीं कराये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(3) के अन्तर्गत इस प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को विशेष प्रतिवेदन (क्रमांकः एफ.32(55)/लोआस/2015/8645 जयपुर, दिनांक 30.05.2017) अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये प्रेषित किया गया है।

2. एफ.16(314)/लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री मुकेश कुमार मीणा, श्री आशीष कुमार, श्री रामावतार गुर्जर (सभी तत्कालीन आयुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), श्री नमन शर्मा, श्रीमती हंसा मीणा, श्रीमती पूजा मीणा (सभी तत्कालीन राजस्व अधिकारी, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), श्री अमित कुमार खाण्डा एवं श्री लोकेश कुमावत (तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर) द्वारा मकान नम्बर 42, श्री रामनगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर में भवन-स्वामी द्वारा बिना अनुमति के नियम-विरूद्ध जीरो सेटबेक पर अवैध निर्माण करने की शिकायत प्राप्त

होने के बावजूद नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ऐसे अवैध निर्माण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करने एवं पदीय-कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करने बाबत।

परिवादी श्री नवल किशोर जोशी से इस सचिवालय में दिनांक 04.08.14 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि मकान नम्बर 42, श्री रामनगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर के भवन-स्वामी द्वारा नगर निगम की अनुमति के विपरीत जीरो सैटबेक पर लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसकी नगर निगम में बार-बार शिकायत की जा रही है। यह निर्माण नगर निगम की सांठ-गांठ से चल रहा है। परिवाद में यह प्रार्थना की गई कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया जावे।

परिवाद के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उक्त भवन में अवैध निर्माण होने की जानकारी होने के बावजूद आरोपी लोकसेवकगण, जिनका दायित्व अवैध निर्माण को प्रारंभ में ही रोकने का था, ने दिनांक 17.06.14 को अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने के बावजूद उसे रोकने की कोई ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की तथा अवैध निर्माण को हटाने की नियमानुसार कार्यवाही भी नहीं की। इसलिये आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा प्रतिरक्षा में मौखिक एंव प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्ष :</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक/प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री आशीष कुमार, श्री रामावतार गुर्जर, श्री नमन शर्मा, श्री लोकेश कुमावत, श्री अमित कुमार खाण्डा, श्रीमती हंसा मीणा व श्रीमती पूजा मीणा के विरूद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया गया, परन्तु आरोपी लोकसेवक श्री मुकेश कुमार मीणा, तत्कालीन आयुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर (वर्तमान उप-सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि मकान नम्बर 42, श्री रामनगर-ए, झोटवाड़ा, जयपुर के भवन-स्वामी द्वारा बिना अनुमति के नियम-विरूद्ध जीरो सैटबेक पर अवैध निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने के बावजूद उन्होनें ऐसे अवैध निर्माण को हटाने अथवा ध्वस्त करने हेतु नगर पालिका अधिनियम, 2009 में प्रावधित नियमों के अधीन नियमानुसार कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर अपने पदीय-दायित्व के निर्वहन में लोप किया।

<u>अनुशंसाः</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री मुकेश कुमार मीणा, तत्कालीन आयुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर (वर्तमान उप-सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर) के सक्षम प्राधिकारी-माननीय प्रभारी मंत्री, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 16(314)लाओस/2014/अन्वेषण/9158 दिनांक 03.06.2016 से भेज कर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई। अन्य आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें आरोपों से उन्मोचित कर अन्वेषण बंद करने की सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी-माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.16(314)लाओस/2014/अन्वेषण/9159

दिनांक 03.06.2016 से प्रेषित की गई तथा उपर्युक्त लोकसेवकगण को व्यक्तिगत रूप से भी पत्र भेज कर सूचित किया गया।

उपरोक्त श्री मुकेश कुमार मीणा के विरूद्ध की गई अनुशंसा की पालना में शासन उप-सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 18.04.17 की प्रति इस सचिवालय को भेजी गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उनकी ओर से बारम्बार पत्र भेजकर आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव/अभिलेख प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवाने हेतु लिखा गया है। इसी सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से पत्र क्रमांक 4177 दिनांक 09.12.16 से यह अवगत कराया गया है कि आरोपी लोकसेवक श्री मुकेश मीणा से स्पष्टीकरण चाहा गया है जिस पर उन्होंने सुनवाई का अवसर चाहा है। प्रकरण में निर्णय होने पर अवगत करा दिया जायेगा। आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही की आगामी प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित है।

3. एफ.16(797)/लोआस/2015

लोकसेवकगण श्रीमती बबीता चौहान, तत्कालीन सभापति, नगर परिषद, ब्यावर एवं श्री मुरारीलाल वर्मा, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर द्वारा भू-खण्ड संख्या 4/398, आर्य समाज गली, ब्यावर के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194(5) का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गलत रूप से निर्माण स्वीकृति जारी कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री ओम प्रकाश काबरा, प्रधान, दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर की ओर से इस सचिवालय में दिनांक 20.01.2016 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि श्री मुरलीधर व अन्य के आवेदन-पत्र पर भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.07.11 में इस शर्त पर भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी गई थी कि पार्किंग की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित सेटबैक अनुसार मानचित्र स्वीकृत करवाकर निर्माण किया जावे। इसी क्रम में आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.04.2013 को रोड़ मध्य से बीस फीट रखते हुए व आवेदक से 11 फीट सरेंडर करवाते हुए आगे 20 फीट, पीछे व साइड में 10-10 फीट सेटबैक रखा जाकर मानचित्र दिनांक 02.04.13 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन श्री सुनील जैथलिया, श्री मुरलीधर व अन्य ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए नगर परिषद, ब्यावर के सभापति, आयुक्त व अन्य कार्मिकों से मिलीभगत करते हुए पुनः दिनांक 04.12.14 को नई पत्रावली लगाई जिसमें सभापति व आयुक्त द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्तों एवं पूर्व में स्वीकृत मानचित्र को नजरअंदाज करते हुए आवेदकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एवं स्वयं के हितों की पूर्ति कर भारी भ्रष्टाचार करते हुए दिनांक 05.10.15 को सेटबैक एरिया को हटाकर मानचित्र स्वीकृत कर दिया। शिकायत में यह प्रार्थना भी की गई कि भ्रष्ट आयुक्त एवं सभापति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियम विरूद्ध मानचित्र को खारिज करवाया जावे।

परिवाद के संबंध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात आदि का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि सभापति एवं तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर द्वारा अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है, इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त

तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्रीमती बबीता चौहान, सभापति एवं श्री मुरारीलाल वर्मा, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा भू-खण्ड संख्या 4/398, आर्य समाज गली, ब्यावर के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194(5) का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गलत रूप से निर्माण स्वीकृति जारी कर पदीय-शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है।

अनुशंसा:

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्रीमती बबीता चौहान, सभापति, नगर परिषद ब्यावर के सक्षम प्राधिकारी/मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ.16(797)लाओस/2015/u/s12/51500 दिनांक 23.03.17 से एवं आरोपी लोकसेवक श्री मुरारीलाल वर्मा (आर.ए.एस.), तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के सक्षम प्राधिकारी (मुख्यमंत्री महोदया, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर) को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक

एफ.16(797)लाओस/2015/u/s12/51501 दिनांक 23.03.17 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई। इसके साथ ही मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर एवं निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को यह भी अनुशंसा की गई कि भू-खण्ड संख्या 4/398, आर्य समाज गली, ब्यावर जिला अजमेर के लिये जारी की गई अधिकारातीत एवं नियम-विरूद्ध निर्माण स्वीकृति को अब आगे किसी भी निर्माण के लिये अवैध घोषित किया जाये तथा इस गलत निर्माण स्वीकृति के अनुक्रम में भविष्य में कोई निर्माण/अवैध निर्माण न होने दिया जाये।

4. एफ.16(08)/लोआस/2009

लोकसेवकगण श्री शशि कुमार पारीक, तत्कालीन आयुक्त, श्री प्रमोद कुम्हार, तत्कालीन आयुक्त, श्री एन. के. अजमेरा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री देशबन्धु शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री रामचंद्र सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, श्री पी.के. सोनी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, श्री सुरेश पारीक, गजधर एवं श्री जगदीश सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सभी अधिकारी/कर्मचारी हवामहल जोन-पश्चिम नगर निगम, जयपुर)

परिवादी श्री श्याम सिंह, अध्यक्ष हेरिटेज बचाओ संघर्ष समिति, पुरानी बस्ती, जयपुर से इस सचिवालय में दिनांक 24.04.2009 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि परिवाद में वर्णित 15 स्थानों व अन्य अनेक स्थानों पर हवामहल जोन-पश्चिम, नगर निगम, जयपुर के आयुक्त श्री शशि कुमार पारीक द्वारा अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण कराया जा रहा है तथा लोगों से मिलीभगत करके सरकारी चबूतरों व सरकारी जमीन पर कब्जे कराये जा रहे हैं। हेरिटेज सिटी के

बिगड़ते हुए स्वरूप को नष्ट होने से बचाने के लिये उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की प्रार्थना भी की गई।

परिवाद के संबंध में नगर निगम, जयपुर व निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से समय-समय पर प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों व अन्य सूचना/दस्तावेजात से प्रथमदृष्टया बिना स्वीकृति एवं स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण किया जाना एवं जिम्मेदार अधिकारीगण/कर्मचारीगण द्वारा नियमानुसार अवैध निर्माण को रोकने/हटाने की कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया। इसलिये लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत उपर्युक्त 8 लोकसेवकों के विरूद्ध अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि श्री शशि कुमार पारीक व श्री प्रमोद कुम्हार श्रीवास्तव सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार उनके लोकसेवक न रहने के कारण उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही नहीं की गई। शेष 6 लोकसेवकों के विरूद्ध ही अन्वेषण की कार्यवाही की गई।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण से उनका प्रतिवाद/स्पष्टीकरण लिया गया। उनको प्रतिरक्षा में मौखिक/प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई भौतिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट हुआ कि उपर्युक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध इस मामले में महापौर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2011 व 21.11.2011 द्वारा पूर्व में ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की

जा चुकी है, इसलिये इस सचिवालय द्वारा उनके विरूद्ध पुनः अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किया जाना नियमानुसार न होने से अन्वेषण कार्यवाही समाप्त करते हुए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों से संबंधित विधियों, उपविधियों एवं अवैध निर्माण की रोकथाम के लिये प्रचलित प्रक्रिया में समुचित संशोधन किये जाने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा किया जाना उचित समझा गया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.16(8)लाओस/2009/u/s12/5815 दिनांक 17.05.16 से एवं प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.16(8)लाओस/2009/u/s12/5817 दिनांक 17.05.16 से अन्वेषण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों से संबंधित विधियों, उपविधियों एवं अवैध निर्माण की रोकथाम के लिये प्रचलित प्रक्रिया में संशोधन हेतु निम्न सुझाव प्रेषित किये गयेः-

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 राजस्थान नगरीय विकास अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 व अन्य प्राधिकरणों के अधिनियमों में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाए जाने व ध्वस्त किए जाने के सन्दर्भ में सम्बन्धित धारा में संशोधन कर एक निश्चित प्रक्रिया का प्रावधान कर लोकसेवकों को इस सन्दर्भ में मिले अनियन्त्रित विवेकाधिकार को समाप्त किए जाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे-

    - सर्वप्रथम अवैध निर्माण के सन्दर्भ में भवन निर्माता को निश्चित अवधि का नोटिस दिया जावे।

- नोटिस का सन्तोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर आपराधिक न्यायालय में चालान पेश किया जावे लेकिन चालान पेश किए जाने मात्र से अवैध निर्माण की ध्वस्ती की कार्यवाही को नहीं रोका जावे।
- अवैध निर्माण व अतिक्रमण को आवश्यकता पड़ने पर सीज किया जा सकता है लेकिन सीजर की अवधि गुजर जाने के पश्चात् आवश्यक रूप से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जावे।

उपर्युक्त प्रक्रिया में सम्बन्धित लोकसेवकों के विवेकाधिकार को समाप्त कर एक क्रमवार प्रक्रिया अपनाए जाने का आज्ञापक प्रावधान सम्बन्धित धारा में किया जावे ताकि सम्बन्धित लोकसेवक मनमाने रूप से उपर्युक्त प्रक्रिया में से चुनकर कोई कार्यवाही न कर सके।

2. प्रत्येक स्थानीय निकाय विभाग में क्षेत्रवार अवैध निर्माण व अतिक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया जावे ताकि कोई भी लोकसेवक इस आधार पर अपने दायित्व से विमुख न हो सके। साथ ही प्रत्येक स्थानीय निकाय में वार्ड वार निरीक्षक स्तर का अधिकारी मय तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया जावे जो कि वार्ड की समस्त गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हो।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महेन्द्र लोढ़ा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आर.एल.डबल्यू.(2) राजस्थान, 1428 व स्वप्रेरणा बनाम राजस्थान सरकार, पुलिस महानिदेशक, याचिका सं. 4783/2003, 1513/2004, 21/2004 व महेन्द्रपाल सिंह बनाम नगर निगम, याचिका सं. 7307/2003 में पारित आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाकर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार लोकसेवकों से उनके क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के सन्दर्भ में शपथ-पत्र लिया जावे। साथ ही अतिक्रमण व अवैध निर्माण के

लिए जिम्मेदार पाये गये लोकसेवकों के गोपनीय वार्षिक प्रतिवेदन में विपरीत प्रविष्टि की जावे। ऐसा न करने पर नियंत्रक व समीक्षक अधिकारी को उत्तरदायी माना जाकर उनके गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत प्रविष्टि हेतु विभागीय स्तर पर आदेश जारी किये जावें।

4. मॉडल नगरीय क्षेत्र(भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितीकरण) उपविधियाँ, 2014 के नियम 4 नोट XII के इस प्रावधान में संशोधन किया जावे कि सम्बन्धित न्यास/प्राधिकरण, निर्माण के अशमनीय होने पर उसे ध्वस्त कर सकेगा।

5. समझौता समिति के समक्ष पेश की गयी लाल पत्रावली के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित की जावे।

6. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32(1) में दिनांक 25.05.2001 से प्रभावी संशोधन के समान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में भी यह प्रावधान किया जावे कि अवैध निर्माण के विरूद्ध 10 वर्ष के अन्दर ही कार्यवाही की जा सके। इससे पुराने अवैध निर्माणों के सन्दर्भ में आन्ध्रप्रदेश में पारित नियम The Andhra Pradesh Regulation and Penalization of unauthorizedly constructed buildings and building constructed in deviation of the Sanctioned Plan Rules, 2007 के समान नियम बनाये जावे ताकि पुराने निर्माणों के सन्दर्भ में सम्बन्धित लोकसेवक, आम जनता को परेशान न कर सकें।

7. वर्तमान में भूमि की बढ़ती हुई कीमतों व परिवारों की आवश्यकताओं को देखते हुए छोटे भू-खण्डों के सन्दर्भ में सैटबैक के नियमों को संशोधित कर उनमें छूट दी जावे।

8. नगर निगम, जयपुर व जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में प्रचलित अतिक्रमण व अवैध निर्माण के सन्दर्भ में अपनायी जा रही

प्रक्रिया में संशोधन कर सम्बन्धित जोन उपायुक्त के अधीनस्थ प्रवर्तन शाखा का गठन कर जोन आयुक्त के अधीन कार्यरत तकनीकी कर्मचारी व प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों का अतिक्रमण व अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए उत्तरदायित्व तय किया जावे।

9. अतिक्रमण व अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार लोकसेवकों की संख्या में वृद्धि की जावे।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

5. एफ.15(7)/लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री भगवान सिंह तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक (सेवानिवृत्त), श्री शिवजी लाल गुर्जर, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक, श्री जगदीश लाल गोदारा, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक, श्री रमेश चन्द मीणा, एस.आई., तत्कालीन प्रशिक्षु थानाधिकारी, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक, श्री केदार लाल मीणा, तत्कालीन वन रक्षक, नाका, ककोड़, तहसील उनियारा (टोंक) हाल सहायक वनपाल, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, उनियारा (टोंक) द्वारा बनास नदी में अवैध बजरी खनन को रोकने के पदीय दायित्व का निर्वहन करने के बजाय अवैध खननकर्ताओं को सहयोग कर एवं उसके बदले में अवैध रूप से धन राशि प्राप्त कर पद का दुरूपयोग करते हुए राज्य सरकार को हानि पहुँचाने बाबत।

परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी से इस सचिवालय में प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि टोंक जिले के ग्राम बनेठा में बनास नदी में से ठेकेदार, माफिया गिरोह बनाकर बंदूकधारियों के दम पर रोजाना 100-200 ट्रक व ट्रेक्टर बजरी भरकर/निकलवाकर चौथ वसूली करता है। वन क्षेत्र में ठेकेदार व वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की खुलेआम

अवहेलना करते हुए बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है जिससे नदी क्षेत्र में 30-40 फुट खाइयां बनने लगी हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर ठेकेदार, पुलिस व वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को ही झूठे मुकदमे में फँसाने का कहकर व उन्हें भयभीत कर कार्यवाही नहीं करते हैं। परिवादी ने भ्रष्ट लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करके उन्हें दण्डित करने का अनुरोध किया।

परिवाद के सम्बन्ध में प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक, (टोंक) से प्राप्त हुई तथ्यात्मक रिपोर्ट/अभिलेख/सूचना/दस्तावेजात का विश्लेषण एवं परिशीलन करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि पुलिस विभाग के अधिकारी श्री भगवान सिंह एस.आई., श्री शिवजी लाल गुर्जर, एस.एच.ओ., श्री जगदीश लाल गोदारा, ए.एस.आई. व श्री रमेश चन्द मीणा एस.आई. के द्वारा वन विभाग की ओर से प्रार्थना करने पर भी अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचनाएं पंजीकृत नहीं करके अवैध खननकर्ताओं के साथ मिलीभगत करते हुए पद का दुरूपयोग किया गया तथा वन विभाग के श्री केदारमल, गार्ड नाका, ककोड़, तहसील उनियारा, (टोंक) द्वारा बनास नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन में खननकर्ताओं का सहयोग कर उसके बदले में अवैध रूप से धन राशि प्राप्त करते हुए पद का दुरूपयोग किया गया और इस प्रकार राज्य सरकार को लाखों रूपयों की हानि पहुँचाई गई। इसलिए उक्त लोकसेवकों विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में

परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध यद्यपि आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये लेकिन यह प्रकट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति 2015 के अनुरूप सम्बन्धित नियमों में कोई परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया गया व इसी प्रकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से लघु खनिजों के खनन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई अधिसूचना परिशिष्ट 12 के अन्तर्गत बालू खनन या नदी तट खनन की ई-मॉनिटरिंग की प्रक्रिया से सम्बन्धित संशोधन राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986 में नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार को उक्तानुसार संशोधन (यदि पूर्व में नहीं किया गया है तो) करने का सुझाव दिये जाने की अनुशंसा किया जाना उचित समझा गया।

अनुशंसा :

परिणामतः उपर्युक्त निष्कर्ष के अनुसार मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.15(7)/लोआस/2014/अन्वेषण/49923 दिनांक 09.03.2015 से अन्वेषण प्रतिवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेजात की प्रतियां संलग्न कर उपर्युक्त सुझाव के अनुसार राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986 में संशोधन हेतु विचार करने तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय को भिजवाने की अनुशंसा की गई। इसकी पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

6. एफ.2(37)/लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री हरिराम मीणा, तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक गालद कलाँ, श्रीमती संगीता स्वामी, सहायक कृषि अधिकारी, बौंली एवं श्री ब्रजवासी मीना, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक (कृषि विस्तार), सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी का फार्म पॉण्ड हेतु अनुदान आवेदन-पत्र विभागीय मापदण्ड अनुसार होने के बावजूद अनियमित रूप से निरस्त करने बाबत्।

परिवादी श्री बाबूलाल गुप्ता की ओर से इस सचिवालय में दिनांक 08.01.2016 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि ग्राम सुन्दरपुर स्थित उसकी कृषि भूमि में उसके द्वारा वर्ष 2011-12 में विभागीय मापदण्डानुसार फार्म पॉण्ड तलाई खुदवाई गई थी, जिसे श्री हरिराम मीणा, कृषि पर्यवेक्षक, श्रीमती संगीता स्वामी, सहायक कृषि अधिकारी व श्री बृजवासी मीना, कृषि अधिकारी ने मौके पर आकर देखा तथा सही होना बताया। श्री हरिराम मीणा ने उससे रिश्वत की राशि की मांग की तथा नहीं देने की अवस्था में पत्रावली पास नहीं होने देने की बात कही। रिश्वत की राशि नहीं देने के कारण उसके द्वारा खेत में खोदी गई फार्म पॉण्ड तलाई की मौके की रिपोर्ट जानबूझकर गलत तैयार की गई तथा बिना किसी सूचना के उसकी पत्रावली निरस्त कर दी गई। इसके फलस्वरूप उसे राज्य सरकार की अनुदान राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त निदेशक, कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड, भरतपुर द्वारा फार्म पॉण्ड तलाई की जाँच करने पर उसे विभागीय मापदण्डों के अनुसार पाये जाने के उपरांत भी उसे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी ने इस बाबत दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं फार्म पॉण्ड की अनुदान राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की।

परिवाद के संबंध में आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात आदि का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया पाया गया कि परिवादी के फार्म पॉण्ड (खेत-तलाई) का निर्माण विभागीय मापदण्डानुसार होने के बावजूद लोकसेवक श्री हरिराम मीणा, कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं होने पर उसके फार्म पॉण्ड की संदेहास्पद व गलत मौका निरीक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई, श्रीमती संगीता स्वामी द्वारा मौके का निरीक्षण किये बिना ही गलत मौका निरीक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई तथा श्री बृजवासी मीना, कृषि अधिकारी द्वारा परिवादी के फार्म पॉण्ड का मौका निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किये बिना ही उसकी अनुदान पत्रावली को निरस्त करने की अभिशंसा की गई। इसलिये उपर्युक्त तीनों लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री हरिराम मीणा, कृषि पर्यवेक्षक के विरूद्ध बदनीयतीपूर्ण तरीके से परिवादी के फार्म पॉण्ड की गलत एवं संदिग्ध सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। लोकसेवक श्रीमती संगीता स्वामी, सहायक कृषि अधिकारी, बौंली के विरूद्ध परिवादी के फार्म पॉण्ड की माप किये बिना ही संदिग्ध एवं तथ्यों के विपरीत सत्यापन एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने का

आरोप प्रमाणित पाया गया तथा लोकसेवक श्री बृजवासी मीना, कृषि अधिकारी के विरूद्ध परिवादी के फार्म पॉण्ड के अनुदान हेतु कृषि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री बृजवासी मीना, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सवाई माधोपुर के सक्षम प्राधिकारी मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ.2(37)लाओस/2015/u/s12 /51493 दिनांक 23.03.17 से एवं आरोपी लोकसेवकगण श्री हरिराम मीणा, तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक, गालद कलाँ एवं श्रीमती संगीता स्वामी, तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, बौंली हाल उप परियोजना निदेशक (आत्मा), सवाई माधोपुर के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 2(37)लाओस/2015/u/s12/51494 दिनांक 23.03.17 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की अनुशंसा की गई। इसकी पालना में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 8/आ.कृ.जउप्र/सीएम/16-17/11549-53 दिनांक 06.12.16 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में परिवादी कृषक श्री बाबूलाल गुप्ता को उसके फार्म पॉण्ड के अनुदान की राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी इस सचिवालय को प्रेषित करने हेतु पत्र क्रमांक

एफ.2(37)लाओस/2015/u/s12/51495 दिनांक 23.03.17 प्रेषित किया गया। इसकी अनुपालना में श्री हेमेन्द्र शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि निदेशालय, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 122 दिनांक 11.04.17 से अवगत कराया गया है कि परिवादी श्री बाबूलाल गुप्ता को उसके फार्म पॉण्ड के अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

7. एफ.3(496)/लोआस/2014

लोकसेवक श्री मुरारी लाल मीणा, उपनिरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 198/2014 पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा के अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन किये बिना पक्षकारों के विवादित सहमति पत्र के आधार पर ही प्रकरण को झूठा मानकर न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री कजोड़ बैरवा से दिनांक 21.11.14 को इस सचिवालय में प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 198/2014 पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा में थाने वालों ने अपराधियों को बचाने व राहत पहुँचाने के आशय से प्रभावशाली व दबंग मीणा समुदाय के लोगों से मिलीभगत व सांठगांठ करके जबरन पीड़ित परिवार के लोगों से सहमति-पत्र (राजीनामा) पर हस्ताक्षर करवाकर मामला रफा-दफा कर दिया, जिससे कि आरोपी रामफूल मीणा आदि के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही न करके उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सके। परिवाद में प्रार्थना की गई कि जबरन राजीनामा करवाने वाले लोगों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलवाया जाये।

परिवाद के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा की ओर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं उसके संबंध में परिवादी की ओर

से प्रस्तुत आपत्ति व संबंधित दाण्डिक न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 23.07.2015 की प्रति, जिसके द्वारा पुलिस की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हुए आरोपी भौरीलाल मीणा आदि के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है, से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि लोकसेवक श्री मुरारी लाल मीणा, उपनिरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा के द्वारा अनुसंधान के दौरान एकत्र हुई साक्ष्य की विवेचना किये बिना केवल पक्षकारों के विवादित राजीनामा के आधार पर ही न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य किया गया है। इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक श्री मुरारी लाल मीणा को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा अन्वेषण में परीक्षित हुए साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री मुरारी लाल मीणा, उपनिरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 198/2014 पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला-दौसा के अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन किये बिना ही सहमति-पत्र के आधार पर मामले को झूठा मानते हुए इसकी एफ.

आर. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया गया है।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री मुरारी लाल मीणा, उपनिरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, नांगल राजावतान, जिला दौसा के सक्षम प्राधिकारी-मन्त्री, गृहविभाग राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 3(496)लाओस/2014/u/s12/4139 दिनांक 05.05.2016 से भेज कर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव, पुलिस, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की ओर से महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 13.05.2016 की प्रति इस सचिवालय को भेजी गई है।

8. एफ.3(332)/लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री सूणी लाल मीणा, तत्कालीन एस.एच.ओ. पुलिस थाना, बसवा, जिला दौसा द्वारा परिवादिया श्रीमती इंद्रा सैनी की ओर से पुलिस थाना बसवा (जिला दौसा) पर दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2013 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380, भारतीय दण्ड संहिता में चोरी हुए सामान की बरामदगी के बाद भी उसे जब्त नहीं कर पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादिया श्रीमती इंद्रा सैनी, सदस्य, जिला परिषद, दौसा निवासी बसवा (दौसा) की ओर से इस सचिवालय में दिनांक 09.09.14 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि दिनांक 04.07.2013 की रात्रि को उसके घर से लगभग 12-13 लाख के आभूषणों एवं नगदी की

चोरी के बाबत उसके द्वारा पुलिस थाना, बसवा (जिला दौसा) पर पंजीकृत कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2013 के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2013 को हिण्डौन सिटी से दो महिलाओं एवं एक पुरूष को गिरफ्तार किया गया था तथा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उनसे कुछ माल भी बरामद किया, लेकिन पुलिस ने पुरूष मुलजिम को छोड़कर दो महिलाओं की जगह तीन महिलाओं को गिरफ्तार दिखाकर उनसे मिलीभगत करके संबंधित न्यायालय से उनका पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की प्रार्थना किये बिना उनको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। समाचार-पत्र दैनिक भास्कर, हिण्डौन सिटी (करौली) के दिनांक 12.07.13 व 13.07.13 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार चोरों के द्वारा चोरी किये गये आभूषणों को हिण्डौन सिटी के एक सुनार को बेचा गया। पुलिस थाना, बसवा की पुलिस उस सुनार की दुकान पर गई लेकिन उससे पूरे जेवरात बरामद नहीं किये एवं उसे चोरी का माल खरीदने के अपराध में गिरफ्तार भी नहीं किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, दौसा के निर्देश पर चोरी के आभूषण खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय व बसवा पुलिस थाने में पीड़िता व अन्य के समक्ष बताया कि पुलिस उससे जुलाई, 2013 में ही चोरी के आभूषण ले गई। इसके पश्चात् पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा बसवा थाने के निरीक्षण के समय थाना अधिकारी श्री सूणी लाल मीणा द्वारा 57 ग्राम सोने की बरामदगी करना स्वीकार किया गया तथा शेष जेवरात की बरामदगी शीघ्र करने के लिये कहा गया, लेकिन इसके बावजूद थाना अधिकारी श्री सूणी लाल मीणा व अनुसंधान अधिकारी श्री नरेश नरूका द्वारा शेष सामान की बरामदगी नहीं की गई। उनके द्वारा अपराधियों से मिलीभगत करके चोरी हुए आभूषणों को स्वयं हड़प लिया गया तथा सभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई। परिवादिया की ओर से प्रार्थना की गई कि शेष अपराधियों को गिरफ्तार करवाया जावे तथा बरामद माल को हड़पने के दोषी थाना अधिकारी श्री सूणी

लाल मीणा व अनुसंधान अधिकारी श्री नरेश सिंह नरूका के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद एवं उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि मामले के संबंध में उप-पुलिस अधीक्षक, मानपुर (जिला दौसा) द्वारा जाँच में परिवादिया के इन आरोपों को सही पाया गया कि थाना अधिकारी श्री सूणी लाल मीणा एवं अनुसंधान अधिकारी श्री नरेश सिंह नरूका द्वारा उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान में चोरी गये आभूषणों की बरामदगी करने के बावजूद उनको प्रकरण में जब्त नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा उनके विरूद्ध केवल सीसीए नियम, 17 के अन्तर्गत ही कार्यवाही आरंभ की गई। मामले एवं आरोपों की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में आरोपी लोकसेवकगण श्री सूणी लाल मीणा, थाना अधिकारी एवं श्री नरेश सिंह नरूका, अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान यह प्रकट होने पर कि श्री नरेश सिंह नरूका को पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप के लिये दोषी पाते हुए एक वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दिनांक 29.12.14 के आदेश के द्वारा दण्डित किया जा चुका है, इसलिये उसके विरूद्ध अन्वेषण बन्द करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक श्री सूणी लाल मीणा को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा अन्वेषण में परीक्षित हुए साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री सुणी लाल मीणा, तत्कालीन थाना अधिकारी, बसवा (जिला दौसा) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसके द्वारा दिनांक 11.07.13 को तीन महिला अभियुक्तों को हिण्डौन सिटी में गिरफ्तार किया गया तथा उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर श्री अशोक कुमार सुनार से 56.630 ग्राम चोरी गया सोना एवं 55,000/- रूपये नगद भी बरामद किये गये लेकिन उनको प्रकरण में बरामद नहीं दिखाकर स्वयं के उपयोग के लिये दुर्विनियोग किया और इस प्रकार लोकसेवक के बतौर दुराचरण एवं न्यासभंग किया गया।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री सुणी लाल मीणा, तत्कालीन थाना अधिकारी, बसवा (जिला दौसा) के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ.3(332)लाओस/2014/u/s12/40738 दिनांक 10.01.17 से भेज कर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा की पालना में पुलिस अधीक्षक, सतर्कता कार्यालय, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सह-महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज को प्रेषित पत्र क्रमांक 991 दिनांक 20.04.17 की प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की गई है तथा इस पत्र में उनको आरोपी लोकसेवक श्री सूणी लाल मीणा के विरूद्ध उपरोक्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के

निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में की गई आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

9. एफ.3(509)/लोआस/2015

श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना, बस्सी, जयपुर (पूर्व) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 356/2013 अन्तर्गत धारा 420, 467,468 एवं 419 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना बस्सी, जयपुर के अनुसंधान में दोषियों को बचाने एवं परिवादी को अपहानि कारित करने के उद्देश्य से प्रकरण में निष्पक्ष व कुशलतापूर्वक अनुसंधान नहीं किये जाने बाबत।

परिवादी श्री बाबू लाल उर्फ त्रिलोक नारायण से इस सचिवालय में दिनांक 23.10.2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 356/2013 पुलिस थाना, बस्सी के अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिल कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने मुख्य अपराधी बंशीलाल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह झूठा कथन किया कि विवादित हक-त्याग विलेख-पत्र पर परिवादी बाबूलाल की फोटो है जबकि इसी मामले में उसने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 13, बस्सी में प्रस्तुत किये गये चालान में स्पष्ट रूप से लिखा कि हक-त्याग विलेख-पत्र पर बंशीलाल (मुख्य अपराधी) व अन्य बंशीलाल उर्फ बंशीधर (पदस्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के ही फोटोग्राफ हैं। इस प्रकार झूठा कथन करके मुख्य अपराधी की अग्रिम जमानत करवाई गई। इसके अलावा श्री अनिल कुमार ने प्राइवेट हस्तलेख विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही चालान पेश कर दिया, जिसमें दूसरे मुख्य अपराधी बंशीलाल उर्फ बंशीधर व अन्य को मामले से बाहर कर दिया। इसकी शिकायत डीसीपी(पूर्व), जयपुर को की गई, लेकिन उन्होंने

कोई कार्यवाही नहीं की। परिवाद में यह प्रार्थना की गई कि उक्त अनिल कुमार, सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/ दस्तावेजात के विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उपर्युक्त लोकसेवक श्री अनिल कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 356/2013 पुलिस थाना बस्सी, जयपुर के अनुसंधान में निष्पक्ष जाँच नहीं की गई व दोषियों को बचाकर लाभ पहुँचाया गया, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसके द्वारा पुलिस थाना, बस्सी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 356/2013 पुलिस थाना, बस्सी, (जयपुर) के अनुसंधान में दोषियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उपलब्ध साक्ष्य की जानबूझकर उपेक्षा कर प्रकरण का निष्पक्ष व प्रभावी अनुसंधान नहीं किया गया और इस प्रकार उसके द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा व दुराचरण का कृत्य कारित किया गया है।

<u>अनुशंसा:</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना, बस्सी, जयपुर (पूर्व) के सक्षम प्राधिकारी - प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 3(509)लोआस/2015/u/s12/47561 दिनांक 22.02.2017 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध उसके द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन में उपेक्षा व दुराचरण के बाबत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई। यह भी अनुशंसा की गई की पुलिस थानों के अन्तर्गत दर्ज होने वाले मामलों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण करते समय पर्यवेक्षक वरिष्ठ अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी की राय पर विवेक का प्रयोग किये बिना ही मुहर लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न करें बल्कि अपने अनुभव के प्रकाश में पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करें।

उपर्युक्त अनुशंसा की पालना हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान में पुलिस के सभी विभागों के सभी स्तर के अधिकारीगण को प्रेषित पत्र दिनांक 24.04.2017 की प्रति इस सचिवालय को भेजी गई है।

आरोपी लोकसेवक श्री अनिल कुमार के विरूद्ध अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

10. एफ.11(114)/लोआस/2005

लोकसेवकगण श्री रमेश कुमार नलवाया, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, बाड़मेर, हाल अतिरिक्त निदेशक (खान), मुख्यालय, उदयपुर, श्री डी.पी. गौड़, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, जालौर, हाल अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा, श्री महेश माथुर, तत्कालीन खनि, अभियन्ता, जालौर, हाल अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता), बीकानेर, श्री पुखराज चौहान, तत्कालीन सर्वेयर, कार्यालय-सहायक अभियन्ता, बाड़मेर (सेवानिवृत्त) व श्री मूलसिंह देवड़ा, तत्कालीन सर्वेयर, कार्यालय सहायक-अभियन्ता, जोधपुर हाल खनि अभियन्ता, सिरोही द्वारा खसरा संख्या 981 गैरमुमकिन पहाड़, ग्राम सिवाना में श्री देवीलाल को खनन कार्य के लिए संरक्षित सिवाना किले की दीवार से 200 मीटर की परिधि में नियम-विरूद्ध खान आवंटन करने एवं उसका नवीनीकरण करने बाबत।

परिवादी श्री प्रेमसिंह, मानद मंत्री, श्री गुरूमंछ शिक्षण संस्थान, सिवाना, बाड़मेर से इस सचिवालय में दिनांक 05.12.2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि देवीलाल पुत्र माणकलाल को राजस्व ग्राम सिवाना के खसरा नम्बर 981 गैर-मुमकिन पहाड़ में खान का आवंटन, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सिवाना किले से एक सौ मीटर से कम दूरी एवं आबादी क्षेत्र से भी 200 मीटर के अन्दर किया गया है, जिससे वन्यजीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस नियम-विरूद्ध आवंटन के बारे में जिला कलक्टर, बाड़मेर को शिकायत करने पर तहसीलदार, सिवाना को जाँच हेतु अधिकृत किया गया, लेकिन उन्होनें सही जाँच नही की। परिवादी की ओर से प्रकरण की पुनः जाँच कराने व गलत जाँच करने बाबत तहसीलदार, सिवाना के विरूद्ध कार्यवाही कराने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, बाडमेर से प्राप्त हुई तथ्यात्मक रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट, अभिलेख एवं दस्तावेज आदि के विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर प्रथमदृष्टया यह पाये जाने पर कि उपर्युक्त आरोपी लोकसेवकगण द्वारा श्री देवीलाल को खसरा नं 981 गैर मुमकिन पहाड़ में, संरक्षित सिवाना दुर्ग की दीवार से 200 मीटर की परिधि में नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है, उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा प्रारम्भिक जाँच एवं अन्वेषण में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एंव प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यद्यपि आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होना पाये गये किन्तु यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु नियम, 1968 के नियम 24(1) के अन्तर्गत सिवाना किले के रक्षण एवं परिरक्षण के संबंध में खनन एवं अन्य गतिविधियों के लिये कोई रक्षित दूरी निश्चित नहीं की हुई है।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदया (सक्षम प्राधिकारी) पुरात्तव एवं

संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 11(114)लोआस/2005/ अन्वेषण /48982 दिनांक 03.03.2017 से भेज कर राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु नियम, 1968 के नियम 24(1) के अन्तर्गत राज्य द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों की रक्षा या परिरक्षा के लिए खनन, उत्खनन, समुत्खनन, उत्स्फोटन और इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियों को नियमित या प्रतिबंधित करने के प्रयोजन से सीमायें निश्चित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई तथा अनुशंसा की पालना में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया।

11. एफ.3(698)/लोआस/2014

लोकसेवक श्री भँवर सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, सेन्दड़ा, जिला पाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2014 पुलिस थाना, सेन्दड़ा में अनुसंधान के दौरान श्री बालूसिंह की मृत्यु दिनांक 10.01.1988 को होने बाबत नगर परिषद, पाली द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 03.12.2013 के बारे में सही एवं निष्पक्ष जाँच नहीं कर तथा सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये बिना ही पांचू सिंह आदि से मिलकर पांच लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश करके अपने पदीय कर्त्तव्यों में लापरवाही करने व कर्त्तव्यों की यथोचित पालना नहीं करने बाबत।

परिवादी श्री रमेश, निवासी चित्ताड़, जिला पाली से इस सचिवालय में दिनांक 25.03.2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि पाँचू सिह पुत्र बालू सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाबत फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर पुलिस थाना, सेन्दड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2014 दर्ज करवाई, जिसमें थानाधिकारी श्री

भँवरसिंह द्वारा उचित एवं निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं करके झूठी साक्ष्य के आधार पर अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए बन्ना, माधु, छित्तर, सुवा एवं लाडू को गलत रूप से गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने पांचू सिंह आदि के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिसे अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, सेन्दड़ा को भेजने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2015 दर्ज होकर उसके अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हो गया था कि बालू सिंह की मृत्यु दिनांक 10.01.1988 को नहीं होकर दिनांक 29.01.1989 को हुई थी। श्री भँवर सिंह, थानाधिकारी द्वारा परिवादी रमेश सिंह को धमकी दी गई कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 21/2015 में अदम वकु झूठ में नतीजा देगा व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 199/2014 में आरोप-पत्र पेश करेगा। श्री भँवरसिंह, थानाधिकारी ने पांचू सिंह आदि से मिलकर अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए कूटरचित एवं मिथ्या साक्ष्य को सही साबित करना चाहता है। परिवाद में प्रार्थना की गई कि थानाधिकारी भँवरसिंह के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पाली से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट, दस्तावेजात एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 199/2014 व 21/2015, पुलिस थाना, सेन्दड़ा, जिला पाली की अनुसंधान पत्रावली आदि के विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उपर्युक्त लोकसेवक श्री भँवरसिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2014 के अनुसंधान में पांचू सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर ही विश्वास कर लिया गया। बालू सिंह की मृत्यु के बाबत उचित एवं निष्पक्ष रूप से साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि झूठे दस्तावेजात के आधार पर पाँच निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी और इस प्रकार अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

इसलिए उपर्युक्त लोकसेवक श्री भँवरसिंह के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि पुलिस थाना, सेन्दड़ा पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 199/2014 व 21/2015 दोनों में अनुसंधान के दौरान बालूसिंह की मृत्यु की तिथि का विवाद मुख्य विषय होने व यह जानकारी हो जाने पर भी कि रिपोर्ट संख्या 199/2014 में बालूसिंह की मृत्यु का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत हुआ है, उसमें 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश करके अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही कर पद का दुरूपयोग किया है।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री भँवरसिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, सेन्दड़ा, के सक्षम प्राधिकारी - प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 3(698)LAS/2014/u/s12/44802 दिनांक 07.02.2017 से

भेज कर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुसंधान के दौरान पद का दुरूपयोग कर किये गये कृत्य के लिए उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई।

उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में कार्यालय महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक 952-57 दिनांक 05.06.2017 से अवगत कराया गया है कि लोकसेवक श्री भँवरसिंह हाल थानाधिकारी चितलवाना, जिला जालौर, को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र, व आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। इस अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित है।

12. एफ.03(03)/लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री मुकेश कानूनगो, एस.एच.ओ., पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर, श्री रूपचन्द कांस्टेबल, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर एवं श्री रवि कुमार, कांस्टेबल व अन्य पुलिसकर्मी, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री अनिल सैनी, निर्वाणा होटल के पास, प्रताप बास, अलवर एवं उनके ड्राइवर को बुरी तरह मारपीट कर और जान से मारने की धमकी देकर अवैध रूप से 4 लाख रूपये ऐंठने बाबत।

परिवादी श्री अनिल सैनी से दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि वह मूंगस्का हनुमान चौराहा स्थित हनुमान जी के मन्दिर में दर्शन करने गया हुआ था, बाहर उसकी गाड़ी में ड्राइवर बैठा था। पूजा करके वह जैसे ही बाहर आया तभी 2-3

मोटर साइकलों पर 5-6 व्यक्ति, जिनके मुँह पर स्कार्फ लगा हुआ था, वहां आये तथा उसे उठाकर उसी की गाड़ी में उसे व उसके ड्राइवर को पीछे पटक दिया। उनमें से एक व्यक्ति परिवादी की गाड़ी को चलाने लगा। दो व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठ गये अन्य दो-तीन व्यक्ति मोटर साइकिल से उसकी गाड़ी के साथ चलने लगे व ईटाराणा चौराहे पर ले गये। वहाँ गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने गाड़ी रोककर जैकट पहनी। इसी दौरान उसका स्कार्फ हट गया। वह व्यक्ति रूपचन्द सिपाही, अरावली विहार थाना था। उस रूपसिंह व उसके अन्य पुलिसकर्मी साथी डब्बू आदि ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की तथा धमकी दी कि उनके साहब ने 10 लाख रूपये मंगाये हैं, यह देने पर ही छोडेंगे अन्यथा जान से मार देंगे व उसकी लाश भी घरवालों को नहीं मिलेगी। परिवादी ने उनसे कहा कि घर में माँ के इलाज के लिए केवल 4 लाख रूपये रखे हैं, इसके अलावा इन्तजाम नहीं है, तब भी मारपीट करते हुए पैसे मंगाने की धमकी दी तथा सिपाही रूपचन्द ने फोन पर किसी व्यक्ति से बात करते हुए कहा कि- ''साहब हमने मुर्गा पकड़ लिया है लेकिन इसके पास 4 लाख रूपये हैं, इसे कहां लाना है।'' उससे फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने स्टेडियम बुलाया, जिस पर रूपचन्द सहित सभी पुलिस वाले उसे व उसके ड्राइवर को स्टेडियम ले गये। वहाँ दीवार के पीछे से नीले ट्रैक सूट में एक व्यक्ति जो अरावली विहार थाने का इन्जार्च मुकेश कानूनगो था, आया तथा उसने कहा कि- ''इससे पैसे मंगाओ, नहीं तो इसको इतना मारो कि यह जिन्दगी भर ढंग से बैठ नहीं सकें।'' वहाँ भी मुकेश कानूनगो व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। मजबूरी में उसने अपने भाई को फोन करके बताया कि 4 लाख रूपये लेकर आ, नहीं तो पुलिस वाले उसे जान से मार देंगे। उसका भाई पैसे लेकर आया। पुलिसकर्मी रूपचन्द आदि परिवादी को कृष्ण विला

मैरिज होम ले गये तथा वहाँ प्रार्थी के भाई को बुलाकर उससे 4 लाख रूपये लेकर स्टेडियम आये। वहाँ इन्तजार कर रहे मुकेश कानूनगो, थानाधिकारी, अरावली विहार को रूपचन्द ने 4 लाख रूपये दे दिये तथा उनसे पूछा कि- ''साहब इसका क्या करना है?'' इस पर मुकेश कानूनगो ने कहा कि- ''इसको किसी चौराहे पर पटक दो।'' तब रूपचन्द व डब्बू ने परिवादी व उसके ड्राइवर को भवानीखुर्द चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया तथा उसे धमकी दी कि-''यदि इस घटना का किसी से जिक्र किया तो किसी भी झूठे मुकदमें में फँसा देंगे, हमारे पास मोटर साइकल है और देशी कट्टे पड़े रहते हैं, इनका मुकदमा तेरे लगा देंगे और नहीं तो किसी सट्टे के मुकदमें में फँसा देंगे।'' परिवादी ने इस घटना की जानकारी अपने पिता, जो उस वक्त जयपुर में थे, को दी, जिन्होंने अगले दिन आकर एस.पी. साहब को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी द्वारा प्रार्थना की गई कि अरावली विहार के थानाधिकारी व अन्य पुलिसवालों ने इस प्रकार उसके साथ जबरन बुरी तरह मारपीट करके व जान से मारने की धमकी देकर 4 लाख रूपये ऐंठे हैं। वे लोग पुलिस वाले हैं, प्रभावशाली हैं इसलिए उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे व उसके मानवाधिकारों की रक्षा की जावे।

परिवाद एवं उसके सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/जाँच रिपोर्ट/सूचनाओं आदि का विश्लेषण एवं परीक्षण करने एवं प्रारम्भिक जाँच के दौरान साक्षीगण के लेखबद्ध हुए बयान व प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि पुलिस कांस्टेबल रूपचन्द व रवि कुमार द्वारा परिवादी व उसके ड्राइवर को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अलवर में मूंगस्का हनुमान मन्दिर से

स्टेडियम उसी की गाड़ी में ले जाया गया तथा इस सारे कृत्य की जानकारी मुकेश कानूनगो, थानाधिकारी, पुलिस थाना, अरावली विहार को भी थी। उसी के निर्देश पर उक्त समस्त कार्यवाही की गई। इसलिए श्री मुकेश कानूनगो, तत्कालीन थानाधिकारी एवं पुलिस कांस्टेबल श्री रूपचन्द व रवि कुमार, पुलिस थाना, अरावली विहार के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आयी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री मुकेश कानूनगो, एस.एच.ओ., पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर, श्री रूपचन्द कांस्टेबल, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर एवं श्री रवि कुमार, कांस्टेबल, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि थानाधिकारी मुकेश कानूनगों के निर्देश व जानकारी में कांस्टेबल रूपचन्द व रविकुमार द्वारा परिवादी अनिल सैनी व उसके ड्राइवर गोपाल सैन को सार्वजनिक स्थान हनुमान चौराहे से उन्हीं की गाड़ी में डालकर स्टेडियम ले जाया गया, परिवादी से उसके घर पर फोन करवाकर पैसे मंगवाये गये और पैसे लेने के उपरान्त परिवादी को छोड़ा गया। इस

प्रकार उपर्युक्त तीनों लोकसेवकों द्वारा अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

अनुशंसाः

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री मुकेश कानूनगो, एस.एच. ओ., पुलिस थाना अरावली विहार के विरूद्ध पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर सक्षम प्राधिकारी-मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार को अन्वेषण प्रतिवेदन की छाया प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ. 03(03)/लोआस/2015/अन्वेषण/29377 दिनांक 20.10.2016 से भेजकर उसके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच करने तथा श्री रूपचन्द, कांस्टेबल एवं श्री रविकुमार कांस्टेबल के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर को क्रमांक एफ.03(03)/लोआस/ 2015/अन्वेषण/29378 दिनांक 20.10.16 भेजकर उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर करने की अनुशंसा की गई तथा की गई कार्यवाही से 3 माह में इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु भी लिखा गया।

13. एफ.12(535)/लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री कमल सिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला जिला-सीकर, श्री एस.के.जैन, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर द्वारा ग्राम पंचायत, कांवट में बस स्टैण्ड शाहपुरा रोड़ से विनोद चौधरी के मकान तक, विनोद चौधरी के मकान से शीतला माता मंदिर एवं घसीपुरा रोड़ से कड़वालों की

ढाणी की ओर घसीपुरा में सी.सी. सड़क के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने तथा गुणवत्ता खराब होते हुए भी उसका मूल्यांकन सही नहीं करके कार्य में लापरवाही बरतने बाबत।

परिवादी श्री द्वारका प्रसाद पोद्दार से इस सचिवालय में दिनांक 24.03.15 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि ग्राम पंचायत, कांवट, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में वर्ष 2010-2014 के मध्य ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत रहे श्री सोहनलाल द्वारा ग्राम पंचायत, कांवट के विभिन्न वार्डों में करीब 55 नग सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया जो स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं बनाई गई तथा उनमें सीमेंट की मात्रा भी नहीं के बराबर डाली गई। सड़कों के नीचे पत्थरों का सोलिंग नहीं बिछाया गया। इस कारण सड़कें अल्प समय में ही टूट गई। इनके निर्माण पर 90 लाख रूपये खर्चा होना बताया। इस प्रकार बहुत बड़ी सरकारी रकम बट्टे खाते चली गई। इन सड़कों में से विशेष रूप से बस स्टैण्ड शाहपुरा रोड़ से विनोद चौधरी के मकान तक, विनोद चौधरी के मकान से शीतला माता मंदिर तक एवं घसीपुरा रोड़ से कड़वालों की ढाणी की ओर घसीपुरा में सीसी सड़कों के खराब निर्माण की शिकायत की गई तथा यह प्रार्थना की गई कि इन सड़कों को नकारा घोषित करके तत्कालीन ग्रामसेवक व अन्य संबंधित व्यक्तियों से सरकारी रकम वसूल की जावे।

परिवाद के संबंध में प्रारम्भिक जाँच के दौरान तत्कालीन संयुक्त सचिव (चतुर्थ), श्री जी.पी. शर्मा द्वारा स्वयं प्रश्नगत सड़कों का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा अधीक्षण अभियन्ता, पी.डब्लू.डी., सीकर द्वारा गठित क्वालिटी कन्ट्रोल-टीम ने जाँच हेतु परिवादी एवं संबंधित ग्रामसेवक की उपस्थिति में उक्त तीनों सड़कों में से चार-चार नमूने लेकर उनकी जाँच

करवाई। परिवादी के बयान, जाँच रिपोर्ट व अभिलेख पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उक्त तीनों सड़कें तकमीने के अनुसार गुणवत्ता व मोटाई की नहीं बनाई जाकर उनके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। इसलिए उपर्युक्त आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एंव प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री कमलसिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, खण्डेला, जिला-सीकर एवं श्री एस.के.जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सीकर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा प्रश्नगत तीनों सड़कों के निर्माण के समय उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई।

अनुशंसा:

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री कमलसिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, खण्डेला (जिला सीकर) के

सक्षम प्राधिकारी–शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 12(535)लाओस/2014/u/s12/41484 दिनांक 13.01.2017 से भेज कर एवं आरोपी लोकसेवक श्री एस.के.जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर के सक्षम प्राधिकारी–माननीय मन्त्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 12(535)लाओस/2014/u/s12/41483 दिनांक 13.01.2017 से भेज कर उनके विरूद्ध अन्वेषण के निष्कर्ष के आधार पर नवीन आरोप के विषय में आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त अनुशंसा की पालना में संयुक्त शासन सचिव (प्रशा–1), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक 298 दिनांक 10.02.2017 से अवगत करवाया गया कि अनुसंधान प्रतिवेदन एवं अन्य पत्रादि की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि अन्वेषण प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नवीन आरोप को समाविष्ट करते हुए नये सिरे से श्री एस.के.जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर के विरूद्ध आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र इत्यादि विभाग को भिजवाये जावे। शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अ0शा0 टीप क्रमांक 1431 दिनांक 12.04.2017 से अवगत करवाया गया कि अन्वेषण प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा श्री कमलसिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, खण्डेला (जिला सीकर) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के

अन्तर्गत आरोप-पत्र, आरोप विवरण-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा जाँच अधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जाँच अधिकारी से विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रकरण में दोनों आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की आगामी प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित है।

अध्याय-6

अनुशासनिक कार्यवाहिया. के अन्य प्रकरण

इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट व अन्य विवरण की जांच/परीक्षण के आधार पर लोकसेवकों को अपने दायित्व निर्वहन में पदीय दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा कर्तव्यपालन में लोप इत्यादि के लिये उत्तरदायी पाये जाने पर विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्यवाही करने बाबत दिये गये निर्देशों के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

एफ.2(23)लोआस/2015

परिवादी श्री बृजलाल गुप्ता, निवासी 116, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री दानाराम गोदारा, उप निदेशक, कृषि द्वारा भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर व कार्मिक विभाग द्वारा प्रकरण म. दोषी कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(211)लोआस/2014

श्री लक्ष्मण निनामा निवासी झुपेल, तहसील व जिला बाँसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्री सज्जन जाखड़, पुलिस कान्स्टेबल बेल्ट संख्या 626 द्वारा सरकारी नौकरी करते हुये लोगों को डरा-धमकाकर अपने डमी व्यक्ति के नाम जमीनों का बेनामी धन्धा करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा व महानिरीक्षक पुलिस रेंज, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर ने रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि आरोपी पुलिस कान्स्टेबल, श्री सज्जन जाखड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(592)लोआस/2014

श्री भरत कुमार निवासी प्लॉट संख्या 206, तारानगर, खिरणी फाटक, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पुलिस थाना, करधनी में दर्ज प्रकरण संख्या 327/2013 में अनुसंधान अधिकारी, थानाधिकारी व सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध नहीं मानकर आरोप-पत्र पेश कर देने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण के अनुसंधान में लापरवाही बरते जाने पर अनुसंधान अधिकारी श्री विनोद कुमार, उप निरीक्षक, पुलिस थाना, करधनी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उसे भविष्य में पूर्ण सतर्कता से राजकार्य करने की चेतावनी देकर दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूव सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(490)लोआस/2015

श्री प्रतीक चतुर्वेदी निवासी चौबे का बांध, बयाना रोड़, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके बुजुर्ग माता-पिता की जान-माल की सुरक्षा बाबत प्रस्तुत आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, करौली द्वारा दिये गये आदेशानुसार श्री दिगम्बर सिंह, हैड कान्स्टेबल बेल्ट नम्बर 75 द्वारा की गई जाँच में मुलजिमों को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से तथा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवाद में दर्ज बिन्दुओं के बारे में गलत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की शिकायत करते हुए उक्त दोषी जाँच अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.07.2016 के अनुसार मुख्य आरक्षी, श्री दिगम्बर सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक जाँच में दोषी पाये जाने पर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 23.08.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(538)लोआस/2015

श्री हरिमोहन शर्मा निवासी बेरावास, तहसील व जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में बाबूलाल वगैरह द्वारा दिनांक 07.10.2015 को उसका रास्ता बन्द कर मारपीट करने बाबत पुलिस थाना, सदर (दौसा) में प्रस्तुत रिपोर्ट पर थानाधिकारी श्री मुरारीलाल मीणा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी की रिपोर्ट पर समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से थानाधिकारी, श्री मुरारी लाल मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूव सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(600)लोआस/2015

श्री घनश्याम दास निवासी आर.के. कॉलोनी, गली नंम्बर 10, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके भाई नरेन्द्र द्वारा पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को पेश किये गये परिवाद की जाँच सहायक उप निरीक्षक, श्री दलपत सिंह द्वारा किये जाने के दौरान उसे व उसके भाई को पुलिस चौकी पर बुलाकर मारपीट करने व अप्रार्थी रामगोपाल से राजीनामा करने का दवाब डालने की शिकायत करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ से रिपोर्ट माँगे जाने पर उनके द्वारा वृत्ताधिकारी, वृत्त निम्बाहेड़ा से जाँच करवाकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि श्री दलपत सिंह, सहायक उप निरीक्षक को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, उदयपुर को लिखा गया। सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर उसे एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(611)लोआस/2015

श्री रामजीलाल कश्यप पुत्र श्री दलपत सिंह निवासी ग्राम नौंह, नगला शहरूआ, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में रामवीर सिंह, हैड कान्स्टेबल, बेल्ट नम्बर 405, वीरनारायण, कान्स्टेबल, बेल्ट नम्बर 1298 व सुकेश कुमार, कान्स्टेबल, बेल्ट नम्बर 2209, पुलिस थाना, कोतवाली, भरतपुर द्वारा दिनांक 24.06.2015 को श्रीमती सरोज देवी के साथ मारपीट करने से उनके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली, भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 323/2015 में पुलिस कर्मियों के प्रभाव में आकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्तिम नतीजा रिपोर्ट पेश कर देने तथा अन्य प्रकरणों में पद का दुरूपयोग करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण के अनुसंधान के बाद आरोप

सही नहीं पाये जाने पर अन्तिम नतीजा रिपोर्ट अदमवकू (झूठ) में न्यायालय में पेश की गई है तथा रामवीर सिंह, हैड कान्स्टेबल, बेल्ट नम्बर 405, के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(130)लोआस/2016

श्री बलवीर सिंह निवासी बुगाला तहसील नवगलगढ़, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्री करणीराम द्वारा मीराज कम्पनी की एजेन्सी दिलवाने के नाम पर उससे पहली बार 55 लाख रूपये व बाद में 97 लाख रूपये लेने के बाद भी एजेन्सी नहीं दिलवाने व रूपये वापिस नहीं लौटाने पर इस बारे में पुलिस थाना, कोतवाली सीकर म. दर्ज प्रकरण संख्या 192/2016 म अनुसंधान अधिकारी, श्री शेरसिंह, उप निरीक्षक द्वारा मुलजिम करणीराम को गिरफ्तार कर उससे रूपये बरामदगी करवाये बिना पुलिस रिमाण्ड के बजाय मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा म. में भिजवाने का रिमाण्ड माँगे जाने की शिकायत करते हुए अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, सीकर ने रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि श्री शेरसिंह, उप निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 30.1.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.4(3)लोआस/2016

परिवादी श्री कुलविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम 6 डी.डी., तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम सेवा सहकारी समिति 12 एच., 2 के. एम. व 3 जे.एम. के व्यवस्थापका. द्वारा ब्याज अनुदान अधिक क्लेम करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.09.2016 द्वारा अवगत करवाया कि शिकायत के आधार पर अधिक राशि की वसूली कर वापस अपेक्स बैंक म. जमा करवाने एवं दोषी व्यवस्थापका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के सक्षम स्तर से निर्देश प्रदान किये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(25)लोआस/2013

परिवादी श्री घीसूसिंह सिसोदिया, निवासी 1/350, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, सिरोही द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. लोकसेवक श्री केसर प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण लंबित होने के उपरान्त भी उसकी सेवाएं संतोषजनक मानते हुए विभाग द्वारा 9 वर्ष का चयनित वेतनमान दे दिए जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अन्ततः निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 7.11.2016 से अवगत करवाया कि श्री केसर प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि दिनांक 3.11.2014 को जारी श्री जगदीश कुमार रावल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पिण्डवाड़ा को जांच अधिकारी तथा श्री प्रहलाद सिंह देवड़ा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रेवदर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(113)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रदीप कुमार गोयल, 188, स्कीम नम्बर 4, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. निजी विद्यालयों को मान्यता देने एवं छात्रों की संख्या गलत बताकर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 01.07.2016 द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण म. दोषी लोकसेवक श्री गंगासहाय बैरवा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उसे ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 09.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(46)लोआस/2014

परिवादी श्री श्याम सिंह परिहार, निवासी आंगणा रोड़, चैनपुर बावड़ी, मण्डोर, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री प्रदीप छंगाणी, कनिष्ठ अभियंता को परिवीक्षाधीन अवधि म. प्रतिनियुक्ति देने एवं उसे सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत करने की अनियमितता की जांच करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग व कार्मिक (क-3 जांच) विभाग से प्राप्त पत्रा. द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री प्रदीप छंगाणी, सहायक अभियंता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 24.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(59)लोआस/2014

परिवादी श्री जितेन्द्र पाल सांखला, वार्ड नम्बर 23, सुभाष नगर, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री रामदेव सिंह गढ़वाल व श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया, वरिष्ठ अध्यापकगण द्वारा पद का

दुरूपयोग करते हुए अनुचित रूप से निजी कोचिंग संस्था चलाए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 2.3.2016 व 2.6.2016 से अवगत करवाया कि श्री रामदेव सिंह, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी), राजकीय माध्यमिक विद्यालय, श्यामपुरा पूर्वी, जिला सीकर के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उन्ह. भविष्य म. सतर्क रहकर कार्य करने की हिदायत दी गई तथा श्री रामेश्वर लाल बिजारणिया, वरिष्ठ अध्यापक (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तारपुरा, जिला सीकर के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही म. उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को संतोषप्रद मानते हुए विभागीय स्तर पर कार्यवाही समाप्त की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त दोषी लोक सेवक के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 5.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(72)लोआस/2014

परिवादी श्री भारत बागोरिया, निवासी प्लॉट नंबर 175, वार्ड नंबर 26, बदनपुरा, चौमूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रीमती शीतल दायमा, अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ोदिया, चाकसू द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.02.2017 द्वारा

अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक श्रीमती शीतल दायमा, अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ोदिया, चाकसू को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही म. एक वार्षिक वेतन वृद्धि, असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 01.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(108)लोआस/2014

परिवादी श्री ताराप्रकाश, ए-77, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रीमती शशिबाला, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुरनाणा, लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा फर्जी तरीके से राजकीय अवकाशा/चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने तथा कार्यालय से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 25.10.2016 द्वारा अवगत करवाया कि आरोपों के संबंध म. श्रीमती शशिबाला, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुरनाणा, लूणकरणसर, जिला बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर उन्ह. दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के हस्तक्षेप के उपरान्त विभाग स्तर पर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने से परिवादी को

वांछित अनुतोष प्राप्त होने पर इस प्रकरण को दिनांक 2.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(87)लोआस/2015

समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 25.8.2015 के संस्करण म. 'निःशुल्क किताबें निजी बुक सेलर को बेची, 65 लाख का गबन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार म. राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर व उदयपुर डिपो के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी स्कूलों म. निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करने के बजाय निजी पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय कर 65 लाख रूपए का गबन किए जाने एवं जयपुर डिपो म. 2,44,631 व उदयपुर डिपो म. 15,000 पुस्तकें कम पायी जाने का उल्लेख किया गया। इस आधार पर मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही की गयी।

इस संदर्भ म. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर ने अवगत करवाया कि 726 पुस्तकें कम पाए जाने पर तत्कालीन प्रबन्धक वितरण केन्द्र, उदयपुर द्वारा 36,709 रूपए जमा कराए जा चुके हैं। जयपुर व उदयपुर के प्रबन्धकों व स्टोर कीपरों का स्थानान्तरण कर दिया गया है, दो कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग म. भेज दिया गया है।

इसके अलावा श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यालय सहायक/स्टोर प्रभारी, मुख्य वितरण केन्द्र, जयपुर के विरूद्ध पद का दुरूपयोग कर मण्डल को प्रत्यक्षतः आर्थिक हानि पहुँचाते हुए, लापरवाही व अनियमितता बरतने पर उनके विरूद्ध राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1997 के नियम 21 (समकक्ष 16 सी.सी.ए.) के तहत दिनांक 4.3.2016 को आरोप पत्र जारी किए जा

चुके हैं। इस अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध म. मण्डल स्तर पर लिए गए अन्तिम निर्णय की सूचना अप्राप्त है।

इस अनुक्रम म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.1.2016 से अवगत करवाया कि जुलाई माह म. पाठ्यपुस्तक मण्डल के जयपुर व उदयपुर डिपो म. सर्च के दौरान निःशुल्क पुस्तकों की संख्या कम होने पर इस सम्बन्ध म. प्रकरण संख्या 256/15 दर्ज किया गया है। प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। तत्पश्चात् ब्यूरो ने पत्र दिनांक 8.12.2016 से इस क्रम म. अवगत करवाया कि प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर किए गए हस्तक्षेप के उपरान्त प्रकरण म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान म. प्रकरण दर्ज हो जाने तथा आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने के उपरान्त इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(96)लोआस/2015

परिवादी श्री हरीसिंह सैनी, जिला उपाध्यक्ष, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार रक्षा संस्थान, ग्राम पोस्ट दारोदा, वाया खेरली, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, अलवर द्वारा निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई फर्जी टी.सी. पर प्रति हस्ताक्षर करने म. रिश्वत लिये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 31.08.2016 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती रजनी भार्गव, अतिरिक्त जिला शिक्षा

अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-प्रथम, अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के तहत जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच प्रारम्भ कर दी गयी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 21.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(97)लोआस/2015

परिवादी श्री मेघराज उपाध्याय, पत्रकार, सूर्य बाजार पत्रिका, दुकान नम्बर 8, पुरानी आबादी, नई सब्जी मण्डी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री अशोक कुमार वधवा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा पद का दुरूपयोग, अभद्र व्यवहार तथा अनियमितताएं किये जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 10.1.2017 से अवगत करवाया कि श्री अशोक कुमार वधवा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 27.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(4)लोआस/2013

परिवादी श्री तुलसीराम पुत्र श्री किशनदास स्वामी, निवासी मोतीवाड़ा, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत मोतीवाड़ा के राशन डीलर द्वारा समय पर राशन सामग्री वितरित न करने, राशन कार्डों म. गड़बड़ी करने एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध म. कोई कार्यवाही न करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रकरण म. दोषी ग्राम सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(15)लोआस/2008

परिवादी श्री मनीष कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी निवासी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभागीय आयुक्त, अजमेर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

भीलवाड़ा द्वारा डॉ. एम.एल.कांवट, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के विरूद्ध की गई शिकायत की जाँच नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22.07.2008 की पालना मे प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.03.2008 के अनुसार दोषी चिकित्सक के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा किये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.11.2008 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया और उसके पश्चात् प्रकरण म. अनुशासनिक कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन आहूत किया जाता रहा।

शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 20 जून 2016 के अनुसार दोषी लोकसेवक को उसकी **एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से** दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.07.16 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(11)लोआस/2010

परिवादी श्री बाबूलाल दैया, अरिहंत व्हीकल्स, बांगड़ कॉलेज के सामने, पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री रमेश माथुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.5.10 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 03.01.17 के अनुसार लोकसेवक डॉ. राहुल मित्तल, डॉ. सुनीता थरेजा एवं डॉ. सेसाराम पटेल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा उन्हें **''परिनिन्दा''** के दण्ड से दण्डित किया गया है। परिवाद में दोषी अन्य लोकसेवक डॉ. अश्विनी कुमार मौर्य एवं डॉ. देवेन्द्र चौधरी के विरूद्ध भी आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती निर्मला चौहान तथा श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रसाविका के विरूद्ध विभागीय जाँच निदेशालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने/दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 01.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(34)लोआस/2012

परिवादी श्री यादवेन्द्र यादव पुत्र ईश्वर लाल यादव निवासी सोलंग्या की ढाणी, पोस्ट जोरपुरा, जोबनेर, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दाँता, जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कई अनियमितताएं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.6.13 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार प्रकरण म. उत्तरदायी लोकसेवक श्रीमती सुमन ढिंढवाल, प्रसाविका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. दोषी पाये जाने पर उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 4.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(22)लोआस/2015

परिवादी श्री किशन जाट पुत्र श्री कैलाश जाट निवासी अल्लापुर, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. डॉ. बाबूलाल मीणा, ब्लॉक सी.एम.एच.ओ., खण्डार, सवाईमाधोपुर द्वारा बहरावण्डा खुर्द म. अपने निवास स्थान पर संचालित क्लिनिक म. उसकी पत्नी का प्रसव करवाकर 1800/-रूपये लेने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 03.08.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.11.2016 के अनुसार लोकसेवक डॉ. बी.एल.मीणा, तत्कालीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच हेतु राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 (4) के अन्तर्गत आयुक्त (प्रथम) विभागीय जाँच, राजस्थान, जयपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच प्रारम्भ कर दिये जाने से प्रकरण को दिनांक 16.12.2017 को नस्तीबद्ध करते हुए पार्ट फाइल खोलकर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से त्रैमासिक प्रतिवेदन आहूत किया जा रहा है।

एफ.8(38)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती अनीता वर्मा पत्नी डॉ. गजानन्द वर्मा, निवासी पंजाब डेयरी के पास, बाहरली बून्दी, खोजा गेट रोड़, बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके पति डॉ. गजानन्द वर्मा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले असामाजिक व्यक्तियों एवं कमचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवादी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर इस प्रति निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करने पर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर प्रकरण से प्राप्त पत्र दिनांक 26.07.2016 के अनुसार

प्रकरण म. दोषी लोकसेवक श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, मेल नर्स–द्वितीय के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप–पत्रादि जारी किये गये ।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(51)लोआस/2015

परिवादी श्री भूपराम पुत्र श्री हनुमान निवासी 59, एल.एन.पी. लालेवाला, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. गलत जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.10.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 20.12.16 के अनुसार उत्तरदायी लोकसेवक श्रीमती सुनीता शर्मा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16(10) के तहत नोटिस जारी किये गये। प्रस्तावित विभागीय जाँच म. जाँच अधिकारी एवं उप स्थापक अधिकारी नियुक्त कर दिये जाने एवं अनुशासनिक कार्यवाही म. लगने वाले सम्भावित समय को देखते हुए यह परिवाद दिनांक 10.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(61)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती दिव्या शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा, निवासी वार्ड नं. 42, बद्रीनारायण मन्दिर के पीछे, 21 हवेली, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. डॉ. सुशीला नेहरा की गलती से प्रसव के दौरान उसकी पुत्री के फर्श पर गिरने से हुई मौत के सम्बन्ध म. जाँच करवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद को शपथ-पत्र के अभाव म. दिनांक 27.11.2015 को नस्तीबद्ध करते हुए इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित की गई।

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 05.04.16 के अनुसार की गई जाँच म. डॉ. सुशीला जोशी को प्रकरण म. दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे भविष्य म. सावचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.4.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(97)लोआस/2015

परिवादी श्री लखन सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, निवासी माली समाज मन्दिर के आगे, मकान नंबर 605, कोटड़ी गोरधनपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. विभागीय कमेटी द्वारा की गई जाँच म. कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर फर्जी हस्ताक्षर करने बाबत दोषी पाई गई ए.एन.एम. को राजकीय सेवा से मुक्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.1.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 5.10.16 के अनुसार दोषी लोकसेवक श्रीमती रेणू मेहरा, प्रसाविका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत प्रस्तावित विभागीय जाँच म. जाँच अधिकारी एवं उप स्थापक अधिकारी नियुक्त कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(35)लोआस/2016

परिवादी श्री शिव कुमार पुत्र श्री रामवीर, जाति कंडेरा निवासी वार्ड नम्बर 14, मदान कॉलोनी रोड़, सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. डॉ. महेश गुप्ता, चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय, सादुलशहर द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गई।

परिवादी द्वारा विहित प्रारूप म. परिवाद एवं सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त पत्र दिनांक 28.11.2016 के अनुसार उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा की गई जाँच के

आधार पर डॉ. महेश गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए पत्रावली मय आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को भिजवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर किये जाने से यह परिवाद दिनांक 15.12.2016 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(38)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती दुर्गेश देवी पत्नी श्री मनोहर लाल साकरवाल, निवासी क्वार्टर नम्बर 3, आई.एच.एस. कॉलोनी, ग्रेन गोदाम, बजरिया, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्री जी.एल. राव, मुख्य अभियन्ता, श्री डी.पी. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों के द्वारा उसके पति के सेवाभिलेख म. अवैध नामांकन कर देने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 29.12.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 27.09.2016 के अनुसार दोषी लोकसेवक मनोहरलाल साकरवाल, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम

17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उसे **दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड** से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(41)लोआस/2013

परिवादी श्री अनिल गोखरू मिल चौक, विजयनगर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में मुख्य अभियन्ता तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.01.14 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 03.12.2014 से अवगत करवाया कि श्री हर्षवर्धन जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, अजमेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.10.2016 से अवगत करवाया श्री हर्षवर्धन जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर को अनुशासनिक कार्यवाही म. दोषी मानते हुए **एक वार्षिक वेतनवृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने पर यह परिवाद दिनांक 15.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(97)लोआस/2014

परिवादी श्री लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी वार्ड नम्बर 5, वरदा स्कूल के पीछे, नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नीमकाथाना के कनिष्ठ अभियन्ता श्री शिवराम सिंह सामोता व सहायक अभियन्ता श्री एस.के. सिंह द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच करवा कर भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक-3.2.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 06.02.2017 के अनुसार दोषी अधिकारी श्री एस.के. सिंह सहायक अभियन्ता को पूववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील विनियम, 1962 के नियम 6 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने तथा श्री शिवराम सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता को उक्त नियम के अन्तर्गत **भविष्य म. सतर्कतापूर्वक कार्य करने की चेतावनी के दण्ड** से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवकों को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 21.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(126)लोआस/2014

सदस्यगण बी.एम.एस. द्वारा मुख्यमन्त्री को सम्बोन्धित एवं इस सचिवालय को पृष्ठांकित इस परिवाद म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर के प्रबन्ध निदेशक, श्री बी. राणावत द्वारा अभियन्ताओं को प्रताड़ित करने की शिकायत करते हुए उसके काले कारनामों की जाँच करवाकर उसे नौकरी से बर्खास्त करने की माँग की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.1.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 02.02.17 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 2.2.17 के अनुसार पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के नियम 6 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. श्री बी.एस. रत्नू, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को **भविष्य म. सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी** के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 17.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(108)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रतीक चतुर्वेदी निवासी चौबे का बांध, बयाना रोड़, हिण्डोन सिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. विद्युत विभाग, हिण्डोन सिटी, करौली के अधिकारियों द्वारा वी.सी.आर. के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या 188/2015 म. दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. पुलिस अधीाक्षक, करौली को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 11.12.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.01.2017 के अनुसार जाँच के पश्चात् दोषी पाये गये लोकसेवक तत्कालीन हैड कांस्टेबल श्री लालाराम को **भविष्य म. सतर्कता बरतने की चेतावनी के दण्ड से दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को लगभग 9 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(131)लोआस/2015

परिवादी श्री विजेश कुमार जांगिड़ पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद जांगिड़, निवासी ग्राम नावता, पोस्ट पचेरी छोटी, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. हेमन्त गेरा, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा विद्युत उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 29.12.15 प्रेषित करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 3.1.17 के अनुसार श्री संदीप यादव, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, बुहाना को **चेतावनी पत्र जारी कर भविष्य म. सावधानी बरतने के लिये**

पाबन्द किया गया। विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 26.4.16 के अनुसार नरेन्द्र कुमार, तकनीकी सहायक एवं श्री मुकेश कुमार, तकनीकी सहायक को **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके** जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवकों को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित करने पर परिवादी वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(169)लोआस/2015

परिवादी श्री मदनलाल माली पुत्र श्री भोलूराम माली निवासी नलू वाया तिलोनिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., किशनगढ़, ग्रामीण द्वारा खसरा नम्बर 357 की संयुक्त खातेदारी म. आवेदित कृषि कनेक्शन घीसा/भोलू से मिलीभगत कर उसकी खातेदारी खसरा नम्बर 277 की भूमि म. कर देने से दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक-24.02.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.02.17 के अनुसार दोषी कर्मचारी प्रतापसिंह चौधरी, सहायक अभियन्ता को पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के नियम 6 के अन्तर्गत विभाग के नियमों के विपरीत कार्य करने

के लिये दोषी पाये जाने पर **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोककर दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(11)लोआस/2016

परिवादी श्री बालाजी एंटरप्राइजेज जरिए श्री रजनीश मेहरा, लक्ष्मी सैकण्डरी स्कूल के सामने, सकतपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, कोटा म. कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री संजय जैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच कर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.06.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 25.01.2016 के अनुसार निगम म. कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री संजय जैन के विरूद्ध पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम-1962 के नियम 6 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसे **एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने** के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने से यह परिवाद दिनांक 09.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(24)लोआस/2016

परिवादी श्री मोडसिंह राणावत पुत्र श्री मोती सिंह राणावत अध्यक्ष, केकड़ी नगर विकास समिति मार्फत राणावत फ्लोर मिल्स, जगदीश कॉलोनी, प्रतापनगर, अजमेर रोड़, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर व प्रसारण निगम के अजमेर पदस्थापित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितताओं बाबत जाँच करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 14.06.2016 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 27.1.17 के अनुसार दोषी लोकसेवकों श्री एम.के. अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता, श्री अनिल शर्मा, सहायक अभियन्ता, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री एम.के. भार्गव, सहायक अभियन्ता (एम.) रिटायर्ड एवं श्री पी.के. तिवारी, सहायक अभियन्ता (एम.) के विरूद्ध निष्पक्ष जाँच हेतु श्री एस.के. विजय (रिटायर्ड आई.ए.एस.) जाँच आयुक्त-तृतीय, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाँच कार्यवाही समयसाध्य होने से प्रकरण म. पार्ट फाइल खोली जाकर त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध जाँच कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(83)लोआस/2011

परिवादी श्री कमलेश निवासी अजीतपुरा खुर्द, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जगमान, मूलाराम, सुरेश द्वारा तहसीलदार,

श्री रामानन्द शर्मा की मिलीभगत से ग्राम चेचीका नांगल के खसरा नम्बर 554/0.28 गैर-मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि पर मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण को उच्चाधिकारियों के निर्देश एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 15283/010 में उच्च न्यायालय द्वारा 60 दिवस की अवधि में अतिक्रमण हटाने बाबत जारी आदेशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाये जाने तथा ग्राम बूचाहेड़ा की आम रास्ते व शमशान भूमि तथा ग्राम पावटा की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाये जाने जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 27.01.12 तथा 20.10.14 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में न्यायालय निर्णय अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 554/0.28 आम रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटवाया दिया गया। प्रकरण में अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी लोकसेवक पटवारी श्री भोमसिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। जिला कलेक्टर, जयपुर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 29.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि से दिनांक 06.04.2015 को अतिक्रमण हटाकर रास्ता पुनः चालू किया गया। ग्राम बूचाहेड़ा के खसरा नम्बर 1236 गैर-मुमकिन रास्ते की भूमि पर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में मौके पर कोई विवाद नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने तथा परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(187)लोआस/2011

परिवादी श्रीमती मंजू जैन निवासी शिव कॉलोनी, स्टेशन रोड़, शिवाड़, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि उसने कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 503 रकबा 7.53 हैक्टेयर में से हिस्सा 4/15 व हिस्सा 2/15 जरिये अलग-अलग पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय करने पर दर्ज नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में सही तरीके से अंकन किया गया। उक्त खाते की भूमि में से मुकदमा संख्या 261/99 में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 21.04.2004 की पालना में एक हिस्सेदार का 2/15 हिस्सा अलग दर्ज किया गया किन्तु खाता पृथक होने के बाद भी उसका नाम संयुक्त खाते में से नहीं हटाया गया। इस बाबत तहसील कार्यालय से निवेदन करने पर सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु निर्देश दिये गये। परिवादी द्वारा उक्त त्रुटि ठीक करवाने का निवेदन करते हुए दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि वर्ष 2011-12 में परिवादी की भूमि का रकबा कम कर दिया गया था जिसे दिनांक 21.06.2013 को सही कर दिया गया। संवत् 2070-73 की जमाबंदी में रकबा कम कर दिया गया जो भी दिनांक 03.11.2014 को सही कर दिया गया। नामांतरण भी परिवेदना देने के 03 माह में दर्ज कर दिया। प्रकरण में लोकसेवक श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण में विलम्ब करने से उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 02.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(198)लोआस/2012

परिवादी श्री नवाब बेग, सदर, दरगाह शरीफ शहीद हसन अली बाबा, ग्राम काणापीर, तहसील देसूरी, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तहसीलदार, देसूरी के विरूद्ध पद का दुरूपयोग कर सिवाय चक व रास्ते की भूमि के अतिक्रमणकारियों का निर्माण कार्यो में सहयोग करने तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार उन्हें बेदखल नहीं करने इत्यादि के आरोप लगाते हुए उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, पाली को कई बार की गई शिकायत पर उनके द्वारा भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उक्त मामले की जाँच करवाई जाकर दोषी तहसीलदार एवं अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली ने रिपोर्ट दिनांक 28.09.14 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 639 की भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया है तथा खसरा नम्बर 1037 की भूमि में कीर जाति के लोग 40-50 वर्षो से निवास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आबादी विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 28.12.2015 से अवगत करवाया गया कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से अतिक्रमित भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित की जा चुकी है। जिला कलेक्टर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 23.08.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में बरती गई लापरवाही के सम्बन्ध में श्री घसीड़याराम बैरवा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, देसूरी हाल तहसीलदार, जायल, नागौर को भविष्य में अतिक्रमण के प्रकरणों में दायित्वों के निर्वहन के प्रति पूर्ण सावधानी बरतने बाबत चेतावनी दी गई है तथा श्री सुरेन्द्रसिंह, तत्कालीन पटवारी, घाणेराव हाल पटवारी, मगरतलाव को दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रश्नगत अतिक्रमणों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर आरोपी लोकसेवकों को नियमानुसार दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(48)लोआस/2013

परिवादी श्री सत्यवीर सिंह निवासी स्यालू कलां, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तहसीलदार, सूरजगढ़ द्वारा ग्राम स्यालू कलां, तहसील सूरजगढ के मुकदमा नम्बर 561/12, सरकार बनाम संजय, मुकदमा नम्बर 563/12 सरकार बनाम बहादुर सिंह तथा मुकदमा नम्बर 562/12 सरकार बनाम राजेश में बेदखली आदेश देकर आर्थिक दण्ड स्वरूप पैनल्टी आरोपित किये जाने के बावजूद आरोपित व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर उन्हें मौके से बेदखल नहीं करने से उक्त मामले की जाँच करवाते हुए दोषी तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 26.11.2013 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत निर्णयों की पालना न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के द्वारा स्थगन होने के कारण नहीं की गई। जिला कलेक्टर से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रतिलिपि के अनुसार स्थगन दिनांक 08.10.2013 को जारी किया गया था। न्यायालय निर्णय दिनांक 11.07.2012 जारी होने के बाद लगभग एक वर्ष से अधिक की अवधि में भी बेदखली आदेशों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं को लिखा गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.12.2015 तथा 02.01.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में श्री रामस्वरूप, भू-अभिलेख निरीक्षक व श्री राजेन्द्र गोस्वामी, पटवारी को लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्रादि जारी किये गये। जिला कलेक्टर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री रामस्वरूप, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, स्वामी सेही एवं श्री राजेन्द्र गोस्वामी, पटवारी हल्का, सूरजगढ़ अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का स्वामी सेही, तहसील सूरजगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही का उन्हें क्रमशः लिखित एवं मौखिक चेतावनी देते हुए निस्तारण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.02.17 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(348)लोआस/2013

परिवादी श्री अमित वांवला निवासी 86/7, ग्रीन हाउस, जवाहर नगर, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम कोदिया, पटवार हल्का, रीठ, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 949/1 रकबा 8 बीघा के पीछे भवानीशंकर एवं कन्हैयालाल को आवंटित खसरा नम्बर 949/2 की 7 बीघा भूमि स्थित होने के बावजूद पटवारी हल्का की मिलीभगत से नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 949/2 की भूमि को खसरा नम्बर 949/1 के आगे व पीछे दर्शित किये जाने से विपक्षीगण द्वारा उसके खेत पर आने-जाने के रास्ते को रोक देने की

शिकायत करते हुए मामले की जाँच कराई जाकर दोषी पटवारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 05.11.15 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में पटवारी द्वारा पद का दुरूपयोग कर गलत नक्शा ट्रेस बनाये जाने से उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(5)लोआस/2014

परिवादी श्री सलीमुद्दीन निवासी बाजार नम्बर 03, रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी ग्राम मायला स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 01 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होकर दिनांक 30.11.2010 को लीज-डीड सम्पादित होने एवं उक्त भूमि पर उद्योग स्थापित होकर काबिज होने से लीज-डीड का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के लिए तहसीलदार, रामगंजमण्डी को दिनांक 24.05.2011 को प्रार्थना-पत्र देने पर भी आदिनांक कोई कार्यवाही न होने से व्यथित होकर उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाने तथा दोषी तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, कोटा ने रिपोर्ट दिनांक 23.06.2014 तथा 16.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की खसरा नम्बर 306/2 की औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि उसके खाते में दर्ज कर दी गई। प्रकरण में नियम विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोपी तत्कालीन तहसीलदार श्री प्रभातीलाल जाट हाल आर.ए.एस. तथा श्री घांसीलाल कोड़प, तत्कालीन पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(209)लोआस/2014

परिवादी श्री मथराराम भील निवासी खिलजी एस.टी.डी., नेहरू नगर, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तत्कालीन तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के विरूद्ध मिलीभगत कर सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी व फर्जीवाड़ा करने तथा सहायक कलेक्टर, बाड़मेर के निर्णय दिनांक 18.10.05 की पालना में नामान्तरण नहीं किये जाने के आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने रिपोर्ट दिनांक 31.03.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा क्रय की गई भूमि का रकबा उपलब्ध नहीं था। विक्रेता द्वारा बेची गई भूमि का विक्रय बार-बार हो जाने से भूमि की स्थिति में परिवर्तन आ जाने से परिवादी के नाम नामान्तरण नहीं हो पाया। यह सारी कार्यवाही स्थगन आदेश होने के बावजूद होती रही है। इस प्रकार से नियम विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रथमदृष्टया दोषी तत्कालीन तहसीलदार की मृत्यु हो

चुकी है तथा पटवारी श्री कंवरराज सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक अन्य उत्तरदायी पटवारी श्री श्रीपाल को प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में श्री श्रीपाल, पूर्व पटवारी, महाबार हाल पटवारी, कुड़ला के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसे दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है। राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने से सहायक कलेक्टर के निर्णय दिनांक 18.10.2005 की पालना संभव नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(236)लोआस/2014

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी खारवाल, भारत माता चौक, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर ने प्रस्तुत परिवाद में पाकिस्तान की महिला नागरिक की जमीन की रजिस्ट्री करवाकर फर्जीवाड़ा करने वाले भू-माफिया व पटवारी/कानूनगो के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा गलत की गई तरमीम को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने रिपोर्ट दिनांक 06.05.2015 तथा दिनांक 31.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में गलत रूप से की गई तरमीम की दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश दिनांक 23.03.2010 के द्वारा की जा चुकी है। प्रकरण में गलत तरमीम हेतु श्री लेखराज तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक

तथा श्री राधेश्याम तत्कालीन पटवारी को दोषी माना गया था। श्री लेखराज के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। पटवारी श्री राधेश्याम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र जारी कर की गई अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत उसे भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने की लिखित चेतावनी दी जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(257)लोआस/2014

परिवादी श्री देशराम निवासी मोई सद्दा, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पंचायत मोई सद्दा के तत्कालीन पटवारी, श्री सहीराम द्वारा रिकॉर्ड में गोचर भूमि खसरा नंबर 254 को बदलकर खसरा नम्बर 255 के रूप में दर्शित करते हुए सरपंच व अन्य लोगों की मिलीभगत से राजकीय भूमि पर पट्टा संख्या 02 बुक संख्या 31 जारी कर भारी रकम लेकर राजकीय भूमि का बेचान कर देने के प्रकरण की जाँच करवाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 19.01.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण की जाँच में दोषी पाये गये लोकसेवक तत्कालीन पटवारी, मोई सद्दा श्री सहीराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उसे दो वार्षिक वेतनवृद्धि

असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में गलत रूप से जारी पट्टे को निरस्त करवाने के लिए नियमानुसार निगरानी न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं में प्रस्तुत की गई जो लम्बित है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने से एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(300)लोआस/2014

परिवादी श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम दादिया, वाया कटराथल, तहसील व जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम दादिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 212/704 पर भू-माफिया द्वारा तारबन्दी कर किये गये अतिक्रमण में पटवारी हल्का की मिलीभगत होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण हटवाये जाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद पर कार्यवाही करने से जिला कलेक्टर, सीकर ने रिपोर्ट दिनांक 08.12.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम दादिया की राजकीय चारागाह भूमि में अवस्थित विभिन्न अतिक्रमणों की जाँच की जाकर पुख्ता निर्माण के अलावा शेष अस्थायी अतिक्रमणों को दिनांक 06.04.2015 को हटवाया गया। भूमि में पुख्ता निर्माण होने देने के लिये सम्बन्धित लोकसेवकों के उत्तरदायित्व निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिला कलेक्टर, सीकर की रिपोर्ट दिनांक 22.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में पटवार मण्डल दादिया में पदस्थापित विभिन्न पटवारियों एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों की लापरवाही हेतु राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के

तहत आरोप-पत्रादि जारी कर दिये गये। शिकायत में वर्णित पुख्ता निर्माणशुदा भूमि को आदेश दिनांक 04.03.2016 से आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में लोकसेवकों श्री सतीश मीणा, श्री विद्याधर सिंह व श्रीमती विमला चौधरी, पटवारियान व श्री शिवपाल सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक को भविष्य में सजगता से कार्य करने की चेतावनी देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण किया गया। श्री मंगलचन्द, तत्कालीन तहसीलदार, सीकर के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण उन्हें मौखिक चेतावनी देकर किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(390)लोआस/2014

परिवादी श्री रघुवीर जैन निवासी सेंती, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में 3 लाख 38 हजार रूपये जमा करवाने के पश्चात् उसकी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की पत्रावली पिछले 08 वर्षो से शासन उप सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, जयपुर, जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के बीच घूमते रहने के बावजूद लाल फीताशाही एवं सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य पालन की विफलता के फलस्वरूप भूमि की खातेदारी प्राप्त न होने की शिकायत करते हुए मामले की जाँच करवाई जाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसे उसकी भूमि की खातेदारी दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद पर जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने रिपोर्ट दिनांक 31.12.15 से अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी को खातेदारी अधिकार प्रदान

करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। परिवादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने की पुष्टि दिनांक 06.01.2016 को प्रेषित पत्र द्वारा की गई। प्रकरण के निस्तारण की देरी से परिवादी को हुये आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही में श्री प्रदीप कुमार मट्ठा, पटवारी पर आरोप सिद्ध नहीं होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई तथा श्री सुरेन्द्र कुमार छीपा, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसे चेतावनी देकर प्रकरण का निस्तारण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(491)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती गुलाब देवी ग्राम राजोली, तहसील लालसोट, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी भूमि का तकासमा करवाने बाबत मुकदमा नम्बर 209/04 में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.03.2007 को प्रारम्भिक-डिक्री जारी कर कुरेजात भिजवाने हेतु तहसीलदार, लालसोट को लिखे जाने से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कुरेजात रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में नहीं भिजवाने से खातेदारी भूमि का कुरेजात कर रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 27.05.15 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में दिनांक 11.02.11 को उपखण्ड अधिकारी, लालसोट का स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने से पालना नहीं की गई। दिनांक 25.03.2015 को कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार, लालसोट को प्रस्तुत हो चुके हैं। इस प्रकार लगभग 04 वर्ष तक न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध

कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर को लिखा गया। जिला कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक श्री रेवड़मल बहरवाल को दोषी बताया। जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अन्य रिपोर्ट दिनांक 05.10.2015 से अवगत करवाया गया कि श्री बहरवाल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत प्रस्ताव निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर दिये गये। इस सम्बन्ध में निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 11.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 29.06.2016 को भिजवाये गये प्रस्ताव पर राजस्व मण्डल द्वारा आरोपी लोकसेवक श्री रेवड़मल, तत्कालीन, भू-अभिलेख निरीक्षक हाल तहसीलदार, लालसोट को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत ज्ञापन-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(512)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश पंवार निवासी मोहल्ला श्रीरामसर, पोस्ट सुजानदेसर, वार्ड नम्बर 19, थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि राजस्व विभाग के निर्देशों के अनुसरण में ग्राम करमीसर के उपनिवेशन खसरा नम्बर 206 व 207 के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारी दिये जाने बाबत प्रकरण संख्या 117/96 दर्ज हुआ जो बाद निर्णय निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि नगर विकास न्यास, बीकानेर के योजना क्षेत्र में होने के आधार पर प्रकरण में खातेदारी नहीं दी गई। प्रकरण की अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर न्यायालय में प्रस्तुत

हुई जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा निर्देशों के साथ प्रकरण जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.08 से पूर्व ही प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 28.8.06 को खातेदारी अधिकारों का अंकन कर दिया गया। भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार एवं विरासत के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 624 व 646 दर्ज किये गये। तत्पश्चात् अवैध विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 675 व 786 भी दर्ज किये गये हैं। परिवादी ने प्रकरण की जाँच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 28.12.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में अनियमित रूप से खातेदारी आदेश जारी करने एवं तदनुरूप नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में उत्तरदायी पटवारी, गिरदावर एवं नायब तहसीलदार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के अंतर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र दिनांक 24.11.2015 के द्वारा निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जा चुके है। तत्पश्चात् निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार, बीकानेर, श्री किशनसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री प्रभुदयाल, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं श्री गौरीशंकर, पटवारी के विरूद्ध राजस्व मण्डल स्तर पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के तहत दिनांक 31.01.2016 को आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(555)लोआस/2014

परिवादी श्री रामरतन धनोपिया निवासी सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तहसीलदार, टोंक व ऑफिस कानूनगो द्वारा भ्रष्टाचार एवं षड्यंत्रपूर्वक रिकॉर्ड में हेरा-फेरी करते हुए प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण को अवैधानिक रूप से निरस्त किये जाने की शिकायत करते हुए प्रकरण की जाँच करने एवं दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 07.10.15 के द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार, टोंक द्वारा ग्राम गोहरपुरा में 99 बीघा भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 707 दिनांक 28.11.2013 बहक रामरतन धनोपिया व कुंजबिहारी, नामान्तरण संख्या 708 दिनांक 28.11.2013 बहक श्रीराम धनोपिया व तीर्थनारायण एवं नामान्तरण संख्या 709 दिनांक 28.11.2013 बहक रामशरण धनोपिया व मुकुट बिहारी के पक्ष में स्वीकार किये गये। उक्त स्वीकृत नामान्तरण को तहसीलदार, टोंक द्वारा रिव्यू कर दिनांक 23.01.2014 को निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रभावित पक्ष को सुने बिना ही नामान्तरण रिव्यू कर निरस्त कर दिया गया जो नियमों के विरूद्ध एवं संदेहास्पद है। तहसीलदार, टोंक के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध राजस्थान, सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रकरण निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को भिजवा दिया गया। निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 के द्वारा अवगत

करवाया कि श्री दौलतसिंह राठौड़, तत्कालीन तहसीलदार, टोंक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु दिनांक 04.02.2016 को आरोप-पत्र जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(579)लोआस/2014

परिवादी श्री दिनेश मलिक कोषाध्यक्ष, संयुक्त व्यापारी महासंघ, भारत बूट हाउस, बजाजा बाजार, जिला अलवर ने प्रस्तुत परिवाद में उप-पंजीयक कार्यालय, अलवर द्वारा दिनांक 05.04.2013 को अनिल कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र में विक्रीत जायदाद कॉर्नर भूखण्ड एवं व्यावसायिक उपयोग की होने के बावजूद इसे कृषि भूमि बताकर श्री राजेन्द्र चौहान, रीडर, उप-पंजीयक कार्यालय, अलवर द्वारा राज्य सरकार को दस्तावेज के पंजीयन में लगभग 2,50,000/- रूपये के मुद्रांक शुल्क का नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाते हुए उक्त भूखण्ड का निरीक्षण किया जाकर बकाया राशि मय ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 10.03.2016 को निर्णय पारित कर राशि 1,58,860/- रूपये वसूल करने के आदेश दिये गये। पक्षकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत ब्याज/शास्ति में 75 प्रतिशत की छूट के प्रावधान अनुसार कुल 1,09,660/- रूपये जरिये रसीद दिनांक 30.03.2016 से राजकोष में जमा करा दिये गये। इस प्रकार

नियमानुसार वसूली योग्य राशि की वसूली की जा चुकी है। प्रकरण में लापरवाही बरतने हेतु आरोपी लोकसेवक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, तत्कालीन पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक, अलवर (प्रथम) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(67)लोआस/2015

परिवादी श्री शिम्भूराम निवासी रोलचान्दावता, तहसील मेड़ता, जिला नागौर ने यह परिवाद पटवारी हल्का, रोलचान्दावता श्री पतराम विश्नोई के विरूद्ध फसल गिरदावरी रिपोर्ट सही नहीं बनाने एवं भ्रष्टाचार करने की जाँच करवाने तथा फसल खराबे का मुआवजा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर की रिपोर्ट दिनांक 02.11.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में की गई जाँच में सम्बन्धित पटवारी को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इस सम्बन्ध में उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। तत्पश्चात रिपोर्ट दिनांक 30.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपी लोकसेवक श्री पतराम विश्नोई के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही ''मौखिक चेतावनी'' देकर समाप्त कर दी गई है। यह भी अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा गिरदावरी की पूरक सूचियां बनाने की माँग की गई है, जो अब संभव नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को यथोचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से परिवाद दिनांक 13.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(193)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सुनिता निवासी कापरेन, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कापरेन नगर की सड़क एवं आबादी से निकट स्थित व्यावसायिक भूमि को विक्रेता मदन लाल आत्मज गोपाल व क्रेता हेमन्त पत्नी छोटूलाल द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर आबादी एवं सड़क से दूर स्थित भूमि की दर से दिनांक 21.04.2015 को उप पंजीयक, कापरेन से पंजीयन करवाने तथा उप पंजीयक द्वारा पद का दुरूपयोग कर बिना मौका निरीक्षण किये दस्तावेज का पंजीयन कर मुद्रांक कर का अपवंचन करते हुए राज्य सरकार को पहुँचाई गई हानि के सम्बन्ध में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बून्दी ने प्रतिवेदन दिनांक 24.06.16 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूमि की क्रेता श्रीमती हेमंत कुमारी पत्नी छोटूलाल गौतम निवासी कोटा द्वारा बकाया मुद्रांक राशि 1,94,650/- रूपये राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति की सही मालियत का निर्धारण कर कमी मुद्रांक की सम्पूर्ण राशि जमा हो चुकी है। उप पंजीयक, श्री रघुवीर प्रसाद मीणा को भविष्य में सतर्क रह कर कार्य करने की हिदायत दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(440)लोआस/2015

परिवादी श्री जगतार सिंह निवासी ग्राम 3 सी.सी, पोस्ट 16 बी.बी., तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा आरोपी पटवारी को लाभ पहुँचाने के लिए बिना जाँच एकपक्षीय कार्यवाही कर पक्षपातपूर्ण फैसला करने एवं पुलिस थाना, पदमपुर में पटवारी, श्री किशन धारणिया के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 व 471 सपठित 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्तिम नतीजा रिपोर्ट लगा देने की शिकायत करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा पदमपुर से ऋण लेने हेतु प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रति पर फर्जी हस्ताक्षर करने की जाँच एफ.एस.एल. से करवाने एवं दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दिनांक 02.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री किशन धारणिया, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल 7 सी.सी., तहसील पदमपुर, हाल पटवारी पटवार मण्डल 16 पी.एस., तहसील रायसिंहनगर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(448)लोआस/2015

परिवादी श्री चन्द्राराम निवासी ढाणी गलकट्या तन-मऊ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में रिश्वत लेकर फर्जी तरीके से ट्यूबवैल निर्माण की झूठी रिपोर्ट करने के दोषी पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर ने रिपोर्ट दिनांक 10.10.2016 एवं 20.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत अवैध ट्यूबवैल को जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 15.12.2016 को सील कर दिया गया है। गलत रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(1006)लोआस/2015

परिवादी श्री नारायण सिंह निवासी सरदारशहर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उप पंजीयक कार्यालय, सरदारशहर के पंजीयन लिपिक, श्री निर्मल सोनी द्वारा राजस्व हानि कारित करने के तथ्य जाँच में साबित होने पर भी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत करते हुए प्रकरण में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, चूरू एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 31.05.2016 से अवगत करवाया कि परिवाद के सम्बन्ध में जाँच करवाये जाने पर उप-पंजीयक, सरदारशहर द्वारा न्यायालय कलेक्टर मुद्रांक के यहाँ रेफरेन्स प्रकरण दर्ज किये गये। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 80 व 82 की भूमि से सम्बन्धित 05 दस्तावेजों में राशि 21,12,000/- रूपये मुद्रांक शुल्क की अपवंचना पाये जाने पर इस बाबत न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां रेफरेन्स प्रकरण दर्ज करवाये गये एवं साथ ही दोषी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने बाबत निर्देशित किया गया।

जिला कलेक्टर, चूरू ने रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि डी.एल.सी. दर से कम दर पर पंजीयन करने बाबत दोषी पाये जाने पर पंजीयन लिपिक श्री निर्मल सोनी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई। कम वसूल की गई मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), सीकर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 36/2015, 40/2015 तथा 46/2015 दर्ज करवाये जा चुके हैं। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की रिपोर्ट दिनांक 04.01.17 के अनुसार कलेक्टर मुद्रांक, सीकर के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में दिनांक 26.09.2016 को निर्णय पारित कर दिये गये, जिनकी पालना में दो प्रकरणों में पक्षकारों से कमी मुद्रांक शुल्क के पेटे 25 प्रतिशत राशि तथा प्रकरण संख्या 46/2015 में सम्पूर्ण राशि वसूल की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(07)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश सिंह परमार निवासी ग्राम दौपुरा, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नहीं किये गये नामान्तरण को प्रमाणित करने, अवैध रूप से किये गये बेचान का विक्रय-पत्र पंजीकृत करने, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित कर सवर्ण व्यक्ति के नाम विक्रय-पत्र पंजीकृत करने, मुद्रांक शुल्क की अपवंचना करने व अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय करने इत्यादि तहसीलदार, बसेड़ी द्वारा गलत रूप से की गई कार्यवाहियों को निरस्त करने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.02.17 के अनुसार प्रकरण की जाँच में दोषी पाये गये लोकसेवक श्री शाहिद अली खान तत्कालीन तहसीलदार, बसेड़ी तथा श्री देवेन्द्र मीणा तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल, दौपुरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप-पत्रादि जारी किये जा चुके हैं। प्रश्नगत नामांतरण के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर में अपील विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 27.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(133)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती सुशीला पारीक निवासी रामगढ़, तहसील महवा, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा का स्थगन आदेश होने के बावजूद विवादित भूमि का विक्रय-पत्र पंजीकृत कर देने की शिकायत करते हुए सम्बन्धित तहसीलदार एवं उप पंजीयक, महवा तथा पटवारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में श्री मुकेश चन्द्र शर्मा, पटवारी को नियम विरूद्ध कार्य हेतु आरोपी मानते हुए उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत आरोप-पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। प्रकरण में हुई गलत रजिस्ट्री को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद प्रस्तुत करने बाबत परिवादी को अवगत करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(234)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती कैलाशी बाई निवासी ग्राम चेता, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी ने प्रस्तुत परिवाद में उसकी खसरा नम्बर 450 व 451 की भूमि वाके ग्राम चेता के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली में वाद विचाराधीन होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि पर प्रतिपक्षी कंवरा के पुत्र नंदकिशोर का कब्जा नहीं होते हुए भी कब्जे की झूठी रिपोर्ट करने एवं इसके आधार पर वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने का अंकन कर उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये जाने से सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बून्दी ने रिपोर्ट दिनांक 17.11.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली द्वारा दिनांक 22.06.2016 को निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि खातेदारी प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.12.10 के आधार पर खातेदारी आदेश दिनांक 18.02.2011 को जारी किया गया, जो स्थगन आदेश की दिनांक से पूर्व का है। तत्समय पटवारी हल्का व तहसील कार्यालय द्वारा भूमि पर कब्जा होने बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी दी गई है। प्रकरण में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का, श्री पृथ्वी सिंह सोलंकी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(276)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मोरू कंवर निवासी दानजी की होदी, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसके ससुर द्वारा उसे जरिये पंजीकृत बक्शीसनामा दान की गई भूमि का नामान्तरण श्रीमती पप्पू कंवर के नाम दर्ज करने के फर्जीवाड़े बाबत तत्कालीन हल्का पटवारी, लेखा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही कर उसकी भूमि का नामान्तरकरण उसके नाम करवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, जैसलमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.10.2016 के अनुसार परिवादी की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में

राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को शुद्ध कर परिवादी का नाम दर्ज कर दिया गया। प्रकरण में की गई नियम विरूद्ध कार्यवाही बाबत तत्कालीन पटवारी हल्का, लेखा श्री कृपाराम तथा तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, मोढ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(98)लोआस/2009

परिवादी श्री लिछमण से दिनांक 22.03.2010 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने गाँव रेजड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के कुछ व्यक्तियों को सम्बन्धित पटवारी व सचिव द्वारा वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता पेंशन गैर कानूनी रूप से स्वीकृत करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से दिनांक 10.10.2011 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि गलत पेंशन स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, गालड़ की पूर्व सरपंच श्रीमती आजाद कौर एवं ग्राम सेवक श्री ओम प्रकाश पूनिया को दोषी पाकर उनके विरूद्ध क्रमशः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन नियमानुसार जाँच और राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से दिनांक 31.07.14 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाँच पश्चात् ओम प्रकाश पूनिया को आरोपों से दोषमुक्त किया गया। पेंशन लाभार्थीगण शेराराम, हवासिंह, कमला, धर्मसिंह व शरबती के पेंशन स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिये

गये तथा इनके विरूद्ध पुलिस थाना सिद्धमुख म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश दे दिया गया।

इसी क्रम म. पुलिस थाना सिद्धमुख म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2011 पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान के पश्चात् आरोपीगण हवा सिंह वगैरह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468 व 471 सपठित 120बी के अपराधों का अभियोग-पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ के न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया। पेंशन लाभार्थीगण श्री शेराराम, श्री हवा सिंह, श्रीमती कमला, श्री धर्म सिंह, श्रीमती बिरमा व श्रीमती शरबती के विरूद्ध गलत रूप से उठायी गई पेंशन की कुल राशि 47,600/-रुपये वसूलना प्रस्तावित कर उनसे यह राशि वसूल कर ली गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(75)लोआस/2011
एफ.12(76)लोआस/2011
एफ.12(77)लोआस/2011
एफ.12(78)लोआस/2011
एफ.12(79)लोआस/2011
एफ.12(80)लोआस/2011
एफ.12(81)लोआस/2011
एफ.12(82)लोआस/2011
एफ.12(86)लोआस/2011
एफ.12(87)लोआस/2011

एफ.12(88)लोआस/2011

परिवादीगण श्री राम सरन व अन्य से दिनांक 08.09.2011 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, जारगा, पंचायत समिति, बसेड़ी जिला धौलपुर के सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बसेड़ी वगैरह के विरूद्ध वर्ष 1977 की बी.पी.एल. सूची म. चयनित विभिन्न लाभार्थियों के नाम स्टेट बी.पी.एल. सूची म. फर्जी तौर से जोड़कर अपात्र व्यक्तियों के राशन-कार्ड बनवाने तथा माह अप्रैल, 2010 से उन्हें अवैधानिक तरीके से राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की शिकायत करते हुए पात्र प्रार्थियों के नाम स्टेट बी.पी.एल. सूची म. जोड़कर राशन कार्ड जारी करने की प्रार्थना की। परिवाद पत्रावली संख्या-

12(76)लोआस/2011, 12(76)लोआस/2011, 12(77)लोआस/2011, 12(78)लोआस/2011, 12(79)लोआस/2011, 12(80)लोआस/2011, 12(81)लोआस/2011, 12(82)लोआस/2011, 12(86)लोआस/2011, 12(87)लोआस/2011 व 12(88)लोआस/2011 समान प्रकृति एवं विषयवस्तु की होने से इन्हें आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा पत्रावली संख्या 12(75)लोआस/2011 के साथ संलग्न कर कार्यवाही की गई।

इस सम्बन्ध म. पंचायती राज विभाग से दिनांक 11.04.12 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा स्टेट बी.पी. एल. की सूची तैयार करवाये जाने हेतु जो नाम भेजे गये, उनम. फर्जीवाड़ा किया गया। इस कारण जिन पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसके लिये तत्कालीन सरपंच श्री आदिराम एवं तत्कालीन सचिव श्री रामचरण लाल (सेवानिवृत्त), ग्राम पंचायत, जारगा स्पष्टतः दोषी हैं। इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 06.12.12 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले म. पुलिस थाना, बसेड़ी म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 317/2012 पंजीबद्ध करवाई गई। दिनांक 09.12.13 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बीपीएल फर्जीवाड़े के कारण

जिन पात्र अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिला था, उनम. से 12 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर उनके नाम राशन-कार्ड जारी किये गये एवं गलत राशन-कार्डों को निरस्त किया गया। तत्कालीन सरपंच श्री आदिराम शर्मा की मृत्यु होना एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामचरण लाल का सेवानिवृत्त होना प्रकट किया गया।

विभाग से दिनांक 22.05.14 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री रामचरण लाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने का पत्र जारी किया गया था, जिसम. ग्राम सेवक द्वारा दिये गये जवाब को संतोषजनक मानते हुए कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बसेड़ी द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट जिला कलक्टर, धौलपुर को प्रेषित कर दी गई परन्तु उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई और दो वर्ष उपरान्त भी श्री रामचरण लाल के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के लिये तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी, श्री राजेश लवानिया का दायित्व निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। इसी क्रम म. दिनांक 07.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामचरण लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही न करने वाले विकास अधिकारियों म. श्री राजेश लवानिया, श्रीमती नसीम खान एवं श्री गिर्राज किशोर शर्मा के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

दिनांक 25.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेश लवानिया (तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित जाँच कार्यवाही म. आरोपित प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण समाप्त किया गया। इसी क्रम म. दिनांक 18.01.2016 व 29.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री गिर्राज किशोर शर्मा (कार्यवाहक विकास अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान

सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन जाँच म. विभाग द्वारा दिनांक 14.01.2016 को पारित आदेश द्वारा उन्हें भविष्य म. सतर्कता से कार्य करने की मौखिक हिदायत देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया तथा श्रीमती नसीम खान के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय लापरवाही का आरोप प्रमाणित न होने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन जाँच प्रकरण को समाप्त किया गया।

इस मामले म. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से दिनांक 24.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि पुलिस थाना, बसेड़ी म. दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217/2012 म. अनुसन्धान के पश्चात् मामला बेबुनियाद पाये जाने पर इसकी तितम्बा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15.06.2015 को न्यायालय म. पेश की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावलियां दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(97)लोआस/2011

परिवादी श्री चेनाराम विश्नोई से दिनांक 23.09.2011 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, एकलखोरी, पंचायत समिति ओसियां म. वर्ष 2010-11 के दौरान महानरेगा के अन्तर्गत सम्पन्न हुए कार्यों म. भारी अनियमितताएं कर सरकारी रकम के हुए दुरूपयोग के मामले की निष्पक्ष जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 30.10.2014 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. मजदूरी व कार्य के सम्बन्ध म. फर्जी मस्टररोल भरने के तथ्य प्रमाणित पाये गये और इसके लिये ग्राम पंचायत के सरपंच श्री खेताराम विश्नोई, ग्राम

सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक व मेट सहित उपस्थिति प्रमाणित करने वाले अधिकारी दोषी पाये गये।

इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 27.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रमिक श्री सुखराम से 9,777/-रुपये, श्री बाबूलाल से 495/-रुपये, श्री बंशीलाल से 3,700/-रुपये मूल राशि व ब्याज राशि 300/-रुपये यानी कुल 4,000/-रुपये की वसूली की गई और दोषी ग्राम सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र दिया जाकर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 08.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्रमिकों की गलत उपस्थिति प्रमाणित करने वाले जिम्मेदार मेटों के विरूद्ध पुलिस थाना, ओसियां म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 164/2012 दर्ज करवाई गई। इसी क्रम म. दिनांक 28.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त फौजदारी मामले म. अभियुक्तगण श्री सुखराम, श्रीमती मूर्ति, श्री जयकिशन व श्री ओपाराम के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सपठित 120 के अपराधों का अभियोग-पत्र दिनांक 19.06.2013 को तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां के न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(21)लोआस/2012

परिवादी श्री सुरेन्द्र से दिनांक 04.05.2012 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा जिला सीकर की सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो म. भारी भ्रष्टाचार कारित करने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें दण्डित करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. पंचायती राज विभाग से दिनांक 06.11.2013 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा द्वारा श्रमिक श्रीमती सरोज देवी/दामोदर स्वामी के द्वारा बैंक खाता नहीं खुलवाने के कारण उसके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान राजकोष से आहरित नहीं हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकट किया गया कि श्रीमती सरोज देवी की दोहरी हाजिरी अंकित करने एवं उसकी मजदूरी राशि का भुगतान समय पर नहीं होने के लिये सरपंच दोषी है।

तत्पश्चात् दिनांक 01.07.2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा म. दो छात्रों को मनरेगा कार्य पर लगाने का दोषी मानते हुए तत्कालीन ग्राम सेवक से 9,500/-रुपये की वसूली कर पंचायत समिति, धौद के राजकोष में जमा करवा दी गई। उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम सेवक सेवानिवृत्त हो चुका है तथा रोजगार सहायक संविदा पद से इस्तीफा दे चुका है एवं तत्कालीन मेट को ब्लेक लिस्टेड किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(27)लोआस/2012

परिवादी श्री मोती सिंह से दिनांक 09.05.2012 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने पंचायत समिति, शेरगढ़ म. पदस्थापित कार्मिक श्री चंचल कुमार पुरोहित द्वारा पंचायत समिति, औसियां के सरकारी आवास के अनाधिकृत उपयोग का गत चार वर्षों से किराया जमा नहीं करवाने, बिजली पानी के अवैध कनेक्शन से बिजली-पानी की चोरी करने और उनके विरूद्ध

1,22,221/-रुपये के गबन की जाँच 15 वर्षो से लम्बित होने से मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 17.10.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री चंचल कुमार राजपुरोहित के विरूद्ध 1,22,221/-रुपये का गबन करने का गंभीर मामला होने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई और श्री राजपुरोहित से समर्पित अवकाश लाभ के गलत भुगतान की राशि 3638/-रुपये की वसूली विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फलौदी द्वारा कर ली गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 29.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री चंचल कुमार के विरूद्ध दण्डात्मक मकान किराया की राशि 98,241/-रुपये होती है। कार्मिक श्री चंचल कुमार द्वारा विद्युत विभाग की बकाया राशि के 13,415/-रुपये और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बकाया राशि के 360/-रुपये जमा करवा दिये गये।

विभाग से दिनांक 21.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री चंचल कुमार राजपुरोहित के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड** से दण्डित कर दिया गयातथा श्री राजपुरोहित के वर्ष 2012 म. पंचायत समिति, शेरगढ़ म. अकारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. भी उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित** किया गया। श्री राजपुरोहित के विरूद्ध बकाया दण्डात्मक

किराया की राशि 98,241/-रुपये के सम्बन्ध म. अवगत करवाया गया कि माह नवम्बर, 2016 तक उनसे 35,000/-रुपये की वसूली की जा चुकी है और बकाया वसूली नियमानुसार 3000/-रुपये प्रतिमाह उनके वेतन से की जायेगी।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उपर्युक्त वसूली की 'त्रैमासिक' रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 21.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(66)लोआस/2012

परिवादी श्री कन्हैयालाल से दिनांक 02.07.2012 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पचायत समिति निवाई, जिला टोंक (हाल पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर) के विरूद्ध मनरेगा कार्य हेतु सीमेण्ट सप्लाई की निविदा म. अनियमितताएँ करने व जाँच म. आपूर्तिकर्ता फर्म को दोषी पाये जाने पर भी फर्म की रोकी गई धरोहर राशि (रुपये 5,92,200/-) को रिश्वत लेकर फर्म को भुगतान किये जाने का आरोप लगाते हुये उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 15.01.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपी लोक सेवक श्री वी.सी. बंसल के तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निवाई के पद पर रहते हुये इनके विरूद्ध मैसर्स स्वास्तिक सीमेण्ट, निवाई की निविदा की शर्तो के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार उच्चाधिकारियों से रिव्यू/अनुमोदन करवाये बिना वित्तीय एवं लेखा नियम, पार्ट-II के नियम 57(4)(पप) का उल्लंघन कर फर्म को रुपये 5,92,200/- धरोहर राशि रिफण्ड करने से राजकीय कर्त्तव्यों के निवर्हन के प्रति घोर उदासीनता का मामला प्रकट

होने से इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र तैयार कर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव शासन सचिव, कार्मिक विभाग को भिजवाये गये।

इसी क्रम म. शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 08.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री वी.सी. बंसल द्वारा प्रेषित लिखित कथन पर प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी चाही गई है और उनके विरूद्ध अनुशासनिक जाँच लम्बित है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर इस मामले में उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट 'त्रैमासिक' रूप से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(78)लोआस/2013

परिवादीगण श्री पितराम बैरवा व अन्य से दिनांक 21.08.2013 को प्राप्त परिवाद म. उनके मकान 35-38 वर्षो से बने होकर उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलते हुए भी ग्राम पंचायत गण्डाल, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर के सरपंच व सचिव द्वारा उन्हें आवासीय पट्टा-विलेख जारी नहीं करने तथा निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद दो वर्षो से इन्दिरा आवास योजना की द्वितीय किश्त रोकने की शिकायत करते हुए द्वितीय किश्त का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से दिनांक 01.01.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादीगण श्री पितराम बैरवा, बेवा बाड़ा देवी बैरवा एवं बुद्धराम बैरवा के परिवारों के मकान ग्राम गण्डाल के आराजी खसरा संख्या 1390 व 1393 म. बने हुए हैं और यह भूमि राजीव गांधी पाठशाला हाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय,

बैरवा बस्ती के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख म. आबादी भूमि के रूप म. दर्ज न होकर विद्यालय के नाम पर दर्ज होने से ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि पर प्रार्थीगण को पट्टा-विलेख जारी नहीं किया जा सकता।

प्राप्त रिपोर्ट म. यह भी उल्लेख किया गया कि स्वयं परिवादीगण ने योजनाबद्ध तरीके से बैरवा ढाणी के लोगों के काफी विरोध के बावजूद जबरदस्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आवंटित भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कच्चे/पक्के आवासीय मकान बनाये हैं और वे प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमी के रूप म. काबिज हैं। दिनांक 31.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा प्रकट किया गया कि परिवादी पितराम वर्ष 2006-07 म. इन्दिरा आवास योजना का लाभ ले चुका है और इस परिवाद म. वर्णित इन्दिरा आवास योजना से सम्बन्धित लाभ श्रीमती रूकमणी (परिवादी पितराम की पुत्रवधू) को दिया गया जिसके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के अनुसार उसने पैतृक जमीन पर मकान का निर्माण न करवाकर विद्यालय को आवंटित भूमि म. निर्माण करवा लिया है। उपर्युक्त आवास स्वीकृति जारी करवाने म. तत्कालीन ग्राम सेवक श्री जगत सिंह जाट की भूमिका रही है।

यह भी प्रकट किया गया कि विद्यालय को आवंटित भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के मकान निर्माण होने देने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गण्डाल के प्रधानाध्यापक श्री पुखराज मीणा जिम्मेदार थे, जिनके द्वारा विद्यालय भूमि पर मकान निर्माण करने से नहीं रोका गया और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई। इस प्रकार संस्था प्रधानाध्यापक उपर्युक्त अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी है। ऐसे निर्माण के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत श्रीमती रूकमणी को पट्टा जारी नहीं कर सकती और उसे इन्दिरा आवास योजना म. द्वितीय व तृतीय किश्त की राशि भी नहीं दिलवाई जा सकती।

तत्पश्चात् शिक्षा विभाग से दिनांक 16.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन प्रधानाध्यापक, श्री पुखराज मीणा के कार्यकाल म. कोई नवीन अतिक्रमण न होने से उनके विरूद्ध प्रारम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया और इसके लिये उत्तरदायी लोकसेवक श्री जगदीश कुमार बैरवा (प्रबोधक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

शिक्षा विभाग से दिनांक 31.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री जगदीश बैरवा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही म. **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड** से दण्डित किया गया। इसी क्रम म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 22.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री जगत सिंह जाट से 25,000/-रुपये वसूल किये गये और उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही म. उन्हें दोषी मानकर **भविष्य म. इस प्रकार की लापरवाही एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता नहीं बरतने की चेतावनी के साथ** प्रकरण का निस्तारण किया गया। लाभार्थी श्रीमती रूकमणी देवी बैरवा के विरूद्ध पुलिस थाना, बामनवास म. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 406 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 142/2016 पंजीबद्ध करवाई गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(119)लोआस/2013

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा से दिनांक 21.10.2013 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, किशोरपुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा के सचिव, श्री मथुरालाल नागर के विरूद्ध सी.सी. रोड़ के निर्माण म. धांधली, सीमेन्ट क्रय करने म. अनियमितता एवं फर्जी मस्टररोल भरकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए मामले की जाँच कर दोषी लोकसेवकों से वसूली कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा से दिनांक 12.03.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया है कि निर्माण कार्यों म. सीमेन्ट की मात्रा कम रखने, बी.एस.आर. दर पर सामग्री क्रय कर अधिक भुगतान-आहरण करने, मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति के अंगूठे लगाकर फर्जी भुगतान करने, मिट्टी व लेबर कार्य के फर्जी भुगतान उठाने, खरंजा निर्माण कार्य म. फर्जी भुगतान करने, सम्पर्क सड़क किशोरपुरा से जाखड़ोद के निर्माण कार्य का फर्जी भुगतान करने, श्मशान घाट मेन रोड़ पर मरड़ा का फर्जी भुगतान करने, राजीव गांधी सेवा केन्द्र म. चार दीवारी निर्माण म. प्रयुक्त सामग्री के अनुपात एवं तराई म. कमी आदि वित्तीय अनियमितताएं जाँच म. प्रमाणित पाये जाने पर दोषी कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मथुरालाल नागर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 10.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, किशोरपुरा के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मथुरालाल नागर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन पारित आदेशानुसार उन्हें **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से** दण्डित किया गया।

विभाग से दिनांक 29.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता श्री ओम प्रकाश डांगल, ग्राम सेवक, श्री मथुरालाल नागर एवं पूर्व सरपंच श्रीमती गायत्री मीणा से 25,632/-रुपये वसूल करना अवगत

करवाया गया। इसी क्रम म. दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री ओम प्रकाश डांगल तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 12.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, सुलतानपुर (कोटा) के तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी, श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(121)लोआस/2013

परिवादी श्री घासीराम से दिनांक 22.10.2013 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, तंवरा पंचायत समिति जायल, जिला नागौर से ठेकेदारों का बकाया भुगतान दिलवाने और दोषी कार्मिक व सरपंच के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 27.06.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि दोषी विकास अधिकारी श्री हरफूल सिंह और ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री करण सिंह जोधा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जिला परिषद स्तर से प्रारम्भ की गई। इसी क्रम म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से दिनांक

26.08.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी श्री हरफूल सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र आदि विभाग को प्रेषित करना और ग्राम सेवक श्री करण सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करना अवगत करवाया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से दिनांक 13.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, तंवरा के ग्राम सेवक श्री करण सिंह को ग्राम पंचायत के बकाया बिलों का ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के मामले म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन दोषी पाये जाने पर उनकी **दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर उन्हें दण्डित कर दिया गया** तथा पंचायत समिति, जायल की ग्राम पंचायतों तंवरा, जोचीणा व दुगस्ताऊ म. परिवादी व अन्य ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान पेटे कुल 55,13,465/-रुपये का भुगतान करवाया दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति जायल, श्री हरफूल सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों की प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग से 'त्रैमासिक' रूप से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 06.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(171)लोआस/2013

परिवादी श्री भागीरथ उर्फ लेखराम, निवासी ग्राम जसरासर, वाया हिमटसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उन्होंने बीकानेर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों म. महानेरगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के नाम पर चार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के बड़े घोटाले के सम्बन्ध म. जाँच करवाकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 15.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि प्रकरण म. उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन है और उत्तरदायी जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा विस्तृत जाँच हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), बीकानेर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। वसूली के सन्दर्भ म. उत्तरदायी आरोपियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन आदेश लिया हुआ है। प्रकरण म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, जो अनुसंधानाधीन हैं।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से दिनांक 20.10.2014 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि पुलिस थाना, नोखा (बीकानेर) की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 474/2012, 475/2012, 476/2012 व 479/2012 म. अनुसन्धान के पश्चात् तथ्य की भूल (अदम वकुआ) के आधार पर अंतिम नतीजा रिपोर्ट दी जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। जिला कलक्टर, बीकानेर से दिनांक 01.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, नोखा की सात ग्राम पंचायतों म. राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत कार्य वर्ष 2011 की अवधि के तथा ग्रेवल सड़कों पर मिट्टी डालने से सम्बन्धित होने के कारण लम्बी समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त इन कार्यो की जाँच किया जाना सम्भव नहीं है।

दिनांक 13.07.2015 को सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर ने रिपोर्ट प्रेषित कर यह अवगत करवाया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के आरोपी सरपंचों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएँ प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने से उनके विरूद्ध वांछित जाँच एवं वसूली नहीं हो पा रही है। विभाग से दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री प्रकाश चन्द भटनागर (आर.ए.एस.) की सेवानिवृत्ति से चार वर्ष की अवधि म. वांछित अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ न करने पर अब उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्भव नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार श्री मीठूसिंह, श्री हरि नारायण सिंह एवं श्री मिर्जा रहमान (कार्यवाहक विकास अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।

विभाग से दिनांक 21.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवकों व पदेन सचिवों सर्वश्री बजरंगलाल, तख्ताराम विश्नोई, कैलाशराम पचारिया, आइदानराम, मकसूद अहमद, श्रवण कुमार व गोविन्दराम एवं श्रीमती सुमन वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप प्रकरण म. सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से ली जा रही है।

एफ.12(212)लोआस/2013

परिवादी श्री मुकेश शर्मा, निवासी 13 डी 5, नया बापूनगर, पुर रोड़, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, रायपुर जिला भीलवाड़ा के सरपंच की मृत्यु के पश्चात् सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार द्वारा अपने चहेतों को अवैध लाभ पहुँचाने की नीयत से मृत सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर पुरानी दिनांक म. कुछ निर्णय कर लेने के सम्बन्ध म. जिला कलक्टर (जन सुनवाई, भीलवाड़ा) के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 22.05.15 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जाँच अधिकारी ने ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलासा करने से सम्बन्धित पत्रावली म. पंचायत द्वारा अपनाई गई कार्यवाही को झूठी एवं दोषपूर्ण माना है और विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर को इस मामले म. सक्षम अधिकारी के यहाँ विधिसम्मत रूप से अपील दायर कर यथोचित अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत के सचिव श्री बंशीलाल कुम्हार द्वारा अपने कर्त्तव्यों का नियमानुसार निर्वहन नहीं करने/दोषपूर्ण कार्यवाही करने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 23.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा करने पर पाया गया कि पूर्व म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर ने सिर्फ वार्ड पंचों के बयान के आधार पर प्रकरण का जाँच प्रतिवेदन तैयार किया, जबकि उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के परिप्रेक्ष्य म. ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा संधारित रिकॉर्ड का अवलोकन कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। सही जाँच प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के लिये तत्कालीन विकास अधिकारी जिम्मेदार है जिनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अलग से

कार्यवाही प्रारम्भ की गई।विभाग से दिनांक 16.12.2015 एवं दिनांक 22.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन विकास अधिकारी श्री अनुसूईया प्रसाद काला के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 17.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन विकास अधिकारी श्री अनुसूईया प्रसाद काला के जवाब पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा की टिप्पणी एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त करने का निर्णय लिया गया और जाँच म. समय लगने की सम्भावना है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से पत्रावली दिनांक 20.06.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(11)लोआस/2014

परिवादी श्री घनश्याम व्यास, निवासी 29, हरि नगर-तृतीय, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उन्होंने राजस्थान पत्रिका (ग्रामीण संस्करण) के दिनांक 03.04.2014 के अंक म. छपी खबर **''वाहन सरकारी या स्वयं क''** के आधार पर यह उल्लेख किया कि नाबार्ड से स्व-वित्तपोषित मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता को आवास दिलवाने से सम्बन्धित है, जिसम. मॉनिटरिंग के नाम पर अधिकारियों द्वारा राजकीय वाहन आवंटित करवाकर अपने स्वयं के स्वार्थ म. निजी कार्यो, पत्नी के मौज-शौक व पत्नी को घर से सरकारी कार्यालय (चाकसू) आने-जाने हेतु उपयोग म. लेकर राजकीय कोष को चूना लगाया जा रहा है और इस घोटाले व

भ्रष्टाचार म. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिवालय स्तर के अधिकारी भी लिप्त हैं।

इस सम्बन्ध म. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से दिनांक 22.09.14 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच करवाये जाने पर श्री हित बल्लभ शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग वित्तीय अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर तदनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

इसी क्रम म. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से दिनांक 28.07.15 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, श्री हित बल्लभ शर्मा द्वारा जिला परिषदों को मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के प्रशासनिक/पर्यवेक्षण मद से राज्य स्तर पर उपयोग म. लाये गये वाहन/कम्प्यूटर मशीन विद मैन आदि का अनियमित एवं दोहरा भुगतान जिले के प्रशासनिक मद से करवाये जाने के सम्बन्ध म. विस्तृत जाँच हेतु गठित समिति की जाँच रिपोर्ट के अनुसार राज्य स्तर पर बजट उपलब्ध होते हुये भी विभिन्न जिला परिषदों से वाहन किराया का भुगतान करने के लिये सक्षम स्वीकृति न ली जाकर स्वयं अपने स्तर से निर्देशित करना कार्यालय प्रक्रिया के विपरीत है और भविष्य म. इस प्रकार की प्रक्रिया को निरूत्साहित करना चाहिए।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 12.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस सचिवालय को गलत सूचना प्रस्तुत कर गुमराह करने, राज्य स्तर पर उपयोग किये गये वाहन का अनियमित भुगतान एवं कम्प्यूटर मशीन विद मैन का भुगतान अपने स्तर से जिला परिषदों से करवाने और एक ही माह के वाहन किराये के बिलों का

पृथक-पृथक भुगतान दो जिला परिषदों से करवाये जाने (दोहरा भुगतान) के प्रकरण म. श्री हित बल्लभ शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग (वर्तमान म. अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज मुख्यालय, जयपुर) उत्तरदायी पाये गये और उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली दिनांक 22.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(18)लोआस/2014

परिवादीगण श्री हुकमाराम व अन्य से दिनांक 01.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत रियांबड़ी, जिला नागौर की सरपंच श्रीमती मधु सैनी के विरूद्ध पंचायत के कार्यो से अनभिज्ञ होने और पंचायत का समस्त कार्य उसके पति द्वारा सम्पादित करने तथा ग्राम पंचायत म. भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतों के बावजूद आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, नागौर से दिनांक 30.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, रियांबड़ी द्वारा कृषि भूमि पर 53 पट्टे नियम विरूद्ध जारी करने तथा बिना किसी उचित कारण के राजकीय राशि के निष्फल व्यय के लिये ग्राम सेवक, सरपंच व कनिष्ठ अभियन्ता को दोषी पाया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर की रिपोर्ट दिनांक 26.10.15 के अनुसार दोषी कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 30.06.2006 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये और तत्कालीन ग्राम सेवक श्री नौरतमल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही कर उनकी **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर** उन्हें दण्डित किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से दिनांक 26.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, रियांबड़ी द्वारा कृषि भूमि पर नियम विरूद्ध जारी 53 पट्टों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध म. सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 09.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई। न्यायिक कार्यवाही म. समय लगने की सम्भावना को देखते हुए इसम. त्रैमासिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

एफ.12(30)लोआस/2014

परिवादी श्री ऐजाज मोहम्मद निवासी खोहदरीबा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पंचायत, खोहदरीबा म. अन्त्योदय कार्डों, इन्दिरा आवासों एवं अन्त्योदय योजना के तहत चयनित परिवारों को साड़ी-कम्बल योजना म. 1500-1500/-रुपये के चैक वितरण म. सरपंच/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत खोहदरीबा एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मिलीभगत कर हेराफेरी करने के मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 19.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि पंचायती राज स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अलग-अलग समय पर रसद विभाग को सूचनाएं दिये जाने के कारण राशन-कार्ड वितरण की स्थिति म. अन्तर आया है और उस अन्तर (परिवर्तन) का संतोषजनक तरीके से स्पष्टीकरण देने तक सम्बन्धित तीन राशन सामग्री विक्रेताओं के प्राधिकार-पत्र निलम्बित किये गये हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग सूचनाएं देने वाले पंचायती राज विभाग के सचिव, सरपंच आदि के विरूद्ध सक्षम स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 21.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दीवार के मामले म. एम.बी. म. दर्ज मूल्यांकन के मुकाबले जाँच के समय मौके पर किये कार्य का मूल्यांकन कम पाये जाने पर अन्तर राशि 1251/-रुपये की वसूली तत्कालीन सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, खोहदरीबा से दिनांक 05.10.2015 को कर ली गई। सोलर लाइट क्रय करने म. 1,82,985/-रुपये के दुरूपयोग के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को उत्तरदायी पाया जाकर उनसे उपर्युक्त राशि वसूल कर ग्राम पंचायत कोष म. जमा करवाई गई। ग्राम सेवक श्री राजेन्द्र पढ्या को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र दिया गया। इस सम्बन्ध म. दिनांक 12.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त ग्राम सेवक को दोषी मानते हुए उसे एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर दण्डित किया गया।

सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 27.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ (हाल टोडाभीम) श्री गिर्राज प्रसाद मीणा के विरूद्ध राजस्थान

सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप प्रकरण म. सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

एफ.12(113)लोआस/2014

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 24.07.2014 के जयपुर संस्करण म. **''सोलर लाइट्स खरीद म. 11 करोड़ का घोटाला''** शीर्षक से छपे समाचार के आधार पर दिनांक 25.07.2014 'स्व-प्रेरणा' से प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्रश्नगत अंकेक्षण जाँच की रिपोर्ट, सोलर लाइट्स खरीद की जाँच बाबत सूचना, जाँच के लम्बित रहते हुए प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाहियों बाबत सूचना, 11,29,00,000/-रुपये के नुकसान की भरपाई बाबत प्रस्ताव एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के प्रस्ताव आदि की सूचना आहूत की गई।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 03.09.2014 को प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है। रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट और सोलर लाइटों की खरीद म. अनियमितता की जाँच के लिये पारित आदेश की प्रतियां प्राप्त हुई। दिनांक 18.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि सोलर लाइटों की खरीद म. अनियमितता के सम्बन्ध म. पंचायत समिति, झोटवाड़ा (जयपुर) के 11 दोषी सरपंचों को निलम्बित किया जा चुका है। दिनांक 15.04.2015 को

प्राप्त रिपोर्ट म. पंचायत समिति, आमेर के ग्राम सेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करना, राजस्थान के समस्त जिलों म. तब तक 2.95 करोड़ रुपये की वसूली कार्यवाही जारी होने तथा करीब 200 प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण लम्बित होना बताया गया।

इसी क्रम म. विभाग द्वारा उपर्युक्त वसूली एवं अनुशासनिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध म. समय-समय इस सचिवालय को अवगत करवाने की प्रक्रिया म. दिनांक 18.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अब तक वसूली योग्य राशि 5936.41 लाख रुपये म. से 754.54 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन प्रस्तावित कार्यवाहियों म. काफी समय लगने की सम्भावना है।

अतः इस सचिवालय द्वारा स्व-प्रेरणा से कार्यवाही करने के फलस्वरूप मामले म. प्रभावी कार्यवाही हो जाने पर उपर्युक्त वसूली एवं अनुशासनिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध म. **'त्रैमासिक'** रूप से विभाग से प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 01.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(224)लोआस/2014

परिवादी श्री बीरबल राम विश्नोई से दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, लोहावट विश्नावास, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर के सरपंच श्री केसरी चन्द एवं ग्राम सेवक श्री केसाराम मेघवाल द्वारा पंचायत कोष से लाखों रुपये का गबन व हेरा-फेरी करने की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 05.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत लोहावट बिश्नावास द्वारा कुल 266 पट्टा-विलेख नियम विरूद्ध जारी करना पाया गया। उनसे दिनांक 02.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण म. ग्राम सेवक श्री केसाराम मेघवाल को दोषी पाया गया। इसी क्रम म. दिनांक 07.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री केसाराम मेघवाल को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक जाँच म. दोषी पाये जाने पर उन्हें **दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के** दण्ड से दण्डित किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, लोहावट विश्नावास द्वारा नियम विरूद्ध जारी पट्टा-विलेखों के सम्बन्ध म. अतिरिक्त जिला कलक्टर, फलौदी के समक्ष कुल 225 निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उपर्युक्त निगरानी याचिकाओं के निर्णयन के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर को निर्देश देते हुए पत्रावली दिनांक 03.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(226)लोआस/2015

परिवादी श्री अजीत सिंह से दिनांक 26.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, राजियासर मीठा के पूर्व सरपंच श्री केसर सिंह, ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह, सहायक ग्राम सेवक श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता श्री मोहनलाल जाट व मेट बजरंगलाल जाट वगैरह द्वारा वर्ष

2010 से 2014 की अवधि म. ग्राम पंचायत के अधीन निर्माण कार्य करवाये बिना ही अपने नजदीकी व परिवार के सदस्यों के नाम से भुगतान उठाकर करीब एक करोड़ रुपये का गबन करने के मामले की उच्चाधिकारियों से जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 18.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि इस मामले की जाँच रिपोर्ट के आधार पर मजदूरी के रूप म. श्री सुख सिंह वगैरह को दी गई कुल राशि 17,150/-रुपये वसूली योग्य बताई गई, जो दिनांक 26.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्री केसर सिंह और ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह शेखावत से आधी-आधी राशि (8575-8575/-रुपये यानी कुल 17,150/-रुपये क्रमशः दिनांक 21.04.2016 व 03.05.2016 को वसूल कर ली गई।

इस मामले म. दोषी पाये गये ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह शेखावत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उपर्युक्त अनुशासनिक जाँच की प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से त्रैमासिक रूप से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 19.10.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(319)लोआस/2014

परिवादी श्री शिवलाल से दिनांक 10.10.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, बबेली तहसील राजगढ़, जिला अलवर के सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों म. भ्रष्टाचार कारित करने का आरोप लगाते हुये मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 21.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रैणी से प्राप्त अंतरिम जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, बबेली के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुये उन्हें निलम्बित किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 29.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गयाकि ग्राम सेवक, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को ग्राम बबेली म. ठेकड़ा से छीतर वाली जोहड़ी तक स्वीकृत ग्रेवल सड़क का निर्माण नहीं करवाने, राजगड्या की ढाणी म. खातेदारी की भूमि म. स्थित कुएँ म. सिंगल फेज पम्प सेट डालने एवं ईसवाना म. निजी कुएँ म. बोर डलवाकर राजकीय आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया, जिससे उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर प्रकरण म. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट 'त्रैमासिक' रूप से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 27.10.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(345)लोआस/2014

परिवादी श्री पंकज कुमार शर्मा से दिनांक 05.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र, श्रीमाधोपुर, सीकर के भाग संख्या 103 के तत्कालीन बी.एल.ओ., श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत, दांतारामगढ़ के सचिव श्री नेकीराम मील एवं ग्राम पंचायत, मुण्डरू के तत्कालीन सचिव, श्री गोविन्द नारायण के विरूद्ध निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग कर लम्बे अर्से से रिकॉर्ड म. अंकित श्री सीताराम चेला श्री रामचन्द्र दास के

पिता का नाम परिवर्तित कर सीताराम पुत्र श्री रामेश्वर के नाम से मतदाता पहचान-पत्र एवं राशन-कार्ड आदि बना देने के आरोप लगाते हुए उपर्युक्त दस्तोवजों को निरस्त कर दोषियों को दण्डित करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 11.03.2016 को प्राप्त टिप्पणी/रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि इस मामले म. वर्ष 2005 म. सीताराम पुत्र रामेश्वर, जाति ब्राह्मण, निवासी, मुण्डरू द्वारा ग्राम पंचायत, दातारामगढ़ म. जाकर पिता का नाम रामेश्वर होते हुए भी श्री रामचन्द्र दास, जाति दादूपंथी स्वामी, निवासी दांतारामगढ़ के चेला के रूप म. राशन-कार्ड बनवाये जाने के तथ्य की जाँच ग्राम सेवक द्वारा नहीं की गई। इसके उपरान्त तत्कालीन ग्राम सेवक, श्री नेकीराम के हस्ताक्षर से दिनांक 27.07.2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र म. सीताराम के पिता का नाम एवं वल्दियत भी नहीं लिखी गई, जिसम. उसकी जानबूझ कर की गई लापरवाही व मिलीभगत पाई गई।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 09.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, दातारामगढ़ के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री नेकीराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें लिखित चेतावनी देते हुए प्रकरण को निस्तारित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 03.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री फूलचन्द महर्षि को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही म. **एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड** से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(349)लोआस/2014

परिवादी श्री हजारी लाल मीना से दिनांक 11.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने किसान सेवा केन्द्र हुड़ला जिला दौसा के निर्माण म. ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव श्री उग्रसेन द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच उच्च तकनीकी अधिकारी से करवाकर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, दौसा से दिनांक 01.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि प्रकरण कुल 33721/-रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं किसान सेवा केन्द्र, हुड़ला के निर्माण के लिये बिना निविदा के ही सामग्री क्रय करने की प्रक्रियात्मक अनियमितता पाई गई। पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 09.05.2016 के अनुसार प्रकरण म. पुनः की गई विस्तृत जाँच म. उपर्युक्त राशि वसूली योग्य नहीं पाई गई। इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 03.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री उग्रसेन बैरवा और कनिष्ठ अभियन्ता श्री शिव दयाल मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें भविष्य म. इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए कार्यवाही समाप्त की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(365)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती गौरी देवी (सरपंच) से दिनांक 21.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत कांवलास, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के सचिव व सहायक सचिव द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना और ग्राम पंचायत म. किये गये अन्य कार्यों के भुगतान पर उनके हस्ताक्षर कर भुगतान उठा लेने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 14.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि स्वयं सरपंच (परिवादी) द्वारा पुलिस थाना, आसीन्द म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2014 पंजीबद्ध करवाई गई।ग्राम पंचायत, कांवलास म. कार्यरत सहायक सचिव श्री प्रेमाराम द्वारा ग्राम कांवलास म. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना म. जिला परिषद् के स्वीकृति आदेश दिनांक 04.03.2014 से लाभार्थी श्री चुन्नीलाल/बालू बलाई के नाम व स्वीकृति आदेश दिनांक 27.12.2013 से अपनी पत्नी श्रीमती प्रेम देवी के नाम गलत आई.डी. फॉर्म से मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना म. आवास स्वीकृत करवाया जाना पाया गया। इस कारण तत्कालीन ग्राम सेवक श्री जसविन्दर सिंह एवं सहायक सचिव श्री प्रेमाराम को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की गई तथा इस सम्बन्ध म. दिनांक 06.04.2016 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त दोनों दोषी कार्मिकों को **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके** जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(527)लोआस/2014

परिवादी श्री मनफूलराम से दिनांक 19.03.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरपंच व सचिव द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो म. घटिया कार्य करवाने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 11.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा को सड़क एवं पुल के मध्य निर्धारित ढाल में रेम्प निर्माण हेतु दिये गये निर्देश और स्वीकृत पाइपलाइन सही गहराई तक नहीं होने से इसे सही करवाने के दिये गये निर्देश की पालना सम्बन्धित कार्मिक श्री विजय कुमार, ग्राम सेवक द्वारा नहीं करने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 24.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि किसान सेवा केन्द्र/भू-अभिलेख सूचना केन्द्र, दौलतपुरा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और पाइपलाइन सही करवाई गई है, जिसमें पानी चल रहा है। दिनांक 30.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि क्यू माइनर नहर के पुल के दोनों तरफ इन्टरलॉकिंग सड़क के निर्माण का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया और आवागमन में कोई परेशानी नहीं है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 12.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि दोषी कार्मिक श्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा द्वारा कार्य सही नहीं करवाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 के

नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर कार्यालय आदेश दिनांक 09.01.2017 के अनुसार उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने** के दण्ड से दण्डित किया गया। बी.ए.डी.पी. म. श्री देवीलाल मुख्य चौक सड़क तक स्वीकृत सी.सी. रोड़ के निर्माण हेतु सामग्री श्री विजय कुमार से प्राप्त कर सी.सी. रोड़ का निर्माण करवाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर राशि का समायोजन किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने से पत्रावली दिनांक 10.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(172)लोआस/2015

परिवादी श्री अशोक कुमार ओझा व अन्य से दिनांक 29.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, बाड़ी, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर के वर्तमान एवं पूर्व सचिवों व सरपंचों द्वारा वर्ष 2010 से 2015 की अवधि म. पंचायत की परिसम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द कर हानि पहुंचाने पर उनके विरूद्ध उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बाड़ी की पुरानी परिसम्पत्तियों पर अवैधानिक रूप से हुए कब्जों, उपयोगी सामग्री को खुर्द-बुर्द करने, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के अभाव, अभिलेख संधारण के अभाव व आबादी भूमि के कुप्रबन्धन के कृत्य हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 136 से 173 म. वर्णित प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन कार्यरत सरपंच एवं ग्राम सेवक/सचिव उत्तरदायी हैं। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 25.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल दोषी 11 ग्राम

सेवकों व पदेन सचिवों म. से 4 ग्राम सेवकों सर्वश्री रतनलाल जाट, घनश्याम शर्मा, राजेश कुमार भिण्डा व नन्द किशोर पुरोहित के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं और शेष 7 ग्राम सेवकों म. से एक श्री उमराव सिंह पोकरणा की मृत्यु हो चुकी है तथा 6 ग्राम सेवक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, बाड़ी के तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री राजेश भिण्डा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप प्रमाणित होने से उन्हें **दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से** दण्डित किया गया। विभाग से दिनांक 04.11.2016 व 15.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार दोषी ग्राम सेवकों श्री घनश्याम शर्मा व श्री रतनलाल जाट (हाल कृषि पर्यवेक्षक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आदेश जारी कर उन्हें **दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से** दण्डित किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री नन्द किशोर राजपुरोहित के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें **पेंशन में से 10वां भाग कम करने के दण्ड से दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(182)लोआस/2015

परिवादी श्री राकेश वर्मा से दिनांक 04.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, आलनिया (पंचायत समिति, लाड़पुरा, जिला कोटा) के तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद पहाड़िया व सचिव श्री नन्द किशोर नागर के विरूद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को लेकर की गई शिकायत म. जाँच अधिकारी/पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, कोटा द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट म. दिये गये निष्कर्ष अनुसार मामले की विस्तृत जाँच करवाने की प्रार्थना की गई।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री चन्द्र शेखर सिंघल एवं नन्द किशोर नागर को जमा राशि का ग्राम पंचायत खाते से लेन-देन नहीं करने, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव बिना जमा की जाने वाली राशि को बन्द करने व रिकॉर्ड अपने स्तर पर संधारित करने की लापरवाही का दोषी पाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 26.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त दोनों दोषी ग्राम सेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें कार्य के प्रति लापरवाह मानते हुए **''परिनिन्दा''** के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(222)लोआस/2015

परिवादी श्री यशपाल सिंह शेखावत से दिनांक 25.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, पाँचूडाला, तहसील कोटपूतली, जिला

जयपुर के वर्ष 2015 के चुनाव म. सरपंच पद के अभ्यर्थी श्री मुकेश गुर्जर की शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध म. कूटरचित टी.सी. की जाँच म. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली के द्वारा गलत जाँच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली को प्रेषित करने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि तत्कालीन जाँच अधिकारी एवं अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली (वर्तमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवर, सराड़ा, उदयपुर) श्री राजेन्द्र यादव को राजकार्य के प्रति उदासीनता, दायित्व निर्वहन म. लापरवाही तथा विभाग को गुमराह किये जाने के लिये उत्तरदायी पाया गय। अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 23.02.2017 को प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र यादव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उपर्युक्त विभागीय जाँच कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की सूचना विभाग से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 02.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(226)लोआस/2014

परिवादी श्री दीपाराम से दिनांक 28.08.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत के विरूद्ध आरोप लगाया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर द्वारा दिनांक 20.06.14 को ग्राम पंचायत मीठड़िया के दोषी सरपंच एवं कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश के बावजूद उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर से दिनांक 19.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मीठड़िया के तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री सूरताराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक जाँच के पश्चात् विकास अधिकारी, कोलायत द्वारा दिनांक 15.06.2015 को पारित कार्यालय आदेश के अनुसार उन्हें दोषी मानते हुए **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से** दण्डित किया गया।

तत्पश्चात् सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से दिनांक 18.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत द्वारा ग्राम पंचायत, मीठड़िया के पूर्व सरपंच के विरूद्ध पुलिस थाना, बज्जू म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2016 पंजीबद्ध करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.06.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(229)लोआस/2015

परिवादी श्री अजीत सिंह से दिनांक 26.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, राजियासर मीठा के पूर्व सरपंच श्री केसर सिंह द्वारा ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सेवक व मेट की मिलीभगत से ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं म. अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाकर सरकारी धनराशि का दुरूपयोग करने पर मामले की जाँच के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. दिनांक 20.05.2016 को जिला कलक्टर, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम राजियासर मीठा के तत्कालीन सरपंच श्री केसर सिंह द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुँचाकर उनकी दोहरी हाजरी लगाकर दोहरा भुगतान प्राप्त किया गया। इसी क्रम म. उनसे दिनांक 21.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोहरे भुगतान से सम्बन्धित राशि 24,075/-रुपये पूर्व सरपंच द्वारा राजकोष म. जमा करवा दी गई है।

यह भी अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह शेखावत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 09.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री शेखावत को **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड** से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(254)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रदीप कुमार गर्ग से दिनांक 02.09.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत पावटा, पंचायत समिति विराटनगर, जिला जयपुर के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री मन मोहन शर्मा के विरूद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने उसके मकान, दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान के वैध दस्तावेजों को देखे बिना व सुनवाई किये बिना अतिक्रमण के नाम पर तोड़-फोड़ कर उसे 20 लाख रु. से अधिक का नुकसान कारित किया, वहाँ उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाये।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 29.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस मामले म. जाँच के पश्चात् ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री मनमोहन को दोषी पाकर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उसके पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी कार्मिक श्री मनमोहन के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय लापरवाही के आरोप सिद्ध होने से उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(264)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती काली देवी से दिनांक 07.09.2015 को प्राप्त परिवाद में उसने उसके पट्टा-विलेख से सम्बन्धित मामले म. ग्राम पंचायत, बनवाड़ा के तत्कालीन सरपंच व सचिव को जिला कलक्टर, टोंक की जाँच म. दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने एवं उसे उसके आधिपत्य की भूमि (155.55 वर्गगज) का पट्टा-विलेख न मिलने से मामले की जाँच करवाकर न्याय दिलाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 19.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्रीमती काली देवी को पट्टा-विलेख जारी कर दिया गया और पट्टा-विलेख जारी करने एवं पट्टा प्रक्रिया म. अनियमितता कारित करने बाबत तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री राजेश गुप्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन विभागीय जाँच प्रारम्भ की गई। जिला परिषद टोंक से दिनांक 09.09.16 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(288)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी गुर्जर, ग्राम सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उन्हाने ग्राम पंचायत, सिन्दू के सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम सेवक द्वारा दिनांक 24.02.2014 की ग्राम सभा म. फर्जी प्रस्ताव स्वीकृत करवाकर उसके आधार पर आबादी के पास स्थित आराजी संख्या 2284 की जमीन को आरक्षित करने एवं सरकारी खर्चे पर पक्की बाउण्ड्री वॉल बनवाने के मामले की शिकायत जिला कलक्टर, उदयपुर को करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर दोषी जन प्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने की माँग की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 08.03.2016 एवं 31.08.16 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गयाकि ग्राम पंचायत, सिन्दू की ग्राम सभा दिनांक 24.02.2014 के प्रस्ताव संख्या 6(2) की वैधता की जाँच करने पर उसकी अन्तिम लाइन अगले पृष्ठ के शीर्ष की लाल लाइन पर लिखी पायी गई, जो बाद म. लिखा जाना प्रतीत हुआ। उक्त कार्यवाही नियमानुसार व सही नहीं होने से इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव, श्री मनीष मीणा की लापरवाही व अनियमितता प्रकट होने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने से यह परिवाद दिनांक 26.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(325)लोआस/2015

परिवादी श्री विनोद कुमार से दिनांक 30.09.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, किराड़ाबड़ा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ के टोडेवाला जोहड़ की सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य म. सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व ग्राम सेवक वगैरह द्वारा भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार कारित करने पर मामले की जाँच कर दोषी कार्यकारी एजेन्सी, कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 01.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य के माप म. गंभीर अनियमितता पाई गई, जिसके लिए तत्कालीन सहायक अभियन्ता/सरंपच/ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ सहायक को दोषी पाया गया। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़ से दिनांक 01.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी जन प्रतिनिधि/ लोकसेवकों से कुल 7,02,680/- रूपये वसूल कर लिये गये हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 27.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी सहायक अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। ग्राम सेवक श्री किशोर कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही प्रस्तावित की गई किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस पर स्थगन आदेश जारी किया गया। कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री इन्द्राज सहारण की सेवाएँ दिनांक 01.04.2016 के आदेशानुसार समाप्त कर दी गई।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने व माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त अनुशासनिक कार्यवाही एवं वसूली पर स्थगन होने से सहायक अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार की अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध म. 'त्रैमासिक' रूप से विभाग से प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 10.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(366)लोआस/2015

परिवादी श्री चम्पालाल सैन से दिनांक 12.10.2015 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम पंचायत, कवराड़ा (जालोर) की पूर्व ग्राम सेवक सुमन मीणा द्वारा मौके पर कोई कार्य न करवाकर फर्जी भुगतान उठा लेने एवं उनके कार्यकाल वर्ष 2010-15 म. किये गये नरेगा व सामान्य कार्यो का भौतिक सत्यापन करवाकर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार किसान सेवा केन्द्र का कार्य अपूर्ण पाया गया जिसका जाँच कमेटी द्वारा मूल्यांकन करने पर 4.50 लाख रुपये के अग्रिम पेटे किये गये भुगतान म. से 4,01,171/-रुपये वसूली योग्य बताये गये। इसके पश्चात् उनसे दिनांक 29.03.16 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार श्री प्रकाश शर्मा एण्ड कम्पनी को कार्य पेटे भुगतान की गई अग्रिम राशि (4,01,171/-रुपये) वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते म. जमा करवा दी गई और दिनांक 23.05.2016 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, कवराड़ा की पूर्व ग्राम

सेविका श्रीमती सुमन मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें दोषी मानते हुए उनकी **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने** के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.06.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(415)लोआस/2015

परिवादीगण श्री पृथ्वी सिंह व अन्य से दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, मोड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर के पाँच वर्ष के कार्यकाल में पूर्व सरपंच श्रीमती दौली बाई, सचिव श्री रूपलाल खडूल व श्री हरि मोहन सक्सैना द्वारा अनियमित भुगतान कर घोटाले करने पर मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष टीम से उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 03.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मोड़ी द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यो म. प्रक्रियात्मक एवं वित्तीय नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से राजकीय राशि का दुरूपयोग करने, कार्यो का सही मूल्यांकन न करने एवं घटिया निर्माण के लिये सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत के सचिव श्री हरि मोहन सक्सेना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुहास मनोहर व सहायक अभियन्ता श्री चन्द्रेश अग्रवाल उत्तरदायी हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 31.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण म. आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना, गोगुन्दा म. भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 420, 406 व 409 के अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 369/2015 पंजीबद्ध करवा दी गई है और दोषी सरपंच/कार्मिकों से कुल 9,84,401/-रुपये की राशि वसूली योग्य निर्धारित की गई। प्रकरण म. पूर्व ग्राम सेवक, श्री रूपलाल खडूल को भी दोषी पाया गया। फिर दिनांक 25.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वसूली पर रोक लगा दी गई। श्री रूपलाल खडूल से वसूली योग्य राशि 1,65,976/-रुपये म. से 68,885/-रुपये की वसूली हो चुकी है। फिर दिनांक 27.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट म. उल्लेख किया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव (निलम्बित) श्री रूपलाल खडूल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर विभागीय जाँच हेतु परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद, उदयपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उपर्युक्त अनुशासनिक जाँच के निर्णयन की सूचना देने एवं इस मामले से सम्बन्धित जन प्रतिनिधि/लोकसेवकों के प्रकरण के सम्बन्ध म. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् उनके विरूद्ध नियमानुसार की जाने वाली आगामी विभागीय कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत करवाने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को देते हुए पत्रावली दिनांक 16.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(457)लोआस/2015

परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा से दिनांक 04.12.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, प्रीतमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर के तत्कालीन सरपंच श्री भोमसिंह, ग्राम सचिव, श्री ओम प्रकाश बाजिया व

रोजगार सहायक श्री रामप्रताप रैगर द्वारा मनरेगा कार्यो एवं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (अटल सेवा केन्द्र) के निर्माण म. हुई गंभीर अनियमितताओं की जाँच करवाकर आरोपी जन प्रतिनिधि/लोक सेवकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 25.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम सेवक, श्री ओम प्रकाश बाजिया और तत्कालीन रोजगार सहायक, श्री राम प्रताप रैगर को दोषी पाया गया। साथ ही तत्कालीन रोजगार सहायक श्री ओम प्रकाश रैगर को जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, सीकर के दिनांक 30.06.2016 के आदेशानुसार एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा श्री बाजिया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की रिपोर्ट दिनांक 06.01.2017 के अनुसार उन्हें **दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(492)लोआस/2015

परिवादी श्री अशोक कुमार कुमावत से दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने राजस्व न्यायालय के दिनांक 03.12.2015 के स्थगन आदेश के बावजूद सम्बन्धित पटवारी और ग्राम पंचायत, चिराना, तहसील

नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं के ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा विवादित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर देने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 07.12.2015 को ग्राम पंचायत, चिराना की बैठक म. प्रस्ताव संख्या 8 के द्वारा विवादित दोनों नामान्तरकरणों को स्वीकार कर दिया गया, जिसके लिये सम्बन्धित पटवारी एवं ग्राम सेवक को दोषी पाया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से दिनांक 06.10.2016 व 20.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण म. दोषी पाये गये पटवारी, श्री जय प्रकाश शर्मा और ग्राम सेवक, श्री भवानी सिंह मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों म. क्रमशः दिनांक 04.10.2016 व 13.12.2016 को पारित आदेशों के अनुसार **उन्हें 2-2 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके** जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 13.01.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(520)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती कमला देवी से दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने पंचायत समिति, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के विकास अधिकारी श्री राजेश प्रसाद निमेश द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विपरीत उनकी सम्पत्ति को ध्वस्त कर उसे एवं उसके पति

श्री अर्जुनलाल उर्फ अर्जुनदान बैरागी को अवैध रूप से परेशान करने पर मामले की जाँच करवाकर उन्हें न्याय प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 11.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्रीमती कमला देवी एवं अन्य को पट्टा-विलेख पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना जारी किये गये हैं, जो निरस्त योग्य हैं। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी द्वारा श्रीमती कमला देवी के पट्टा-विलेख संख्या 001569 दिनांक 15.09.1991 को निरस्त करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई। यह पट्टा-विलेख तत्कालीन प्रशासक श्री मीठूलाल द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि पट्टा-विलेख संख्या 1562 से 1568 को निरस्त करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के समक्ष निगरानी दिनांक 10.06.16 को दायर करवाई गई। दिनांक 23.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सांखली के तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री मीठूलाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक जाँच म. उन्हें एक **वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड** से दण्डित किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर प्रकरण म. पट्टा निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत निगरानियों की प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से 'त्रैमासिक' रूप से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 04.11.16 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(543)लोआस/2015

परिवादी श्री राम नारायण चौधरी से दिनांक 21.01.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपाड़ शहर (जोधपुर) द्वारा मनरेगा लोकपाल, जयपुर द्वारा परिवाद संख्या 1382-88/2014-15 म. दिनांक 07.07.2014 को पारित निर्णय (अवार्ड) की अनुपालना म. किसी प्रकार की जाँच कार्यवाही न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. मनरेगा लोकपाल द्वारा दिये गये निष्कर्ष के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री राम कुमार लामरोड़ व श्री भानाराम ग्वाला के विरूद्ध गलत जाँच रिपोर्ट देने के लिये संविदा शर्तों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंषा की गई, जिस पर मामले म. सुनवाई के पश्चात् उक्त दोनों कार्मिकों को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 25 के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी सिद्ध होने पर इनके विरूद्ध **एक-एक हजार रुपये का जुर्माना** अधिरोपित किया गया तथा सजा के तौर पर भविष्य म. इनकी पारदर्शिता के अध्यधीन श्री भानाराम ग्वाला व श्री राम कुमार लामरोड़ को पंचायत समिति, भोपालगढ़ से क्रमशः पंचायत समिति, मण्डोर व बिलाड़ा पदस्थापित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 11.04.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(608)लोआस/2015

परिवादी श्री राम नारायण चौधरी से दिनांक 16.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक और

जिला परिषद, जोधपुर के सहायक अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट म. पंचायत समिति, भोपालगढ़ के तकनीकी सहायक, श्री भानाराम ग्वाला को गबन का दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने पर श्री ग्वाला के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने और सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 12.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपी कनिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री भानाराम ग्वाला के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्यवाही कर उन पर 1000/-रुपये का जुर्माना आरोपित कर उन्हें पंचायत समिति, भोपालगढ़ से हटाकर पंचायत समिति, मण्डोर म. पदस्थापित किया गया।

यह भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान म. ग्राम पंचायत, खांगटा के तत्कालीन ग्राम सेवक, श्री रामनिवास प्रजापत के विरूद्ध जिला स्तर पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भोपालगढ़ द्वारा श्री रामनिवास से 5000/-रुपये, श्री रामनिवास पांगा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 5000/-रुपये व श्री राजेश कुमार मीणा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 5000/-रुपये की वसूली कर ली गई।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 06.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक, श्री रामनिवास प्रजापत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर विकास अधिकारी, पंचायत

समिति, बिलाड़ा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया और बकाया वसूली म. से अब तक कुल 55,000/-रुपये वसूल कर लिये गये हैं एवं शेष वसूली जारी है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उपर्युक्त अनुशासनिक एवं वसूली कार्यवाहियों की प्रगति रिपोर्ट 'त्रैमासिक' स्तर पर आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 23.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(621)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी से दिनांक 19.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न संविदा कर्मियों को अनियमितता एवं गबन का दोषी पाये जाने के बावजूद अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर द्वारा उनकी संविदा सेवा अनुबन्ध का नियम विरूद्ध नवीनीकरण करने पर मामले म. जाँच के पश्चात् ऐसी संविदा को निरस्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 20.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया है कि परिवादी श्री रामनारायण चौधरी के परिवाद की जाँच राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं श्री कन्हैयालाल गौरानी के द्वारा की गई और जाँच के निष्कर्ष अनुसार प्रस्तावित कार्यवाहियों म. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों श्री राम निवास पांगा व श्री राजेश मीणा के विरूद्ध अनुबन्ध समाप्त करने की अनुशंषा की गई थी। इस सम्बन्ध म. दिनांक 25.11.2015 को पारित आदेशों द्वारा इन दोनों कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

मनरेगा लोकपाल द्वारा परिवाद संख्या 65/2013 की जाँच म. दिये गये निष्कर्ष अनुसार प्रस्तावित कार्यवाही म. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों श्री परसराम परिहार एवं श्री राम कुमार लामरोड़ के विरूद्ध गलत जाँच रिपोर्ट देने के लिये संविदा शर्तो के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंषा की गई। इसी प्रकार परिवाद संख्या 62/2013 म. मनरेगा लोकपाल द्वारा दिये गये जाँच निष्कर्ष अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायकों श्री राम कुमार लामरोड़ व श्री भानाराम ग्वाला के विरूद्ध भी ऐसी ही अनुशंषा की गई थी। उपर्युक्त अनुशंषा की अनुपालना म. सर्वश्री भानाराम ग्वाला, परसराम परिहार एवं राम कुमार लामरोड़ के विरूद्ध दिनांक 25.11.14 को मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन एक-एक हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया और भविष्य म. इनकी पारदर्शिता के अध्यधीन इन्हें पंचायत समिति, भोपालगढ़ से क्रमशः पंचायत समिति, मण्डोर, बावड़ी व बिलाड़ा पदस्थापित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से पत्रावली दिनांक 16.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(16)लोआस/2016

परिवादी श्री छीतरलाल जाट से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत कड़िला, तहसील मालपुरा, टोंक के सरपंच एवं सचिव द्वारा मिलीभगत कर ग्राम भगवानपुरा म. स्वच्छ भारत योजना के अधीन एक ही परिवार म. 2-2 शौचालय व एक गटर का निर्माण करवाने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 17.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि

श्रीमती पुष्पा/बजरंग जाट एवं कृष्ण कुमार/बजरंग लाल जाट के जॉब कार्ड व राशन कार्ड एक ही हैं, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन दोनों को अलग-अलग परिवार मानते हुए शौचालयों का लाभ दिया गया। मौके पर दो शौचालय निर्मित है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत भुगतान किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 03.09.2016 व 09.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट्स के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, कड़िला द्वारा शौचालयों के सम्बन्ध म. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बजरंग लाल जाट को किये गये गलत भुगतान की राशि 12,000/-रुपये रसीद संख्या 42/09.06.2016 के द्वारा वसूल करके पंचायत कोष म. जमा कर ली गई और तत्कालीन दोषी सचिव श्री हरिशचन्द शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उनके विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर उन्हें **भविष्य म. राजकार्य सावधानीपूर्वक करने की लिखित चेतावनी (परिनिन्दा)** के दण्ड से दण्डित कर मामले का निस्तारण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(21)लोआस/2016

परिवादी श्री हरनारायण पुरी गुसाई से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद म. उनके पिता का देहान्त हो जाने से स्टेट बी.पी.एल. सूची से उनके हटाये गये नाम को उपर्युक्त सूची म. शामिल करने हेतु पंचायत समिति, भिनाई के समक्ष आवेदन करने पर विकास अधिकारी एवं लिपिक मुकेश जैन द्वारा मिलकर उससे दो हजार रुपये की रिश्वत लेकर भी

उसका नाम उपर्युक्त सूची म. नहीं जोड़े जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 02.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि मामले की जाँच के आधार पर सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिक श्री मुकेश जैन अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन म. लापरवाही बरतते हुए पदीय कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने और राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की अवहेलना करने के लिये एवं तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय पर्यवेक्षणीय उदासीनता के लिये उत्तरदायी पाये गये।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 01.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री हरनारायण पुरी गुसाई की माता श्रीमती उमी देवी का नाम स्टेट बी.पी.एल. म. जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् सूची के क्रमांक एस-21000209490 पर जोड़ दिया गया और ऑनलाइन राशन कार्ड म. भी परिवार के सदस्यों के नाम दुरूस्त करते हुए दिनांक 22.05.2016 को राशन कार्ड जारी किया गया। दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री संजीव माथुर (सहायक अभियन्ता) एवं श्री दिलीप जादवानी को भविष्य म. लापरवाही नहीं बरतने सम्बन्धी चेतावनी दी गई।

इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 03.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कनिष्ठ लिपिक, श्री मुकेश जैन को कार्य म. हुए विलम्ब के लिये पंचायत समिति, भिनाय की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.09.2016 के द्वारा चेतावनी का दण्ड देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(217)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती विजय लक्ष्मी मीणा से दिनांक 08.06.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, मूंडली (तहसील बस्सी, जयपुर) के दिनांक 24.04.2016 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार उसका चयन साथिन के पद पर होने के बावजूद ग्राम पंचायत के पदेन सचिव द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर प्रस्ताव संख्या 24 के द्वारा उक्त चयन को निरस्त कर दिये जाने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 19.01.2017 को प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मूंडली की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24.04.2016 के प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा साथिन के पद पर किया गया चयन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार सही नहीं होना पाया गया। ग्राम सभा म. एक ही तरह के प्रकरणों म. तीन तरह के अलग-अलग विधि विरूद्ध प्रस्ताव पारित करने से सम्बन्धित सूचना ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नियमानुसार 24 घण्टों म. विकास अधिकारी को दी जानी चाहिए थी, किन्तु इसकी पालना ग्राम सेवक, श्री नरसीलाल मीणा द्वारा नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस मामले म. दिनांक 20.01.2017 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत, मूंडली म. साथिन पद के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पादित करवाने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर की दिनांक 21.02.2017 की रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री नरसीलाल मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण,

नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर उनके विरूद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उक्त अनुशासनिक जाँच की त्रैमासिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 21.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(259)लोआस/2016

परिवादी सुश्री लिछमी से दिनांक 27.07.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पंचायत, बठोठ (सीकर) के ग्राम सेवक द्वारा मृतक जवाहरा राम की गलत वल्दियत दर्ज कर गलत/फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 03.05.2016 जारी करने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

परिवादी से प्राप्त परिवाद विहित प्ररूप (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) म. न होने से प्ररूप म. परिवाद आहूत किया गया किन्तु उससे वांछित परिवाद प्राप्त न होने पर इसकी एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 14.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 03.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ से करवाने पर उनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रथमदृष्टया जवाहरा राम, हणमाना राम का पुत्र होना जाहिर होता है किन्तु ग्राम पंचायत, बठोठ के ग्राम सेवक श्री सत्यवीर जाखड़ द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जवाहरा राम पुत्र बोयताराम के नाम से जारी किया गया है, इस कारण उनके दोषी होने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 04.11.2016 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(663)लोआस/2016

परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह से दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने विभागीय जाँच रिपोर्ट्स म. ग्राम पंचायत सौंख, तहसील कठूमर, जिला अलवर के सचिव श्री गोपाल सिंह व रविन्द्र शर्मा एवं सरपंच श्री उदय चन्द को दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने से वांछित कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 03.03.2017 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के द्वारा अवगत करवाया गया कि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, सौंख द्वारा बिना कार्य सम्पादन के उठाये गये भुगतान के सम्बन्ध में तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री गोपाल सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 एवं वर्तमान सचिव श्री रविन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की गई है और सरपंच श्री उदय चन्द शर्मा के विरूद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उपर्युक्त अनुशासनिक कार्यवाहियों की प्रगति रिपोर्ट 'त्रैमासिक' रूप से आहूत करने के निर्देश के साथ पत्रावली दिनांक 31.03.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.14(6)लोआस/2013

परिवादी श्री सैयद ताहिर अली, अध्यक्ष, सूर्यनगरी यातायात सलाहकार समिति, आईमाता मन्दिर के पास, मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री नवल किशोर राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जोधपुर द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर परिवहन वाहनों को अग्रिम पंजीयन आवंटित कर राजस्व हानि पहुंचाए जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.7.14 से अवगत करवाया कि श्री नवल किशोर राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जोधपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्रा. के अनुसार आरोपी लोकसेवक श्री नवल किशोर राठौड़ को आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किए जाकर आयुक्त (तृतीय), विभागीय जांच, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान म. जांच अधिकारी का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से यह परिवाद दिनांक 2.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(13)लोआस/2009

परिवादी श्री ओमप्रकाश, निवासी 113, रणजीत नगर, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर परिषद, भरतपुर की तत्कालीन आयुक्त, सुश्री नीलिमा तक्षक (आर.ए.एस.) व अन्य कर्मचारियों द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए भूखण्ड संख्या बी-57, रणजीत नगर बाबत वारिसान के नाम पूर्व म. जारी लीज हस्तान्तरण को वापस लेते हुए नई लीज जारी कर देने से उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.12.2011 से अवगत करवाया कि श्रीमती नीलिमा तक्षक द्वारा पारित प्रश्नगत लीज-डीड आदेश दिनांक 26.12.2008 के विरूद्ध दायर निगरानी म. पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 से निरस्त कर दिया गया है। इसी संदर्भ म. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग द्वारा पत्र दिनांक 17.11.2012 से अवगत करवाया गया कि दोषी लोकसेवक श्रीमती नीलिमा तक्षक, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, भरतपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये हैं। इसी परिवाद के सम्बन्ध म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 323/2009 के सम्बन्ध म. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पत्र दिनांक 28.05.2014 से अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण म. आरोपी प्रेमचन्द खण्डेलवाल, कनिष्ठ लिपिक (हाल सेवानिवृत्त) एवं श्रीमती अतर देवी के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम) म. दिनांक 23.05.2014 को चालान पेश किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 03.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(51)लोआस/2009

परिवादी श्री सुरेशचन्द शर्मा, निवासी झाड़ीसा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके द्वारा नगरपालिका राजगढ़, अलवर के चेयरमैन श्री तुलसीराम को रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रेप कराये जाने से द्वेषतावश उसके द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली गुम कर राशि लगभग रूपये 70,000/- एवं अमानत राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 19.12.2014 से अवगत करवाया गया कि उक्त सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 22.02.2012 की प्रति श्री सुरेश चन्द शर्मा, ठेकेदार को पृष्ठांकित कर अवगत करवाया जा चुका है कि नगरपालिका, राजगढ़ की ओर उनका कोई भुगतान बकाया नहीं है। सम्बन्धित पत्रावली गुम होने के बारे म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2016 से अवगत करवाया गया कि इस बाबत पुलिस थाना, बांदीकुई म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/2015 दर्ज करवाई गई, जिसकी अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पत्रावली गुम करने के लिए दोषी लोकसेवक श्री पूरणमल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर उनकी एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने से इस प्रकरण को दिनांक 16.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(88)लोआस/2009

परिवादी श्री अशोक जैन, निवासी दर्जी गली, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर परिषद, ब्यावर म. गत दो वर्षों म. भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक आयोजित किये बिना विभिन्न अवैध भवना. म. चार मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति देकर अवैध निर्माणा. को वैध किये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.01.2011 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर उत्तरदायी पाये गये लोकसेवक श्री दिनेश चन्द जाटव, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री भैरूलाल बाकोलिया, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक एवं श्री मोहम्मद सलीम, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, ब्यावर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। अन्य दोषी लोकसेवक श्रीमती शान्ति डाबला, तत्कालीन सभापति एवं श्री गणपत लाल चितारा (सेवानिवृत्त आर. ए.एस.) तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 08.06.2010 से अवगत करवाया गया कि उक्त आरोपी लोकसेवकगण श्री दिनेश चन्द्र, श्री भैरूलाल बाकोलिया एवं श्री मोहम्मद सलीम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के बजाय नियम 16 में परिवर्तित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अ.शा.), कार्यालय, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

जयपुर, राजस्थान द्वारा पत्र दिनांक 09.12.2013 से अवगत करवाया गया कि इसी प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. श्री गणपत लाल चितारा, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज अपराध संख्या 70/2010 अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता म. अनुसंधान के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन (साक्ष्य के अभाव म.) विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर म. दिनांक 12.10.2011 को पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2012 से स्वीकार कर लिया गया।

सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 09.11.2015 से अवगत करवाया गया कि आरोपी लोकसेवकगण श्री दिनेश चन्द एवं श्री भैरूलाल बाकोलिया को विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2015 द्वारा क्रमशः 4797/- रूपये एवं 12346/- रूपये की कटौती उनके वेतन से कर नगर परिषद कोष म. जमा करवाने तथा दोनों की दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया। श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। तत्पश्चात् सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 27.09.16 से अवगत करवाया गया कि आरोपी लोकसेवक श्री गणपत लाल चितारा, सेवानिवृत्त आर.ए.एस., तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाँच, शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर म. विचाराधीन है। श्रीमती शान्ति डाबला, तत्कालीन अध्यक्षा, नगर परिषद, ब्यावर के विरूद्ध

न्यायिक जाँच हेतु प्रकरण विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 06.09.2016 को प्रेषित किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने तथा नगरपलिका कोष को हुई क्षति की राशि वसूल कर लिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 21.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(65)लोआस/2010

परिवादी श्री मदनलाल शर्मा से दिनांक 29.06.2010 को प्राप्त परिवाद म. बालोतरा म. वार्ड नम्बर 2 के खसरा नम्बर 627 के आम रास्ते की 65 फीट जमीन को गलत पैमाइश करके मात्र 20 फीट करते हुए अतिक्रमिया. को रास्ते की जमीन देने की कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी नगरपालिका के सर्वेयर मगराज खत्री के विरूद्ध कार्यवाही करने व रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 05.02.14 से अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण में दोषी लोकसेवकगण श्री पोकरराम चौहान, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री हेमनदास सांखला, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री तेजप्रकाश अवस्थी सर्वेयर नगरपालिका, बालोतरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। यह भी अवगत करवाया गया कि खसरा नम्बर 627 के अन्तर्गत जारी किये गये अवैध पट्टों के विरूद्ध निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 327 के अन्तर्गत पाँच निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 24.04.14 से यह भी अवगत करवाया गया कि उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। सहायक निदेशक, (सर्तकता) स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.09.16 से यह भी अवगत करवाया गया कि श्री महेशचंद चौहान, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका, बालोतरा का प्रकरण पत्र दिनांक 01.12.15 के द्वारा न्यायिक जाँच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 23.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(173)लोआस/2010

परिवादी श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, निवासी जगत शिरोमणी मन्दिर के पास, सरवाड़ जिला अजमेर प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई कि श्री राजपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस. ने उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर के पद पर कार्यरत रहते पद का दुरूपयोग करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उसके पट्टा विलेख संख्या 32 को दिनांक 21.05.2008 को अवैध रूप से निरस्त कर दिया। परिवाद म. उक्त अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 10.10.2011 से अवगत करवाया कि प्रकरण की जाँच उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से करवाने पर जाँच म. शिकायत को असत्य,

आधारहीन एवं तथ्या. से परे पाया गया। जाँच निष्कर्षानुसार परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा नगरपालिका, सरवाड़ के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री शंकरसिंह राठौड़, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री इतवारीलाल सारवान, सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री महावीर प्रसाद पारीक, कनिष्ठ लिपिक, श्री शब्बीर अहमद एवं अन्य निहित स्वार्थी व्यक्तिया. के साथ मिलकर कच्ची बस्ती के नाम पर सैकड़ा. की संख्या म. भूखण्डों के अवैध एवं अनियमित रूप से जारी करवाये गये पटटा. को उच्चाधिकारिया. से प्राप्त निर्देशा. की पालना म. निरस्त किया गया है।

गलत पट्टे जारी करने के सम्बन्ध म. कार्यवाही बाबत निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 02.06.2014 से अवगत करवाया है कि दोषी लोकसेवक श्री महावीर प्रसाद पारीक एवं श्री शब्बीर अहमद के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. अपचारी लोकसेवक श्री शब्बीर अहमद को पृथक-पृथक रूप से की गई दो अनुशासनिक कार्यवाहिया. म. दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। पत्र दिनांक 27.11.2015 से यह अवगत करवाया कि अपचारी लोकसेवक श्री महावीर प्रसाद पारीक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 22.12.15 से यह अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक श्री शंकरसिंह राठौड़, तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, सरवाड़ के विरूद्ध प्रकरण न्यायिक जाँच हेतु विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित किया जा चुका है। इसी क्रम म. विधि विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 04.10.2016 से यह अवगत करवाया गया कि उक्त श्री शंकर सिंह राठौड़ के विरूद्ध न्यायिक जाँच विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(515)लोआस/2010

परिवादी श्री विष्णु कुमार व अन्य, निवासीगण चौधरी मोहल्ला, सरवाड़, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, सरवाड़ के कर्मचारिया. की मिलीभगत से सार्वजनिक कुएं व उस पर बनी खेली-कोठी की भूमि के अवैध बेचान से वार्डवासिया. व जानवरा. को हो रही पीने के पानी की समस्या से राहत प्रदान करने के लिए प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.01.2012 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका, सरवाड़ (अजमेर) को प्रश्नगत लीज-डीड निरस्त करने के निर्देश दिये गये, जिसके फलस्वरूप नगरपालिका द्वारा प्रश्नगत लीज-डीड संख्या 60 दिनांक 28.01.1999 एवं लीज-डीड संख्या 75 दिनांक 05.07.08 से सम्बन्धित आवंटन निरस्त किया गया। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 11.03.2014 से यह अवगत करवाया गया कि जाँच म. उत्तरदायी पाये गये श्री राधेगोविन्द, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सरवाड़ को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. आदेश दिनांक

17.02.2014 द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दंडित किया गया।

सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 28.09.2015 से अवगत करवाया गया कि उत्तरदायी अन्य लोकसेवकगण श्री शंकर सिंह राठौड़ एवं श्रीमती छगन कंवर राठौड़, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, सरवाड़ के विरूद्ध न्यायिक जाँच हेतु प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किया गया है। इसी क्रम म. न्यायिक जाँच हेतु अधिकृत अधिकारी, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 01.09.2016 से अवगत करवाया कि उपर्युक्त दोना. लोकसेवका. के विरूद्ध न्यायिक जाँच विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही होने व प्रश्नगत आवंटन निरस्त कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 09.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(141)लोआस/2011

परिवादी श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, निवासी नाटाणी मोहल्ला, डीग, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, डीग, भरतपुर के अध्यक्ष, श्री यतीश शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार कर राजकोष को हानि पहुँचाते हुए श्रीमती गुलकन्दी देवी पत्नी श्री श्रीनारायण, निवासी बूढ़ा दरवाजा, डीग के पक्ष म. सरकारी भूमि का नियमन करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 30.09.13 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय),

स्थानीय निकाय विभाग, जयुपर से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर श्री यतीश शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका, डीग का प्रकरण न्यायिक जाँच हेतु विधि विभाग, जयपुर को भेजा गया है। अन्य दोषी लोकसेवक श्री रमेशचन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, डीग के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीग को निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 18.04.2016 से अवगत करवाया गया कि न्यायिक जाँच म. जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट म. श्री यतीश शर्मा पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं। पत्र दिनांक 30.08.2016 से अवगत कराया गया है कि श्री रमेशचन्द्र शर्मा का दिनांक 18.07.2016 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विरूद्ध विचाराधीन जाँच को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीग द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2016 से समाप्त कर दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 14.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(168)लोआस/2011

परिवादी श्री अब्दुल हकीम, निवासी कस्बा खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं से दिनांक 31.10.2011 को प्राप्त परिवाद म. नगरपालिका, खेतड़ी के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा वजीर कुरैशी से मिलकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 30.06.2011 को अवैध रूप से जमीन का पट्टा संख्या 624 जारी कर देने की शिकायत करते हुए उक्त पट्टे को

निरस्त करवाया जाकर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध पद के दुरूपयोग के बाबत कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 24.10.2016 से अवगत करवाया गया कि श्री वजीर कुरैशी के प्रश्नगत पट्टा संख्या 624 को मण्डल की साधारण बैठक दिनांक 07.09.2016 के प्रस्ताव संख्या-04 म. निर्णय लिया जाकर सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया है तथा इसकी सूचना श्री वजीर कुरैशी को भी दी जा चुकी है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 21.11.2016 से यह भी अवगत करवाया गया है कि इस प्रकरण म. दोषी लोकसेवक श्री रवीन्द्र सिंह, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खेतड़ी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने तथा दोषी लोकसेवक को विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर जाँच अधिकारी नियुक्त करके अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के कारण इस प्रकरण को दिनांक 06.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(183)लोआस/2011

परिवादी श्री राजकुमार नागल, निवासी पी.डब्लू.डी. कॉलोनी के पीछे, पंचायत समिति रोड़, नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, नोहर के अध्यक्ष श्री बाबूलाल खाती एवं कनिष्ठ लिपिक, श्री किशनलाल लाटा द्वारा कृषि-भूमि नियमन के सम्बन्ध म. नियमानुसार

बाह्य-विकास शुल्क जमा करवाये बिना इकरारनामे के आधार पर विधि विरूद्ध पट्टे जारी कर नगरपालिका को करीब 3,75,92,074/- रूपया. के राजस्व की हानि पहुँचाने की शिकायत करते हुए मामला. की जाँच करवाकर पद के दुरूपयोग हेतु दोषी अध्यक्ष एवं लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ में निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जयपुर की ओर से पत्र दिनांक 07.04.2015 से अवगत करवाया गया कि कुल बाह्य विकास शुल्क 3,37,75,9400/- रूपये के पेटे कम जमा हुई राशि म. से वसूली के उपरान्त अब केवल 45,58,954/-रूपये वसूली योग्य राशि बकाया है, जिसे नियमन के समय वसूला जावेगा। इसके पश्चात नगरपालिका, नोहर द्वारा सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2015 से अवगत करवाया गया कि उक्त बकाया राशि म. से ब्याज सहित और राशि वसूल की गई है तथा अब 44,82,354/- रूपये वसूल किये जाने शेष है, जिसको भूखण्डा. के पट्टे जारी करते समय वसूल किया जावेगा। इसके अलावा सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा दोषी पाये गये लोकसेवक श्री सुभाष गोदारा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना तथा कनिष्ठ लिपिक श्री किशनलाल लाटा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जाँच विचाराधीन होना बताया गया।

अतः इस सचिवालस स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण म. बकाया राशि की वसूली व सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 29.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(225)लोआस/2011

परिवादी श्री साहबराम विद्यार्थी, पार्षद, नगरपालिका, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री प्रदीप खीचड़, अधिशाषी अधिकारी, श्री पृथ्वीराज जाखड़ एवं उपखण्ड अधिकारी, श्री नरेन्द्र पुरोहित द्वारा बालाजी एन्क्लेव आवासीय कॉलोनी की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करवाने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर को गलत तथ्य प्रस्तुत कर नक्शा पास करवा लेने, कॉलोनी की जमीन ग्राम पंचायत, करडवाला के क्षेत्र म. होने से ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने व कॉलोनी की कृषि भूमि म. से निकल रहे पुराने सार्वजनिक रास्ते पर स्टे होने के बावजूद भूमि की 90 बी की कार्यवाही कर रास्ते म. भूखण्डों का सृजन कर नियमन उपरान्त पट्टे जारी कर दिये जाने की शिकायत करते हुए प्रकरण म. जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 06.02.2014 से अवगत करवाया गया कि तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री पृथ्वीराज जाखड़ को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किया गया है। प्रकरण म. दोषी अन्य लोकसेवक श्री संतलाल, फायरमैन एवं श्री रामलाल, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम म. पत्र दिनांक 17.03.2016 से अवगत करवाया कि श्री रामलाल कनिष्ठ लिपिक दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री संतलाल, फायरमैन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के तहत आरोप-पत्र जारी होकर जाँच जारी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 09.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(283)लोआस/2011

परिवादी श्री बुलाराम सैनी, निवासी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, खेतड़ी के अध्यक्ष, श्री सीताराम वर्मा व अधिशाषी अधिकारी, रविन्द्र सिंह द्वारा ठेकेदार से मिलीभगत कर क्षतिग्रस्त सड़का/नालिया. के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि 1533612/- रूपये के पेटे घोर अनियमितताएँ, फर्जकारी व भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए केवल 17 कार्य करवाने, मरम्मत कार्य को नया कार्य बताकर भुगतान उठाने तथा स्वीकृत कार्यों के अलावा दो सड़का. का निर्माण बिना स्वीकृति करवाकर भ्रष्टाचार करने की शिकायत करते हुए दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उपर्युक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 01.08.2016 से यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. जाँच के उपरान्त उत्तरदायी लोकसेवक अधिशाषी अधिकारी, श्री रविन्द्र सिंह एवं श्री संजय माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका,

खेतड़ी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए दिनांक 20.07.016 को आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः प्रकरण म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.08.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(50)लोआस/2013

परिवादी श्री बाबूसिंह खींची, निवासी वार्ड नंबर 27, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.05.2013 को प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई कि नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित आई.डी. एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 म. भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये और वर्ष 2010 म. भूखण्डा. का आवन्टन लॉटरी द्वारा किया जाना बताया गया, लेकिन भूखण्ड आवंटन म. नगरपालिका भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 17(4) एवं इसके परिशिष्ट ''बी'' का उल्लंघन किया गया है। भूतपूर्व सैनिका. एवं केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारिया. की श्रेणी के व्यक्तिया. को नियमानुसार भूखण्डा. का आवन्टन नहीं किया गया। अल्प आय वर्ग के व्यक्तिया. को पात्रता न होने के बावजूद बड़े भूखण्ड आवंटित किये गये। परिवाद म. गलत आवंटन व अनियमितताआ. का विवरण अंकित करते हुए दोषिया. के विरूद्ध जाँच कर दण्डित करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 19.12.13 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक द्वारा की गई जाँच म. पाया गया कि आवेदका. को उनके आय वर्ग की पात्रता के

मुकाबले बड़े भूखण्ड आवंटित किये गये। इस बाबत दोषी लोकसेवक श्री भँवरलाल सोनी एवं श्री राकेश मेहंदीरत्ता, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण, नगरपालिका, सूरतगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही बाबत आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसके साथ ही यह भी अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत पंजीकृत पट्टा विलेखा. को निरस्त करवाने के लिए सक्षम न्यायालय म. वाद दायर करने हेतु नगरपालिका को निर्देशित भी किया गया है तथा जिन मामलों म. अभी तक पट्टे जारी नहीं किये गये हैं, उनम. नये पट्टे जारी नहीं करने बाबत लिखा गया है। तत्पश्चात् इसी क्रम म. पत्र दिनांक 27.11.2015 से यह भी अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत 28 पंजीकृत पट्टा विलेखा. को निरस्त करवाने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ म. दिनांक 30.05.15 को वाद दायर कर दिया गया है। 18 प्रकरण, जिनम. अभी पट्टे जारी नहीं किये गये हैं, उनका आवंटन नगरपालिका स्तर पर निरस्त किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर कार्यवाही किये जाने के पश्चात सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने एवं सक्षम न्यायालय म. वाद दायर कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(155)लोआस/2013
एफ.16(353)लोआस/2013

परिवादी श्री बलराम वर्मा, निवासी वार्ड संख्या 28, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री करमचन्द अरोड़ा, सहायक

अभियन्ता, कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी एवं श्री बनवारी मेघवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा श्री अरविन्द कटारिया से मिलीभगत कर नगरपालिका कोष को लगभग एक करोड़ रूपये की हानि पहुँचाते हुए उसके पक्ष म. 50X90 वर्ग फीट माप के आवासीय भूखण्ड संख्या 64 का नियम विरूद्ध नियमन करने की शिकायत करते हुए मामले की जाँच करवाकर दोषियों को दण्डित करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.06.2014 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से करवाई गई जाँच म. श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल, तत्कालीन भूमि शाखा लिपिक द्वारा अधिकारियों की स्वीकृति के बिना अपने स्तर से ही राशि जमा करवाया जाना पाया गया। श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल दिनांक 31.12.2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्पश्चात् सहायक निदेशक (सतर्कता), शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.08.16 से अवगत करवाया कि जाँच म. उत्तरदायी पाये गये लोकसेवकगण श्री पृथ्वीराज जाखड़, अधिशाषी अधिकारी एवं श्री करमचन्द अरोड़ा तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(408)लोआस/2013

एफ.16(495)लोआस/2014

परिवादी श्री कालूराम शर्मा, निवासी मानगंज, दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, बांदीकुई के कर्मचारियों की मिलीभगत से श्री रामेश्वर झालानी व श्री राजेश झालानी द्वारा गांधी पार्क, बांदीकुई की दीवार तोड़कर रास्ते की भूमि म. अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने की शिकायत करते हुए दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई। श्री सत्यनारायण शर्मा से समान विषयवस्तु का परिवाद संख्या 16(495)लोआस/2014 प्राप्त होने पर उसे परिवाद संख्या 16(408)लोआस/2013 के संलग्न किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 03.06.2014 से अवगत करवाया कि श्री राजेश झालानी द्वारा निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य किया गया तथा इस बाबत प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के लिए लोकसेवकगण श्री हरिश्चन्द्र गहलोत, स्वास्थ्य निरीक्षक, (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी) एवं श्री बलवीर सिंह, कनिष्ठ लिपिक, भूमि शाखा प्रभारी उत्तरदायी हैं। तत्पश्चात् सहायक निदेशक (सतर्कता) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 21.08.2014 से अवगत करवाया गया कि दोषी लोकसेवकगण श्री हरिश्चन्द्र गहलोत एवं श्री बलवीर सिंह, के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। इसी संदर्भ म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.08.2015 से यह भी अवगत करवाया कि श्री राजेश झालानी द्वारा बिना स्वीकृति किये गये निर्माण के सम्बन्ध म. नगरपालिका की

सक्षम समिति के निर्णयानुसार पैनल्टी, समझौता शुल्क व अन्य शुल्क जमा करवाकर दिनांक 24.10.2013 को आवासीय निर्माण स्वीकृति जारी कर नियमन किया गया है। विवादित भूमि के सम्बन्ध म. रमेशचन्द व सत्यनारायण आदि ने राजेश झालानी एवं नगरपालिका के विरूद्ध सिविल न्यायालय म. दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन-पत्र दायर किये हैं, जो अभी विचाराधीन हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 20.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(454)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रहलादराय स्वामी, निवासी वार्ड नम्बर 40, स्वामी कॉलोनी, झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. झुंझुनू की इन्दिरा नगर आवास योजना के भूखण्ड संख्या ई-1 म. भवन विनियमों के उल्लंघन म. किये जा रहे अवैध निर्माण की अनदेखी करने हेतु नगर परिषद के दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ में सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 03.10.16 से अवगत करवाया कि परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध म. जाँच के उपरान्त उत्तरदायी लोकसेवकगण श्रीमती अनिता खीचड़, तत्कालीन कार्यवाहक आयुक्त, श्री संजय माथुर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहनलाल खारिया, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, झुंझुनू के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के

नियम 16/17 के अन्तर्गत ज्ञापन/आरोप पत्र/आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 13.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(55)लोआस/2014

परिवादी श्री कैलाश गुर्जर एवं अन्य से इस सचिवालय म. दिनांक 09.05.14 को प्राप्त परिवाद म. संक्षेप म. यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, विजयनगर (अजमेर) द्वारा दिनांक 15.01.14 को जारी निविदा सूचना के कार्य संख्या-1 से 10 के टेण्डर दिनांक 31.01.14 को खोले गये तथा उनम. से कार्य संख्या 1 से 7 के कार्यों की टेण्डर दर फर्म सालासर अर्थमूवर्स, विजयनगर की न्यूनतम थी, जिसके प्रोप्राइटर श्री कैलाश नवाल है, जो नगरपालिका अध्यक्ष श्री धर्मीचंद खटोड़ के चहेते हैं। जब वह पत्रावली नगरपालिका अध्यक्ष के समक्ष रखी गई तो उन्हाने ठेकेदार को संभावित नुकसान से बचाने तथा नगरपालिका, विजयनगर को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य संख्या 1 से 7 के जारी किये गये कार्य आदेश निरस्त कर दिये तथा अन्य कार्य संख्या 8 से 10 के बारे म. सहमति प्रदान कर दी तथा इस सम्बन्ध म. पत्रावली म. कांटछांट भी की गई। इस प्रकार नगरपालिका अध्यक्ष श्री धर्मीचंद खटोड़ द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया। उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के

आधार पर पत्र दिनांक 18.11.2014 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. निविदाएं स्वीकार करने म. की गई लापरवाही के लिये दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध आरोप-पत्र के प्रारूप प्राप्त किये जा रहे हैं। इसी क्रम म. पत्र दिनांक 09.08.16 से अवगत करवाया कि श्री धर्मीचंद खटोड़, अध्यक्ष का प्रकरण न्यायिक जाँच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। श्री चेतन कुमार जैन, अधिशाषी अधिकारी एवं श्री हरीश कुमार सोलंकी, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-16 के तहत कार्यवाही के आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा पत्र दिनांक 10.11.16 से अवगत करवाया गया है कि श्री अरविन्द व्यास, सहायक अभियन्ता का जवाब बाद परीक्षण एवं विवेचन संतोषजनक पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त दोषी लोकसेवक श्री धर्मीचंद खटोड़, अध्यक्ष के विरूद्ध न्यायिक जाँच प्रारम्भ हो जाने तथा अन्य दोषी लोकसेवक श्री चेतन कुमार जैन, अधिशाषी अधिकारी एवं श्री हरीश कुमार सोलंकी, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने की अवस्था म. परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान होना मानते हुए प्रकरण दिनांक 21.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(118)लोआस/2014

परिवादी श्री छोटू लाल खटीक, निवासी वार्ड नम्बर 20, गणेश गंज, सरवाड़, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, सरवाड़ (अजमेर) द्वारा महावीर खटीक को जारी किये गये गलत पट्टा-विलेख के आधार पर भूमि का गलत बेचान अब्दुल अजीज नामक व्यक्ति को करने

की शिकायत करते हुए पट्टा-विलेख निरस्त करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 19.08.2015 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर श्री महावीर प्रसाद पारीक, सहायक राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरवाड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 एवं श्री हरि सिंह, कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका, सरवाड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं। पत्र दिनांक 24.05.2016 से अवगत कराया गया कि उक्त दोना. आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्ह. अध्यक्ष, नगरपालिका, सरवाड़ द्वारा आदेश दिनांक 10.05.16 से दो-दो वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। इसके साथ ही अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरवाड़ द्वारा पत्र दिनांक 04.03.2016 से यह अवगत करवाया गया कि श्री अब्दुल अजीज द्वारा प्रश्नगत पट्टे के निरस्तीकरण को रोकने हेतु नगरपालिका, सरवाड़ के विरूद्ध सिविल न्यायालय म. प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 52/2014 म. न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2014 को यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं, जो प्रभावी होकर वाद अभी लम्बित है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकगण को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर

परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 18.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(200)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती गीता देवी सैन, निवासी ग्राम परासोली, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. यह शिकायत की गई कि उसके द्वारा मैसर्स झंवर प्रोपर्टीज, विजयनगर से ग्राम बरल, तहसील मसूदा, जिला अजमेर की आराजी खसरा नंबर 950, 951, 952, 954 व 956 कुल रकबा 46 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर स्थित मारूती नगर कॉलोनी म. 30X64 फीट अर्थात् 213.33 वर्ग गज माप का भूखण्ड संख्या 21 वर्ष 1992 म. 5000/- रूपये म. खरीदने पर मौके पर पत्थर गाड़ कर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। इसके नियमन हेतु दिनांक 22.11.12 को नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पट्टा बनाने का आवेदन-पत्र नगरपालिका म. प्रस्तुत किया था जिस पर नगरपालिका द्वारा आपत्ति आमंत्रण की सूचना दिनांक 25.11.2012 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर म. प्रकाशित करवाई गई थी। इसकी जानकारी होते हुए भी इसी प्लॉट के सम्बन्ध म. दिनांक 01.02.2013 को नगरपालिका, विजय नगर के अधिकारी एवं कर्मचारिया. ने मैसर्स झंवर प्रोपर्टीज से मिलीभगत कर उनके पक्ष म. आपत्ति आमंत्रण की सूचना जारी कर दी तथा इसकी सूचना उसे नहीं दी गई। उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 20.03.2013 को मैसर्स झंवर प्रोपर्टीज जरिये अनिल कुमार के नाम से गलत रूप से जारी कर दिया गया और इस प्रकार उसे अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा उसकी पत्रावली को गलत रूप से निरस्त कर दिया गया। परिवादी ने उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम जारी करवाने की प्रार्थना की।

उपर्युक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर पत्र दिनांक 17.04.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत 5000/- रूपये की रसीद से यह प्रकट नहीं है कि यह राशि उसने प्रश्नगत भूखण्ड की कुल विक्रय राशि के अग्रिम पेटे दी थी अथवा भूखण्ड की सम्पूर्ण विक्रय राशि के पेटे अदा की थी। इसके साथ ही परिवादी द्वारा भूखण्ड क्रय करने के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करवाया गया। उसके द्वारा राजस्व अभिलेख म. अपने नाम इंद्राज भी नहीं करवाया गया। नगरपालिका म. उक्त भूखण्ड खरीदने बाबत कोई इकरारनामा या बेचाननामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड पर परिवादी का स्वामित्व होना प्रमाणित नहीं है।

यह भी अवगत करवाया गया कि परिवादी का परिवाद इस सीमा तक सही प्रकट होता है कि उसके आवेदन-पत्र के सम्बन्ध म. प्राप्त आपत्ति के सुनवाई हेतु लम्बित रहते हुए ही प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा दिनांक 20.03.2013 को मैसर्स झंवर प्रोपर्टीज के पक्ष म. जारी कर दिया गया, जबकि उसके आवेदन पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण दिनांक 08.06.13 को किया गया था।

तत्पश्चात् सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.10.15 से यह भी अवगत करवाया गया कि परिवादी के आवेदन-पत्र पर आपत्ति की सुनवाई लम्बित रहते हुए मैसर्स झंवर प्रोपर्टीज के नाम पट्टा जारी करने की कार्यवाही के सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवक श्री चन्द्र प्रकाश कटारिया के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने से उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अन्य दोषी लोकसेवक श्री योगेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक को विभागीय आदेश दिनांक 18.04.16 के द्वारा भविष्य म. और अधिक सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी देकर स्पष्टीकरण नोटिस को समाप्त किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक को चेतावनी के दण्ड से दण्डित करने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 01.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(283)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती हेमलता, निवासी सैंती, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके द्वारा अपनी भूमि के रूपान्तरण हेतु आवश्यक शुल्क व अन्य राशि के साथ दिनांक 28.06.2005 को प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु उत्तरदायी नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के लोक सेवक के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र दिनांक 06.04.2016 से अवगत करवाया गया कि परिवादी के आवेदन-पत्र के संदर्भ म. उसे दिनांक 22.09.2015 को संशोधित माँग पत्र जारी किया गया है तथा परिवादी की पत्रावली गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को स्पष्टीकरण व अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत नोटिस जारी किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध स्पष्टीकरण नोटिस जारी हो जाने तथा संशोधित

माँग-पत्र जारी हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 28.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(313)लोआस/2014

परिवादी श्री अमरनाथ गुप्ता, निवासी लोहामण्डी, डीग, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई कि ओवर हैड गैन्ट्री साइन बोर्ड की निविदा प्रक्रिया के तहत प्राप्त निविदाआ. म. श्री यतीश शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका, डीग द्वारा निविदा राशि, अमानत राशि, निविदा क्रय राशि आदि सभी प्रविष्टिया. म. फर्जकारी कर ओवर राइटिंग की गई। कार्यादेश दिनांक 02.03.2014 म. एस्टीमेट से करीब 50 प्रतिशत अधिक राशि के कार्यादेश जारी किये गये। द्वितीय कार्यादेश दिनांक 02.06.2014 म. दुबारा दो गेट के कार्यादेश दिये गये। ठेकेदार से सुरक्षा राशि की कटौती नहीं की गई। एस्टीमेट के अनुसार माप-पुस्तिका म. माप का इन्द्राज नहीं किया गया। निविदा प्रक्रिया म. अन्य कई अनियमितताएँ भी की गई, जिनकी जाँच जिला कलक्टर के आदेश के बावजूद नहीं करवाई गई। परिवाद म. प्रकरण की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ में सहायक निदेशक, (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, भरतपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 05.05.16 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से करवाई गई जाँच म. नगरपालिका, डीग के अधिशाषी अधिकारी/कर्मचारियों को प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया टुकड़ा. म. करवाने व निविदा सूचना राज्यस्तरीय प्रमुख समाचार पत्रा. म. प्रकाशित नहीं करवाने के लिए दोषी पाया गया। तत्पश्चात् उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर ने पत्र दिनांक

28.01.16 से अवगत करवाया कि अनियमितताओं के सम्बन्ध म. श्री योगेश पिप्पल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीग के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 30.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(357)लोआस/2014

परिवादी श्री फारूख, निवासी सांभर साल्ट क्वार्टर नम्बर एस-102, पावर हाउस के सामने, रेल्वे स्टेशन रोड़, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, सांभरलेक के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्री प्रवीण माथुर द्वारा आवेदक इब्राहिम शाह से मिलीभगत व पद का दुरूपयोग कर मूल दस्तावेज की जाँच किये बिना कस्बा सांभरलेक के खसरा नम्बर 1 की सरकारी भूमि क्षेत्रफल 5314.65 वर्ग गज का गृहकर प्रमाण-पत्र जारी करवा देने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 06.07.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोकसेवक श्री प्रवीण माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सांभरलेक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत

अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक को निर्देशित किया गया है। पत्र दिनांक 17.10.2016 से अवगत करवाया गया है कि उक्त जाँच कार्यवाही म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा उक्त श्री प्रवीण माथुर को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा इब्राहिम शाह के नाम तस्दीक किये गये नामान्तरण को निरस्त करने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा पृथक से की जा रही है। परिवादी ने पत्र दिनांक 15.09.2015 से यह सूचित किया कि वह जाँच कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने तथा प्रश्नगत नामान्तरण को निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 19.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(617)लोआस/2014

परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 16, खेतड़ी, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, खेतड़ी के अध्यक्ष श्री सीताराम वर्मा, कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी श्री सुमित वर्मा एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक दिनांक 11.08.2014 के एजेन्डे के सभी पार्षदा. द्वारा अस्वीकार किये गये चार बिन्दुआ. को पद का दुरूपयोग करते हुए पार्षदा. को धोखे म. रखकर भ्रष्टाचार को छिपाने के उद्देश्य से मण्डल द्वारा स्वीकृत होने का विवरण अंकित करने की शिकायत करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र दिनांक 02.12.2015 से अवगत करवाया कि उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से करवाई गई जाँच की रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोकसेवक श्री सुमित वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी) के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 02.08.2016 से अवगत करवाया गया कि दोषी लोकसेवक श्री सुमीत वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने से इस प्रकरण को दिनांक 08.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(678)लोआस/2014

परिवादी श्री गेन्दालाल गुर्जर, निवासी शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. यह शिकायत की गई कि उसके पुत्र गोपाल लाल ने उनके वार्ड नं. 12 स्थित मकान का पट्टा बनवाने हेतु नगरपालिका, शाहपुरा म. पत्रावली संख्या 158/2001-02 प्रस्तुत की जिस पर सहायक राजस्व निरीक्षक सोहनलाल ने द्वेषतावश यह टिप्पणी अंकित कर दी कि गुलाबदेवी द्वारा मौखिक आपत्ति की गई है। वर्ष 2002 से 2005 तक न तो पत्रावली म. कोई लिखित आपत्ति किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही कोई आपत्तिकर्ता उपस्थित हुआ। दिनांक 30.12.2005 को गृहकर

जमा करवाने हेतु कहने पर उसके लड़के ने जरिये रसीद संख्या 164 दिनांक 30.12.2005 से 444/- रुपए जमा करवा दिये। उसके पश्चात् भी वर्ष 2006 तक पट्टा जारी नहीं किया गया। पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक सोहन लाल व अन्य कर्मचारी ने पट्टा जारी करवाने हेतु 5000/- रुपए माँगे। उनकी नाजायज माँग पूरी नहीं करने पर पत्रावली म. दिनांक 07.06.2007 को यह अंकित कर दिया कि बन्नालाल गुर्जर द्वारा आपत्ति की गई है तथा 2002 से 2006 तक की पत्रावली की ऑर्डर-शीट भी गायब कर दी गई। दिनांक 01.12.2007 को सोहन लाल यादव ने यह टिप्पणी अंकित कर दी कि आवेदक के पिताजी का इसी मोहल्ले म. मकान है तथा उसी म. आवेदक भी रहता है। पुनः प्रशासन शहरों के संग अभियान माह नवम्बर, 2012 म. पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा कहा गया कि अब 10000/- रुपए देने हाग़े। इसकी शिकायत डी.जी.पी., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को की गई। दैनिक भास्कर दिनांक 23.04.2013 म. भी समाचार प्रकाशित करवाया गया, लेकिन अभी तक पट्टा जारी नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से प्रार्थना की गई है कि नगरपालिका के उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच करवाई जाकर कार्यवाही की जावे।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2015 से अवगत करवाया गया कि जाँच के आधार पर नगरपालिका के कर्मचारी श्री सोहनलाल व जगदीश प्रसाद सैनी को उत्तरदायी माना गया है और उनके विरूद्ध आरोप-पत्र तैयार किये जा रहे हैं। उसके पश्चात यह अवगत करवाया गया कि सहायक राजस्व निरीक्षक, श्री सोहनलाल

सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा श्री जगदीश प्रसाद सैनी, बागवान के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत ज्ञापन/आरोप-पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 30.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(685)लोआस/2014

परिवादी श्री सुरेश सिंह शेखावत, निवासी मकान संख्या 216, रामगंज, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजस्थान आवासन मण्डल, किशनगढ़, जिला अजमेर के लोकसेवका. द्वारा किशनगढ़ शहर म. निर्माणाधीन सड़का. व मकाना. के निर्माण कार्य म. किए गये भ्रष्टाचार के कारण मकाना. की लागत 80 से 100 प्रतिशत बढ़ जाने के लिए दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 04.01.2016 से अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध म. दोषी पाये गये लोकसेवकगण श्री जी.एस. देवल, श्री के.एल. निणानिया एवं श्री बी.डी. गर्ग आवासीय अभियन्ताआ. को निलम्बित किया गया है। इसी क्रम म. पत्र दिनांक 16.02.2016 से अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त तीना.

लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी कर जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 21.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(50)लोआस/2015

परिवादी श्री हरिओम पुरी, निवासी वार्ड संख्या 19, कैथून, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. कोटा-सांगोद लिंक रोड़, मवासा सी.सी. रोड़ के निर्माण कार्य म. नगरपालिका भूमि पर रोड़ नहीं बनाकर श्री दिनेश कुमार को फायदा पहुँचाने के लिए सरकारी खर्चे पर सड़क का निर्माण करवाने, श्री घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता को नियम विरूद्ध चैक पावर देने, उसे नियम विरूद्ध स्थायी करने व IHSDP योजना के अन्तर्गत नये मेवासा खेड़ा रोड़ पर सार्वजनिक पार्क का स्वीकृत आकार बिगाड़ते हुए एक अतिक्रमी को फायदा पहुँचाने के लिए इसे पंचकोणीय बनाने इत्यादि अनियमितताएँ करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05.10.2015 से अवगत करवाया कि इस मामले म. दर्ज परिवाद संख्या 21/2015 की जाँच के उपरान्त ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार परिवाद को नस्तीबद्ध करते हुए श्री घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री सुरेश हरित, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, कैथून को अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी

मानते हुए निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 31.08.2015 प्रेषित किया गया तथा इसी संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.07.2016 से अवगत करवाया कि उक्त दोना. उत्तरदायी लोकसेवका. के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 07.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(57)लोआस/2015

परिवादी श्री मोहम्मद अली, निवासी वार्ड नम्बर 20, कैथून, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, कैथून द्वारा सफाई कर्मचारी श्री मुकेश पुत्र बाबूलाल की कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर म. उपस्थिति अंकित नहीं होने के बावजूद माह जनवरी 2014 से नवम्बर 2014 तक का वेतन भुगतान कर देने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कैथून ने पत्र दिनांक 16.10.2015 से अवगत करवाया कि उपर्युक्त कर्मचारी श्री मुकेश सफाई प्रभारी एवं जमादार के निर्देशानुसार सफाई का कार्य करता था तथा जमादार के रजिस्टर म. उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती थी। उसके पश्चात् तत्कालीन

अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यालय आदेश दिनांक 31.12.2013 से उसकी ड्यूटी नगरपालिका कार्यालय के हॉल, गैराज, मूत्रालयों/शौचालयों एवं आसपास सफाई के लिए लगाने पर उसने दिनांक 12.12.2014 तक उक्त कार्य किया एवं इस अवधि म. उसकी उपस्थिति नगरपालिका कार्यालय म. अलग से संधारित रजिस्टर म. दर्ज की गई। तत्पश्चात उसे नगरपालिका कार्यालय से हटाकर सेक्टर 4 म. लगाया गया, जहाँ उसके द्वारा नियमित कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी द्वारा आदेश के अनुसार कार्य किया गया तथा उसको वेतन भुगतान भी उपस्थिति के आधार पर अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही नियमानुसार किया गया है।

सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 26.08.2016 से यह अवगत करवाया गया कि मवासा रोड़ पर सी.सी. रोड़ के निर्माण कार्य म. अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध म. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो म. दर्ज परिवाद 21/2015 म. जाँच के आधार पर दोषी लोकसेवक श्री घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री सुरेश हरित, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, कैथून को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही म. आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 26.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(127)लोआस/2015

परिवादी श्री राजकुमार सोनी, निवासी वार्ड नंबर-20, कोर्ट परिसर के पास, चिड़ावा, जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 21.05.2015 को प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई कि पंजीकृत विक्रय-पत्र से खरीदे गये मकान का नामान्तरण अपने नाम करवाने हेतु उसने दिनांक 18.09.2014 को आवेदन-पत्र मय निर्धारित शुल्क नगरपालिका, चिड़ावा के कनिष्ठ लिपिक श्री रामस्वरूप सैनी को दिया था। नामान्तरण हेतु निर्धारित राशि 82300/- रूपये नकद श्री रामस्वरूप सैनी को जमा करवायी जिसकी अहस्ताक्षरित पुस्तक संख्या-14 म. रसीद संख्या-22 उसे दी गई। बार-बार चक्कर लगाने पर भी श्री सैनी द्वारा उसके नाम नामान्तरण न कर जमा करवाई गई राजकीय राशि रूपये 82300/- का गबन कर लिया गया। इस बाबत शिकायत करने के बावजूद श्री सैनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.09.15 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चिड़ावा द्वारा दोषी लोकसेवक श्री रामस्वरूप सैनी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं पुलिस थाना, चिड़ावा म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के लिए भी लिखा जा चुका है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 07.09.2016 से अवगत करवाया गया कि अपचारी लोकसेवक श्री रामस्वरूप सैनी, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच म. प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री सैनी द्वारा प्राप्त की गई राशि रूपये 82300/- नगरपालिका के खाते म. दिनांक 07.05.2015 को जमा करवाई गई तथा नगरपालिका को हुई क्षति की भरपाई के लिए ब्याज राशि रूपये 1962/- भी दिनांक 31.03.2016 को जमा कराई गई। श्री सैनी के विरूद्ध उक्त कृत्य के लिए पुलिस थाना,

चिड़ावा म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2015 अन्तर्गत धारा 409 एवं 120बी भा.दं.सं. दर्ज हो चुकी है। परिवादी श्री राजकुमार सोनी प्रश्नगत पट्टा विलेख की आड़ म. अलग भूमि से सम्बन्धित विक्रय-पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज कराना चाहता है जो न्यायसंगत नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने तथा पुलिस थाना म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(275)लोआस/2015

परिवादी श्री मोहम्मद हनीफ कुरैशी, निवासी कुरेशियान मोहल्ला, छोटा बाजार, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, सांभरलेक के कनिष्ठ लिपिक श्री प्रवीण माथुर द्वारा पद का दुरूपयोग कर मोहल्ला आलमपुरा के भूखण्ड संख्या 1-4 की आम नीलामी म. केवल एक भूखण्ड की अमानत राशि के आधार पर चारा. भूखण्डा. की बोली लगवाने तथा उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी राशि की 1/4 राशि तत्काल जमा करवाये जाने की अनिवार्यता की जानकारी न देकर नगरपालिका कोष को लगभग 15,000 रूपये की हानि पहुँचाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.01.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण की जाँच म. तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक श्री प्रवीण माथुर को प्रश्नगत

भूखण्डों की नीलामी म. नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं करने के लिए दोषी पाए जाने पर श्री किशन लाल कुमावत, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया है तथा तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, श्री प्रवीण माथुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया है। पत्र दिनांक 30.03.2016 से अवगत करवाया गया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा श्री प्रवीण माथुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जाँच म. आरोप-पत्र जारी किया गया है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 18.05.2016 से अवगत करवाया गया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही म. श्री प्रवीण माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को उसकी एक वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिनांक 12.05.2016 को नगरपालिका को हुए आर्थिक नुकसान की राशि 15000/- रूपये उससे वसूल करने के आदेश दिये गये।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने तथा नगरपालिका को हुई हानि कि राशि वसूल करने के आदेश जारी हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 08.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(362)लोआस/2015

परिवादी श्री सुभाष शर्मा निवासी वार्ड नंबर-2, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये सार्वजनिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा को क्षति पहुँचाते हुए इन पर किये जा रहे अवैध निर्माण को नहीं रूकवाने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा इस संदर्भ म. माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 19.05.2016 से अवगत करवाया कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध म. दोषियों के विरूद्ध मुकदमा संख्या 122/16 दर्ज करवाया गया है, जिसम. न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 16.08.2016 से यह भी अवगत करवाया है कि जाँच म. लोकसेवक श्री गोपाल शर्मा, तत्कालीन आयुक्त एवं श्री हेमसिंह ढाका, अधिशाषी अधिकारी को दोषी पाया गया। श्री गोपाल शर्मा, तत्कालीन आयुक्त दिनांक 30.04.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री हेमसिंह ढाका, अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 31.05.2016 को आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(367)लोआस/2015

परिवादी श्री बिहारी लाल अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 14, कस्बा राजगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी और कर्मचारीगण, नगरपालिका, राजगढ़ द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों म. भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 30.03.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण म. जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री मोहनलाल, अधिशाषी अधिकारी (मृतक), श्री इन्द्र सिंह धुआं, कनिष्ठ लिपिक (सेवानिवृत्त), श्री रतनसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता दोषी पाये गये। श्री रतनसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 23.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(441)लोआस/2015

परिवादी श्री श्यामलाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 24, राजगढ़, जिला-चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ द्वारा नियमों की अवहेलना कर भ्रष्टाचार करने तथा सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया म. अनियमितताएं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 08.12.2015 से अवगत करवाया कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध म. माननीय उच्च न्यायालय म. एस.बी. रिट पीटिशन नंबर 5631/15, 5632/15, 7306/15 एवं 8077/15 विचाराधीन हैं। इसके बाद उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 13.05.2016 से अवगत करवाया कि इस मामले म. दोषी कनिष्ठ

अभियन्ता, श्री रतनसिंह व कनिष्ठ लिपिक श्री मुमताज खाँ के विरूद्ध निर्माण कार्य का रिकॉर्ड सही रूप से संधारित नहीं करने के आरोप म. अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दिये जाने से यह प्रकरण दिनांक 24.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया। समान विषयवस्तु का अन्य परिवाद संख्या एफ.16(444)/लोआस/2015 भी साथ म. नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(498)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी निवासी सरदार शहर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदारशहर द्वारा ग्राम हरियासर घड़सोता के खसरा नंबर 635, 627, 589 व 296 की शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय) प्रयोजनार्थ अवैध भू-उपयोग परिवर्तन करने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा इस संदर्भ म. माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 05.01.2016 से अवगत करवाया कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रश्नगत प्रकरण म. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2015 द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन को निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसके बाद निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 25.01.2017 से अवगत करवाया कि नियम विरूद्ध भू-रूपान्तरण के विषय म. पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, सरदारशहर, श्रीमती तारा देवी जोशी के विरूद्ध

नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 व श्री सुनील कुमार सोनी, कनिष्ठ अभियन्ता श्री मदनलाल माली, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री शुभकरण, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 15.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(550)लोआस/2015

परिवादी श्री केशव व्यास निवासी नई ब्रह्मपुरी, जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, जालोर द्वारा अपनी धांधलियों व भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अनियमित रूप से मुख्य समाचार पत्रा. से सम्बन्धित पत्रकारों के अलावा छुटभैया पत्रकारों को बिना आवेदनों की जाँच किये विज्ञप्ति की शर्तो के विरूद्ध भूखण्ड आवंटन किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांकित 09.01.2017 से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगर परिषद, जालोर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच के सम्बन्ध म. तत्कालीन आयुक्त, श्री शंकरलाल गहलोत, सहायक अभियन्ता, श्री महेश राजपुरोहित, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री पुखराज गजधर, वरिष्ठ लिपिक, श्री शैलेन्द्र कुमार, फायरमैन, श्री हैदल अली, प्रभारी भूमि नियमन, अनुभाग श्री रामसिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम

16 के तहत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 27.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(802)लोआस/2015

परिवादी श्री कुलदीप परेवा निवासी नकाशा मोहल्ला, वार्ड नंबर 2, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री प्रवीण कुमार माथुर, लिपिक, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा खसरा नम्बर 161 से 167 तक की भूमि म. निर्माण पर रोक के आदेश होने व इसके नगरपालिका क्षेत्राधिकार की भूमि न होने के बावजूद विधि विरूद्ध विकास शुल्क एवं अमानत राशि जमा कर आदेशिका तैयार करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 19.03.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी के प्रकरण म. श्री प्रवीण कुमार माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के आदेश दिनांकित 16.09.2010 द्वारा खसरा नंबर 166 की भूमि म. इन्तजार अली व अन्य को निर्माण स्वीकृति नहीं दिये जाने के निर्देश होने के बावजूद अमानत राशि जमा कर निर्माण स्वीकृति दिये जाने की टिप्पणी कर अपने पद का दुरूपयोग करना सिद्ध पाया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा श्री प्रवीण कुमार माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर उसे आदेश दिनांक 23.08.2016 से **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।**

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 16.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(842)लोआस/2015

परिवादी श्री संतोष कुमार सैनी निवासी नया बास, नई कॉलोनी, नावां रोड़, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री प्रवीण माथुर, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा गृहकर पंजिका के क्रमांक 1/224 दिनांक 21.01.2013 म. शून्य श्रेणी की वसीयत के आधार पर नाम परिवर्तन किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.05.16 से अवगत करवाया है कि शिकायत के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा श्री प्रवीण कुमार माथुर, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए आरोप-पत्र जारी कर जाँच प्रारंभ की गई है, जो नगरपालिका, सांभरलेक म. विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को दिनांक 16.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(961)लोआस/2015

परिवादी श्री रामावतार जांगीड़ निवासी वार्ड नंबर 8, सरदार शहर, जिला-चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदार शहर द्वारा अवैध पट्टे पर निर्माण की इजाजात देने व पत्रावली गायब कर देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 24.08.2016 से अवगत करवाया कि विवादित पत्रावली गुम होने के सम्बन्ध म. कार्मिक श्री रणजीत सिंह को दोषी पाया गया एवं उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे **एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित** किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 03.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(19)लोआस/2015

परिवादी श्री एस.के. पूनिया एडवोकेट, निवासी डी-353, सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर ने आबकारी विभाग के थाना पूर्व व पश्चिम, जोधपुर के इन्चार्ज श्री महेन्द्र सिंह के विरूद्ध आबकारी थाना, जोधपुर (पश्चिम) म. दर्ज अभियोग संख्या 32 दिनांक 19.08.15 म. पकड़े गये अवैध शराब के ट्रक म. से करीब 800 कार्टन शराब तस्करों को अवैध रूप से बेचने के संदर्भ म. दिनांक 11.09.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.10.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस

सम्बन्ध म. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.02.2017 के अनुसार श्री महेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल एवं श्री माँगीलाल विश्नोई जमादार, आबकारी निरोधक दल के विरूद्ध विभागीय अनियमितताओं के लिये राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हे आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र दिया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई जो विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध उक्तानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 03.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(21)लोआस/2011

परिवादी श्री परसाराम मेघवाल पुत्र स्वर्गीय श्री लालूराम, निवासी ग्राम रावलियास, पोस्ट कितलसर, वाया डेगाना, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री धन्नाराम, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डेगाना द्वारा पद का दुरूपयोग, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, नागौर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.1.12 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 25.05.16 के अनुसार प्रकरण म. उत्तरदायी लोकसेवक श्री सुधीरचन्द गुप्ता सहायक अभियन्ता को राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियम, 1958 के नियम 14(1) के तहत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 01.06.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(4)लोआस/2013

परिवादी श्री लीलाधर शर्मा वार्ड नम्बर 24, बिसाऊ रोड़, चूरू ने यह परिवाद जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, चूरू म. भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमित कार्य करने वाले श्री बुद्धमल गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक को मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मुख्यालय जयपुर/बीकानेर द्वारा संरक्षण दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 18.04.2013 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.07.2013 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त विभिन्न पत्रों के अनुसार दोषी लोकसेवक बुद्धमल गुर्जर को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 14 (11) के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. **एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** किया गया एवं प्रकरण म. प्रस्तावित सकल राशि के 65,819/-रूपये उससे वसूल किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर राशि वसूल हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 30.12.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(38)लोआस/2014

परिवादी श्री अशोक पुजारी पुत्र डॉ. मुरारी लाल शर्मा मुख्य डाकघर के पास, वार्ड नम्बर 14, रामगढ़ शेखावटी, सीकर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रामगढ़ शेखावटी म. कार्यरत अधिकारी श्री मक्खन लाल द्वारा की जा रही धान्धलेबाजी के संदर्भ म. दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.11.2014 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.16 के अनुसार चौकीदारी का कार्य कर रहे बेलदार श्री शंकरलाल नाई को अनियमितताओं के लिए **चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया** गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.05.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(06)लोआस/2011

परिवादी श्रीमती प्रेमलता खुराना से दिनांक 02.09.2011 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन म. की गई धान्धली/अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर से दिनांक 10.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर शहर के दिनांक 27.01.2015 के कार्यालय आदेश के अनुसार इस परियोजना म. कुल 12 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों के चयन को निरस्त करते हुए इनकी मानदेय सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी गई।

इस मामले म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन दोषी बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (हाल प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौजपुर) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया और इसी क्रम म. दिनांक 04.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गुप्ता को **''परिनिन्दा''** के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(13)लोआस/2011

परिवादी श्री बुद्धराम मीणा, महावीर नगर तृतीय, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. बाल विकास परियोजना अधिकारी, छबड़ा, जिला बारां द्वारा कुपोषण प्रबन्धन कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्तियां करने म. पद का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं गबन कारित करने की शिकायत की गई। परिवादी के स्वयं लोकसेवक होने के नाते उसकी परिवाद प्रस्तुत करने बाबत असक्षमता व परिवाद म. अंकित आरोपों की गम्भीर प्रकृति के दृष्टिगत इस मामले म. 'स्व-प्रेरणा' से प्रसंज्ञान लेकर निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी गई।

इस सम्बन्ध म. विभाग से दिनांक 15.10.2013 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, छबड़ा, श्री किशनलाल बैरवा महिला बाल विकास विभाग म. माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर वर्ष 2004 से अप्रैल, 2012 तक कार्यरत रहे थे। श्री बैरवा के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय आदेश दिनांक 05.04.2012 से उनके पैतृक विभाग के लिये कार्यमुक्त किया गया। इस परिवाद के सम्बन्ध म. श्री बैरवा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा म. प्राथमिक जाँच संख्या 89/2012 दिनांक 22.05.2012 को पंजीबद्ध की गई, जिसकी जाँच की जा रही है। विभागीय जाँच म. श्री बैरवा को एक ही फर्म से एक ही प्रकार की स्टेशनरी भिन्न-भिन्न दरों पर खरीद कर राजकीय राशि की हानि पहुँचाने के लिये प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां की जाँच म. भी श्री बैरवा को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, बमौरी घाटा के चयन म. विलम्ब करने, स्वयं सहायता समूहों से अनाधिकृत रूप से एक से अधिक आँगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार आपूर्ति करवाने, आँगनबाड़ी केन्द्रों का मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं करने एवं बारां शहर के छबड़ा नगरपालिका क्षेत्र म. स्थित केन्द्रों के पर्यवेक्षण कार्यों म. उदासीनता का दोषी पाकर विभागीय जाँच का प्रस्ताव निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 17.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री किशनलाल बैरवा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, छबड़ा (मूल पद व्याख्याता-वाणिज्य) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

तत्पश्चात् दिनांक 07.06.2016 को विभाग से प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त विभागीय जाँच हेतु उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा को जाँच अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बारां को उपस्थापक अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना, बारां को अतिरिक्त उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उपर्युक्त विभागीय जाँच की त्रैमासिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(15)लोआस/2012

परिवादी श्री विश्राम मीणा से दिनांक 20.03.2013 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, कटकड़ के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 2 पर कार्यरत आँगनबाड़ी सहायिका श्रीमती राम गिलासी के 75 वर्षीय वृद्ध महिला होने के बावजूद उसके द्वारा फर्जकारी करके नौकरी प्राप्त कर बी.पी.एल. सुविधाओं का भी लाभ उठाने की धांधली म. लिप्त सरपंच एवं अन्य

लोकसेवकों के विरूद्ध फर्जीवाड़े की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 25.02.2014 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि श्रीमती राम गिलासी, आंगनबाड़ी सहायिका की जन्म तिथि सम्बन्धी शिकायत की जाँच बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डौन द्वारा की गई जिसम. उसकी जन्म तिथि 07.02.1943 मानते हुए उन्हें आदेश दिनांक 17.01.2014 के द्वारा मानदेय सेवा से पृथक किया गया। माह अप्रैल, 1992 से कार्यरत श्रीमती राम गिलासी के मानेदय का भुगतान पर्यवेक्षक और सरपंच द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 02.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्रीमती राम गिलासी (पूर्व सहायिका) के चयन व मानदेय सेवा पर लगाने का अभिलेख उपलब्ध न होने पर तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, श्री राजेश कुमार विजय के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। इसी क्रम म. दिनांक 19.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डौन (ग्रामीण) के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक श्री राजेश कुमार विजय के विरूद्ध उक्त अनुशासनिक कार्यवाही म. दिनांक 30.09.2016 को आदेश पारित करते हुए उन्हें भविष्य में सतर्क रह कर कार्य करने की चेतावनी से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.35(87)लोआस/2011

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 20.07.2011 के अंक म. **''रिजल्ट शीट म. की गई थी कांट-छांट''** शीर्षक से प्रकाशित खबर के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा गाईड भर्ती प्रक्रिया म. जानबूझकर योग्य अभ्यर्थिया. को फेल किया गया तथा पिछड़ रहे अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये लेन-देन कर भारी गड़बड़ी की गई। इस हेतु गठित कमेटी की जाँच-रिपोर्ट म. पर्यटन सूचना केन्द्र के प्रभारी संजय जौहरी को दोषी माना गया और अन्य लोकसेवका. की भूमिका तय करने के लिये जाँच करवाने की सिफारिश की गई। कमेटी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार साक्षात्कार में गड़बड़ी की गई। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण व कई भाषाआ. के जानकार अभ्यर्थियों को दस से भी कम नम्बर मिले, वहीं मात्र 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बीस से तीस नम्बर दिये जाकर परीक्षा परिणाम म. कांट-छांट की गई। यह बात भी सामने आई है कि मामले से जुड़े एक अधिकारी ने दो गाइडा. के मार्फत मोटी रकम वसूल की है। प्रकाशित समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा प्रकरण म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. उप शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 18.06.2014 के द्वारा अवगत करवाया है कि श्री संजय जौहरी, सहायक निदेशक को परीक्षा की रिजल्ट शीट म. कांट-छांट करने का

दोषी पाया गया है एवं अन्य अधिकारियों को तत्कालीन मंत्री द्वारा दोषी नहीं माना गया है।

शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 27.03.2015 द्वारा अवगत करवाया कि श्री संजय जौहरी, सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, सवाईमाधोपुर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिनांक 20.03.15 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(225)लोआस/2011

परिवादी श्री बालकृष्ण, निवासी 2 त 11, हाउसिंग बोर्ड, कृष्णा नगर, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा वर्ष 2008 के आवेदन-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम, भरतपुर द्वारा वितरित नहीं करने के घोटाले की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने उप निदेशक (माध्यमिक) प्रथम, भरतपुर के प्रतिवेदन दिनांक 22.02.2015 के आधार पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रकरण म. तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम, भरतपुर एवं श्री त्रिलोकचन्द शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, मास्टर आदित्येन्द्र

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर को लापरवाही का दोषी पाया गया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम, भरतपुर दिनांक 31.07.09 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सबन्धित लिपिक श्री त्रिलोकचन्द शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम, भरतपुर द्वारा दिनांक 25.10.2015 को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(32)लोआस/2012

परिवादी श्री मनीष कसेरा, निवासी बस स्टेण्ड के पीछे, शास्त्री नगर, गली नम्बर 3, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. गंगापुर क्षेत्र के सहाडा तालाब के आवक एवं भराव क्षेत्र की भूमियों बाबत की गई धारा 90 बी एल.आर. एक्ट की कार्यवाही निरस्त करने, नगरपालिका द्वारा दी गई निर्माण स्वकृतियों को निरस्त करने, बाधित की गई जल आवक खुलवाने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन दिनांकित 25.11.2013 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद म. वर्णित आक्षेपों बाबत जिला सतर्कता समिति, भीलवाड़ा म. संस्थित प्रकरण म. जाँच रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्यवाही की गई है।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन दिनांकित 29.01.2015 द्वारा अवगत कराया कि श्री शंकरलाल सालवी, तत्कालीन तहसीलदार, सहाड़ा

के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 90-बी की कार्यवाही के दौरान जल प्रवाह बाधित होने के बावजूद जल प्रवाह बाधित न होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध म. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र व आरोप विवरण पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किये गये है। इस सम्बन्ध म. उप-निबन्धक (जाँच) राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के पत्र दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री शंकरलाल सालवी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने से विभागीय जाँच समाप्त करना उल्लेखित किया गया।

अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 06.02.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री कृष्ण गोपाल माली, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गंगापुर, भीलवाड़ा द्वारा वांछित सूचना समय पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित नहीं करने बाबत उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. उन्हें भविष्य म. सावचेत रह कर तत्परता से कार्य करने की चेतावनी के दंड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(92)लोआस/2013

परिवादी श्री सतीश कुमार जांगिड़, निवासी ग्राम पीचूपाडा खुर्द, वाया बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पीचूपाडा खुर्द (बांदीकुई) म. स्थित शिक्षा विभाग के स्वामित्व के खसरा संख्या 1021

रकबा 0.10 ऐयर भूमि का अनियमित रूप से समर्पण करवाने के उपरान्त आबादी भूमि के रूप म. दर्ज होने पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर भूमि को पुनः विद्यालय के नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। परिवाद के साथ संलग्न जिला कलेक्टर, दौसा के पत्र दिनांक 10.12.10 से प्रकट हुआ कि उन्हाने विद्यालय के नाम दर्ज उक्त भूमि को राज्य हित म. समर्पण करने हेतु प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीचूपाड़ा खुर्द को निर्देश दिये। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 16.07.2015 के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा खातेदारी भूमि समर्पित करने बाबत निर्देश दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त निर्देश जारी करने वाले तत्कालीन जिला कलेक्टर, दौसा श्री आर.एस. जाखड का सेवानिवृत्त हो जाना भी बताया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 20.02.2015 एवं 12.03.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि राजकीय विद्यालय के खातेदारी की भूमि को तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीचूपाड़ा खुर्द श्री भगवान सहाय सैनी एवं श्री जगदीश प्रसाद मीणा के विद्यालय भूमि समर्पण हेतु अधिकृत न होते हुए भी उनके द्वारा नियम विरूद्ध भूमि समर्पण किये जाने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन ज्ञापन, आरोप-पत्र, आरोप-विवरण जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(107)लोआस/2014

परिवादी श्री शिवदयाल शर्मा, निवासी 103, शिव कॉलोनी, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्वार की वालों की ढाणी, गीजगढ़, तहसील सिकराय, जिला दौसा म. सीताराम व गजानन्द द्वारा लोकसेवकों से मिलीभगत कर बी.पी.एल. सूची म. अपना गलत चयन करवा लेने एवं गैरमुमकिन नाला खसरा संख्या 415 की भूमि पर लोहे की थड़ी स्थापित कर अतिक्रमण करके उसम. फर्जी तौर से विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर लेने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 16.10.2014 प्रेषित कर अवगत कराया गया कि थड़ी लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है और विवादित भूमि पर कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने जरिये फैक्स रिपोर्ट यह भी अवगत कराया कि सीताराम, गजानन्द सहित कुल 8 सदस्यों के नाम बी.पी.एल. सूची से पृथक कर दिये गये हैं और प्रकरण म. किसी लोकसेवक का संलिप्त होना स्पष्ट नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., दौसा ने अपने पत्र दिनांक 08.06.2015 द्वारा अवगत कराया कि थड़ी म. विधि विरूद्ध रूप से विद्युत सम्बन्ध दिये जाने के सन्दर्भ म. श्री धर्मवीरसिंह मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को उसके विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावी से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। बी.पी. एल. सूची म. सीताराम एवं गजानंद के नाम जोड़ने म. लोकसेवकों की संलिप्तता बाबत उपखण्ड अधिकारी, सिकराय ने अपने पत्र दिनांक 24.02.2016 द्वारा सूचित किया कि इस हेतु उत्तरदायी श्री हरिनारायण मीना, कनिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय, सिकराय दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके है तथा श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक को उसके विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(137)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती कमला, निवासी 96 ए, सेक्टर नम्बर 2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 540/2008 म. राजीनामा के माध्यम से दिनांक 15.02.13 को पारित आज्ञप्ति की अनुपालना म. ग्राम पंचायत, कोटड़ी (भीलवाड़ा) द्वारा पट्टा-विलेख जारी नहीं करने तथा उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी द्वारा उसके पक्ष म. नामान्तरण नहीं खोलने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांकित 06.05.2015 से सूचित किया कि ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा परिवादी कमलादेवी के पक्ष म. विवादग्रस्त भूखण्ड/मकान का पट्टा जारी कर दिया गया है। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन दिनांकित 06.10.2015 से अवगत करवाया कि आराजी खसरा संख्या 2693/1 रकबा 4 बीघा का माफिक आज्ञप्ति नामान्तरण खोल कर जमाबन्दी म. अमल दरामद कर दिया गया एवं इस प्रक्रिया म. तीन साल का विलम्ब होने के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 22.02.2015 से अवगत करवाया गया कि उत्तरदायी रीडर श्री नरेन्द्र कुमार बापना के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ हो जाने एवं

परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.10.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(216)लोआस/2014

परिवादी श्री भैरू लाल गाडरी, निवासी ग्राम सातलियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत सातलियास के पूर्व सरपंच, श्री खूबीलाल शर्मा एवं सचिव, श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा आबादी भूमि को नियम विरूद्ध नीलाम कर पट्टे जारी करने तथा इस बाबत पुलिस थाना, गंगापुर म. पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 03/2014 म. पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 10.11.2014 से अवगत करवाया कि पुलिस थाना गंगापुर म. दर्ज प्राथमिकी संख्या 03/2014 म. किये गये अनुसंधान से लोकसेवकों द्वारा गबन करना, धोखा करना एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण म. अदम वकु (झूठ) म. अन्तिम नतीजा रिपोर्ट संख्या 197/14 दिनांक 17.09.2014 तैयार कर न्यायालय म. पेश की गई है।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 18.05.15 द्वारा अवगत करवाया है कि भूखण्डों के विक्रय की प्रक्रिया विधि सम्मत न होने से पूर्व सचिव, श्री विनोद कुमार शर्मा एवं श्री बाबुलाल सुवालका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत तथा पूर्व सरपंच श्री खूबी लाल के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 19.09.2016 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा भूखण्डों की नीलामी

नियमानुसार नहीं किये जाने बाबत दोषी लोक-सेवक श्री विनोद कुमार शर्मा व श्री बाबु लाल सुवालका, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं प्रश्नगत पट्टा विलेखों को निरस्त करवाने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा म. निगरानी याचिकाएँ संस्थित की जा चुकी हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने तथा प्रश्नगत पट्टा-विलेखों के निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय म. प्रकरण दर्ज कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(241)लोआस/2014

परिवादी श्री ब्रह्मानन्द मीणा, निवासी हालीहेड़ा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुगर मिल चौराहे से केशोरायपाटन तक करीब 3 किलोमीटर लम्बी सड़क पर पेच वर्क के नाम पर घटिया कार्य करवाने तथा नगरपालिका के खाते म. दर्ज शुगर मिल चौराहे के पास स्थित करीब 100 बीघा भूमि पर बाहुबलियों द्वारा कब्जा कर काश्त किये जाने के मामले की जाँच करवाने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2015 म. यह प्रकट किया गया है कि शुगर मिल चौराहे से केशोरायपाटन तक सड़क पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से उक्त डामर सड़क का

भाग क्षतिग्रस्त होता रहा है, जिस पर न्यूनतम राशि व्यय कर पेच रिपेयरिंग का कार्य करवाया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 30.11.2015 द्वारा यह प्रकट किया है कि नगरपालिका की करीब 30 बीघा भूमि प्रतिवर्ष ज्वारा काश्त पर दी जाती है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा ज्वारा काश्त ठेके की शर्त संख्या-5 के अनुसार अंतिम बोलीदाता से एक मुश्त बोली राशि उसी दिन जमा नहीं कराने एवं 30 बीघा भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने से उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही करने एवं भूमि शाखा लिपिक द्वारा 8000/- की राशि का गबन करने से उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही कर गबन की राशि मय ब्याज वसूल करने हेतु उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा को निर्देशित किया गया है।

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 17.06.2016 द्वारा यह प्रकट किया है कि श्री सुमेरसिंह मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, केशोरायपाटन को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एवं श्री इरफान अली, कनिष्ठ लिपिक, तत्कालीन भूमि शाखा लिपिक, नगरपालिका, केशोरायपाटन को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण दिनांक 10.06.2016 को जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 27.02.2017 द्वारा यह प्रकट किया है कि अधिशाषी अधिकारी,

नगरपालिका, केशोरायपाटन ने अनुशासनिक कार्यवाही म. पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री इरफान अली, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, भूमि शाखा, नगरपालिका, केशोरायपाटन को राशि 8000/- रूपये के गबन का दोषी मानते हुए उसे एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभावी से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया। गबन की राशि मय ब्याज नगरपालिका कोष म. जमा करा दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(426)लोआस/2014

परिवादी श्री भगवानसिंह, निवासी ग्राम अजीतपुरा, पोस्ट कूदन, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सरपंच, ग्राम पंचायत जेरठी, श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्राधिकृत नहीं होते हुए भी श्री मंगलाराम का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने तथा इस बाबत की गई जाँच कार्यवाही म. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्री भरतलाल मीणा द्वारा सरपंच से रिश्वत लेकर उसे बचाने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.10.15 द्वारा अवगत करवाया है कि शिकायत म. जिला कलेक्टर, सीकर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्री भरतलाल मीणा के सेवानिवृत हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही का कोई समुचित आधार नहीं है। पूर्व सरपंच श्री भागीरथ सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही ड्रॉप की गई।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया. के पत्र के सन्दर्भ म. संभागीय आयुक्त, जयपुर ने जाँच प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2016 द्वारा अवगत कराया कि पंचायती राज विभाग ने प्रकरण म. श्री भागीरथ सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत जेरठी के विरूद्ध सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित सरपंच को चेतावनी के दण्ड से दंडित किये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(199)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रवीण कोली, निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. मूल काबिज आवंटी श्री बालू लाल पुत्र श्री भूरा कोली से क्रय की गई व नक्शे म. तरमीमशुदा खसरा संख्या 239/2 रकबा 3 बीघा भूमि पर उसके काबिज रहते हुए भी पटवारी द्वारा गुलाब बाई की जमीन के उत्तर म. उक्त भूमि की गलत तरमीम को नक्शे म. काट देने बाबत दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने प्रतिवेदन दिनांक 05.04.16 द्वारा प्रकट किया कि प्रश्नगत भूमि विवादित होने से धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत थानाधिकारी, बिजौलिया की रिसीवरी म. है। ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम/खातेदारी भूमि म. जारी किया गया बापी पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य एवं अप्रभावी है। विवादित भूमि का आवंटन बालुलाल पिता पूरा कोली को हुआ लेकिन भूमि का कब्जा बालुलाल पिता भूरा कोली को सुपुर्द किया गया। आवंटित भूमि का

बेचान बालुलाल पिता भूरा बनकर बालुलाल पिता पूरा ने किया जो वास्तव म. आवंटी था।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 14.03.2017 द्वारा प्रकट किया कि आवंटित भूमि का तत्समय नक्शा लट्ठा म. तरमीम नहीं करने हेतु उत्तरदायी तत्कालीन पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। यह भी प्रकट किया कि नक्शा लट्ठा की अधूरी नकलें जारी करने के लिये उत्तरदायी पटवारी बिजौलिया श्री महावीर प्रसाद शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिये गये है और प्रकरण म. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 11.03.2017 नियत की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये के उपरान्त सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(203)लोआस/2015

परिवादी श्री सरवन खान, महाराजा श्री उम्मेद कायमखानी छात्रावास, शिप हाउस रोड़, पावटा, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा दी जाने वाली मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए समय पर आवेदन-पत्र जमा करवाने के बावजूद उसे छात्रावृत्ति नहीं मिलने की शिकायत करते हुए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांकित 07.01.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि छात्र सरवन खान द्वारा वर्ष 2013-14 म. मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी की निदेशालय स्तर पर जाँच करने पर तकनीकी कारणों से पोर्टल पर विवरण प्रदर्शित नहीं हो पाने के कारण जाँच नहीं होने से सरकार को ऑनलाइन अग्रेषित प्रस्तावों में उसका नाम सम्मिलित नहीं हो पाया, जिससे छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यह भी प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 की मैरिट कम मीन्स योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की जिला स्तर पर जाँच किये जाने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा सहवन से छात्र के 62.78 अंकों के स्थान पर 50 प्रतिशत से कम अंक दर्शाये जाने से आवेदन निरस्त हो गया, जिसके सम्बन्ध म. परिवादी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर म. एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5933/2015 दायर की गई।

उपनिदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांक 04.01.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध म. श्रीमती रेशमा खान, कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ हो जाने और परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(251)लोआस/2015

परिवादी श्री तुलसाराम, निवासी 36-ए, जनता कॉलोनी, पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई कि गाँव बडेरावास, तहसील व जिला पाली म. मांगीलाल इत्यादि को कुआं हेतु खसरा संख्या 1429/2 की 0.05 बीघा लीज पर आवंटित भूमि पर कुआं खोदकर सिंचाई की गई। लीज अवधि का अवसान हो जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2013 से लीज को निरस्त कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश देने के बावजूद भी लीजधारकों द्वारा भूमि पर आधिपत्य बनाये रखा गया और उन्ह. बेदखल करने की कागजी कार्यवाही दिखाई गई। भूमि पर विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने हेतु ग्राम सेवक, बडेरावास द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सहयोग किया। अतिक्रमिया. को भौतिक रूप से बेदखल करने, विद्युत विभाग द्वारा गलत नक्शा बनाकर भूमि हड़पने म. सहयोग करने, ग्राम सेवक द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक, खैरवा द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल नहीं करने के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने का निवेदन परिवाद म. किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट, प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग (पी.पी.एण्ड एम.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2015 से अवगत कराया कि श्री शेषाराम को ग्राम पंचायत, बडेरवास द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 30.06.2015 को जारी किये गये नये विद्युत कनेक्शन को तहसीलदार, पाली के आदेश दिनांक 21.08.2016 के अनुसरण म. दिनांक 10.09.2015 को विच्छेद कर दिया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, पाली ने प्रतिवेदन दिनांक 30.01.17 द्वारा अवगत कराया कि खसरा संख्या 1429/2 गैरमुमकिन नदी म. लीज जारी की गई थी, परंतु श्री शेषाराम द्वारा कुआं खसरा संख्या 1807 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि म. खोदा गया, जिसकी कोई लीज

जारी नहीं की गई थी। अतिक्रमी श्री शेषाराम के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(2) के तहत कार्यवाही म. तहसीलदार, पाली द्वारा दिनांक 27.11.15 को निर्णय पारित कर बेदखली व अतिक्रमी को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया, जिसकी द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय म. विचाराधीन होकर स्थगन आदेश जारी है। कुर्क शुदा सम्पति पर अवैध कब्जा करने बाबत धारा 437, 454, 330 भारतीय दण्ड संहिता म. प्रकरण संख्या 167/16 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पर्यावरण), पाली के न्यायालय म. विचाराधीन है। विधि विरूद्ध रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध म. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, बडेरवास, श्री अरविन्द ओझा को प्रथमदृष्ट्या दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण म. नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित हो जाने पर परिवाद को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(339)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी, निवासी 39, लक्ष्मण नगर-सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. मनरेगा लोकपाल, जोधपुर के परिवाद संख्या 65/2013 म. श्री परसराम परिहार एवं श्री रामकुमार लामरोड़, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, भोपालगढ़ द्वारा मौके पर ग्रेवल सड़क म. किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद कार्य होना दर्शाकर गलत जाँच रिपोर्ट देने पर जिला कलेक्टर, जोधपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला

कार्यक्रम समन्वयक, जोधपुर द्वारा जानबूझकर उनके विरूद्ध संविदा सेवा शर्तों के अनुसार कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 30.03.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि श्री रामनिवास पागा एवं श्री राजेश कुमार मीणा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, भोपालगढ़, जिला जोधपुर के अनुबन्ध उनका कदाचार साबित होने से समाप्त कर दिये गये। श्री भानाराम ग्वाला, श्री परसराम परिहार एवं श्री रामकुमार लामरोड़, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, भोपालगढ़ के विरूद्ध जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत अधिकतम 1000/-रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर उन्हें अन्यत्र पदस्थापित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(359)लोआस/2015

परिवादी श्री हेमन्त कुमार प्रजापत, निवासी रोहिड़ा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री जेठमल सेन, तत्कालीन पटवारी, भारजा, भीमाना व भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री सगाराम द्वारा ग्राम वाडा के खसरा संख्या 147/12 रकबा 10 बीघा के सम्बन्ध म. रिकॉर्ड म. हेराफेरी कर मोवन पुत्र भेरा के नाम से नामान्तरण दर्ज करने तथा उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा द्वारा अनियमितताओं के आरोपों के सम्बन्ध म. श्री जेठमल सेन, पटवारी को आरोप-पत्र दिये जाने बाबत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त नामान्तरण को निरस्त करने की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा की जाँच रिपोर्ट दिनांक 15.07.2016 के आधार पर प्रेषित अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2016 से प्रकट किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरण प्रमाणित करने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत के सचिव के दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,सिरोही को लिखा गया है। अन्य अनियमितताओं बाबत श्री जेठमल सेन, पटवारी को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.41(5)लोआस/2013

परिवादी श्री संजीव कुमार जिलाध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, मकान नम्बर 357, महिला पार्क के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, श्रीगंगानगर के कनिष्ठ लेखाकार श्री संतोष कुमार द्वारा चौथ वसूली करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.10.2013 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध

म. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II), निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 21.07.2016 के अनुसार लोकसेवक श्री संतोष कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर **उसे भविष्य म. सतर्कतापूर्वक कार्य करने की लिखित चेतावनी** दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने से यह परिवाद दिनांक 09.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.41(3)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती राजकुमारी शर्मा पत्नी श्री रामबाबू शर्मा निवासी मकान नंबर 438, टिक्कीवालों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुर्वेद विभाग म. चिकित्सक के पद पर नियुक्त वैद्य रामबाबू शर्मा द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लिये जाने से उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाते हुए बर्खास्त करवाने की माँग की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.5.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.05.16 के अनुसार लोकसेवक श्री रामबाबू शर्मा एवं श्रीमती सुनीता गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम 25(1) के तहत जाँच

प्रकरण म. जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। जाँच कार्यवाही समय साध्य होने के कारण प्रकरण को दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध करते हुए पत्रावली की पार्ट फाइल खोलकर प्रक्रियाधीन कार्यवाही की ''त्रैमासिक'' प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जाँच प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 5.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.41(19)लोआस/2015

परिवादी श्री जीतराम निराणिया पुत्र श्री रामप्रताप निराणिया निवासी पोस्ट मुण्डा वाया टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद आयुर्वेद चिकित्सालय, मुण्डा के चिकित्साधिकारी, श्री धर्मपाल गढ़वाल की कार्यप्रणाली की जाँच किये जाने के संदर्भ म. दिनांक 17.11.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 07.01.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 24.01.2017 के अनुसार लोकसेवक श्री धर्मपाल गढ़वाल, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की गई एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर इनकी **दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड** से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक को उसके विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही म. दण्डित

किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 6.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.42(15)लोआस/2014

परिवादी श्री जयनारायण पुत्र श्री रामचरण निवासी छोटा मन्दिर माफी जैपला तहसील छबड़ा, जिला बारां ने यह परिवाद देवस्थान विभाग, छबड़ा के अधिकारियों के विरूद्ध अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 29.09.2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.11.14 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.09.2016 के अनुसार परिवादी को अवाप्त भूमि के मुआवजे की राशि 27,798/- रूपये का भुगतान दिनांक 18.12.2015 को किया जा चुका है एवं मुआवजा भुगतान म. विलम्ब हेतु दोषी लोकसेवक श्री भैरूलाल वर्मा, तत्कालीन लिपिक को **भविष्य म. सतर्कता बरतते हुए कार्य करने की लिखित चेतावनी** दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी लोकसेवक श्री भैरूलाल वर्मा, तत्कालीन लिपिक को सतर्कता बरतते हुए कार्य करने की लिखित चेतावनी दे दिये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 01.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(433)लोआस/2011
एफ.22(537)लोआस/2011
एफ.22(592)लोआस/2011

एफ.22(737)लोआस/2011

एफ.22(1196)लोआस/2011

एफ.22(1594)लोआस/2011

एफ.22(1601)लोआस/2011

अनुशासनिक कार्यवाहिया. के उपर्युक्त प्रकरणा. का विवरण ''माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य - जस्टिस माथुर जांच आयोग से अंतरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण'' अध्याय-3 म. दिया गया है।